SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 की विषय-सूची

विषय			पृष्ठ सं.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राक्कथन			1
प्रस्तावना			3
2025-26 में सीएजी की एक झलक			5
1.	भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (एसएआई) के बारे में		10
	1.1.	हमारी विरासत	10
	1.2.	साई इंडिया के बारे में	11
		1.2.1. हमारा विजन, मिशन और आधारभूत मूल्य	12
		1.2.2. साई इंडिया की स्वतंत्रता	12
		1.2.3. साई इंडिया की शक्तियाँ	12
	1.3.	सीएजी अधिदेश	13
		1.3.1. लेखापरीक्षा अधिदेश	13
		1.3.2. लेखा और हकदारी अधिदेश	14
		1.3.3. लेखापरीक्षा के प्रकार	14
	1.4.	साई इंडिया का संगठन	16
2.	वर्ष की प्रमुख पहलें		20
	2.1	लेखापरीक्षा के अंतर्गत पहलें	20
		2.1.1 अनुपालन लेखापरीक्षाओं में नई पहलें	21
		2.1.2 वित्तीय लेखापरीक्षाएँ	29
		2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	33
		2.1.4 ब्रेकिंग साइलोस: एक एकीकृत और समग्र लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	33
		2.1.5 क्रॉस कटिंग पहलें	43
	2.2	लेखाओं के अंतर्गत पहलें	48
		2.2.1 राज्य वित्त का दशकीय विश्लेषण	48
		2.2.2 सरकारी लेखा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना – त्वरित वाउचर प्रसंस्करण	51
		2.2.3 हितधारक सहभागिता के माध्यम से सीएजी कार्यालयों में लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना	53
		2.2.4 पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यों के लिए आद्योपांत डिजिटलीकरण	55
		2.2.5 संघ और राज्य सरकारों में विनियोग की प्राथमिक इकाइयों का सामंजस्य	56
		2.2.6 वित्त सचिवों का दूसरा सम्मेलन	57
		2.2.7 सोलहवें वित्त आयोग के विश्लेषण और प्रतिवेदन में सीएजी का योगदान	59
		2.2.8 खनिज रॉयल्टी के लेखांकन को सुव्यवस्थित करना	60
		2.2.9 गसब के माध्यम से सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाना	61
	2.3	संगठनात्मक सुधार	62
		2.3.1 संगठनात्मक पुनर्गठन	62
		2.3.2 संवर्ग अनुकूलन - सीईए और सीआरए संवर्ग	66
		2.3.3 केंद्रीय रिपोर्ट स्कन्ध में वित्त एवं संचार के कार्य को शामिल करना	67
	2.4	रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मंच	67
		2.4.1 ब्रेकिंग साइलोस पर सम्मेलन	67
		2.4.2 वरिष्ठ प्रबंधन बैठकें	68

2.5 ज्ञान, कौशल और भविष्य के लिए तैयार भा.ले.प. एवं ले.वि. का निर्माण 68

2.5.1 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य ज्ञान साझीदारों के साथ विशेष गठजोड़ 69

2.5.2 एआई/एमएल और उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण 75

2.5.3 नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 78

2.5.4 नवागत और मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम 79

2.5.5 ज्ञान और अधिगम पोर्टल 79

2.5.6 क्षमता निर्माण रणनीति में प्रमाणित ई-लर्निंग कार्यक्रमों का एकीकरण 81

2.5.7 संस्थागत प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना- एनएएए के साथ ही सीओईएफए, आईसीआईएसए, आईसीईडी, आईसीएएल और एचईआईएस 82

2.5.8 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास 83

2.5.9 दिशा-निर्देशों का विकास एवं प्रसार 84

2.5.10 आंतरिक नियंत्रण एवं गुणवत्ता आकलन 86

2.5.11 संशोधित प्रशिक्षण रणनीति एवं क्षमता रूपरेखा 87

2.6 हितधारकों की सहभागिता में वृद्धि 88

2.6.1 डिजाइन चरण के दौरान पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श और उच्च स्तरीय सम्मेलन 89

2.6.2 प्रबंधन पत्र 94

2.6.3 सीएजी-आईसीएसएसआर गोष्ठी श्रृंखला 95

2.6.4 ऑडिट दिवस और 32वें महालेखाकार सम्मेलन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और रणनीतिक दिशा निर्धारित करना 97

2.6.5 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 98

2.6.6 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 99

2.6.7 अन्य पहलें 99

3. प्रमुख सक्षमकर्ता 104

3.1 डिजिटल एवं डेटा रूपांतरण 104

3.1.1 एकीकृत लेखापरीक्षा प्रणालियाँ 104

3.1.2 अन्य पहलें 110

3.2 मानव संसाधन सुधार 113

3.2.1 परीक्षा सुधार 114

3.2.2 लेखापरीक्षा कार्य में विषय विशेषज्ञों की तैनाती 115

3.2.3 निष्पादन प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार 115

3.2.4 संवर्गों में सक्षमता मानचित्रण (मा.सं.) 117

3.2.5 कार्मिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए केपीआई ढांचा 117

3.2.6 मान्यता और पुरस्कार 118

3.2.7 केंद्रीकृत संवर्ग 119

3.3 सीमाओं से परे: हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध 120

3.3.1 बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा 121

3.3.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और ज्ञान साझाकरण गतिविधियाँ 123

3.3.3 अन्य वैश्विक साई के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (बहुपक्षीय, द्विपक्षीय) 131

विषय-सूची

विषय-सूची

4. लोक शासन में मूल्य संवर्धन **140**

4.1 विधायी, नीतिगत और नियामक सुधार 141

4.2 वित्तीय वसूली और सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना 142

4.3 अनुपालन, नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन 144

4.4 पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन 144

4.5 शासन व्यवस्था में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी 145

5. भविष्य की योजना - 2026-27 के लिए गति बनाने की नई पहलें **148**

5.1 साई इंडिया का रणनीतिक रोडमैप 2026-30 148

5.2 संगठनात्मक केपीआई 150

5.3 प्रबंधन पत्र 150

5.4 सीएजी 101 नवाचार विचार पहल - नवाचार की एक दीर्घकालिक संस्कृति को बढ़ावा देना 150

5.5 डिजिटल रिपोर्ट – एसएफएआर 151

5.6 शिकायत निवारण को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना 152

5.7 साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा 152

5.8 डिजिटल प्रणालियों की लेखापरीक्षा पर प्रमाणन (सीएडीएस) 153

5.9 राज्य के वित्त के दशकीय विश्लेषण का विस्तार 155

अनुलग्नक **156**

अनुलग्नक-I 156

अनुलग्नक-II 162

अनुलग्नक-III 163

शब्दावली **165**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा



"भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने आंकड़ा विश्लेषण, जोखिम-आधारित नियोजन, विषय-गत जांच और परिणाम-उन्मुख मूल्यांकन का अधिक उपयोग करते हुए, अपनी लेखापरीक्षा और लेखांकन कार्यों की प्रासंगिकता एवं प्रभाव को गहरा करने के लिए काम किया"

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह हमारे हितधारकों के समक्ष इस बात का विवरण प्रस्तुत करती है कि साई इंडिया ने बदलते शासन परिवेश में अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे किया है, अपनी पेशेवर क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ किया है और अपनी कार्यप्रणाली को कैसे पुनर्गठित किया है।

ऐसे समय में जब शासन प्रणालियाँ अधिक जटिल, अधिक डिजिटल और अधिक परस्पर निर्भर होती जा रही हैं, सार्वजनिक जवाबदेही की संस्थाओं को भी समान उद्देश्य के साथ स्वयं को नवीनीकृत करना होगा। आज लेखापरीक्षा अब केवल विचलनों का पता लगाने या अनियमितताओं की रिपोर्ट करने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक मूल्य विश्वसनीय अंतर्दृष्टियाँ उत्पन्न करने, प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने, सुधारात्मक दिशा-परिवर्तन को सक्षम बनाने और बेहतर निर्णय प्रक्रिया में सहायता करने में निहित है।

वर्ष के दौरान अपने मूल अधिदेश का निर्वहन करते हुए, संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए 249 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया गया। हमने वर्ष के दौरान 8,793 वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा भी की। सार्वजनिक व्यय और प्राप्तियों की जांच के परिणामस्वरूप, हमने ₹ 4,250 करोड़ से अधिक की वित्तीय वसूली में योगदान दिया। ये परिणाम हमारे कार्य का आधार बने हुए हैं, लेकिन 2025-26 का व्यापक परिप्रेक्ष्य यह है कि व्यापक सुधारों के माध्यम से स्वयं संस्थान को कैसे नया आकार दिया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, साई इंडिया ने अपने लेखापरीक्षा और लेखांकन कार्यों की प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम किया, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, जोखिम-आधारित योजना, विषयगत परीक्षण और परिणाम-उन्मुख निर्धारण पर अधिक जोर दिया गया। विभिन्न योजनाओं को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन, डेटा-आधारित और दूरस्थ लेखापरीक्षा तथा उभरते क्षेत्रों में केंद्रित कार्य, वर्तमान शासन संबंधी चुनौतियों और नागरिक-केंद्रित प्राथमिकताओं के अनुरूप लेखापरीक्षा को बनाए रखने के हमारे प्रयास को दर्शाते हैं।

हमने क्षेत्रवार प्रबंधन पत्र जारी किए, जो नीति-निर्माताओं को उन क्षेत्रों पर संक्षिप्त, उपयोगी जानकारी देते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने राज्य वित्त पर दशकीय विश्लेषण के दो संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें सभी 28 राज्यों में प्राप्तियों, व्यय, देनदारियों और प्रमुख राजकोषीय मापदंडों को शामिल किया गया, ताकि साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और आगे के अनुसंधान को समर्थन मिल सके। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, हमने कराधान में व्यवसाय करने में सुगमता, माल ढुलाई परिचालन, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, बहुविध लॉजिस्टिक्स, विद्युत क्षेत्र सहित विषयगत और क्षेत्रवार लेखापरीक्षा शुरू की, तथा नागरिकों के दृष्टिकोण से जीवन-यापन में सुगमता का निर्धारण करने के लिए 101 शहरों की लेखापरीक्षा भी की।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफ़एम) ध्यानकर्षण का केंद्र बना रहा। राज्य लेखाओं की तैयारी और प्रमाणन, राज्य वित्त का विश्लेषण, लेखांकन वर्गीकरणों का सामंजस्यीकरण, वित्त सचिवों के साथ संवाद और जीएएसएबी का कार्य, सभी सार्वजनिक वित्तीय सूचनाओं की गुणवत्ता, तुलना और पारदर्शिता में सुधार करने में मदद करते हैं। विश्वसनीय सार्वजनिक लेखा सुदृढ़ राजकोषीय शासन के लिए अपरिहार्य हैं, और साई इंडिया व्यापक पीएफ़एम ढाँचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इनका आधार है। इन उपायों के साथ कैडर अनुकूलन, विशेषज्ञ प्रतिभा की तैनाती, सक्षमता मानचित्रण, निष्पादन-प्रबंधन सुधार और एक सुदृढ़ प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल रहे, जिसमें वित्तीय लेखापरीक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएफ़ए) की स्थापना भी शामिल है। इन सभी का उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को क्षेत्र के अधिक निकट लाना, क्षेत्रवार विशेषज्ञता को गहरा करना और लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता में सुधार करना है।

प्रौद्योगिकी प्रमुखता से सहायक बनी रही। डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरस्थ और मिश्रित लेखापरीक्षा पद्धतियों, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल इंटरफेस ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को नया रूप देना शुरू कर दिया है। ओआईओएस, सीएजी कनेक्ट और सार्वजनिक वित्त डेटा के प्रौद्योगिकी-सक्षम विश्लेषण जैसी पहलें लेखापरीक्षा को अधिक साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और सुलभ बनाती हैं, साथ ही अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार करती हैं, सूचना विषमता को कम करती हैं और लेखापरीक्षा की गई संस्थाओं के साथ अधिक संरचित संवाद को सक्षम बनाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर, साई इंडिया पाँच प्रमुख संयुक्त राष्ट्र-प्रणाली संगठनों के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता रहा: विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, हमने 70 से अधिक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के 1,100 से अधिक लेखापरीक्षा पेशेवरों के लिए ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम चलाए और प्रमुख आईएनटीओएसएआई मंचों की अध्यक्षता करके तथा आईएनटीओएसएआई और एएसओएसएआई के अंतर्गत प्रमुख बैठकों की मेजबानी करके वैश्विक लेखापरीक्षा समुदाय में योगदान दिया।

संस्थागत विकास के अगले चरण में अधिक गहन विशेषज्ञता, अधिक सुदृढ़ लेखापरीक्षा और लेखा क्षमताओं, प्रौद्योगिकी और डेटा के अधिक उपयोग तथा सार्थक हितधारक सहभागिता की आवश्यकता होगी। नवाचार और निरंतर सीखने की संस्कृति साई इंडिया को अपनी सत्यनिष्ठा के लिए विश्वसनीय, अपनी क्षमता के लिए सम्मानित और बेहतर शासन तथा नागरिक परिणामों में अपने योगदान के लिए मूल्यवान बने रहने में सहायता करेगी। मैं साई इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और व्यावसायिकता को स्वीकार करता हूँ। मैं सार्वजनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने में संसद, राज्य विधानमंडलों, सरकारों, लेखापरीक्षित संस्थाओं और अन्य हितधारकों की निरंतर सहभागिता के लिए भी सराहना व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि साई इंडिया हमारी विकसित भारत की सामूहिक यात्रा में स्वतंत्रता, परिश्रम और सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करना जारी रखेगा।



(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रस्तावना

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंडिया) वर्ष 2025–26 के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें वर्ष के दौरान किए गए उसके कार्यों का विवरण है कि उसने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे किया, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को कैसे सुदृढ़ किया, अपनी लेखापरीक्षा और लेखांकन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण कैसे किया, संस्थागत क्षमता का विकास कैसे किया और शासन में उभरती चुनौतियों का सामना कैसे किया।

यह वर्ष एकीकृत, डेटा-आधारित और परिणामोन्मुख लेखापरीक्षा की दिशा में निरंतर बदलाव से परिपूर्ण रहा, जिसमें संगठनात्मक और कार्यात्मक रूपरेखाओं से आगे बढ़कर कार्य किया गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, बहुविध परिवहन और लॉजिस्टिक्स, तथा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे विषयों के लिए मंत्रालयों, राज्यों, क्षेत्रों और लेखापरीक्षा कार्यालयों के बीच समन्वित परीक्षण आवश्यक था, जबकि लेखापरीक्षा और लेखा तथा हकदारी कार्यालयों के बीच सहयोग ने राज्य वित्तीय प्रणालियों और डिजिटल डेटा के अधिक उपयोग को सक्षम बनाया। साई इंडिया ने सरकारी खातों के प्रमाणीकरण, राज्य वित्त के दशकीय विश्लेषण, लेखांकन प्रणालियों के आधुनिकीकरण और तालमेल, पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यों के डिजिटलीकरण, राज्य वित्त सचिवों के साथ सहभागिता, तथा सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड के कार्य के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को भी सुदृढ़ किया।

संस्थागत सुधारों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विकेंद्रीकरण, लेखापरीक्षा संरचनाओं का पुनर्गठन, कैडर का अनुकूलन, नए विशिष्ट कार्यालयों और केंद्रों की स्थापना, सुदृढ़ प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र, क्षमता विकास तथा लेखापरीक्षा, मानव-संसाधन प्रबंधन और आंतरिक प्रशासन में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को शामिल किया गया। साई इंडिया ने हितधारकों, ज्ञान संस्थानों, पेशेवर निकायों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को और भी मजबूत किया।

रिपोर्ट को पाँच अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। पहला अध्याय साई इंडिया का अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें इसकी विरासत, अधिदेश, संगठनात्मक संरचना और मार्गदर्शक मूल्यों को शामिल किया गया है। दूसरा अध्याय लेखापरीक्षा, लेखा, संगठनात्मक सुधारों, रणनीतिक विचार-विमर्श, सूचना और कौशल विकास तथा हितधारक सहभागिता के क्षेत्रों में वर्ष की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। तीसरा अध्याय इस कार्य को समर्थन देने वाले सक्षमकारी तत्वों का वर्णन करता है, जिनमें डिजिटल और डेटा रूपांतरण, मानव-संसाधन सुधार और अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं। चौथा अध्याय सीएजी के कार्य के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें विधायी और विनियामक सुधार तथा वित्तीय वसूली से लेकर सुदृढ़ नियंत्रणों और पर्यावरणीय, सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम परिणामों तक शामिल हैं। पाँचवाँ अध्याय 2026–27 के लिए प्रस्तावित पहलों और साई इंडिया की भावी दिशा को निर्धारित करता है।

यह रिपोर्ट साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय के प्रभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के योगदान से संकलित की गई है। यह हमारे हितधारकों: विधानमंडलों, कार्यपालिका, लेखापरीक्षित संस्थाओं, सहकर्मी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं, शोधकर्ताओं और भारत के नागरिकों के लिए

अभिप्रेत है। किए गए कार्य और उससे मिलने वाले परिणामों, दोनों को प्रस्तुत करते हुए, रिपोर्ट का उद्देश्य साई इंडिया के कामकाज और योगदान को अधिक सुलभ बनाना है।

साई इंडिया अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण तथा संसद, राज्य विधानमंडलों, सरकारों, लेखापरीक्षित संस्थाओं और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करता है, जिनकी निरंतर सहभागिता सार्वजनिक जवाबदेही को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। संस्था अपने पाठकों की प्रतिक्रिया का स्वागत करती है, जो आने वाले वर्षों में अपने कार्य को और भी अधिक स्पष्टता और प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत करने में सहयोग करेगी।

(के. एस. सुब्रमण्यन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(मानव संसाधन, आईआर, समन्वय और विधिक मामले)

2025-26 में सीएजी की एक झलक

लेखापरीक्षा

अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ	राज्य
39	210

पटल पर रखे गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ	राज्य
40	174

लेखापरीक्षित इकाइयाँ

संघ	राज्य
13,010	21,705

जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन

संघ	राज्य
9,242	18,397

30 दिनों के भीतर जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन

संघ	राज्य
84.67%	70.32%

लेखापरीक्षित कंपनियाँ

संघ	राज्य
485	974

वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षाएँ

संघ	राज्य
2,769	6,024

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई/पैराओं का निपटान

संघ	राज्य
1,685	800

स्वीकार की गई अनुशंसाएँ

संघ	राज्य
108	1,285

लेखापरीक्षा के माध्यम से की गई वसूलियाँ (₹ करोड़ में)

संघ	राज्य
2,077.59	2,122.01

2025-26 में सीएजी की एक झलक

लेखा एवं हकदारी

लेखा एवं हकदारी कार्यालय

29

राज्य वित्त के दशकीय विश्लेषण पर प्रकाशन (2022-23 और 2023-24)

02

निरीक्षित कोषागार

1,959

की गई वसूलियाँ

₹ 51.74 करोड़

निपटाए गए मूल एवं संशोधित पेंशन मामले

4,39,712

प्राप्त मामलों का 97.60%

निर्धारित समय में अंतिम रूप दिए गए जीपीएफ अंतिम भुगतान मामले

2,06,178

89.48%

पेंशनभोगियों / जीपीएफ अंशदाताओं की शिकायतों का समय पर निवारण

94.44%

अध्याय 01

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान *के बारे में*





01
भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के बारे में

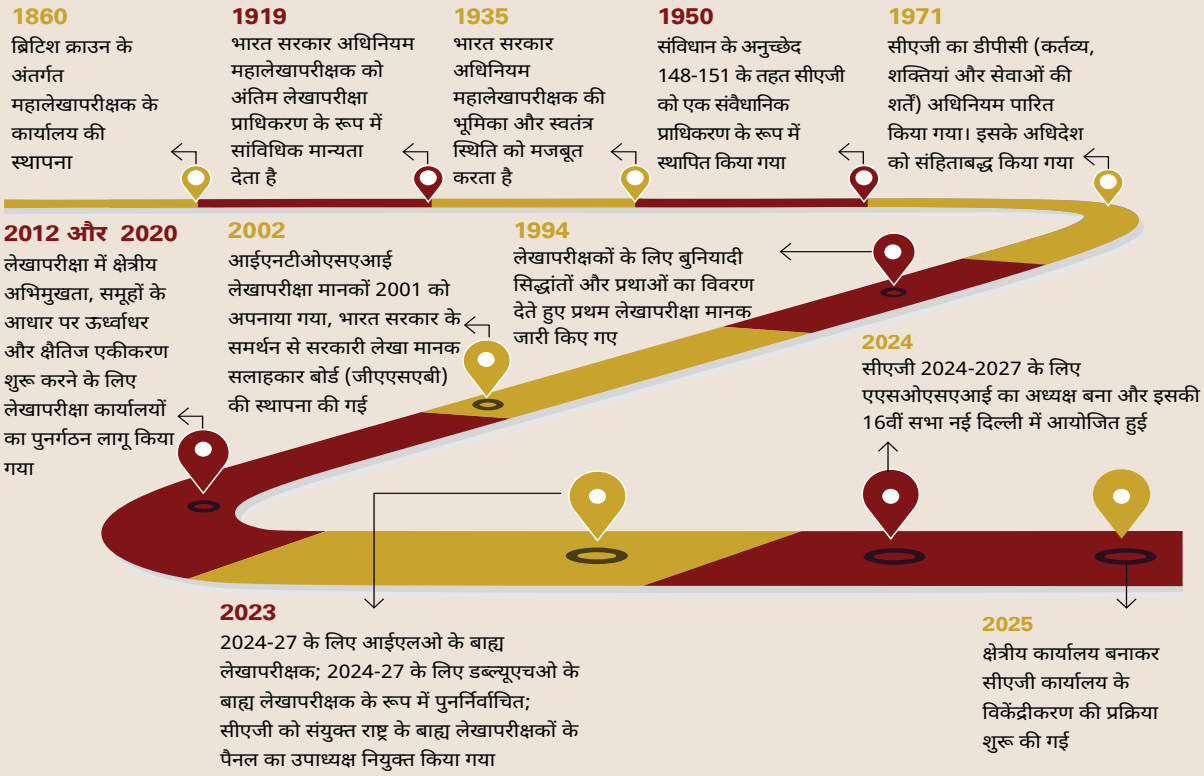
साई इंडिया एक ऐसी संस्था से विकसित हुआ है जिसका प्राथमिक काम वित्तीय अनुपालन की जांच करना था, और अब यह एक ऐसा संस्थान बन गया है जो शासन की बढ़ती जटिल चुनौतियों को कवर करते हुए निष्पादन, सूचना, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और विषय-आधारित लेखापरीक्षा भी करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और सीएजी के अंतर्गत कार्यरत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग), दोनों मिलकर भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) का गठन करते हैं, जो भारत के संविधान के तहत भारत के संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र है। साई इंडिया देश की सार्वजनिक जवाबदेही व्यवस्था की आधारशिला के रूप में कार्य करता है और स्वतंत्र लेखापरीक्षा एवं लेखांकन कार्यों के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

1.1. हमारी विरासत

1857 के बाद, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने 1860 में साम्राज्य की आय और व्यय के वार्षिक बजट की एक प्रणाली शुरू की। बजट प्रणाली ने साम्राज्यीय लेखापरीक्षा की आधारशिला रखी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवम्बर 1860 को प्रथम महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। दशकों के दौरान, शासन, लोक वित्त और संवैधानिक व्यवस्थाओं में बदलावों के अनुरूप इस संस्था का विकास हुआ और अंततः यह लोक प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में उभरी।

चित्र 1: हमारी विरासत के महत्वपूर्ण पड़ाव



*एएसओएसएआई: एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का संगठन; आईएनटीओएसएआई: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आईएलओ- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डबल्यूएचओ-विश्व स्वास्थ्य संगठन

साई इंडिया का विकास निरंतर आधुनिकीकरण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखापरीक्षा मानकों को अपनाने, पेशेवर क्षमता को सुदृढ़ करने तथा प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण के बढ़ते उपयोग से चिह्नित रहा है। इस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई है, और वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रथाओं के विकास में योगदान दिया है। साई इंडिया सेवा के एक और वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण पड़ाव संस्थागत स्वतंत्रता, पेशेवर उत्कृष्टता और सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत को दर्शाते हैं।

1.2. साई इंडिया के बारे में

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 सरकारी विभागों की विधायी जवाबदेही को बनाए रखने में सीएजी को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपते हैं। सीएजी संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर) की लेखाओं को संकलित करता है। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संसद और राज्य विधानमंडल बजट और विनियोगों के माध्यम से कराधान और व्यय को अधिकृत करते हैं। सरकारी विभागों और सार्वजनिक निकायों के लिए सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन में निर्धारित औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानकों का पालन करना तथा व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए उत्तरदायी रहना आवश्यक है। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में, साई इंडिया यह जांचता है कि सार्वजनिक निधियां लागू कानूनों, नियमों और मितव्ययिता, क्षमता और

प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुरूप एकत्रित, प्रबंधित और उपयोग की जाती हैं या नहीं। अपने लेखापरीक्षणों के माध्यम से, सीएजी की संस्था विधायी निगरानी का समर्थन करती है, सार्वजनिक विमर्श को सूचित करती है और लोक प्रशासन में सुधार में योगदान देती है।

समय के साथ, साई इंडिया एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित हुआ है जो मुख्य रूप से वित्तीय अनुपालन से संबंधित होने से आगे बढ़कर निष्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय और विषयगत लेखापरीक्षा भी करती है, जो शासन की बढ़ती जटिल चुनौतियों को आच्छादित करते हैं।

1.2.1 विजन, मिशन, आधारभूत मूल्य

चित्र 2: विज़न, मिशन और आधारभूत मूल्य

विजन (हमारा विजन हमारी भावी अभिलाषा को दर्शाता हैं)

हम लोक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देते रहें और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सार्वभौम लीडर बने।

मिशन (हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका के बारे में जानकारी देता है और यह बताता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं।)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने विधानमंडल, आम जनता और कार्यपालिका को इस संबंध में स्वतंत्र और समयोचित आश्वासन देते है कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण तरीके और कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है।

आधारभूत मूल्य (हमारे आधारभूत मूल्य वह मौलिक विश्वास हैं जो हमारी संस्था तथा हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।)

संस्थागत मूल्य: व्यावसायिक(प्रोफेशनल) मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखना।

जन मूल्य: नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता।

1.2.2 साई इंडिया की स्वतंत्रता

भारत का संविधान, अनुच्छेद 148 के तहत, कार्यपालिका से सीएजी की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 149 और 150 संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि यह लेखा सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप में रखे जाएँ। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने हैं और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने हैं, तथा राज्य के लेखाओं पर प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हैं और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हैं।

1.2.3 साई इंडिया की शक्तियाँ

सीएजी को सीएजी की (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्यालयों और संगठनों का निरीक्षण करने, अभिलेखों, दस्तावेजों और सूचनाओं की मांग करने तथा लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, विस्तार और प्रकार को निर्धारित करने का अधिकार[1] प्राप्त है। सीएजी लेन-देन की जाँच कर सकता है और कार्यपालिका से स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा जब परिस्थितियाँ ऐसा उचित ठहराएँ, तो किसी भी लेखे या लेन-देन के वर्ग के विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ सकता है और उन लेखाओं या लेन-देन के संबंध में ऐसा सीमित परीक्षण कर सकता है जैसा वह निर्धारित करे।

[1] सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 23 और 24

शक्तियों का प्रत्यायोजन[2]- सीएजी अपने विभाग के किसी भी अधिकारी को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है; अपवाद यह है कि जब तक सीएजी अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित न हो, कोई भी अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियम बनाने की शक्तियाँ[3]- सीएजी को सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के अनुसार लेखापरीक्षा और लेखांकन को नियंत्रित करने वाले विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण बदलावों और शासन के नए प्रतिमानों को देखते हुए, 2007 में जारी 'लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी विनियमों' की समीक्षा की गई और उन्हें लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

1.3. सीएजी अधिदेश

साई इंडिया का अधिदेश भारत के संविधान से प्राप्त होता है और इसे आगे सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के माध्यम से विस्तृत किया गया है। ये प्रावधान इसकी उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

1.3.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, जो मुख्य रूप से सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 और अन्य संसदीय अधिनियमों से प्राप्त होता है, निम्नलिखित तक विस्तृत है:

- संघ और राज्य सरकारों की संचित निधि में जमा किए जाने वाले सभी प्राप्तियों और उससे किए जाने वाले व्यय;
- आपात स्थितियों में सामान्य बजट के बाहर किए जाने वाले सभी वित्तीय लेन-देन (जिन्हें आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- सरकार द्वारा न्यासी या बैंकर के रूप में रखी गई जनता की निजी धनराशि के अंतर्वाह और बहिर्वाह (जिन्हें लोक लेखा कहा जाता है), संघ के साथ-साथ राज्य स्तरों पर;
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और अन्य सहायक लेखा;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के सभी भंडार और स्टॉक लेखा;
- सरकारी कंपनियाँ; और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार परिभाषित अन्य कंपनियाँ;
- सभी विनियामक निकायों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखा, जहाँ संबंधित कानूनों में सीएजी द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का प्रावधान है;
- सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखा, जिन्हें सार्वजनिक राजकोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है;
- किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखा, जिसकी लेखापरीक्षा लोकहित में राष्ट्रपति/ राज्यपाल / उपराज्यपाल द्वारा विशेष रूप से सीएजी को सौंपी गई हो।

2025-26 में, साई इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों और अधिकार-क्षेत्रों में 34,715 संस्थाओं की लेखापरीक्षा की, 27,639 निरीक्षण प्रतिवेदनें जारी कीं, जिनमें से 20,761 को 30 दिनों के भीतर जारी किया गया। वर्ष के दौरान कुल 249 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया गया, जिनमें 1,653 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ और 163 निष्पादन लेखापरीक्षा विषय तथा 3,742 लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ शामिल थीं, जिनमें से 1,393 अनुशंसाओं को सरकारों और लेखापरीक्षा की गई संस्थाओं द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, एसएबी और ईएपी आदि से संबंधित 8,793 खातों की जांच की गई और 5,852 लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिससे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में अधिक क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान मिला। हमने दिसंबर 2025 में वर्ष 2024-25 के लिए संघ वित्त और विनियोग लेखों को प्रमाणित किया। राज्य महालेखाकारों (लेखा एवं हकदारी) के लेखांकन अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के 2024-25 के वित्त और विनियोग खातों को भी वर्ष के दौरान प्रमाणित किया गया। इन परिणामों ने लेखापरीक्षा आच्छादन के पैमाने और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा लोक प्रशासन में सुधारों को बढ़ावा देने में लेखापरीक्षा के बढ़ते प्रभाव, दोनों को रेखांकित किया।

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकार-क्षेत्र से परे, सीएजी के विशेष उत्तरदायित्वों में यह भी शामिल हैं:

[2] सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 21
[3] सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 23

- स्थानीय सरकार निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस)
- स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित अनुदानों और योजनाओं की लेखापरीक्षा – (क) संघ/राज्य सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों के कुशल उपयोग का सत्यापन, (ख) एलबीएस द्वारा केंद्रीय/राज्य योजनाओं के निष्पादन, परिणामों और समग्र कार्यान्वयन का निर्धारण, (ग) भारत/राज्यों की संचित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा, (घ) खातों की परिपक्वता का निर्धारण और लेखाओं में सुधार को प्राथमिकता देना;
- राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानूनों के अनुपालन की समीक्षा; और
- साझा किए जाने योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का प्रमाणन।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संबंधित 17 अप्रैल 2014 के अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि जहां सार्वजनिक राजस्व के हित शामिल हों, वहां निजी संस्थाओं की लेखापरीक्षा करने का सीएजी का अधिकार है।

1.3.2. लेखा और हकदारी अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत, सीएजी राज्य सरकारों के लेखे संकलित करने और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रपति, राज्यपालों और प्रशासकों को वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। 26 राज्यों के 2024-25 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे मार्च 2026 तक राज्य विधान सभाओं में रखे जा चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी संघ और राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने के लिए सरकारी लेखांकन पर तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह भी प्रदान करता है।

सीएजी राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ़) शेष का भी रखरखाव करता है, राजपत्रित हकदारी संबंधी कार्य करता है और उन राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रसंस्करण और प्राधिकरण करता है जहाँ ऐसे कार्य सीएजी को सौंपे गए हैं (विवरण अनुलग्नक-II में दिए गए हैं)।

वर्ष 2025-26 के दौरान, 4.40 लाख पेंशन मामलों (प्राप्त मामलों का 97.60 प्रतिशत) का निपटारा किया गया, जबकि 2.06 लाख जीपीएफ़ अंतिम भुगतान मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रसंस्करण किया गया। संगठन ने पेंशनभोगियों और जीपीएफ़ अभिदाताओं से प्राप्त 94.44 प्रतिशत शिकायतों का समय पर निवारण भी सुनिश्चित किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य के वित्त सचिवों के साथ निरंतर जुड़ाव/समन्वय के माध्यम से, मासिक सिविल लेखों (एमसीए) को बंद करने और मासिक मुख्य संकेतकों (एमकेआई) को होस्ट करने की समय-सीमा को अगले महीने की तत्कालीन 25 तारीख से पहले करने के प्रयास किए गए। वर्ष 2025-26 के दौरान, बीस प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय अगले महीने की 15 तारीख तक मासिक सिविल लेखों को बंद करने में सक्षम रहे, जिनमें से 11 कार्यालयों ने अगले महीने की 10 तारीख तक ही इसे बंद करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। लक्षित प्रारंभिक बंद समय-सीमा को व्यापक रूप से अपनाने से प्राप्तियों, व्यय और उभरते राजकोषीय रुझानों की निगरानी के लिए राजकोषीय जानकारी पहले उपलब्ध हो सकी।

1.3.3. लेखापरीक्षाओं के प्रकार

सीएजी की शक्तियाँ किसी भी लेखापरीक्षा के संचालन में अपनाए जाने वाले कार्यक्षेत्र, विस्तार, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को निर्धारित करने तक विस्तृत हैं।

साई इंडिया द्वारा मुख्य रूप से तीन अलग-अलग प्रकार की लेखापरीक्षाएँ की जाती हैं:

चित्र 3: सीएजी द्वारा की गई लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा

यह मूल्यांकन करता है कि क्या सरकारी संस्थाएँ, कार्यक्रम और गतिविधियाँ मितव्ययिता, क्षमता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती हैं, और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है।

- मितव्ययिता
- क्षमता
- प्रभावशीलता

वित्तीय लेखापरीक्षा

यह जाँच करता है कि क्या वित्तीय विवरण उचित रूप से तैयार, पूर्ण तथा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप हैं, और सारवान मिथ्या कथन से मुक्त सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- पर्याप्त और उचित साक्ष्य
- सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण
- सारवान मिथ्या कथन से मुक्त
- नियामक ढाँचा

अनुपालन लेखापरीक्षा

यह निर्धारण करता है कि क्या गतिविधियाँ, लेन-देन और सूचनाएँ लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं।

- नियमितता
- कानूनों और विनियमों का अनुपालन
- सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित

लेखापरीक्षा प्रक्रिया एक संरचित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का पालन करती है, जो व्यवस्थित योजना, साक्ष्य-आधारित निष्पादन और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करता है। रणनीतिक और वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएँ जोखिम, महत्त्व, महत्व, लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं और डेटा-आधारित निर्धारणों के आधार पर तैयार की जाती हैं। लेखापरीक्षा टीमें पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र करने के लिए निर्धारित मानकों और उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके जाँच करती हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ संसद या राज्य विधानमंडलों को प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की जाती हैं। इन प्रतिवेदनों की जाँच पीएसी और सीओपीयू द्वारा की जाती है, और लेखापरीक्षा की गई संस्थाएँ की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद अनुवर्ती लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का निर्धारण करते हैं, जिससे जवाबदेही मजबूत होती है और शासन के परिणामों में सुधार होता है।

चित्र 4: सीएजी की लेखापरीक्षा प्रक्रिया: सार्वजनिक जवाबदेही और प्रभाव

1 इनपुट्स

- लोग
- ज्ञान
- प्रौद्योगिकी
- वित्तीय संसाधन

2 लेखापरीक्षा प्रक्रिया

- जोखिम निर्धारण
- लेखापरीक्षा योजना
- साक्ष्य एकत्र करना
- विश्लेषण
- रिपोर्टिंग

3 लेखापरीक्षा उत्पाद

- वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
- मूल्य वर्धित उत्पाद
  - विषयगत अध्ययन
  - प्रबंधन पत्र
  - संग्रह / सारांश

4 हितधारक

- संसद
- राज्य विधानमंडल
- पीएसी / सीओपीयू
- कार्यपालिका
- नागरिक

5 प्रभाव

- पारदर्शिता
- जवाबदेही
- बेहतर शासन
- बेहतर सेवा वितरण
- सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन

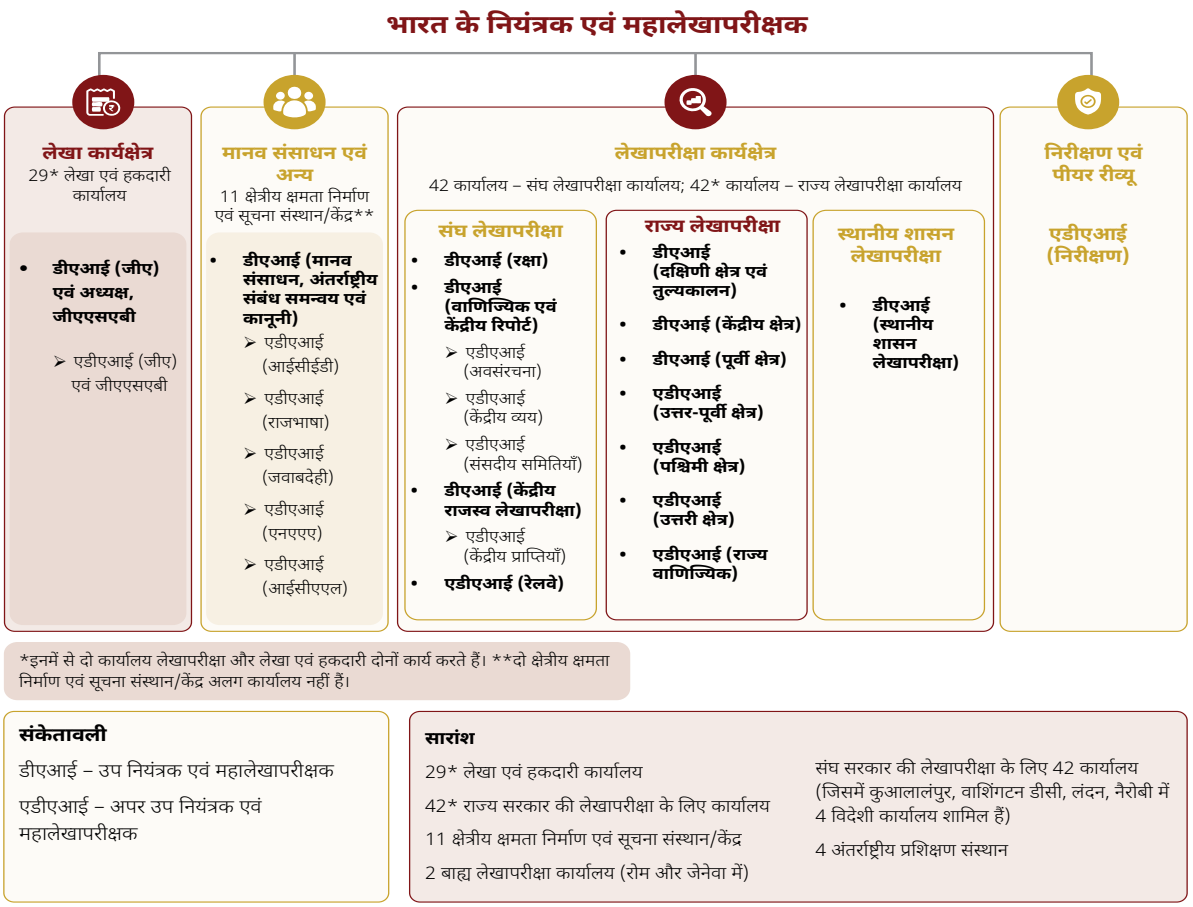
**पीएसी: लोक लेखा समिति; सीओपीयू: सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति*

1.4 साई इंडिया का संगठन

सीएजी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से करते हैं। साई इंडिया देशव्यापी लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों तथा विशिष्ट संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह संस्था सूचना-आधारित और मानव संसाधन-प्रेरित है, जिसमें लगभग 38,700 कार्मिक और 126 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें विदेश स्थित कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं सूचना संस्थान/केंद्र शामिल हैं, जो क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हैं। साई इंडिया के कार्यक्षेत्र उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार संरचित हैं, अर्थात्, संघ सरकार की लेखापरीक्षा, राज्य सरकार की लेखापरीक्षा, लेखा और हकदारी, तथा क्षमता निर्माण।

- **नेतृत्व संरचना -** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्था को समग्र नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करते हैं।
- **नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में,** नीति निर्माण, पेशेवर मार्गदर्शन, गुणवत्ता आश्वासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षमता विकास और प्रशासनिक कार्यों का समन्वय विशिष्ट विंगों के माध्यम से किया जाता है। सीएजी के क्षेत्रीय कार्यालय विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली को सक्षम बनाते हैं।

चित्र 5: 31 मार्च 2026 को साई इंडिया का संगठन चार्ट



*इनमें से दो कार्यालय लेखापरीक्षा और लेखा एवं हकदारी दोनों कार्य करते हैं। **दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं सूचना संस्थान/केंद्र अलग कार्यालय नहीं हैं।

संकेतावली

डीएआई – उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

एडीएआई – अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

सारांश

29* लेखा एवं हकदारी कार्यालय

42* राज्य सरकार की लेखापरीक्षा के लिए कार्यालय

11 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं सूचना संस्थान/केंद्र

2 बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय (रोम और जेनेवा में)

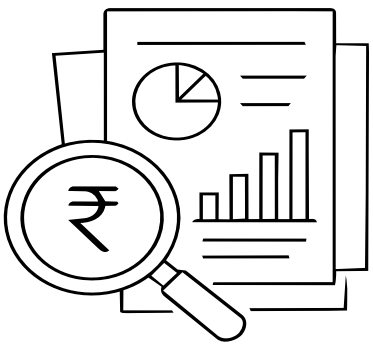
संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए 42 कार्यालय (जिसमें कुआलालंपुर, वाशिंगटन डीसी, लंदन, नैरोबी में 4 विदेशी कार्यालय शामिल हैं)

4 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान

- **लेखापरीक्षा के लिए विशेषज्ञता-केंद्रित संरचना** - संस्था एक व्यापक नेटवर्क बनाए रखती है जिसमें निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी विंग/कार्यालय शामिल हैं:
- संघ लेखापरीक्षा
  - ➢ सिविल लेखापरीक्षा
  - ➢ वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
  - ➢ रक्षा लेखापरीक्षा
  - ➢ रेलवे लेखापरीक्षा
  - ➢ राजस्व लेखापरीक्षा
  - ➢ सूचना प्रणालियाँ (आईएस) लेखापरीक्षा
- राज्य लेखापरीक्षा
  - ➢ राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा
  - ➢ स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा
  - ➢ राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
  - ➢ सूचना प्रणालियाँ (आईएस) लेखापरीक्षा

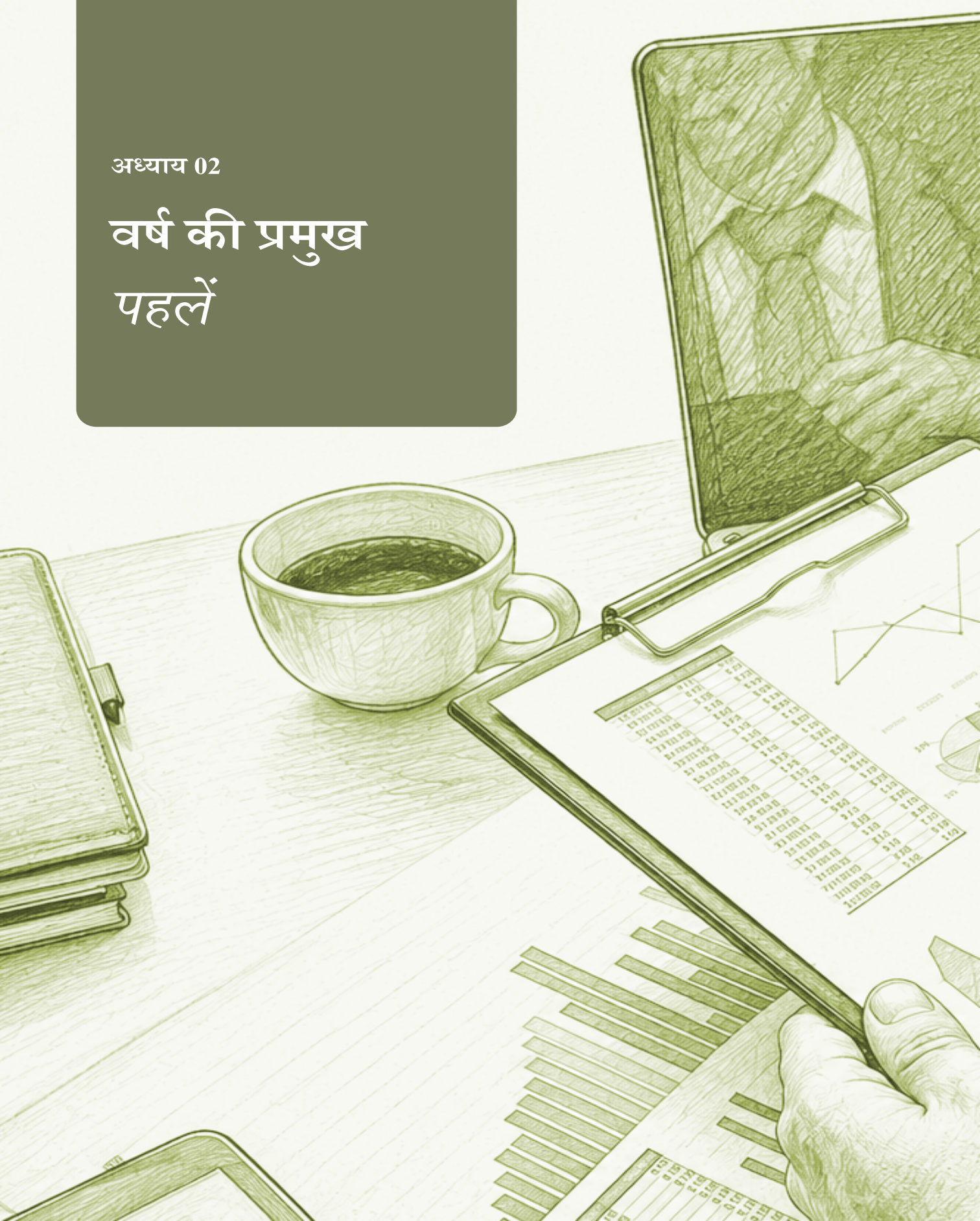
लेखापरीक्षा संरचना को संघ और राज्य लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों और क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी है, जबकि सूचना प्रणालियाँ (आईएस) लेखापरीक्षा दोनों स्तरों पर एक क्रॉस-कटिंग विशेषज्ञता के रूप में कार्य करता है ताकि आईटी प्रणालियों और डिजिटल शासन पर आश्वासन प्रदान किया जा सके।

- **अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति** – लंदन, कुआलालंपुर, नैरोबी और वॉशिंगटन डीसी में सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यालय भारत सरकार के विदेशी मिशनों और अन्य संस्थाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। साई इंडिया इन्टोसाई, एसोसाई और अन्य पेशेवर मंचों में भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा समुदाय में भी सक्रिय रूप से योगदान देता है। संस्था सूचना साझा करती है, पेशेवर मानक विकसित करती है और वैश्विक महत्व के उभरते लेखापरीक्षा विषयों पर सहयोग करती है। साई इंडिया विभिन्न यूएन संस्थाओं की लेखापरीक्षा करता है। रोम और जिनेवा में इसके बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखापरीक्षा के लिए शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं।



अध्याय 02

वर्ष की प्रमुख पहलें





02
वर्ष की प्रमुख पहलें

ये पहलें डेटा-संचालित, तकनीक-सक्षम और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती हैं, और इसके साथ ही लेखापरीक्षा, लेखा एवं पात्रता तथा संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में मुख्य कार्यों को मजबूती प्रदान करती हैं।

वर्ष के दौरान, साई इंडिया ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखाओं के अपने अधिदेश को सुदृढ़ करने, संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने और उभरती शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक और परिचालन पहलों की एक श्रृंखला शुरू की। ये पहलें डेटा-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और परिणामोन्मुख दृष्टिकोणों की ओर बदलाव को दर्शाती हैं, साथ ही लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी, और संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में मुख्य कार्यों को सुदृढ़ करती हैं।

2.1 लेखापरीक्षा के अंतर्गत पहलें

2025-26 में लेखापरीक्षा संबंधी पहलों ने अधिक गहन, व्यापक और प्रभावशाली कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। हमने डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया, एकीकृत और विषयगत दृष्टिकोण अपनाए, और परिणामोन्मुख आकलनों पर ध्यान केंद्रित किया। साई इंडिया ने प्रणालीगत जोखिमों, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और शासन के नए एवं उभरते क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और प्रासंगिकता का विस्तार किया।

2.1.1 अनुपालन लेखापरीक्षाओं में नई पहलें

अनुपालन लेखापरीक्षाएँ लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के जवाबदेही अधिदेश की आधारशिला हैं – यह जांचना कि क्या व्यय, प्राप्तियाँ और प्रशासनिक कार्रवाइयाँ लागू कानूनों, नियमों और कार्यकारी निर्देशों के अनुरूप हैं। वर्ष के दौरान, अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गईं, जिसमें पारंपरिक स्थल पर निरीक्षण से आगे बढ़कर अधिक तीव्र, डेटा-आधारित मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल को वर्ष के दौरान पायलट आधार पर अपनाया गया और 2026-27 से इसे पूरे विभाग में विस्तारित किया जाएगा।

क. डेटा-आधारित और मिश्रित लेखापरीक्षा पद्धति की ओर बदलाव

यह मानते हुए कि बड़े पैमाने की सरकारी योजनाएँ पर्याप्त डिजिटल डेटा ट्रेल उत्पन्न करती हैं, लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने क्रमिक रूप से डेटा-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें डेटा डंप, पोर्टल रिकॉर्ड, लेन-देन डेटाबेस का विश्लेषण क्षेत्रीय लेखापरीक्षा से पहले किया जाता है और साथ ही यह क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का मार्गदर्शन भी करता है। इससे लेखापरीक्षा टीमें क्षेत्रीय कर्मचारियों को तैनात करने से पहले विसंगतियों, जोखिम-समूह वाले जिलों और अनियमितता के संकेतकों की पहचान कर पाती हैं। इन तौर-तरीकों को योजना की विशेषताओं और डेटा की उपलब्धता के आधार पर अपनाया जाता है:

चित्र 6: दूरस्थ और मिश्रित लेखापरीक्षा की ओर रणनीतिक परिवर्तन

तरीका	विवरण
क्षेत्रीय लेखाापरीक्षा	रिकॉर्ड की पारंपरिक ऑन-साइट जांच, लाभार्थियों का सत्यापन आदि।

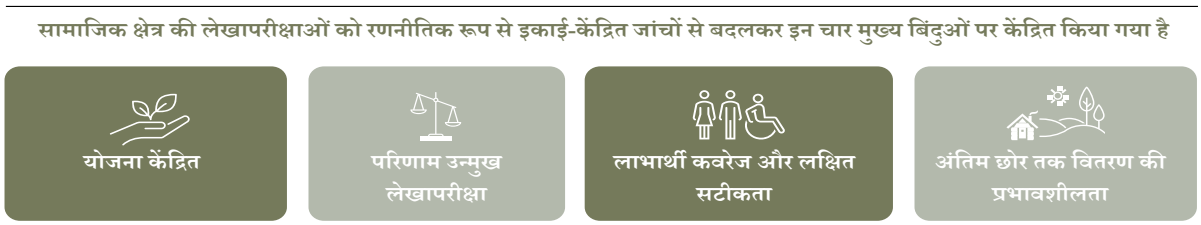
तरीका	विवरण	किसके लिए सबसे उपयुक्त
दूरस्थ लेखापरीक्षा	✓ डेटा/सिस्टम एक्सेस का उपयोग करके शुरू से अंत तक डेस्क-आधारित लेखापरीक्षा; फील्ड विज़िट की ज़रूरत नहीं	✓ मज़बूत पोर्टल/मिस डेटा वाली योजनाएं ✓ जहाँ डेटा की गुणवत्ता और पूर्णता पर्याप्त हो प्राप्ति लेखापरीक्षा, जीएसटी, स्टाम्प एवं पंजीकरण
मिश्रित लेखापरीक्षा	✓ मुख्य रूप से ऑफिस में प्राप्त डेटा और रिकॉर्ड की डेस्क-आधारित समीक्षा ✓ लेखापरीक्षा के ठोस सबूतों के लिए ही लक्षित फील्ड विजिट	✓ व्यय-पक्ष के लेखापरीक्षा, बड़े सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, सार्वजनिक निर्माण कार्य जहां डिजिटल डेटा के साथ मैनुअल रिकॉर्ड भी हों

लेखापरीक्षा तरीके का चयन डेटा की परिपक्वता और प्रणाली तक पहुँच से निर्धारित होता है। यह परिवर्तन जोखिम-आधारित योजना और सरकारी प्लेटफॉर्मों तक सुरक्षित पहुँच पर आधारित है, जिसमें आईएफ़एमएस, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और डबल्यूएएमआईएस जैसे क्षेत्रीय डेटाबेस शामिल हैं, तथा विभिन्न क्षेत्रों में साक्ष्य और एकरूपता को मजबूत करने के लिए भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। दूरस्थ और मिश्रित लेखापरीक्षा मोड की ओर रणनीतिक बदलाव से पहले ही लेखापरीक्षा आच्छादन में वृद्धि, लेखापरीक्षित के परिसरों में क्षेत्रीय समय में कमी और लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता में सुधार के रूप में मूल्यवान परिणाम सामने आ रहे हैं।

उदाहरण के लिए, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ सार्वजनिक व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं और कल्याणकारी परिणामों से निकटता से जुड़ी हैं। इस संदर्भ में, और प्रत्यक्ष लाभ

अंतरण (डीबीटी) तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण पर बढ़ते जोर के अनुरूप, सीएजी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने सामाजिक क्षेत्र में अपने लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को पुनर्संरेखित किया है, जिसमें चार प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित डेटा-आधारित मिश्रित लेखापरीक्षा का एकीकरण किया गया है:

चित्र 7: मिश्रित लेखापरीक्षा के क्षेत्र



अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना को भी इस प्रकार पुनर्गठित किया गया है कि सरकारों द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों, पेंशन और अन्य डीबीटी-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसी योजनाओं में प्रणालीगत जोखिमों, समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियों तथा लीकेज के पैटर्न की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वर्ष 2025-26 में कुछ राज्यों में बहु-स्तरीय रणनीति के सहयोग से प्रारंभिक कार्य किया गया है। आगामी 2026-27 की लेखापरीक्षा योजना पूरे देश में मिश्रित लेखापरीक्षाओं के विस्तार पर केंद्रित होगी।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अपनाया गया डेटा-आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा दृष्टिकोण नमूना-आधारित परीक्षण से हटकर पूरी योजनाओं पर राज्य-व्यापी आश्वासन की ओर बदलाव को सक्षम बना रहा है। विश्लेषण-आधारित लेखापरीक्षाएँ बड़े पैमाने पर विसंगतियों की पहचान कर सकती हैं, जिससे जिले-वार और संस्थान-वार अनियमितताओं के संकेंद्रण का पता लगाया जा सकता है। इससे योजना-व्यापी जोखिम संबंधी अंतर्दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जो लक्षित प्रशासनिक और नीतिगत हस्तक्षेपों में सहायता करती हैं।

ख. लेखापरीक्षाओं में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग

सरकारी प्रक्रियाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण और लेन-देन संबंधी बड़े डेटासेट की बढ़ती उपलब्धता ने अनुपालन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणालियों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा किए हैं। 2025–26 के दौरान, कई क्षेत्रीय कार्यालयों ने पारंपरिक नमूना-आधारित लेखापरीक्षा से आगे बढ़कर व्यापक, जोखिम-आधारित और साक्ष्य-आधारित लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों की ओर बढ़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया। इन पहलों से व्यापक लेखापरीक्षा कवरेज, विसंगतियों और प्रणालीगत जोखिमों की अधिक सटीक पहचान, लेखापरीक्षा संसाधनों की अधिक कुशल प्रयोग और अधिक सुदृढ़ लेखापरीक्षा आश्वासन संभव हुआ।

निम्नलिखित सफलता की कहानियाँ दर्शाती हैं कि लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता, समयबद्धता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थापना व्यय और लोक निर्माण के क्षेत्रों में डेटा और डिजिटल उपकरणों का किस प्रकार उपयोग किया गया।

केस स्टडी

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान के कार्यालय द्वारा डेटा-आधारित स्थापना लेखापरीक्षा

पृष्ठभूमि: स्थापना व्यय, जिसमें वेतन, वेतन अनुदान और पेंशन शामिल हैं, सरकारी राजस्व व्यय का एक प्रमुख हिस्सा है और इसलिए यह लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कोषागार वाउचर और पेंशन अभिलेखाओं के विश्लेषण के माध्यम से स्थापना व्यय की जांच करने के लिए डेटा-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया।

पहल का विवरण:

- कार्यालय ने एक वेब-आधारित एजी इंटरफेस का उपयोग किया, जिसके माध्यम से पूर्णतः डिजिटलीकृत कोषागार लेखे और वाउचर पीडीएफ़ रूप में प्राप्त किए गए।
- स्वचालित निष्कर्षण उपकरणों का उपयोग करके, इन वाउचरों को संरचित डेटासेट में परिवर्तित किया गया, साफ किया गया और मानकीकृत किया गया, तथा फिर लागू वेतन, भत्ता और पेंशन नियमों के आधार पर नियम-आधारित सत्यापन किया गया।
- संरचित डेटासेट को संपूर्ण व्यय आबादी के स्तर पर विश्लेषण के अधीन रखा गया ताकि अनियमित लेनदेन, असामान्य पैटर्न और संभावित नियंत्रण विफलताओं की पहचान की जा सके
- लेखापरीक्षा दूरस्थ रूप से संचालित की गई, जो कार्यालयों के भौतिक निरीक्षण के बिना पूरी तरह से डिजिटल अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक वाउचरों तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों पर निर्भर थी।

महत्व: इस पहल ने स्थापना व्यय पर लेखापरीक्षा आश्वासन को सुदृढ़ करने में संपूर्ण आबादी के स्तर पर डेटा विश्लेषण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। संपूर्ण लेनदेन ब्रह्मांड का विश्लेषण करके, इसने पारंपरिक नमूना-आधारित लेखापरीक्षाओं से परे विसंगतियों, नियंत्रण संबंधी कमियों और संभावित अनियमितताओं की पहचान की। एजी इंटरफेस के माध्यम से डिजिटलीकृत कोषागार वाउचर और पेंशन अभिलेखाओं का लाभ उठाते हुए, इसने लगभग वास्तविक समय में, तीव्र और दूरस्थ लेखापरीक्षाओं को भी सक्षम बनाया, जिससे उच्च-मात्रा वाले व्यय क्षेत्रों और अन्य लेखापरीक्षा क्षेत्रों में डेटा-आधारित लेखापरीक्षा के लिए एक विस्तार योग्य और दोहराए जा सकने वाला मॉडल स्थापित हुआ।

अभिस्वीकृति: यह पहल श्री प्रविंद्र यादव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान के निर्देशन में संचालित की गई, जिन्होंने डेटा-आधारित दृष्टिकोण और स्थापना लेखापरीक्षा में इसके अनुप्रयोग की दिशा निर्धारित की। कार्यप्रणाली के विकास और दस्तावेजीकरण का कार्य श्री विनोद सेंचा, स.प्र.अ. , आरसीबीकेआई; श्री पुनीत शर्मा, स.प्र.अ., आरसीबीकेआई, जयपुर; श्री असीम मिश्रा, सहायक पर्यवेक्षक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड का कार्यालय; श्री महेश कुमावत, स.प्र.अ., प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर का कार्यालय; और श्री संजय गौतम, स.प्र.अ., आरसीबीकेआई, जयपुर द्वारा किया गया।

केस स्टडी

हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा सार्वजनिक निर्माण की डेटा-आधारित लेखापरीक्षा

पृष्ठभूमि: सार्वजनिक निर्माण सरकारी व्यय का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसमें जटिल, विकेंद्रित निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। इस क्षेत्र में पारंपरिक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण आम तौर पर वाउचर की भौतिक जाँच, नमूना जाँच और क्षेत्रीय दौरों पर निर्भर रहे हैं, जो अक्सर कवरेज और प्रणालीगत जोखिमों का पता लगाने को सीमित करते हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए, हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय ने सार्वजनिक निर्माण के लिए एक डेटा-आधारित दूरस्थ–मिश्रित लेखापरीक्षा मॉडल विकसित किया।

पहल का विवरण:

- इस मॉडल के तहत, मासिक खातों, वाउचर और अनुसूचियों जैसे असंरचित अभिलेखों को एआई-सक्षम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और सीमित भौतिक डेटा प्रविष्टि का उपयोग करके मशीन-पठनीय डेटासेट में परिवर्तित किया गया।
- इन डेटासेट को एकीकृत लेखापरीक्षा डेटा वातावरण बनाने के लिए कोषागार अभिलेखों, इंजीनियरिंग टेंडर पोर्टल की जानकारी और ठेकेदार भुगतान डेटा के साथ एकीकृत किया गया।
- संरचित डेटासेट का फिर ऑडिट-वाइज़ एआई टूल का उपयोग करके प्रवृत्ति विश्लेषण, विसंगति का पता लगाने, ठेकेदार नेटवर्क मैपिंग, तथा नियम-आधारित और मशीन-लर्निंग-संचालित जोखिम पहचान के लिए विश्लेषण किया गया।
- एक सतत फीडबैक तंत्र ने समय के साथ जोखिम मापदंडों और विश्लेषणात्मक नियमों को परिष्कृत करने के लिए क्षेत्रीय निष्कर्षों का उपयोग किया।

महत्व: इस मॉडल ने प्रदर्शित किया कि एआई-सक्षम ओसीआर और सीमित भौतिक डेटा प्रविष्टि के उपयोग के माध्यम से डेटा-आधारित लेखापरीक्षा संभव है, भले ही लेखापरीक्षा की जा रही इकाई का कार्य स्वचालित न हो। डेटा-आधारित मॉडल के परिणामस्वरूप मौजूदा संसाधनों के साथ अधिक लेखापरीक्षा कवरेज प्राप्त हुआ। विश्लेषण को लक्षित क्षेत्रीय सत्यापन के साथ जोड़कर, इसने बड़ी मात्रा में संरचित और अर्ध-संरचित डेटा वाले क्षेत्रों के लिए एक स्केलेबल ढाँचे का प्रदर्शन किया।

अभिस्वीकृति: यह मॉडल हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा श्री आशुतोष शर्मा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के नेतृत्व में विकसित किया गया था, जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स के लिए बेस और एडवांस्ड मॉडल की संकल्पना की। इस कार्य में श्री आदित्य पंत, वरिष्ठ डीएजी; श्री अशोक सिंगला, व.प्र.अ.; श्री तुषार भडेचा, स.प्र.अ.; श्री मनीष देव, स.प्र.अ.; और श्री नवीन कुमार, लेखापरीक्षक ने सहयोग दिया। एनालिटिक्स के लिए प्रयुक्त ऑडिट-वाइज़ एआई टूल उत्तराखंड के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा श्री संजीव कुमार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड के मार्गदर्शन में विकसित किया गया, जिसमें श्री पवन कुमार रेड्डी आर., वरिष्ठ डीएजी, और श्री अभिनव कुमार, स.प्र.अ.ने सहयोग दिया। इरिगेशन इंटेलिजेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (आईआईडीएमएस) श्री राज कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के मार्गदर्शन में विकसित किया गया, जिसमें श्री अमृतेश शुक्ला, डीएजी के साथ श्री दीपक श्रीवास्तव, व.प्र.अ., और श्री लतीफ उर रहमान खान, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने सहयोग दिया।

केस स्टडी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा डेटा-आधारित सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा

पृष्ठभूमि: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से क्रियान्वित सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पारंपरिक नमूना-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण की चुनौती से निपटने के लिए, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी का आच्छादन, योग्य लक्षित लाभार्थियों का चयन और अंतिम छोर तक सेवा वितरण का आकलन करने के लिए डेटा-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया।

पहल का विवरण:

- सामाजिक क्षेत्र की लेखापरीक्षाओं को लेन-देन आधारित अनुपालन जाँच से योजना-केंद्रित, परिणामोन्मुखी लेखापरीक्षाओं की ओर पुनर्संरेखित किया गया, जिसमें प्रणालीगत जोखिमों, समावेशन/बहिष्करण त्रुटियों और लीकेज के पैटर्न की पहचान पर जोर दिया गया।
- डेटा तक पहुँच और बड़े पैमाने पर विश्लेषण करने, एसक्यूएल और एआई/एमएल कौशल विकसित करने तथा योजनाओं के डेटाबेस तक पहुँच में सुधार के लिए विभागों के साथ डेटा संवेदीकरण कार्यक्रम चलाने हेतु एक मुख्य डेटा लेखापरीक्षा पक्ष और डेटा एनालिटिक्स सेल की स्थापना की गई।
- लेखापरीक्षा निष्पादन को जिला-आधारित, योजना-केंद्रित लेखापरीक्षाओं के माध्यम से पुनः डिजाइन किया गया, जिन्हें एनालिटिक्स द्वारा तैयार जोखिम टूलकिट से मार्गदर्शन मिला और 45-50 दिनों के संक्षिप्त लेखापरीक्षा चक्रों द्वारा समर्थित किया गया, जो योजनाओं के संचालन के अनुरूप थे ताकि लगभग तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके।
- डेटा-आधारित लेखापरीक्षाओं में लाभार्थी डेटाबेस, आय और जाति प्रमाणपत्र, आधार से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य सरकारी डेटासेट सहित अनेक स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके योजना के लगभग 100% लेन-देन का विश्लेषण किया गया, जिससे क्रॉस-स्कीम सत्यापन और अनियमितताओं की पहचान संभव हुई, जिसमें डुप्लिकेट और संभावित रूप से अपात्र लाभार्थी भी शामिल थे।

महत्व: इस पहल ने नमूना-आधारित लेखापरीक्षा से संपूर्ण योजनाओं और लाभार्थी आबादी को आच्छादित करने वाली राज्यव्यापी आश्वासन व्यवस्था की ओर संक्रमण संभव बनाया। योजना-व्यापी जोखिम संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करके, लेखापरीक्षा समयसीमा को लगभग 45-50 दिनों तक कम करके और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाकर, इस पहल ने जवाबदेही को मजबूत करने, कल्याणकारी लाभों के लक्षित वितरण में सुधार करने और सार्वजनिक सेवा वितरण की समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने में डेटा-आधारित लेखापरीक्षा की क्षमता का प्रदर्शन किया।

अभिस्वीकृति: यह पहल श्री राज कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के निर्देशन में संचालित की गई, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण की दिशा निर्धारित की। लेखापरीक्षाओं को योजना-केंद्रित मॉडल में पुनर्संरेखित करने, लीड डेटा लेखापरीक्षा पक्ष और डेटा एनालिटिक्स सेल की स्थापना करने तथा बड़े पैमाने पर विश्लेषण करने का कार्य कार्यालय के अधिकारियों: श्री आर. डी. सिंह, श्री उमेश श्रीवास्तव, श्री आर. के. तिवारी, श्री एम. के. गुप्ता, श्री अनिल त्रिपाठी और श्री अशोक श्रीवास्तव, सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा किया गया।

एनालिटिक्स, डिजिटल डेटा एकीकरण और केंद्रित क्षेत्रीय सत्यापन लेखापरीक्षा पद्धति में एक रणनीतिक उन्नति को प्रदर्शित करते हैं। यह मॉडल पारंपरिक लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों की प्रमुख सीमाओं को दूर करता है, जनसंख्या-स्तरीय और परिणाम-केंद्रित आश्वासन को सक्षम बनाता है और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार योग्य है तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुकूलनीय है जहाँ संरचित और अर्ध-संरचित डेटा उपलब्ध हैं।

डेटा-आधारित, दूरस्थ और मिश्रित लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों को अपनाने में क्षमता-वर्धन कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से समर्थन दिया गया:

- डेटा-आधारित निरीक्षण और लेखापरीक्षा पहलों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 22-23 दिसंबर 2025 को सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली में लेखापरीक्षा और लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के समूह अधिकारियों तथा चयनित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों / सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित की गई।
- 140 से अधिक अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि कार्यवाही का देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारण किया गया। कार्यशाला में वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2026-27 में डेटा-आधारित, दूरस्थ और मिश्रित लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें स्थापना लेखापरीक्षा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और लोक निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग शामिल थे।

चित्र 8: नई दिल्ली में डेटा आधारित लेखापरीक्षा पर कार्यशाला के दौरान भारत के सीएजी, उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर, समन्वय एवं विधिक मा.) और अन्य वक्ता



- इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, डेटा आधारित लेखापरीक्षा पद्धतियों के कार्यान्वयन और अंगीकरण में सहायता के लिए जनवरी और मार्च 2026 के बीच भोपाल, कोलकाता, प्रयागराज, चेन्नई और मुंबई में पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

चित्र 9: डेटा आधारित लेखापरीक्षा पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं के दौरान उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) और अन्य वक्ता

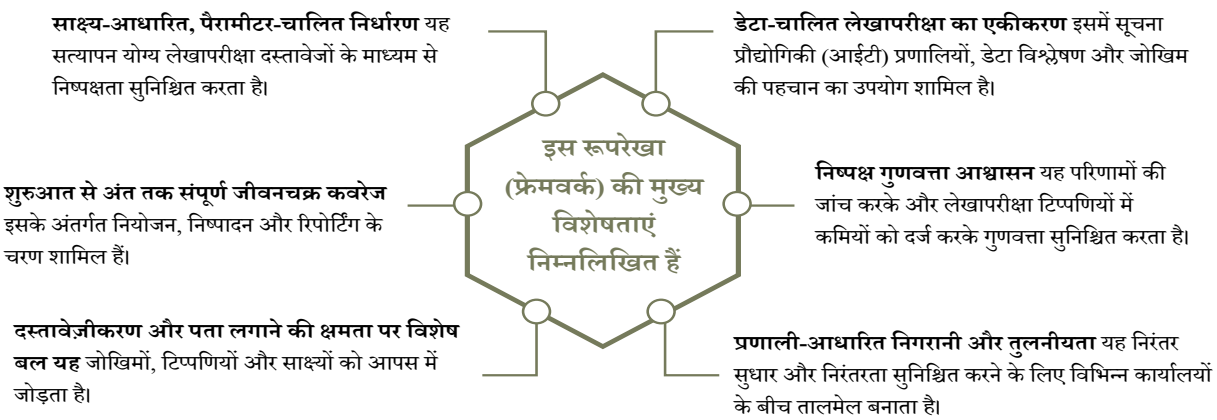


- इस अभ्यास ने डेटा आधारित लेखापरीक्षा के लिए एक सामान्य ढाँचे को संस्थागत रूप देने में भी सहायता की, जिसमें डेटासेट का संग्रह और सफाई, पिछले लेखापरीक्षा क्षेत्र के अनुभव के आधार पर रेड फ्लैग/ समस्याओं की पहचान, इन रेड फ्लैग का सत्यापन, और सिस्टम सत्यापन जाँचों में उन कमियों की पहचान शामिल थी, जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही यह अपेक्षा भी थी कि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा केवल अंतर्निहित डेटा विश्लेषण के आश्वासन के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।

ग. निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) की मात्रात्मक ग्रेडिंग के लिए रूपरेखा

अगस्त 2025 में, निरीक्षण प्रतिवेदनों की गुणवत्ता में सुधार करने और मापनीय निरीक्षण प्रतिवेदन गुणवत्ता-निर्धारण मानदंड शुरू करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ बार-बार परामर्श के बाद, निरीक्षण प्रतिवेदनों की मात्रात्मक ग्रेडिंग के लिए एक मानकीकृत रूपरेखा विकसित की गई, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इस रूपरेखा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

चित्र 10: ग्रेडिंग रूपरेखा की विशेषताएँ



नई निरीक्षण प्रतिवेदन ग्रेडिंग संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:

चित्र 11: निरीक्षण प्रतिवेदनों की मात्रात्मक ग्रेडिंग के लिए संरचना



घ. स्थानीय शासन लेखापरीक्षा

सेवा वितरण और वित्तीय प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, शहरी शासन लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बन गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, इस फोकस को शहरी क्षेत्र में विभिन्न पहलों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय '101 शहरों की लेखापरीक्षा' था—जो बड़े पैमाने पर नागरिकों को केंद्र में रखकर की गई एक निष्पादन लेखापरीक्षा थी —जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरी केंद्रों में जीवन की सुगमता, सेवा वितरण के परिणामों और संस्थागत प्रभावशीलता का आकलन करना था। इस पहल के बारे में अधिक जानकारी धारा 2.1.5 ख के अंतर्गत भी शामिल की गई है

इसके अलावा, राज्य स्तर पर, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, पंजाब ने नवंबर 2025 में "स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने में लेखापरीक्षा की भूमिका" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसने जवाबदेही को बढ़ावा देने और स्थानीय शासन को मजबूत करने में लेखापरीक्षा की भूमिका पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान किया। पंजाब विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि थे।

इसके समानांतर, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा प्रथाओं की परिपक्वता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित मूल्यांकन ढांचा भी शुरू किया है, ताकि केवल अनुपालन जांच से आगे बढ़कर सभी शहरों में लेखांकन गुणवत्ता, प्रकटीकरण मानकों और लेखापरीक्षा आश्वासन स्तरों का एक व्यवस्थित मूल्यांकन सक्षम किया जा सके।

2.1.2 वित्तीय लेखापरीक्षाएँ

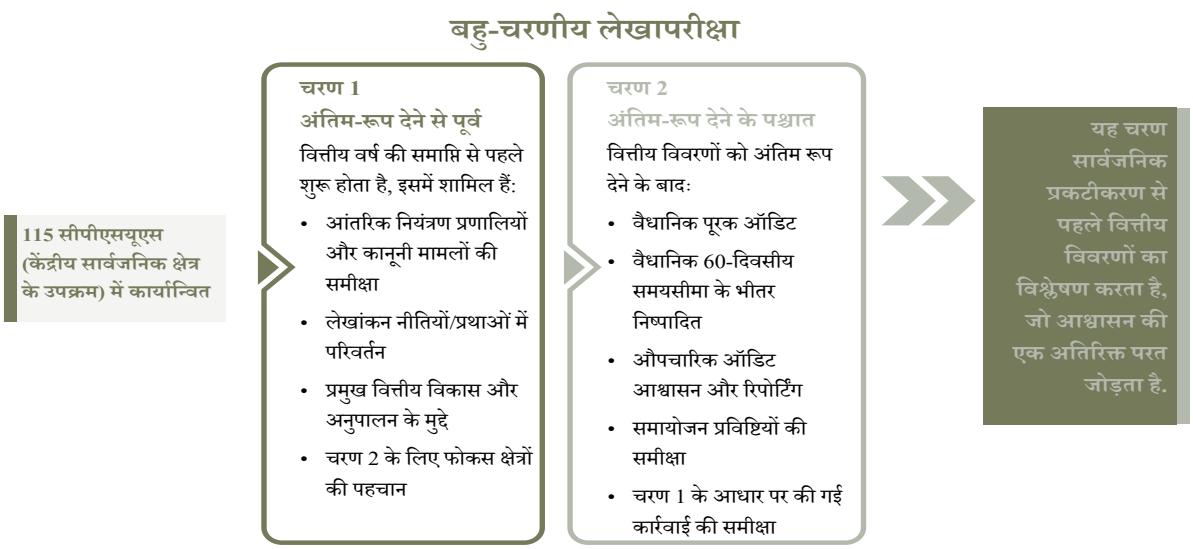
वित्तीय लेखापरीक्षा भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का एक मुख्य कार्य है, जिसका उद्देश्य इस बात पर स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि क्या सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा वे एक सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इन लेखापरीक्षाओं में वित्तीय अभिलेखों, आंतरिक नियंत्रणों और कानूनों व नियमों के अनुपालन की जांच शामिल है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय परिचालन के बढ़ते पैमाने और जटिलता के जवाब में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने लेखापरीक्षा प्रभावशीलता को मजबूत करने और लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों को आधुनिक बनाने के लिए कई पहलें की हैं।

क. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बहु-चरण लेखापरीक्षा का परिचय

कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूरक लेखापरीक्षा पारंपरिक रूप से 60 दिनों की वैधानिक समय-सीमा के भीतर वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आयोजित की जाती थी, जिससे प्रारंभिक लेखापरीक्षा हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित हो जाती थी। स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने वाले पीएसयू की बढ़ती संख्या के साथ, निवेशकों को समय पर, उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय प्रकटीकरण की आवश्यकता थी, जिससे वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता पर बल दिया गया।

इसके उत्तर में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने सभी सूचीबद्ध और/या रत्न पीएसयू के लिए 2025-26 से बहु-चरण लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पेश किया, जो कार्योत्तर लेखापरीक्षा मॉडल से चरणबद्ध लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्थानांतरित हुआ, जिसमें नीचे सूचीबद्ध कुछ प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं:

चित्र 12: बहु-चरण लेखापरीक्षाओं की लेखापरीक्षा संरचना



**सीपीएसयू: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम*

इन पहलों ने शुरुआती चरण के लेखापरीक्षा हस्तक्षेप और एक मजबूत, प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा ढांचे के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समयबद्धता में सुधार किया, जिससे वित्तीय पर्यवेक्षण और निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत हुई।

ख. सार्वजनिक उपक्रम लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

विभिन्न पैमानों और विविध भौगोलिक परिचालनों वाली इकाइयों से बने सीपीएसयू पारिस्थितिकी तंत्र ने लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण के लिए अंतर्निहित चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। इसे संबोधित करने के लिए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने 2025 में सीपीएसयू में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और एकीकृत डिजिटल प्रणालियों को अपनाने और डेटा-संचालित, प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षाओं को सक्षम करने के लिए इन प्रणालियों का लाभ उठाने की दिशा में एक बदलाव शुरू किया।

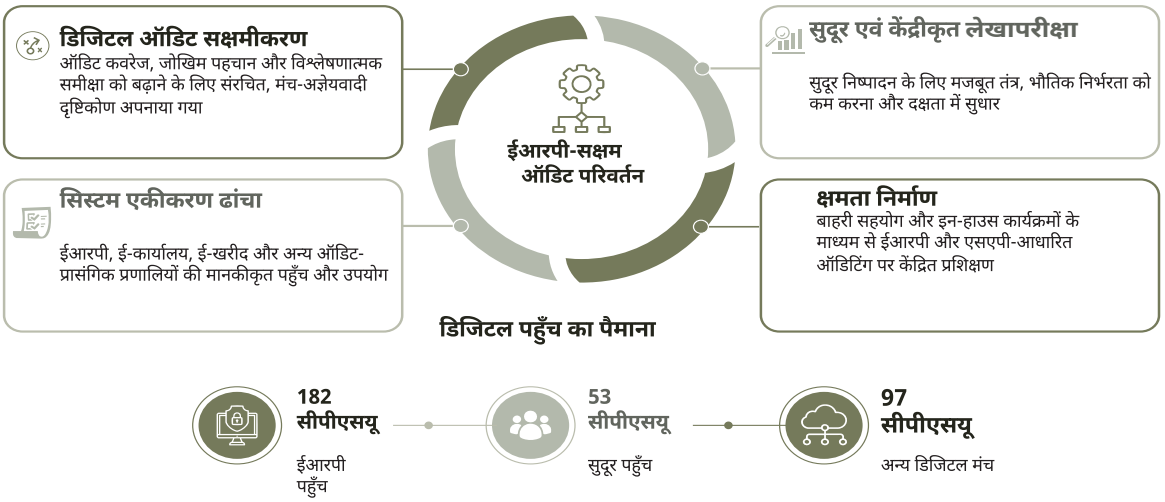
चित्र 13: 'ब्रेकिंग साइलोस' विषयक कॉन्क्लेव के दौरान मुख्य भाषण देते हुए उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)



इस बदलाव को निम्नलिखित प्रमुख पहलों द्वारा समर्थित किया गया था:

- ईआरपी प्रणालियों, रिमोट कनेक्टिविटी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों सहित सीपीएसयू में विस्तारित डिजिटल पहुंच, जिससे लेखापरीक्षा में उद्यम डेटा का व्यापक उपयोग संभव हो सका।
- ईआरपी, ई-ऑफिस, ई-प्रोक्योरमेंट और अन्य लेखापरीक्षा-संबंधित प्रणालियों की पहुंच और उपयोग के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा समर्थित ईआरपी-सक्षम और रिमोट लेखापरीक्षा प्रथाओं को संस्थागत बनाया गया।
- लेखापरीक्षा योजना, जोखिम पहचान, विश्लेषणात्मक समीक्षा और प्रणाली नियंत्रणों तथा डेटा अखंडता के मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टूल का लाभ उठाया गया।
- ईआरपी/एसएपी वातावरण, आईटी नियंत्रण और प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा पर विशेष प्रशिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल लेखापरीक्षा क्षमताओं में वृद्धि की गई।

चित्र 14: टेक लेखापरीक्षा को संचालित करने वाले परिचालन स्तंभ और डिजिटल पहुंच का पैमाना



**ईआरपी: एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग; एसएपी: सिस्टम्स एप्लिकेशंस एंड प्रोडक्ट्स*

इस बदलाव के बाद स्पष्ट परिणाम देखे गए, जिनमें जोखिम संकेतकों की मजबूत पहचान और संपूर्ण समष्टि स्तर पर परीक्षण करने की बढ़ी हुई क्षमता शामिल है। डेटा-संचालित, मानकीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों, व्यापक परीक्षण, बेहतर आश्वासन और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के माध्यम से उन्नत लेखापरीक्षा प्रभावशीलता भी देखी गई।

ग. शहरी स्थानीय निकायों की परिपक्वता: वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचा-संचालित पहल

शहरी स्थानीय निकाय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनसे राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा नियमावली या राज्य नगर पालिका लेखा नियमावली के अनुसार लेखों का रखरखाव करने की उम्मीद की जाती है, जो ऐसा करने के लिए उपार्जन-आधारित लेखांकन ढांचे को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा नियमावली को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2004 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सहयोग से सीएजी टास्क फोर्स (फरवरी 2002 में गठित) की सिफारिशों के आधार पर लाया गया था, जिसने नगर पालिकायों के लिए उपार्जन-आधारित लेखा प्रणाली की सिफारिश की थी। सुदृढ़ लेखांकन विशेष महत्व रखता है क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों और वित्त को जुटाने और प्रबंधित करने के लिए तेजी से कहा जा रहा है; इसलिए उचित और विश्वसनीय लेख इन निधियों को प्रभावी ढंग से जुटाने और तैनात करने के लिए और बदले में शहरी विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक बुनियादी पूर्व-आवश्यकता हैं। हालांकि, इस ढांचे का कार्यान्वयन राज्यों में असमान रहा है। प्रथाओं में भिन्नताएं, क्षमता की कमी और राज्यों में मानकीकरण का अभाव है जो पारदर्शिता, तुलनात्मकता और वित्तीय पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय रिपोर्टिंग की परिपक्वता का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा-संचालित दृष्टिकोण शुरू किया। इस रणनीति के अनुरूप, उठाये गए मुख्य कार्य थे:

- अनुपालन-आधारित समीक्षा से विश्लेषणात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ते हुए "लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं समीक्षा और शहरी स्थानीय निकायों के प्रमाणन की गुणवत्ता का मूल्यांकन" शीर्षक से एक संरचित ढांचा विकसित किया गया था।

- ढांचे ने वित्तीय विवरणों की पूर्णता, संरचना और आंतरिक स्थिरता, निर्धारित प्रारूपों का पालन, और लेखांकन नीतियों व प्रकटीकरण की पर्याप्तता सहित प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन किया।
- इसने संस्थागत क्षमता, मार्गदर्शन ढांचों की उपलब्धता और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखापरीक्षा प्रमाणन की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया।
- यह पहल स्थानीय शासन लेखापरीक्षा कार्यशाला (सितंबर 2025) में हुई चर्चाओं के अनुसार शुरू की गई थी, जिसका कार्यान्वयन सभी राज्यों और यूएलबी की श्रेणियों में किया गया था। यह पहल मानती है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधन जुटाने को मजबूत करने, अनुदान और वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त करने, राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने और शहरी विकास व सेवा वितरण के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए मजबूत वित्तीय रिपोर्टिंग मौलिक है।
- यह मूल्यांकन राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम 2.0) के चल रहे संशोधन का भी पूरक है। 14 जनवरी 2026 के एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर पालिका लेखांकन नीतियों, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग को अद्यतन करने और शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से इस संशोधन का नेतृत्व करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखा एवं जीएएसएबी) करते हैं, और संशोधन कार्य सीएजी कार्यालय में जीएएसएबी सचिवालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। इस पहल से अपेक्षित परिणाम हैं:
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और प्रचलित लेखांकन मानकों के अनुरूप, निर्धारित समय सीमा और संसाधनों के भीतर एक संशोधित नियमावली (एनएमएएम 2.0) पूर्ण करना।
- संशोधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी लेखांकन, आईटी और तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सहभागिता।
- समयसीमा, प्रशिक्षण पद्धतियों, संचार और आईटी एकीकरण को कवर करते हुए एनएमएएम 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक योजना।
- कार्यान्वयन के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा, जहां आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक उपाय करना।
- अधिसूचना के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों को प्रारूपों और दिशानिर्देशों के साथ अंतिम एनएमएएम 2.0 नियमावली को अपनाना और अनुशंसित करना।

चित्र 15: यूएलबी परिपक्वता मूल्यांकन ढांचे के रणनीतिक प्रभाव



2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षाएं इस बात का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करती हैं कि क्या सरकारी संस्थाएं, योजनाएं और कार्यक्रम मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, और क्या सुधार की गुंजाइश है। वे यह भी जांच करते हैं कि क्या विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों को इच्छानुसार लागू किया जा रहा है, और इस प्रकार जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करते हैं। कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करके और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जहां सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है, निष्पादन लेखापरीक्षा सार्वजनिक जवाबदेही का समर्थन करती हैं। वे ध्यान प्रक्रिया से हटाकर परिणामों पर और उन हितधारकों की चिंताओं पर केंद्रित करती हैं जिनकी सेवा के लिए एक योजना बनाई गई है।

वर्ष के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने संरचित सहयोग के माध्यम से निष्पादन लेखापरीक्षा के ढांचों को बढ़ाने की पहल की।

सीएजी ने भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञता को लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और संस्थागत विकास में एकीकृत किया गया। कई बातों के अलावा, यह साझेदारी निष्पादन लेखापरीक्षा पद्धतियों के सुधार से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें निम्न जैसी गतिविधियां शामिल हैं::

- मौजूदा लेखापरीक्षा प्रथाओं का मूल्यांकन
- लेखापरीक्षा पद्धतियों, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोणों को परिष्कृत करना
- विशिष्ट ढांचे, टेम्पलेट और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र बनाना
- केंद्रीय और राज्य स्तरों पर लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र विकसित करना

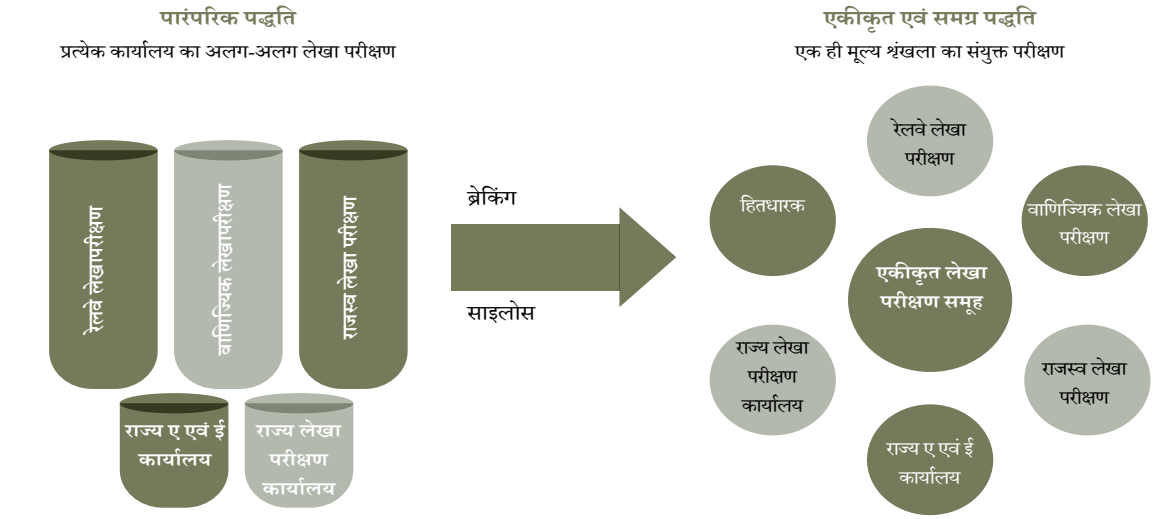
अपनी समीक्षा के बाद, आईआईएम कोझिकोड ने निष्पादन लेखापरीक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न चरणों में फैली सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों पर वर्तमान में निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के चल रहे संशोधन के हिस्से के रूप में विचार किया जा रहा है।

2.1.4 ब्रेकिंग साइलोस: एक एकीकृत और समग्र लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

चूंकि लेखापरीक्षित की जा रही योजनाएं और सुधार मंत्रालयों, राज्यों और क्षेत्रों से परे फैले हुए हैं, इसलिए एक कार्यालय-दर-कार्यालय दृष्टिकोण अब पूरी तस्वीर को नहीं पकड़ पाता है — जिसे संबोधित करने के लिए ब्रेकिंग साइलोस की पहल की गई है।

सुशासन अब जुड़े हुए तंत्रों के माध्यम से काम करता है। एक एकल सुधार, एक सार्वजनिक सेवा या एक आपूर्ति श्रृंखला कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियामकों और सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से चलती है। एक लेखापरीक्षा जो केवल एक कार्यालय या एक विभाग की जांच करती है, वह तस्वीर का केवल एक हिस्सा देखती है और यह छूट जाता है कि वे भाग मिलकर कैसे काम करते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने ऐसे अंतर-क्षेत्रीय विषयों की लेखापरीक्षा को विभाग-केंद्रित पद्धति से हटाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण की ओर ले जाना शुरू किया जो संगठनात्मक और क्षेत्रीय सीमाओं के पार विषय का अनुसरण करता है। यह अनुभाग उस बदलाव और उन पहलों को दर्ज करता है जिनके माध्यम से इसे आगे बढ़ाया गया था।

चित्र 16: अलगाव में कार्य करने से एकीकृत, समग्र दृष्टिकोण की ओर



क. ब्रेकिंग साइलोस करने का तर्क

एक निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा योजना पारंपरिक रूप से एक कार्यालय के भीतर, नीति दस्तावेजों, कानूनी ढांचों और विभागीय अभिलेखों के आधार पर की जाती रही है। यह नियामक संदर्भ स्थापित करता है लेकिन हमेशा उन कार्यान्वयन समस्याओं को नहीं पकड़ पाता है जो व्यवसाय, हितधारक और क्षेत्रीय एजेंसियां अनुभव करती हैं। जहां एक विषय कई अधिकार क्षेत्रों में फैला होता है, विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्वतंत्र योजना बनाने से लेखापरीक्षा फोकस में अंतर, लेखापरीक्षा उद्देश्यों की असंगत रूपरेखा और प्रयासों का दोहराव होता है।

व्यवसाय करने की सुगमता, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और रेलवे माल ढुलाई जैसे विषयों की जांच एक ही अधिकार क्षेत्र में नहीं की जा सकती, क्योंकि विषय स्वयं एक के भीतर नहीं बैठता है। इसका उत्तर एक एकीकृत और सहभागी ढांचा था जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के भीतर रखी गई जानकारी को बाहरी हितधारकों के अनुभव के साथ जोड़ता है, ताकि लेखापरीक्षा दिशानिर्देश नीतिगत मंशा और ज़मीनी हकीकत दोनों को प्रतिबिंबित करें।

इसका उद्देश्य अलग-अलग संगठनों का अलग-थलग लेखापरीक्षा करने के बजाय, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक इकाई के रूप में परीक्षण करना है।

ख. संस्थागत आधार

अप्रैल 2025 में आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव 'ब्रेकिंग साइलोस - तालमेल को बढ़ावा देना: सीएजी का रणनीतिक नेतृत्व' में दिशा तय की गई थी। इसमें भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन और विभागाध्यक्षों के साथ-साथ आमंत्रित विशेषज्ञों ने भाग लिया, और लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार, जोखिम मूल्यांकन, रणनीतिक हितधारक सहभागिता, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म व सार्वजनिक वित्तीय डेटा के उपयोग को कवर किया। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हितधारकों को शामिल करने के मूल्य को दोहराया गया, और कॉन्क्लेव में लिए गए निर्णयों को वर्ष के कार्य में आगे बढ़ाया गया।

चित्र 17: भारत के सीएजी 'ब्रेकिंग साइलोस – तालमेल को बढ़ावा देना' कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए, अप्रैल 2025



यह मंशा तीन कार्य व्यवस्थाओं में परिवर्तित हुई जो पहलों में बार-बार आती हैं – एकीकृत लेखापरीक्षा समूह, लीड ऑफिस और मेंटर मॉडल, और डेटा व हितधारकों पर संरचित सहयोग।

चित्र 18: एकीकृत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के निर्माण खंड



ग. एकीकृत लेखापरीक्षा समूह

एक एकीकृत लेखापरीक्षा समूह (आईएजी) एक ही विषय के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा पंखों और कार्यालयों के अधिकारियों को एक टीम में लाता है। यह रेलवे लेखापरीक्षा स्कंध, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा स्कंध, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा स्कंध और राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों की टीमों को प्रत्येक कार्यालय द्वारा अपने स्वयं के खंड को देखने के बजाय पूरी मूल्य श्रृंखला की एक साथ जांच करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। संघ और राज्यों में सीएजी की स्थिति ऐसे समूह को उन क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देती है जिन्हें अन्यथा अलग से लेखापरीक्षित किया जाता।

घ. लीड ऑफिस और मेंटर मॉडल

बड़े, अंतर-क्षेत्रीय विषयों के लिए, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग ने एक अखिल भारतीय क्षैतिज लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया। प्रत्येक विषय के लिए वर्टिकल और कार्यात्मक पंखों में योजना, ज्ञान साझा करने और निष्पादन के समन्वय के लिए एक लीड ऑफिस और एक मेंटर नामित किया गया है। लीड ऑफिस क्षेत्रीय विविधताओं की अनुमति देते हुए लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों और कार्यप्रणाली को सुसंगत रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनाए जाने हेतु साझा लेखापरीक्षा दिशानिर्देश और एक लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स तैयार करता है।

मल्टीमॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक्स - एक केस स्टडी

भारतीय रेल में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स पहलों पर विषय-आधारित लेखापरीक्षा ने विभाग-केंद्रित दृष्टिकोण से एक एकीकृत, अंतर-क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की ओर बदलाव को चिह्नित किया। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स रेलवे, सड़कों, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कई मंत्रालयों तक फैला हुआ है। चूंकि ऐसे परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र की संगठनात्मक अलगाव के भीतर जांच नहीं की जा सकती थी, इसलिए रेलवे लेखापरीक्षा स्कंध, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा स्कंध और केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा स्कंध को ब्रेकिंग साइलोस के दृष्टिकोण के तहत पहली बार एक साथ लाया गया था।

इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक एकीकृत लेखापरीक्षा समूह था जिसने रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग लेखापरीक्षा कार्यालयों के महानिदेशक और प्रधान निदेशक स्तर के अधिकारियों को एक साथ लाया। समूह ने अलगाव में रेलवे माल ढुलाई परिचालन का मूल्यांकन करने के बजाय प्रथम और अंतिम-मील कनेक्टिविटी सहित रेल, सड़क और बंदरगाह अवसंरचना के बीच इंटरफेस की जांच की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के साथ जुड़ाव को संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों के माध्यम से सुगम बनाया गया था, और चयनित सड़क, बंदरगाह और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजनाओं को रेलवे नेटवर्क के साथ उनके एकीकरण के परिप्रेक्ष्य से माना गया था।

लेखापरीक्षा स्थापत्य रेलवे बोर्ड से लेकर क्षेत्रीय इकाइयों और कॉनकोर व डीएफसीसीआईएल जैसी प्रमुख संस्थाओं तक विस्तृत था, जो परिचालन कार्यान्वयन के साथ नीति-स्तरीय मुद्दों को जोड़ता था। विश्लेषणात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए आईआईएम मुंबई को ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय लेखापरीक्षाएं 2025-26 में पूरी हो गईं; जिनके निष्कर्षों को 2026-27 में संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट में समेकित करने का प्रस्ताव है।

चित्र 19: एक एकीकृत संपूर्ण रूप में जांची गई मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स श्रृंखला



चित्र 20: मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की लेखापरीक्षा पर हितधारक परामर्श

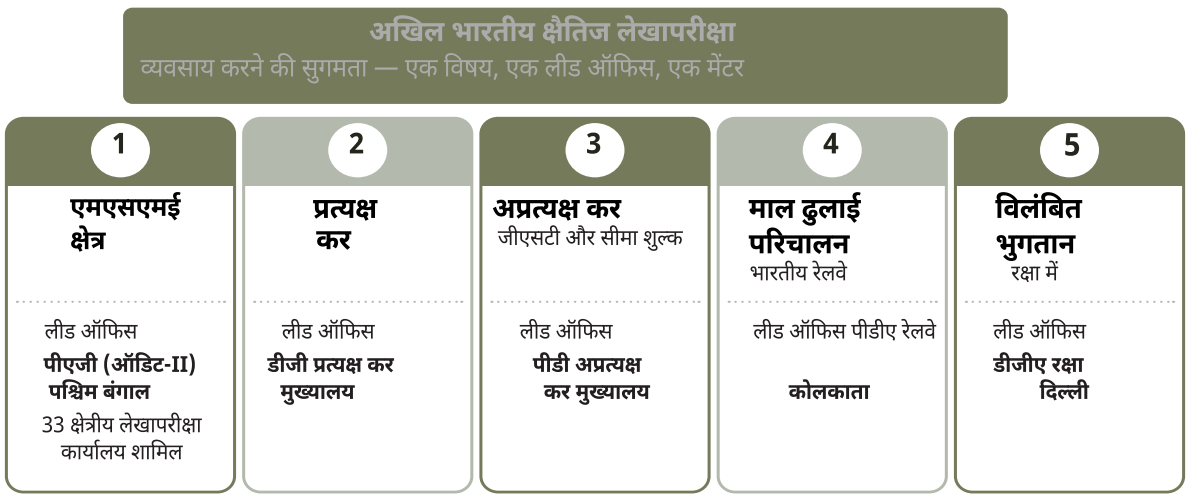




ङ. व्यवसाय करने की सुगमता – एक व्यापक विषय

व्यवसाय करने की सुगमता (ईओडीबी) जैसे अंतर-क्षेत्रीय शासन सुधारों की लेखापरीक्षा एक एकल लेखापरीक्षा कार्यालय या अनुशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर विस्तृत है। ईओडीबी औद्योगिक विकास, कराधान, निवेश सुविधा, श्रम विनियमन, डिजिटल शासन, लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच में कई केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधारों को कवर करता है। इसका लेखापरीक्षण केवल व्यावसायिक प्रक्रियाओं की परीक्षा नहीं है; यह एक मूल्यांकन है कि क्या सुधार विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यवसायों, निवेशकों और नागरिकों के लिए वास्तविक सुधारों में परिवर्तित होते हैं या नहीं।

चित्र 21: अखिल भारतीय क्षैतिज लेखापरीक्षा के तहत व्यवसाय करने की सुगमता के पांच विषय



लेखापरीक्षा चक्र 2025-26 के भाग के रूप में, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग ने प्रत्येक विषय के लिए एक लीड ऑफिस और एक मेंटर नामित के साथ ईओडीबी के लिए एक अखिल भारतीय क्षैतिज लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया:

- **एमएसएमई क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता**

  प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल के कार्यालय को एमएसएमई क्षेत्र में ईओडीबी की लेखापरीक्षा के लिए लीड ऑफिस के रूप में नामित किया गया था, जिसमें अपर उप सीएजी (रेलवे) मेंटर के रूप में थे। लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने से पहले लीड ऑफिस ने 33 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को शामिल करते हुए एक संरचित सहयोगी ढांचे द्वारा समर्थित एक एकीकृत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया। इसने लेखापरीक्षा योजना को एक कार्यालय-केंद्रित अभ्यास से एक सहयोगात्मक प्रक्रिया में बदल दिया। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं:

  - संस्थागत सहयोग: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थाओं का लेखापरीक्षण करने वाले पंखों की कार्यात्मक विशेषज्ञता के साथ, सभी प्रधान महालेखाकार और महालेखाकार कार्यालयों में एक साझा योजना ढांचा।
  - राष्ट्रीय ज्ञान एकीकरण: राज्य-विशिष्ट सुधारों, उभरते जोखिमों और कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान करने और राष्ट्रीय स्तर पर लागू लेखापरीक्षा मानदंडों को तैयार करने के लिए कार्यालयों में विषय-वस्तु विशेषज्ञता को एकत्रित किया गया।
  - हितधारक परामर्श: एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईआईटी और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य विभागों, जिला उद्योग केंद्रों और उद्यमियों के साथ-साथ फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, फिस्मे, फोस्मी और फासी सहित उद्योग संघों के साथ परामर्श। ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से उद्यमियों से सीधे अतिरिक्त इनपुट एकत्र किए गए।
  - जोखिमों का ज़मीनी सत्यापन: प्रक्रियात्मक बाधाओं, अनुपालन मुद्दों, डिजिटल-प्लेटफ़ॉर्म मुद्दों और बुनियादी ढांचे के अंतरालों पर हितधारकों के इनपुट का उपयोग लेखापरीक्षा परिकल्पनाओं को सत्यापित करने और लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों व डिजाइन मैट्रिक्स को तेज करने के लिए किया गया था।

इन दृष्टिकोणों को एक साथ लाने के लिए जनवरी 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक ऑडिट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। राज्यों में पायलट अध्ययन शुरू किए गए थे, और लेखापरीक्षा 2026-27 में सभी राज्यों के लिए पूरी की जानी है।

चित्र 22: नई दिल्ली में ईओडीबी ऑडिट कॉन्क्लेव में भारत के सीएजी, सचिव सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सचिव एमएसएमई – जनवरी 2026



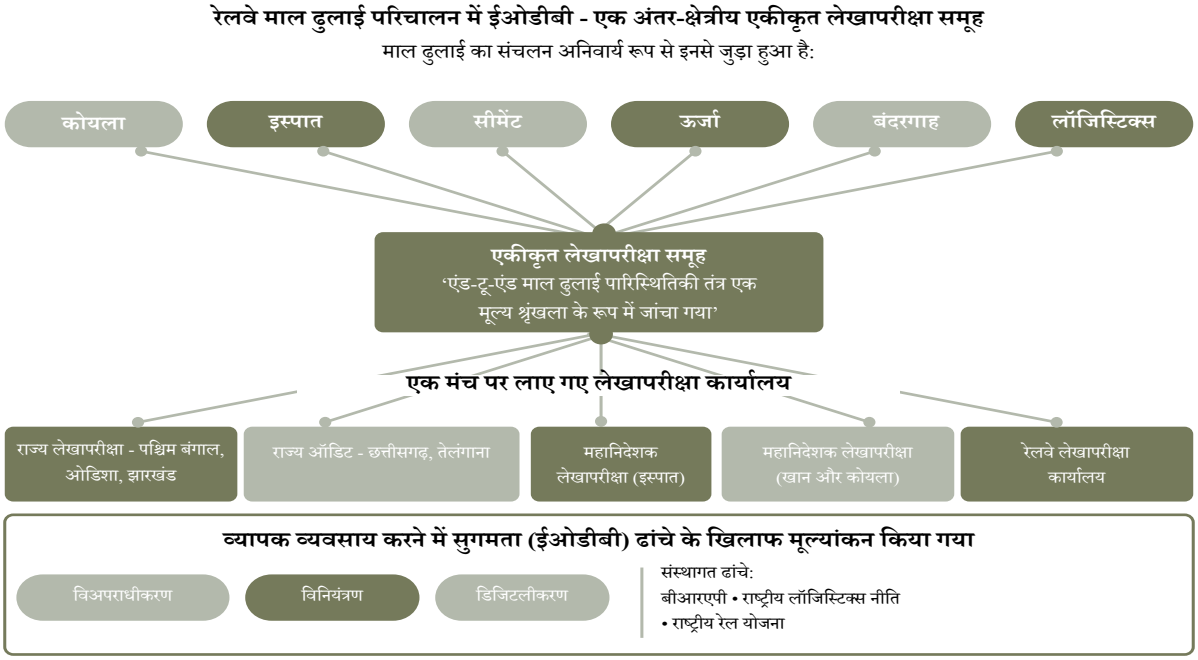
- **रेलवे माल ढुलाई परिचालन में व्यवसाय करने की सुगमता**

रेलवे माल ढुलाई परिचालन में ईओडीबी पर विषय-आधारित लेखापरीक्षा ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों के परिप्रेक्ष्य से माल ढुलाई का परीक्षण किया। माल ढुलाई का आवागमन कोयला, इस्पात, सीमेंट, बिजली, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए लेखापरीक्षा रेलवे-केंद्रित जांच से आगे बढ़कर शुरू से अंत तक माल ढुलाई पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच गई, जिसमें अंतर-क्षेत्रीय निर्भरताएं, प्रक्रियात्मक सीमाएं और एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।

इस उद्देश्य के लिए एक एकीकृत लेखापरीक्षा समूह का गठन किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ-साथ महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान एवं कोयला) और रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय शामिल थे। इन कार्यालयों को एक मंच पर लाने से माल मूल्य श्रृंखला की संपूर्ण रूप से जांच करने की अनुमति मिली। रेलवे पहलों का मूल्यांकन व्यापक ईओडीबी ढांचे – विअपराधीकरण, विनियमन-मुक्ति और डिजिटलीकरण के सिद्धांतों के खिलाफ – और व्यावसायिक सुधार कार्य योजना, (बीआरएपी), राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और राष्ट्रीय रेल योजना जैसे संस्थागत ढांचों के खिलाफ किया गया था।



चित्र 23: रेलवे माल ढुलाई परिचालन में व्यवसाय करने की सुगमता – एक अंतर-क्षेत्रीय एकीकृत लेखापरीक्षा समूह

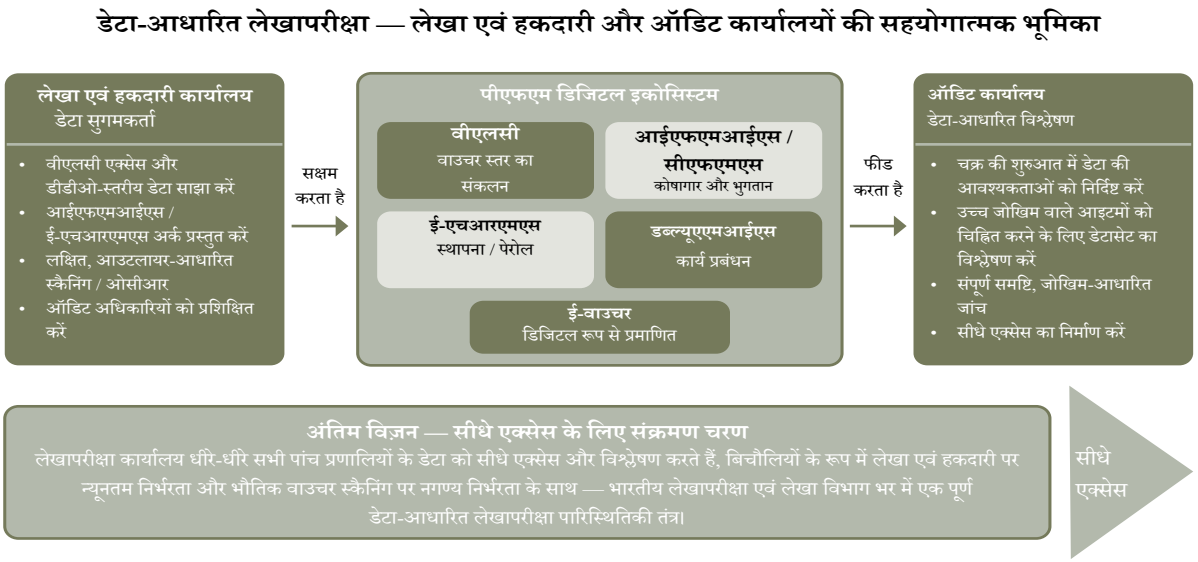


च. ब्रेकिंग साइलोस: लेखापरीक्षा और लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के बीच सहयोग

ब्रेकिंग साइलोस विभागों के भीतर उतना ही लागू होता है जितना कि क्षेत्रों के बीच। जैसे-जैसे भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग डेटा-संचालित और प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा की ओर बढ़ता है, लेखापरीक्षा कार्यालयों और लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के बीच संबंध केंद्रीय बन गए हैं। डेटा-नेतृत्व वाली लेखापरीक्षाओं पर कार्यशाला में इस दिशा की पुष्टि की गई, जिसने डेटा एनालिटिक्स को एक मुख्य लेखापरीक्षा पद्धति के रूप में निर्धारित किया और आईएफएमआईएस, वीएलसी, डब्ल्यूएएमआईएस, ईएचआरएमएस और राजकोष प्रणालियों जैसे डेटासेट तक पहुंच को प्रमुख आवश्यकता के रूप में पहचाना।

लेखा एवं हकदारी कार्यालय परिवर्तन के दौरान डेटा सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। वे वीएलसी पहुंच और डीडीओ-स्तरीय डेटा साझा करते हैं, आईएफएमआईएस और ई-एचआरएमएस उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जहां आवश्यक हो लक्षित व आउटलायर-संचालित स्कैनिंग करते हैं, और लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं। लेखापरीक्षा कार्यालय चक्र की शुरुआत में अपनी डेटा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं, उच्च जोखिम वाले लेनदेन को चिन्हित करने के लिए डेटासेट का विश्लेषण करते हैं, और प्रणालियों तक सीधे पहुंचने के लिए क्षमता का उत्तरोत्तर निर्माण करते हैं।

चित्र 24: पीएफएम डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लेखा एवं हकदारी और लेखापरीक्षा कार्यालयों की सहयोगात्मक भूमिका

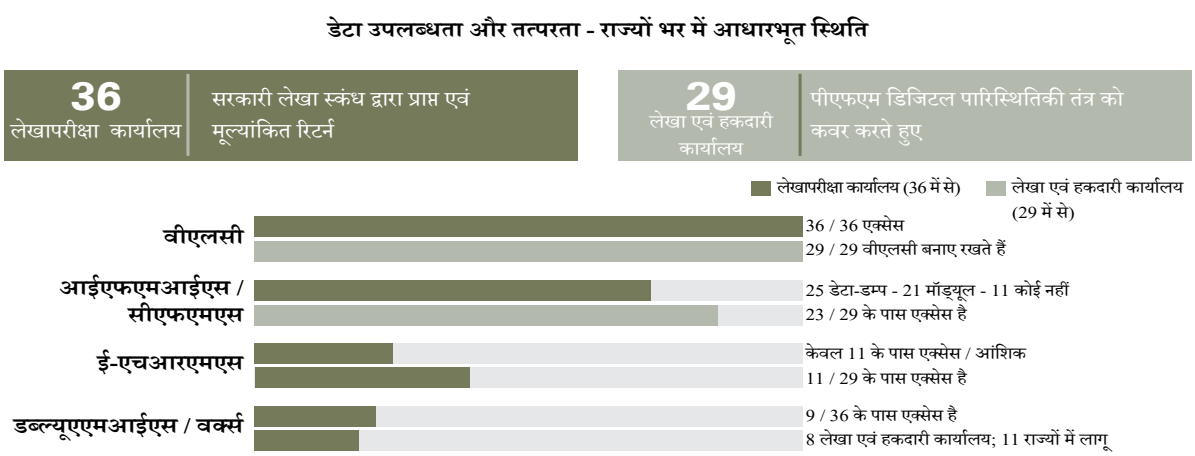


- **आधारभूत स्थिति**

सीएजी कार्यालय में सरकारी लेखा स्कंध ने 36 लेखापरीक्षा कार्यालयों और 29 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के रिटर्न के आधार पर एक आधारभूत मूल्यांकन किया। इसमें पाया गया कि राज्यों ने अपनी वित्तीय प्रणालियों का काफी हद तक डिजिटलीकरण किया है, लेकिन डेटा तक पहुंच, प्रणालियों के बीच एकीकरण और विश्लेषण के लिए तत्परता हर राज्य में भिन्न होती है। वाउचर लेवल कंप्यूटराइजेशन (वीएलसी) सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में लागू है, जबकि आईएफएमआईएस, ई-एचआरएमएस और कार्य प्रणालियों तक पहुंच असमान है। ये अंतर तय करते हैं कि प्रत्येक लेखा एवं हकदारी कार्यालय को कितना सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।



चित्र 25: डेटा उपलब्धता और तत्परता – पीएफएम प्रणालियों में पहुंच



डेटा पहुंच, सिस्टम एकीकरण और विश्लेषणात्मक तत्परता में भिन्नता लेखा एवं हकदारी कार्यालयों की सहयोगात्मक भूमिका को आकार देती है।

- **स्तरीय रूपरेखा**

  क्योंकि तत्परता भिन्न होती है, लेखापरीक्षा पद्धति प्रत्येक राज्य की डिजिटल परिपक्वता से मेल खाती है। लेखा एवं हकदारी-लेखापरीक्षा कार्यालय जोड़े को चार श्रेणियों में समूहीकृत किया गया था, पूर्ण परिचालन वाले राज्यों (जो सीधे लेखापरीक्षा पहुंच की ओर बढ़ सकते हैं) से लेकर विशेष परिस्थितियों तक जहां आईएफएमआईएस लागू नहीं है या कोई लेखा एवं हकदारी कार्यालय मौजूद नहीं है और अनुकूलित प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। राज्यों को ई-वाउचर परिपक्वता द्वारा अलग से वर्गीकृत किया गया था, जो यह निर्धारित करता है कि भौतिक वाउचर स्कैनिंग को डिजिटल रूप से प्रमाणित वाउचर डेटा द्वारा किस हद तक बदला जा सकता है। एक उत्तरदायित्व मैट्रिक्स प्रशिक्षण और अर्ध-वार्षिक अनुश्रवण द्वारा समर्थित लेखा एवं हकदारी कार्यालयों, लेखापरीक्षा कार्यालयों और राज्य वित्त विभागों/एनआईसी को स्पष्ट भूमिकाएं सौंपता है।

चित्र 26: प्रत्येक राज्य की डिजिटल परिपक्वता से लेखापरीक्षा पद्धति का मिलान

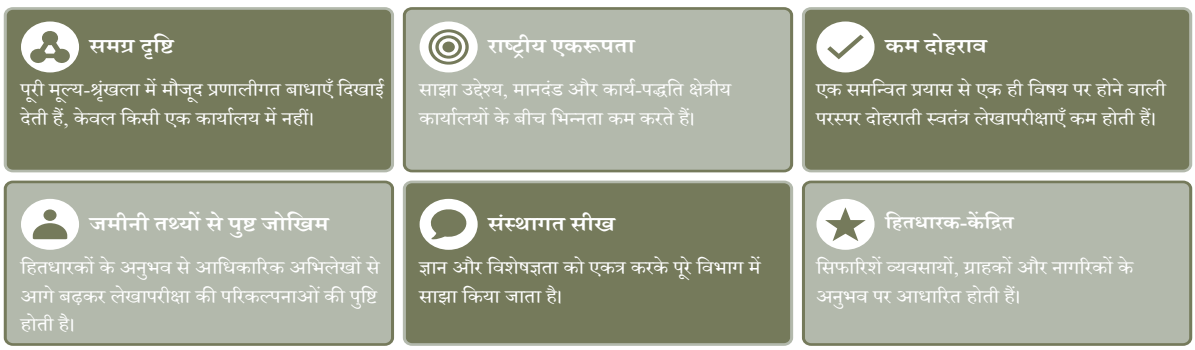


छ. ब्रेकिंग साइलोस के तहत दृष्टिकोण के परिणाम

एक साथ मिलकर, ये पहलें यह प्रदर्शित करती हैं कि कैसे संगठनात्मक ब्रेकिंग साइलोस सार्वजनिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता, निरंतरता और प्रासंगिकता को मजबूत करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यात्मक स्कंधों और बाहरी हितधारकों में विशेषज्ञता को एकीकृत करके, विभाग एक खंडित योजना मॉडल से कार्यान्वयन की वास्तविकताओं पर आधारित राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत लेखापरीक्षा ढांचों की ओर बढ़ गया। सहयोगात्मक प्रक्रिया ने लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और डिजाइन मैट्रिक्स में सुधार किया और संस्थागत सीखने व लेखापरीक्षा परिणामों के साझा स्वामित्व को बढ़ावा दिया।

चित्र 27: एकीकृत दृष्टिकोण क्या प्रदान करता है

ब्रेकिंग साइलोस से मिलने वाले लाभ



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेख विभाग की रणनीतिक योजना 2026-2030 इसे आगे बढ़ाती है, जिसमें भविष्य की ईओडीबी लेखापरीक्षाओं के लिए नियामक जटिलता द्वारा चिह्नित क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, दूरसंचार, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-व्यवसाय, और श्रम विनियमन शामिल हैं। जैसे-जैसे शासन सुधार अधिक डिजिटल, परस्पर जुड़े और नागरिक-केंद्रित होते जा रहे हैं, एकीकृत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण जटिल राष्ट्रीय विषयों के भविष्य के लेखापरीक्षाओं के लिए एक स्केलेबल मॉडल प्रदान करता है जिसके लिए बहु-विषयक विश्लेषण और समन्वित निष्पादन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी संस्था के रूप में विभाग की भूमिका की पुष्टि करता है जो यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या सुधार अपने इच्छित लाभ प्रदान कर रहे हैं, दस्तावेज़ी जांच को हितधारक अनुभव और अंतर-कार्यात्मक सहयोग के साथ जोड़ती है।

2.1.5 क्रॉस कटिंग पहलें

क. मानकीकृत लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स (एडीएम) के माध्यम से विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं का सरलीकरण

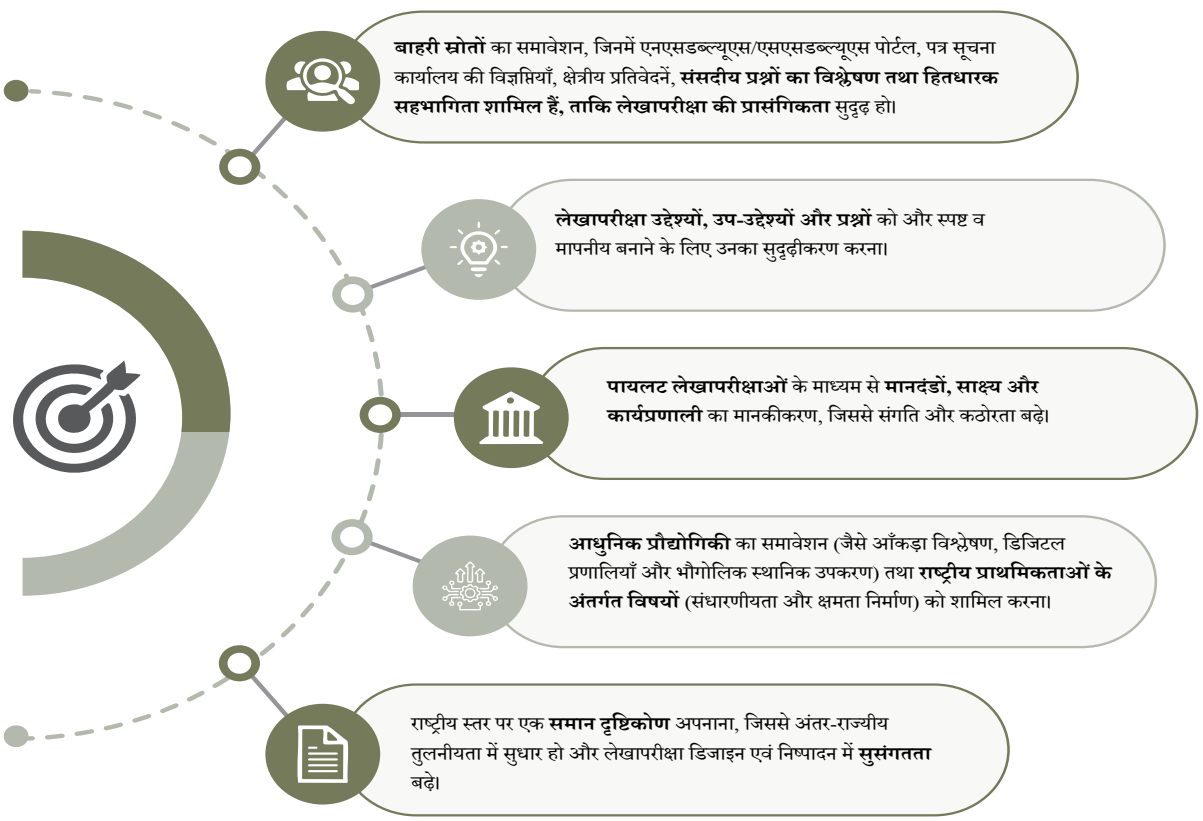
लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स लेखापरीक्षा उद्देश्यों, प्रश्नों और मानदंडों को परिभाषित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करके लेखापरीक्षा डिजाइन करने का एक कठोर, संरचित और अत्यधिक केंद्रित दृष्टिकोण है। यह परिभाषित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के प्रकार और स्रोतों के साथ-साथ डेटा संग्रह और विश्लेषण पद्धति पर भी प्रकाश डालता है।

एडीएम को अधिक प्रासंगिक, मानकीकृत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने 2025-26 में पूरे भारत में या कई राज्यों में की जाने वाली विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स विकसित करने की पहल की। ये मानकीकृत

दिशानिर्देश और लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स संबंधित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा उपयुक्त अपनाने/अनुकूलन के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करने के लिए हैं। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

- कार्यालयों में दिशानिर्देश और लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स (एडीएम) तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए थे।
- प्रत्येक विषय के लिए मेंटर नामित किए गए थे।
- लेखापरीक्षा योजना को मजबूत करने और क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स की व्यापक समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रों में मूल्य-श्रृंखला मैपिंग की गई।
- लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स को निम्नलिखित के माध्यम से समान लेखापरीक्षा डिजाइन और निष्पादन को सक्षम करने के लिए मानकीकृत किया गया था:

चित्र 28: एडीएम का मानकीकरण



**एनएसडब्ल्यूएस/एसएसडब्ल्यूएस: राष्ट्रीय/राज्य एकल खिड़की प्रणाली*

इस अभ्यास के तहत, विस्तृत शोध, बाह्य डेटा स्रोतों के उपयोग और हितधारक परामर्श के माध्यम से मानकीकृत एडीएमएस तैयार किए गए थे। इन एडीएमएस का उपयोग करते हुए, 'शराब नीति का प्रबंधन और कार्यान्वयन', 'हमारे देश में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करना', 'नवीकरणीय ऊर्जा', 'ड्रग कंट्रोलर का निष्पादन' पर एसएससीएएस 2026-27 के दौरान आयोजित करने की योजना है। अन्य विषयों पर लेखापरीक्षा आगामी वर्षों में की जाएगी।

ये मानकीकृत एडीएमएस लेखापरीक्षा जीवनचक्र और प्रमुख क्षेत्रीय मापदंडों के प्रगतिशील विश्लेषण को सुव्यवस्थित करेंगे। वे चुनिंदा मापदंडों पर राज्यों और क्षेत्रों में तुलनात्मक विश्लेषण और राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाएंगे। एनालिटिक्स-आधारित लेखापरीक्षाएं कार्रवाई योग्य समझ, लक्षित हस्तक्षेप और अधिक प्रभावी कल्याणकारी प्रदायगी के लिए बड़े पैमाने की विसंगतियों और योजना-व्यापी जोखिम पैटर्न की पहचान करने में भी सक्षम बनाएगी।

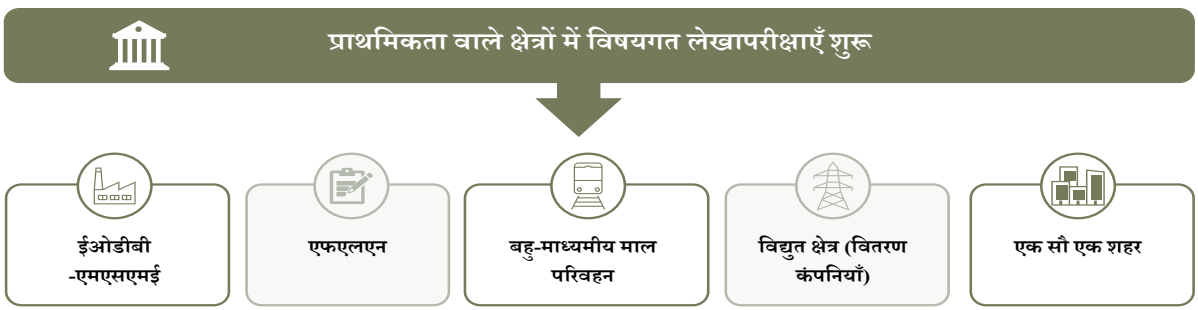
ख. क्षेत्रीय और विषयगत लेखापरीक्षाएं

क्षेत्रीय या विषयगत लेखापरीक्षाएं क्षेत्र/विषय विशिष्ट विशेष, समग्र और गहन जांच और रिपोर्टिंग प्रदान करती हैं। ऐसी लेखापरीक्षाएं या तो क्षेत्र विशिष्ट लेखापरीक्षा वर्टिकल द्वारा या कई लेखापरीक्षा पंखों/कार्यालयों में फैले एक अंतर-वर्टिकल अभ्यास के माध्यम से ली जाती हैं।

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने 2025-26 के दौरान व्यवसाय करने की सुगमता, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली क्षेत्र और जीवन की सुगमता – 101 शहर सहित प्रमुख उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय और विषयगत लेखापरीक्षा करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया।

2025-26 में, उपरोक्त क्षेत्रों में व्यापक पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श आयोजित किए गए, इन लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं पर हितधारकों के साथ संपूर्ण परामर्श के बाद मजबूत एडीएमएस और दिशानिर्देश तैयार किए गए थे।

चित्र 29: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुरू की गई विषयगत लेखापरीक्षाएं



- **व्यवसाय करने की सुगमता (ईओडीबी)**
  - ➢ एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने की सुगमता का मूल्यांकन करने के लिए और क्या चल रहे सुधार मूर्त अंतिम-मील सुधारों में परिवर्तित हो रहे हैं, यह जांचने के लिए 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि को कवर करते हुए 2025-26 में एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने की सुगमता पर एक अखिल भारतीय क्षैतिज लेखापरीक्षा शुरू की गई थी। इन पर निर्माण करते हुए, लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स ने एमएसएमई के लिए नियामक सरलीकरण, डिजिटलीकरण, विअपराधीकरण, अनुपालन मुद्दों में कमी, वित्त तक पहुंच, बुनियादी ढांचे की तत्परता, शिकायत निवारण और बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया। श्री मनीष कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल द्वारा समन्वित, इस अभ्यास का उद्देश्य सरकारों के लिए सुधारों को ठीक करने और अधिक अनुमान्य, पारदर्शी व सुविधाजनक व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना है। राज्यों में पायलट अध्ययन शुरू हो गए हैं, और लेखापरीक्षा 2026-27 में सभी राज्यों के लिए पूरी हो जाएगी।
  - ➢ अलग से, रक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित लेखापरीक्षा के दायरे और संदर्भ को सूचित करते हुए, प्रणालीगत बाधाओं को समझने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

की पहचान करने के लिए उद्योग निकायों, रक्षा निर्माताओं और विषय विशेषज्ञों के साथ रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवसाय करने की सुगमता पर एक संवादात्मक परामर्श आयोजित किया गया था।

- **स्कूली शिक्षा**
  - स्कूली शिक्षा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षाएं 2026-27 से 2028-29 तक आयोजित करने की योजना है, जैसे 2026-27 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन), 2027-28 में स्कूल ड्रॉपआउट्स और 2028-29 में कौशल विकास।
  - एसडीजी 4, एनईपी 2020 और निपुण भारत मिशन के संरेखण में, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की एक क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की गई थी और एक मजबूत एडीएम के निर्माण, हितधारक परामर्श आदि सहित प्रारंभिक कार्य 2025-26 के दौरान पूरा किया गया था।
  - एफएलएन (बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता) के लिए लेखापरीक्षा ढांचा निम्नलिखित पर केंद्रित है:

चित्र 30: एफएलएन के लिए लेखापरीक्षा ढांचे का फोकस



  - एफएलएन पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा क्षेत्र-व्यापी, परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाती है।
  - शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स, (एडीएम), और नमूनाकरण कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किया गया।
  - इसके अतिरिक्त, 2025 में छह राज्यों में पायलट अध्ययन पूरे किए गए थे, जिसमें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) कार्यालय, पंजाब इस लेखापरीक्षा के लिए लीड ऑफिस के रूप में कार्य कर रहा था।
  - लेखापरीक्षा वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के अधीन है। इसमें एफएलएन पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कवर करने वाला एक बड़ा लाभार्थी सर्वेक्षण शामिल होगा।

- **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स**
  - 2025-26 के दौरान, रेलवे लेखापरीक्षा स्कंध ने फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए "मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव्स" की लेखापरीक्षा शुरू की। लेखापरीक्षा को परिवहन साधनों के एकीकरण, विकसित हो रहे लॉजिस्टिक्स परिचालन की दक्षता और राष्ट्रीय रेल योजना व पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ तालमेल का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया था। रेलवे, बंदरगाहों, शिपिंग, सड़क परिवहन और संबंधित अवसंरचना क्षेत्रों में समन्वित,

अंतर-क्षेत्रीय लेखापरीक्षा करने के लिए एक एकीकृत लेखापरीक्षा समूह (आईएजी) का गठन किया गया था।

- विविध इनपुट एकत्र करने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों, लॉजिस्टिक्स अधिकारियों और कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बंदरगाह प्राधिकरणों और निजी संचालकों के साथ व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए गए। इस लेखापरीक्षा के विश्लेषणात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, आईआईएम मुंबई को ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल किया गया था।
- क्षेत्रीय लेखापरीक्षाएं 2025-26 में पूरी हो गईं, जिनके निष्कर्षों को 2026-27 में संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिवेदन में समेकित करने का प्रस्ताव है।

- **डिस्कॉम / विद्युत क्षेत्र**
  - विद्युत क्षेत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो क्षेत्र-व्यापी परामर्श के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता था।

चित्र 31: बिजली क्षेत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत मंडपम, नई दिल्ली



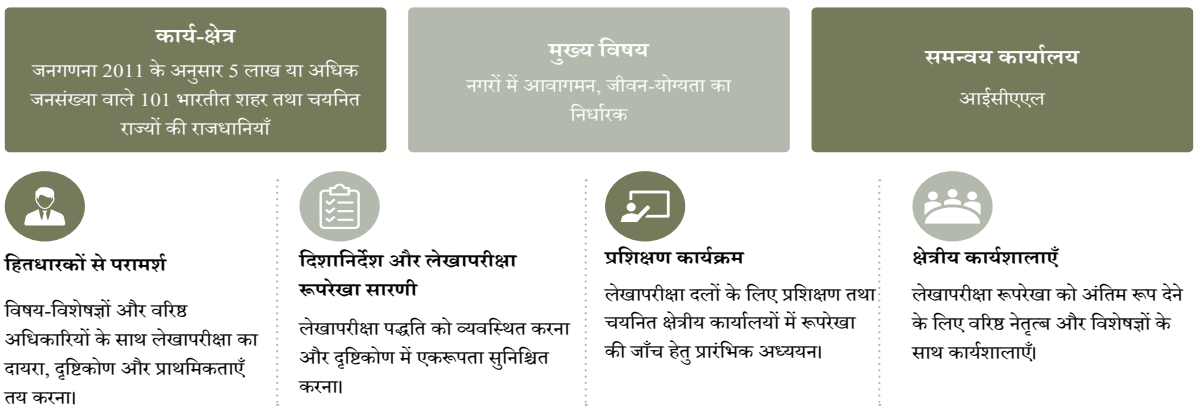
- विद्युत क्षेत्र में, डिस्कॉम के प्रदर्शन, आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सहित वितरण-संबंधी मुद्दों की गहरी जांच के लिए जमीन तैयार करने हेतु 2026-27 के लिए मूल्य-श्रृंखला लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई है।
- 2026-27 और उससे आगे के लिए, डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन की एक क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा के साथ-साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), सीपीएसई द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रभाव गहरा होगा।

- **101 शहर**
  - 101 शहरों की लेखापरीक्षा को जनगणना 2011 के अनुसार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्य की राजधानियों (जहां कोई शहर उस सीमा को पूरा नहीं करता है) को कवर करते हुए नागरिक के परिप्रेक्ष्य से जीवन की सुगमता का मूल्यांकन और लेखापरीक्षा करने के लिए एक विशेष पहल के रूप में माना गया है। इसे हर साल अलग-अलग विषयों की योजना के साथ तीन साल की लेखापरीक्षा के रूप में परिकल्पित किया गया है।
  - 2025-26 में, गहन हितधारक परामर्श आयोजित किए गए, जिसके बाद शहरी गतिशीलता की लेखापरीक्षा पर विस्तृत दिशानिर्देश और

लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स का विकास किया गया।

- दस क्षेत्रीय कार्यालयों की पायलट लेखापरीक्षा टीमों को प्रशिक्षित किया गया था। लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- वर्तमान में, शहरी गतिशीलता पर सभी राज्यों में मैदानी लेखापरीक्षा चल रही है। एक बार पूरा होने पर, इसके लिए प्रतिवेदन 2026-27 में जारी की जाएगी।
- इस लेखापरीक्षा का ध्यान शहरी शासन में सेवा वितरण के परिणामों और संस्थागत प्रभावशीलता पर है।

चित्र 32: 101 शहरों की लेखापरीक्षा के तहत गतिविधियां



**आईसीएएल: स्थानीय शासन लेखापरीक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र*

उपरोक्त लेखापरीक्षाओं के पूरा होने के बाद, 2026-27 में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और प्रबंधन पत्र जारी किए जाएंगे।

2.2 लेखाओं के अंतर्गत पहलें

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने डिजिटल एकीकरण, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग में फैली लेखा कार्यप्रणाली को आधुनिक और मजबूत करने के लिए कई पहलों का अनुसरण किया। ये प्रयास सामूहिक रूप से संघ और राज्य दोनों स्तरों पर साक्ष्य-आधारित राजकोषीय शासन की दिशा में समर्थन में सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

2.2.1 राज्य वित्त का दशकीय विश्लेषण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के संविधान और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के तहत, राज्य के खातों के संकलन और लेखापरीक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यापक राजकोषीय और लेखांकन डेटा उत्पन्न होता है। जबकि वार्षिक लेखे और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) जैसी मौजूदा प्रतिवेदन हाल के वर्षों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, लंबी अवधि में एक व्यापक अंतर-समय और अंतर-राज्य परिप्रेक्ष्य की कमी थी। इस अंतर को संबोधित करने के लिए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने गहरी राजकोषीय अंतर्दृष्टि और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए राज्य के वित्त का एक दशकीय विश्लेषण शुरू किया। इस उद्देश्य को व्यवहार में लाने में, पहल में कई प्रमुख डेटा-संचालित कदम और नियमित विज्ञप्तियां शामिल थीं:

- राज्य लेखांकन प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध व्यापक राजकोषीय डेटा का उपयोग वित्त के दशकीय विश्लेषण के लिए एक समेकित ढांचा विकसित करने के लिए किया गया था।

- राज्य वित्त 2022-23 पर पहला प्रकाशन सितंबर 2025 में जारी किया गया था, जिसमें 28 राज्यों में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का दस साल का विश्लेषण (2013-14 से 2022-23) प्रस्तुत किया गया था।
- प्रकाशन में व्यय के क्षेत्रीय, कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ राजस्व, व्यय, ऋण, देनदारियों, घाटों और गारंटियों को शामिल किया गया था।
- मजबूत हितधारक प्रतिक्रिया पर निर्माण करते हुए, पहल को एक वार्षिक श्रृंखला के रूप में संस्थागत रूप दिया गया था, जिसमें राज्य वित्त 2023-24 पर प्रकाशन का दूसरा संस्करण दिसंबर 2025 में जारी किया गया था, जिसका दायरा 2014-15 से 2023-24 की अवधि तक विस्तृत था।
- दूसरे संस्करण ने राज्यों के अपने कर राजस्व, सब्सिडी, प्रतिबद्ध व्यय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक खाते की देनदारियों, व्यक्तिगत जमा खातों, सार आकस्मिक बिलों और अर्थोपाय अग्रिमों सहित प्रमुख मापदंडों के विस्तृत परीक्षण के माध्यम से विश्लेषणात्मक गहराई का विस्तार किया।
- पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, एक इंटरैक्टिव 'राज्य वित्त डेटा डैशबोर्ड' विकसित किया गया और सीएजी वेबसाइट पर होस्ट किया गया, जो नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों द्वारा गतिशील विश्लेषण सक्षम करता है।
- राज्य वित्त प्रकाशन और अंतर्निहित डेटा मशीन-पठनीय, डाउनलोड करने योग्य प्रारूपों में उपलब्ध कराए जाते हैं, जो शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) के पेशेवरों और डेटा वैज्ञानिकों को स्वतंत्र विश्लेषण, अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित नीति अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं।

चित्र 33: 19 सितंबर 2025 को राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में राज्य वित्त पर प्रकाशन का विमोचन करते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, व्यय सचिव, तथा उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे) एवं अध्यक्ष, सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड



चित्र 34: राज्य वित्त डेटा डैशबोर्ड



इस दशकीय विश्लेषण की शुरुआत और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ने कई प्रमुख संस्थागत प्रभाव पैदा किए हैं:

चित्र 35: राज्य वित्त के दशकीय विश्लेषण के मूल परिणाम और रणनीतिक प्रभाव

01	अंतर्राज्यीय राजकोषीय आँकड़ों का सुदृढ़ तुलनात्मक विश्लेषण करने हेतु पहला समेकित भंडार बनाया।
02	विश्लेषणात्मक क्षमता को सुदृढ़ किया और हितधारकों की क्षमता वृद्धि में सहायता की।
03	सुलभ, विस्तृत और साक्ष्य-आधारित राजकोषीय अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई।
04	सार्वजनिक वित्त में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रमुख ज्ञान-संसाधन के रूप में स्थापित किया।

चित्र 36: राज्य वित्त पर प्रकाशन पर हितधारकों की प्रतिक्रिया



K. Ramakrishna Rao, I.A.S.
CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF TELANGANA

Dear

I acknowledge with sincere thanks the receipt of your communication regarding the release of the second edition of the Publication on State Finances: 2023–24 by the Comptroller and Auditor General of India in December 2025.

As could be seen, the Publication presents a comprehensive and insightful fiscal analysis of the States, covering key indicators such as revenue, expenditure, deficits, public debt, guarantees, and devolution from the Union Government. The ten-year trend analysis, inter-State comparisons, and assessment of fiscal responsibility and consolidation efforts provide valuable inputs for informed policy formulation and financial management. The expanded analytical scope in this edition, including detailed examination of States' Own Tax Revenue, subsidy composition, expenditure classification, and other fiscal parameters, is particularly appreciated.

For the Government of Telangana, the analytical insights and comparative fiscal benchmarks contained in the Publication will be of significant utility in strengthening budget formulation, monitoring fiscal sustainability, improving expenditure prioritization.

We also note the hosting of the interactive dashboard and visual analytics tools on the official website of the CAG, which will further enhance accessibility and facilitate data-driven review and decision-making by various Departments and Public Sector Enterprises in the State. We will circulate to concerned Departments and relevant institutions in the State for their information and appropriate utilization in planning, review, and policy processes.

This important initiative aimed at strengthening evidence-based fiscal policymaking and promoting wider engagement in public financial management is highly appreciated. Any observations or suggestions from our end for further improvement of future editions will be shared in due course.

With Regards,

Yours sincerely,

Ms. Geeta Menon, IA&AS,
Dy. Comptroller & Auditor General
Government Accounts & Chairperson (GASAB)

6th Floor, Dr. B.R. Ambedkar Telangana State Secretariat, Hyderabad- 500 022.
Off: 040-2345 2600, 2345 5345, Fax: +91-40-2345 3700 e-mail: cs@telangana.gov.in



INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM AND ENERGY
Main Building, II Floor, AU College of Engineering (A)
Andhra University, Visakhapatnam – 530 003
Telephone No.: 0891-2856006, Email: director@iipe.ac.in, website: www.iipe.ac.in

Ref. No.: DPE/Dir/100/RDPR/02 Date: 08th October, 2025

To

Shri Jayant Sinha, IA&AS
Deputy Comptroller & Auditor General
Government Accounts & Chairperson (GASAB)
Office of the Comptroller & Auditor General of India
10, Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi – 110 124

Sub: Acknowledgement of Receipt - Publication and Dashboard on "State Finances 2022-23 - Reg.

Dear Sir,

With reference to your letter dated **29.09.2025** regarding the launch of the publication *"State Finances 2022-23"* and the associated interactive dashboard and visual analytics tool, the Institute gratefully acknowledges receipt of the same.

2. We deeply appreciate the initiative of the Office of the Comptroller and Auditor General of India in presenting a comprehensive fiscal analysis across States through this publication. The Institute has circulated the details of the interactive dashboard among its **faculty members and research scholars**, encouraging them to make effective use of this rich repository of fiscal data for their academic and policy research.

3. We express our sincere appreciation to the Office of the C&AG for this informative and analytical initiative and look forward to continued engagement and collaboration in promoting relevant evidence-based studies and research.

With warm regards,

Yours sincerely,

Prof. Shaliyahin
Director

2.2.2 सरकारी लेखांकन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना - त्वरित वाउचर प्रसंस्करण

सरकारी लेखा स्कन्ध ने गति, अंतर-संचालनीयता और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लीगेसी, वाउचर-स्तरीय प्रक्रियाओं से एक आधुनिक, डिजिटल लेखांकन स्थापत्य में प्रणाली-व्यापी परिवर्तन शुरू किया है। वर्ष 2025-26 में एक एकीकृत लेखांकन ढांचे की ओर बदलाव को चिह्नित करते हुए, पुरानी वाउचर लेवल कंपाइलेशन (वीएलसी) प्रणाली को बदलने के लिए एक नए लेखांकन एप्लिकेशन का विकास किया गया। नए लेखांकन एप्लिकेशन के रोल आउट के लिए क्लाउड पर लीगेसी वीएलसी एप्लिकेशन के स्थानांतरण के माध्यम से हार्डवेयर अवसंरचना को 2026 के अंत तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। हम 2026 के अंत तक लीगेसी वीएलसी एप्लिकेशन को क्लाउड पर स्थानांतरित होने की उम्मीद करते हैं। मार्च 2026 तक, दो स्थानों पर स्थानांतरण पूरा हो चुका था, और प्रोजेक्ट गो-लाइव चरण में प्रवेश कर चुका था, जो नए लेखांकन एप्लिकेशन रोलआउट के लिए हार्डवेयर अवसंरचना को स्थापित करता है।

चित्र 37: सीएजी के नए लेखांकन एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताएं

सीएजी के नए लेखांकन अनुप्रयोग की मुख्य विशेषताएं

सीएजी का नया लेखांकन अनुप्रयोग वाउचरों के लगभग वास्तविक समय में प्रसंस्करण, सार्वजनिक **वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों** के साथ निर्बाध एकीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता को मजबूत करने तथा तकनीक-सक्षम ऑडिट को सहायता प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंट एनालिटिक्स को सक्षम करके सरकारी लेखांकन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

सीएजी का नया लेखांकन एप्लिकेशन (एकीकृत · बुद्धिमान · अंतरसंचालनीय · ऑडिट-सक्षम · भविष्य के लिए तैयार)			
01 **तेज़ और निकट-तत्काल लेखांकन**	• शुरू से अंत तक डिजिटल वाउचर प्रसंस्करण और स्वीकृति कार्यप्रवाह • निकट-तत्काल लेखांकन का संकलन	• माह के अंत और वर्ष के अंत में तेजी से समापन • राजकोषीय जानकारी की समय पर उपलब्धता	**अपेक्षित प्रभाव:** लेखाओं का त्वरित संकलन और विश्वसनीय राजकोषीय जानकारी की समय पर उपलब्धता।
02 **एकीकृत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र**	• राज्य स्तरीय एकीकृत प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण (आईएफएमएस/सीएफएमएस) • पीएफएमएस, आरबीआई ई-कुबेर, एनपीसीआई और अन्य सीएजी मंचों के साथ एकीकरण	• वित्तीय जानकारी का वास्तविक समय में आदान-प्रदान • पीएफएम पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्लेटफार्मों पर एकीकृत कार्यप्रवाह	**अपेक्षित प्रभाव:** शुरू से अंत तक अंतर-संचालनीयता तथा सभी प्लेटफार्मों पर सुसंगत, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी।
03 **डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन और स्वचालन**	• स्वचालित सत्यापन और व्यवसाय नियम • ओसीआर-सक्षम वाउचर प्रसंस्करण	• ईटीएल-आधारित डेटा प्रवाह और मानकीकरण • अपवाद प्रबंधन और कार्यप्रवाह नियंत्रण	**अपेक्षित प्रभाव:** मैनुअल हस्तक्षेप, त्रुटियों और पुनर्मिलान अंतरों में उल्लेखनीय कमी; डेटा की गुणवत्ता में सुधार।
04 **केंद्रीकृत राजकोषीय जानकारी और विश्लेषण**	• वाउचर-स्तरीय डेटा का केंद्रीकृत भंडार • अंतर-राज्यीय तुलनात्मक विश्लेषण	• राष्ट्रीय वित्तीय डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन • पूर्वानुमानात्मक अंतर्दृष्टि हेतु एआई / एमएल-सक्षम वास्तुकला	**अपेक्षित प्रभाव:** साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु उच्च-गुणवत्ता वाली राजकोषीय जानकारी और बढ़ी हुई राजकोषीय पारदर्शिता।
05 **ऑडिट-सक्षम वास्तुकला**	• वाउचर स्तर पर ड्रिल-डाउन और ट्रेसबिलिटी • ऑडिट पथ और दस्तावेजों का डिजिटल भंडार	• दूरस्थ ऑडिट और डेटा तक पहुँच हेतु सहयोग • जोखिम विश्लेषण और असामान्यता का पता लगाना	**अपेक्षित प्रभाव:** लेखाओं की सुदृढ़ गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम, डेटा-आधारित ऑडिट।
06 **हितधारक सहभागिता और डेटा का प्रसार**	• लगभग वास्तविक समय में उच्च-गुणवत्ता वाले राजकोषीय डेटा का प्रसार • भूमिका-आधारित डैशबोर्ड और अनुकूलित प्रतिवेदन	• खुला डेटा और नागरिक-हितैषी सूचना उत्पाद • सूचित निगरानी के लिए नागरिकों का सशक्तीकरण	**अपेक्षित प्रभाव:** अधिक पारदर्शिता, नागरिक सशक्तीकरण और सुदृढ़ सुशासन।
07 **भविष्य के लिए तैयार लेखांकन ढांचा**	• मापनीय (स्केलेबल) और सुरक्षित क्लाउड वास्तुकला • सामान्य सरकारी वित्त रिपोर्टिंग के लिए सहयोग	• लेखा चार्ट (चार्ट ऑफ अकाउंट्स) का सामंजस्य • उपार्जन लेखांकन की तत्परता • विकसित होते पीएफएम सुधारों और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलनीय	**अपेक्षित प्रभाव:** सरकारी लेखांकन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधारों के समर्थन हेतु भविष्य के लिए तैयार मंच।

एप्लिकेशन से सरकारी लेखांकन की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जो तेज़, अधिक विश्वसनीय और डेटा-संचालित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का समर्थन करती है।

2.2.3 हितधारक सहभागिता के माध्यम से सीएजी कार्यालयों में लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना

वर्ष के दौरान, सीएजी कार्यालयों ने लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत किया और नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता में वृद्धि की। जागरूकता और समाधान में सुधार के लिए खाते से जुड़े कार्यप्रवाहों में राज्यों भर के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा लक्षित हितधारक सहभागिता की गई। ये प्रयास क्षमता निर्माण, हितधारक पहुंच, और स्रोत पर खातों की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित कई राज्य-स्तरीय पहलों में परिलक्षित हुए।

छत्तीसगढ़ में, नवंबर 2025 में कोषाधिकारियों और पास के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) तथा बजट नियंत्रक अधिकारियों (बीसीओ) के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गईं। छत्तीसगढ़ सरकार के लगभग 350 कोषाधिकारियों डीडीओ और बीसीओ द्वारा भाग ली गई कार्यशालाओं का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। सत्रों ने जैम ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, (डीबीटी), ई-केवाईसी, डिजिटल भुगतान, आधार-आधारित ई-प्रमाणीकरण, सरकारी योजनाओं में बजट प्रबंधन, एसएनए-स्पर्श पोर्टल और वित्तीय जवाबदेही से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर प्रकाश डाला।

इसी तरह, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) तेलंगाना और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखंड के कार्यालयों द्वारा शुरू की गई पहलों ने दिखाया कि मैदानी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और निरंतर जिला-स्तरीय जुड़ाव स्रोत पर खातों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे 2026-27 में अन्य राज्यों में दोहराया जा रहा है।

लेखा एवं हकदारी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आउटरीच और क्षमता निर्माण पहल: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलंगाना कार्यालय की एक पहल

- **विषय:** प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तेलंगाना के कार्यालय ने लेखा एवं हकदारी प्रक्रियाओं, खातों और वाउचरों की तैयारी व प्रस्तुति में सुधार, विसंगतियों को कम करने और राज्य के विभागों के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए आउटरीच और क्षमता निर्माण किया।
- **पहल के विवरण:**
  - जिला-केंद्रित कार्यशालाएं: राज्य के 33 में से 13 जिलों को कवर करने वाली चार कार्यशालाएं जिला मुख्यालयों में आयोजित की गईं; जिनमें से प्रत्येक में 250-300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें कोषागार और उप-कोषागार अधिकारी, वेतन और लेखा अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी, विभागीय अधिकारी, पेंशनभोगी, पेंशनभोगी संघ और जीपीएफ अंशदाता शामिल थे।
  - विभाग-केंद्रित कार्यशालाएं: हैदराबाद में कोषागार एवं लेखा विभाग (नवंबर 2025) और वन विभाग (जनवरी 2026) के लिए प्रति कार्यशाला 150-200 अधिकारियों की भागीदारी के साथ दो विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
  - पेंशन-जीपीएफ अदालतें: पेंशन और जीपीएफ से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हैदराबाद, रंगारेड्डी, भूतपूर्व महबूबनगर, भूतपूर्व वारंगल और तेलंगाना वन अकादमी में 96 विभागों और 544 अधिकारियों को शामिल करते हुए पांच अदालतें आयोजित की गईं। राज्य सरकार के सहयोग से पेंशन मॉड्यूल तैयार किए गए।

- त्रिपक्षीय समझौता: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलंगाना कार्यालय, वित्त विभाग (तेलंगाना सरकार) और डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान के बीच अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन ने क्षमता निर्माण के लिए एक ढांचा स्थापित किया, जिसके तहत वर्ष के दौरान पेंशन प्रक्रियाओं पर छह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
- बजट और आईएफएमआईएस पर कार्यशाला: बजट के मूलभूत सिद्धांतों, राज्य बजटीय प्रक्रिया और आईएफएमआईएस वर्कफ़्लो पर दो दिवसीय कार्यशाला 50 कार्यालय अधिकारियों के लिए आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप आईएफ़एमआईएस मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग को सिफारिशें दी गई।
- पेंशन एवं जीपीएफ मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन: राज्य सरकार के सहयोग से, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए ई-पेंशन और ई-जीपीएफ मॉड्यूल विकसित किए गए, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और एचआरएमएस एकीकरण सक्षम हुआ।

- **प्रभाव:**
  - इस पहल ने सूचना निर्माण के स्रोत पर मुद्दों को संबोधित किया, लेखा व हकदारी मामलों में त्रुटियों को कम किया और आपत्तियों व पत्राचार को कम किया।
  - परिणामस्वरूप, 1,913 वांटेड पेड चेक में से 1,736 (90.75%), 104 बकाया एसी बिलों में से 85 (81.73%), और 6,957 वांटेड वाउचरों में से 5,590 (80.35%) का निपटान किया गया।
  - इसके अतिरिक्त, 479 लंबित कोषागार निरीक्षण पैराग्राफों में से 107 का निपटारा किया गया और 24 लंबित कोषागारों के साथ निपटान अनुसूचियाँ एसएसटी प्राप्त हुई।

अदालतों के माध्यम से, 166 पेंशन मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 71 पीपीओ और 58 जीपीएफ अंतिम निकासी प्राधिकरण वितरित किए गए।

चित्र 38: जिला कोषागार अधिकारियों की लेखा प्रक्रियाओं, पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि से संबंधित समस्याओं पर कार्यशाला



लेखा एवं हकदारी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर सहभागिता: उत्तराखंड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की एक पहल

- **के बारे में:** उत्तराखंड के महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) ने सरकारी लेखा प्रक्रियाओं को मजबूत करने, प्राथमिक लेखा की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करने, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राज्य भर में लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों (एआरयू) के साथ समन्वय बढ़ाने हेतु 2025-26 के दौरान एक संरचित जिला स्तरीय आउटरीच/संपर्क की पहल शुरू की।

- **पहल का विवरण:**
  - इस पहल के अंतर्गत, सरकारी लेखा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन नैनीताल (7 नवंबर 2025) और हरिद्वार (25 फरवरी 2026) में किया गया।
  - जिले से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को चिन्हित किया गया और वास्तविक मामलों के अभिलेखों का उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ उन पर चर्चा की गई।
  - इन कार्यशालाओं में कुल मिलाकर लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पीएमजीएसवाई, पुलिस, वन और कोषागार जैसे प्रमुख व्यय और प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारी शामिल थे।
  - सहयोग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कार्यालय द्वारा जिलावार नोडल अधिकारियों को मार्गदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एकल संपर्क बिंदु के रूप में नामित किया गया था।

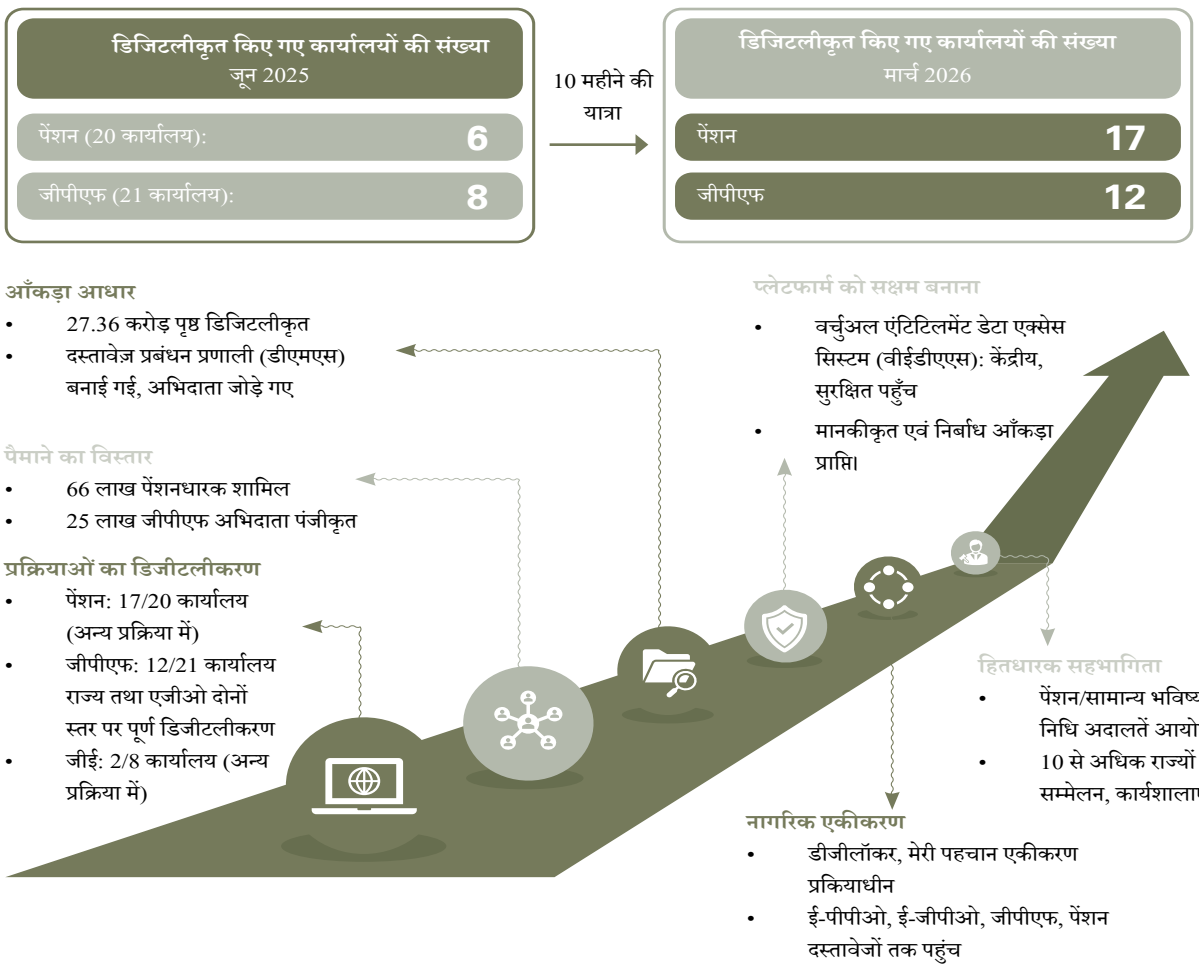
- **प्रभाव:** सामान्य भविष्य निधि, ए.सी./डी.सी. बिल और उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर केंद्रित चर्चाओं से निपटान में तेजी लाने, लंबित मामलों को कम करने और अनावश्यक आपत्तियों को न्यूनतम करने में मदद मिली। इससे महालेखाकार कार्यालय और जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता में सुधार हुआ।

2.2.4 पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यों के लिए आद्योपांत डिजिटलीकरण

सरकारी लेखा विभाग के अंतर्गत इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उनमें से एक है हकदारी संबंधी कार्यों में डिजिटल, कागज-रहित और जन-केन्द्रित सेवा वितरण की दिशा में परिवर्तन। लगभग 66 लाख पेंशनभोगियों और 25 लाख सामान्य भविष्य निधि ग्राहकों को सम्मिलित करने वाले संचालन के व्यापक दायरे और समयबद्ध, पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया की आवश्यकता को देखते हुए, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों में पूर्णतः डिजिटलीकरण प्राप्त करने हेतु कई गतिविधियाँ शुरू की गई हैं, जिनमें डिजिटलीकरण, प्लेटफॉर्म एकीकरण और राज्य सरकारों के सहयोग से समर्पित पेंशन मॉड्यूल का विकास शामिल है।

डिजिटलीकरण प्रक्रिया को गति देने के लिए, जून 2025 में हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) श्री नवनीत गुप्ता को अन्य राज्यों को हरियाणा कार्यालय द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुकरण करने और पूर्णतः डिजिटलीकरण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। मात्र दस महीनों के भीतर, इन पद्धतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। शेष राज्य भी इन कार्यों में पूर्णतः डिजिटलीकरण प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं।

चित्र 39: पेंशन और सामान्य भविष्य निधि कार्यों के लिए चल रहा डिजिटलीकरण



संपूर्ण डिजिटलीकरण पहल ने हकदारी संबंधी सभी कार्यों में मैन्युअल और विखंडित प्रक्रियाओं से हटकर एकीकृत और प्रणाली-आधारित सेवा वितरण की ओर परिवर्तन को संभव बनाया है। इसके परिणामस्वरूप पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और राजपत्रित हकदारी प्रक्रियाओं में सेवा वितरण की समयबद्धता, एकरूपता और दक्षता में सुधार हुआ है, साथ ही इसका दायरा और कवरेज भी बढ़ा है। अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण के माध्यम से भौतिक दस्तावेज़ों पर निर्भरता भी कम हुई है, और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और आभासी हकदारी आंकड़ा पहुँच प्रणाली की तैनाती प्रक्रियाधीन है।

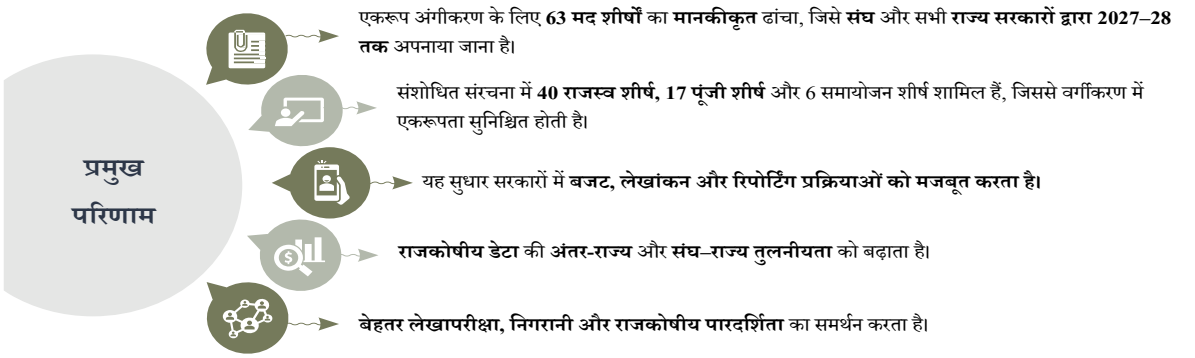
2.2.5 संघ और राज्य सरकारों में विनियोग की प्राथमिक इकाइयों का सामंजस्य

विनियोग के प्राथमिक आवंटन (मद शीर्ष) आर्थिक व्यय के वर्गीकरण के सबसे निचले स्तर हैं और सरकारी लेखा-जोखा तैयार करने का आधार बनते हैं। हालांकि, राज्यों में वर्गीकरण पद्धतियों में भिन्नता के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग में एकरूपता, तुलनीयता और पारदर्शिता प्रभावित हुई है। इसी संदर्भ में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में ‘ मद शीर्ष’ वर्गीकरण के सामंजस्य की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं।

- सभी राज्य महालेखाकारों (लेखा एवं हकदारी) को शामिल करते हुए एक व्यापक समीक्षा की गई ताकि राज्यों में मद शीर्ष स्तर पर मौजूदा वर्गीकरण प्रथाओं का मानचित्रण किया जा सके।
- वर्गीकरण संरचनाओं में महत्वपूर्ण विभिन्नता का पता चला, जो कुछ राज्यों में 36 मद शीर्षों से लेकर अन्य राज्यों में 400 से अधिक तक थी, जिससे व्यय आंकड़ों की तुलनात्मकता प्रभावित हुई।
- इस मुद्दे पर वित्त सचिवों के प्रथम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया तथा इसे वित्त सचिवों और अन्य प्रमुख हितधारकों के एक कार्यदल द्वारा अधिक विस्तार से विचारार्थ लिया गया। इस कार्यदल में लेखा महानियंत्रक तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक भी शामिल थे।
- इन परामर्शों और वित्त आयोगों की पूर्व की अनुशंसाओं के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई संशोधित मद शीर्ष संरचना के अनुरूप एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा विकसित किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों में 63 सामान्य मद शीर्षों वाली एक समान वर्गीकरण संरचना को अपनाने की अनुशंसा की गई थी, जिसे 2027-28 से लागू किया जाना है।

इस एक समान वर्गीकरण के कार्यान्वयन से कई महत्वपूर्ण और वित्तीय परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है:

चित्र 40: एकसमान वर्गीकरण सुधार के प्रमुख वित्तीय परिणाम और रणनीतिक प्रभाव



2.2.6 वित्त सचिवों का दूसरा सम्मेलन

भारत के सीएजी ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सहयोगात्मक और प्रणाली-व्यापी भागीदारी के माध्यम से सुदृढ़ करने हेतु एक संस्थागत वार्षिक मंच के हिस्से के रूप में 19 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में राज्य वित्त सचिवों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राज्य वित्त सचिवों, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेलवे और महालेखाकारों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे राजकोषीय प्रशासन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण को बल मिला।

चित्र 41: भारत के सीएजी केंद्र और राज्यों के वित्त सचिवों और अन्य हितधारकों को संबोधित करते हुए।

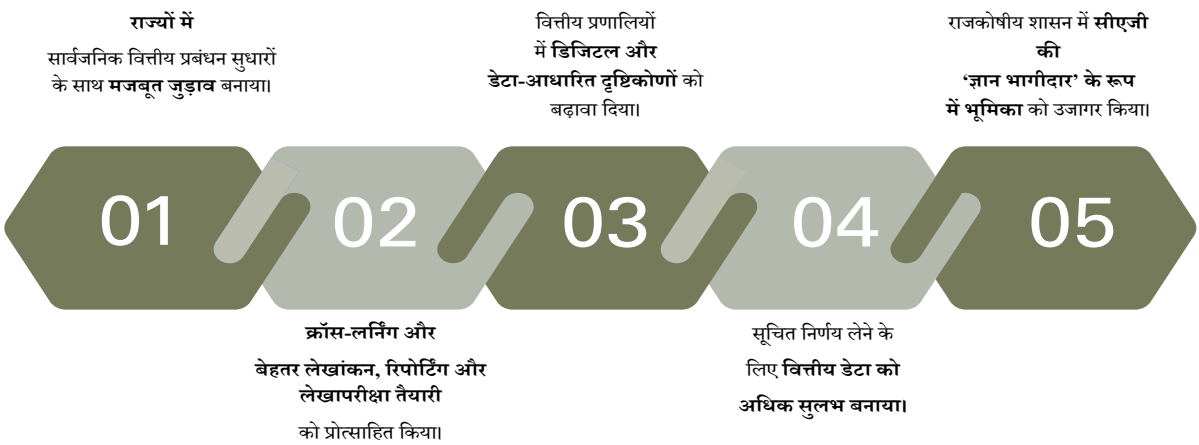


इस सम्मेलन का उद्देश्य बजट, लेखांकन और लेखापरीक्षा कार्यों में समन्वय स्थापित करना और प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, आंकड़ा एकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के माध्यम से राज्य स्तरीय सुधारों को राष्ट्रीय वित्तीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना था। इस आयोजन के दौरान आयोजित प्रमुख विषयगत चर्चाओं और सहयोगात्मक अभ्यासों में निम्नलिखित शामिल थे:

- विचार-विमर्श पहले सम्मेलन के परिणामों पर आधारित था, जिसमें लेखा की समयबद्धता में सुधार और लेखांकन वर्गीकरणों के सामंजस्य को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- प्रमुख विषयगत चर्चाओं में शासन हेतु डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा एवं लेखांकन को सुदृढ़ करना, 'केंद्र प्रायोजित योजनाओं' में आने वाली समस्याओं का समाधान करना और राज्यों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं का प्रसार करना शामिल था। चर्चाओं में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ योजनाओं का समन्वय करने जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला गया, ताकि बजट और लेखांकन ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमएस), कार्य और लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूएएमआईएस), ई-प्रोक्योरमेंट और ई-वाउचर जैसे डिजिटल वित्तीय प्रणालियों पर जोर दिया गया, जिसमें लेखापरीक्षा योग्यता, सुरक्षा और एंड-टू-एंड राजकोषीय दृश्यता के लिए प्रणालियों के एकीकरण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- राजकोषीय शासन के उभरते क्षेत्रों पर विचार-विमर्श, जिसमें बजट स्थिरीकरण कोषों के लिए लेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे को मजबूत करना, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग में एकीकृत करना और डिजिटल पीएफएम प्रणालियों की परिपक्वता का आकलन करना शामिल है।
- चर्चाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और शहरी स्थानीय सरकारों की निगरानी पर भी बात हुई, जिसमें परिपक्वता ढांचे के उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया, और सेवा वितरण और बुनियादी ढांचा विकास में शहरी वित्त के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया गया।
- सम्मेलन में ज्ञान साझा करने की पहल शामिल थी, जिसमें राज्य वित्त 2022-23 प्रकाशन का विमोचन और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का प्रदर्शन, साथ ही राज्य के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की पहल शामिल थी।

इस सम्मेलन से उत्पन्न सहयोगात्मक मूल्य को पांच मुख्य क्षेत्रों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

चित्र 42: वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन के दौरान स्थापित प्रमुख निष्कर्ष



2.2.7 सोलहवें वित्त आयोग के विश्लेषण और प्रतिवेदन में सीएजी का योगदान

सोलहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य के वित्त का आकलन करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के आंकड़ों, प्रतिवेदनों और संस्थागत इनपुट का व्यापक रूप से उपयोग किया। शुरुआत में, सीएजी ने 5 मार्च 2025 को सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष सरकार की राजकोषीय स्थिति और वित्त के आकलन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

चित्र 43: मार्च 2025 में भोपाल में आयोजित एक बैठक में भारत के सीएजी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया अपने अधिकारियों के साथ



राज्य के वित्त का निर्धारण करने हेतु, आयोग की मुख्य रूप से सीएजी की क्षेत्रीय इकाइयों, अर्थात् संबंधित महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालयों द्वारा संकलित लेखापरीक्षित राज्य वित्त लेखा पर निर्भरता रही , साथ ही सीएजी की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएफएआर) का भी उपयोग किया। इन प्रतिवेदनों में राज्य और स्थानीय निकायों के वित्त, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विद्युत क्षेत्र के सुधारों और पूर्व वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति आदि का स्वतंत्र निर्धारण प्रस्तुत किया गया था।

"राज्य के वित्त विश्लेषण से संबंधित अपने कार्य हेतु, आयोग ने वित्त लेखा और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से प्राप्त आंकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया। प्रमुख और गौण मदों के एकसमान वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के अतिरिक्त, वित्त लेखा विभिन्न महत्वपूर्ण व्यय मदों के आंकड़े भी प्रस्तुत करता है जिन्हें अन्यथा एकसमान वर्गीकरण के अंतर्गत अलग से नहीं दर्शाया जाता।

अपनी परामर्श प्रक्रिया के दौरान, आयोग ने सीएजी और सभी राज्यों के महालेखाकारों से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की और राज्य वित्त लेखा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से प्राप्त आंकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया। ये आंकड़े आयोग के निष्कर्षों तक पहुंचने और अनुशंसाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको और आपके संगठन को अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" – सोलहवें वित्त आयोग के सचिव

आयोग ने संघ और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का निर्धारण और प्रमाणीकरण करने में सीएजी की संवैधानिक भूमिका को भी मान्यता दी और कर हस्तांतरण के विश्लेषण हेतु सीएजी कार्यालय से विभाज्य करों के पूल का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्त की जांच करते समय, आयोग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सीएजी की सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों और डेटासेट पर निर्भरता दिखाई, यह देखते हुए कि सीएजी आंकड़े किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक व्यापक आच्छादन प्रदान करते हैं, और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के लिए सीएजी द्वारा संकलित राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और संबंधित वित्तीय जानकारी पर भी निर्भरता दिखाई। सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने विद्युत क्षेत्र सहित क्षेत्रीय सुधारों की जांच करते समय आयोग के साक्ष्य आधार को भी हिस्सा बनाया।

2.2.8 खनिज रॉयल्टी के लेखांकन को सुव्यवस्थित करना

खनिज रॉयल्टी किसी राज्य के गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, लेखांकन और वर्गीकरण प्रथाओं में विसंगतियां, जिनमें विखंडित रिपोर्टिंग और मानकीकृत लेखांकन शीर्षों का अभाव शामिल है, ने खनिज राजस्व की पारदर्शिता, तुलनीयता और प्रभावी लेखापरीक्षा को सीमित कर दिया है। इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम और सुधारात्मक कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

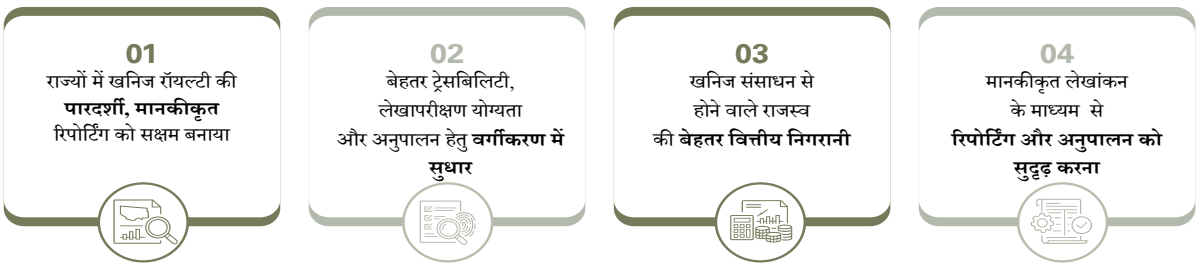
- राज्य के लेखा की समीक्षा से खनिज रॉयल्टी प्राप्तियों के लेखांकन में प्रणालीगत कमियां सामने आईं, जिनमें अनुचित वर्गीकरण, प्रमुख और गौण खनिजों के बीच अंतर का अभाव, समर्पित मदों की अनुपस्थिति और विखंडित रिपोर्टिंग शामिल हैं, जिससे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि और राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) निधि के योगदान की निगरानी प्रभावित होती है। इसके उत्तर में, सीएजी ने बजट और लेखांकन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण की सलाह दी, जिसमें खनिज रॉयल्टी प्राप्तियों और संबंधित करों के लिए विशिष्ट लेखांकन मदों का निर्माण शामिल है।
- सीजीए द्वारा जारी खनिज रॉयल्टी के लिए संशोधित लेखा संरचना की अधिसूचना (जून 2025) के बाद, सीएजी ने रॉयल्टी प्राप्तियों, नीलाम किए गए खनिज संसाधनों और संबंधित लेनदेन हेतु समर्पित लघु मदों को अपनाकर इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालयों के साथ मिलकर काम किया।
- खान मंत्रालय, राज्य सरकारों और लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के परामर्श प्रयासों के परिणामस्वरूप सुधारों को लागू किया गया, जिसमें संबंधित खनन नियमों की अधिसूचना, रॉयल्टी प्राप्तियों और नीलाम किए गए खनिज संसाधनों के लिए विशिष्ट लघु मदों की शुरूआत शामिल है।
- एसएमईटी के लिए आरक्षित निधि का निर्माण और एनएमईटी अंशदान के मानकीकृत लेखांकन जैसे उपायों को रिपोर्टिंग और अनुपालन को मजबूत करने के लिए शामिल किया गया था।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप, खनिज रॉयल्टी प्राप्तियों के लिए लेखांकन ढांचा अधिक पारदर्शी, सुसंगत और राज्यों में तुलनीय हो गया है, जिससे राजकोषीय रिपोर्टिंग मजबूत हुई है और वित्तीय प्रबंधन, नीति विश्लेषण और लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध जानकारी की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

चित्र 44: प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग) पर चर्चा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सचिव एमओएसपीआई, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (जीए) एवं अध्यक्ष गसब, और उप- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ओएसडी (जीए)



चित्र 45: खनिज रॉयल्टी के लेखांकन को सुव्यवस्थित करने के प्रमुख संस्थागत परिणाम और संरचनात्मक प्रभाव



2.2.9 गसब के माध्यम से सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तत्वावधान में कार्यरत सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आईजीएएस) के निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। मानकों, दिशा-निर्देशों और प्रकटीकरण ढाँचों के विकास के माध्यम से, जीएएसएबी का उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों का समर्थन करते हुए सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही, सटीकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है। 2025-26 में जीएएसएबी के प्रमुख रणनीतिक अद्यतनों का केंद्र बिंदु निम्नलिखित था:

- कई लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण ढाँचों में सुधार, जिसमें आईजीएएस 1 (गारंटी) और आईजीएएस 2 (सहायता अनुदान) का संशोधन तथा सार्वजनिक ऋण, बाह्य सहायता और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर ढाँचों का विकास शामिल है।
- 'उचित प्रक्रिया ढांचा' में संशोधन के माध्यम से संस्थागत प्रक्रियाओं को मजबूत करना, हितधारकों के साथ परामर्श बढ़ाना और मानक निर्धारण के लिए संरचित तंत्रों को लागू करना।
- रणनीतिक विकास योजना (2026-29) तैयार करना जिसमें सतत विकास रिपोर्टिंग, पीपीपी रिपोर्टिंग, यूएलबी लेखा मानक और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया।
- खनिज और जल संसाधनों हेतु परिसंपत्ति खातों की तैयारी और पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन ढाँचों के साथ संरेखण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए) को आगे बढ़ाना।
- डिजिटल प्लेटफार्मों और ज्ञान प्रसार को बढ़ाना, जिसमें जीएएसएबी प्रणालियों का उन्नयन और प्रकटन मसौदा और ज्ञान उत्पादों का जारी करना शामिल है।
- राष्ट्रीय नगर निकाय लेखा नियमावली (एनएमएएम) को एनएमएएम 2.0 के रूप में संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि नगरपालिका लेखांकन को विकसित हो रही डिजिटल और शासन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

2.3 संगठनात्मक सुधार

2025-26 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने संस्थागत संरचना को मजबूत करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और अपने संगठनात्मक डिजाइन को आधुनिक प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा वातावरण की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार किए।

2.3.1 संगठनात्मक पुनर्गठन

इस वर्ष भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले, जिनमें विशेष कार्यालयों का निर्माण, कुछ मौजूदा कार्यालयों का विभाजन/विलय और साथ ही कार्यालयों में युक्तिकरण शामिल है, जिसका उद्देश्य कवरेज को अनुकूलित करना और हितधारकों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही में सुधार करना है।

क. मुख्यालय स्तर पर अनुकूलन

- **सीएजी कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकरण**

  2025-26 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने उन कार्यों के विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाए जो अब तक नई दिल्ली स्थित सीएजी मुख्यालय में संभाले जाते थे।

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना देश भर में की गई, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी), पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई), मध्य क्षेत्र (भोपाल), पूर्वी क्षेत्र (भुवनेश्वर) और दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजकोट में स्थानीय शासन लेखापरीक्षा कार्यालय की स्थापना की गई। इन कार्यालयों को वे सभी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं जो अब तक सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली स्थित संबंधित क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा निभाई जा रही थीं, जिससे कार्यों का विकेंद्रीकरण संभव हो सका है।

  इस सुधार को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। स्थानीय शासन लेखापरीक्षा कार्यालय ने 1 जुलाई 2025 से, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कार्यालय ने नवंबर 2025 से, पश्चिमी और मध्य कार्यालय ने दिसंबर 2025-जनवरी 2026 से तथा पूर्वी और दक्षिणी कार्यालय ने अप्रैल 2026 से परिचालन प्रारम्भ किया। नवगठित क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक करेंगे, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता में सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा।

  इस विकेंद्रीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया, समन्वय, हितधारकों की सहभागिता, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल और प्रतिवेदनों की समयबद्धता में सुधार करके क्षेत्रीय शासन को मजबूत करने की उम्मीद है।

चित्र 46: सीएजी कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकरण



- **राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का पुनर्गठन, जिसमें महालेखाकार के कार्यालयों में एक अलग राज्य वाणिज्यिक शाखा का उद्घाटन/खोला जाना शामिल है।**

  राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू) के लेखापरीक्षा और राज्य के स्वायत्त निकायों (एसएबी) के वित्तीय लेखापरीक्षा हेतु व्यापक राज्य लेखापरीक्षा ढांचे का उपयोग करके किया जा रहा था, और कई लेखापरीक्षा कार्यालयों और लेखापरीक्षा प्रबंधन समूहों (एएमजी) में उत्तरदायित्व वितरित किया गया था।

  इस बिखरी हुई व्यवस्था के कारण काम का बिखराव, रिपोर्टिंग चैनलों की बहुलता और विशिष्ट राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षाओं धाराओं पर सीमित ध्यान केंद्रित हो पाया। इससे समन्वय में चुनौतियां, लेखांकन मानकों की व्याख्या में विसंगति और उपलब्ध विशेषज्ञता का अपर्याप्त उपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

  वाणिज्यिक लेखापरीक्षाओं के बढ़ते पैमाने, जटिलता और तकनीकी प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से एसपीएसयू की पूरक लेखापरीक्षा और राज्य स्वायत्त निकायों की प्रमाणन लेखापरीक्षा में, राज्य वाणिज्यिक विंग के लिए एक समर्पित और कार्यात्मक रूप से संरेखित संरचना 2025 में स्थापित की गई थी:

चित्र 47: राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विभाग का पुनर्गठन

1. मुख्यालय में एक समर्पित राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग का सृजन	राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग को अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (राज्य वाणिज्यिक) के प्रभार के अधीन संचालित किया गया है, ताकि सभी राज्यों में एसपीएसयू और एसएबी से संबंधित लेखापरीक्षा नियोजन, समन्वय और लेखापरीक्षा आउटपुट के प्रसंस्करण की केंद्रीकृत निगरानी की जा सके।
2. प्रमाणन और रिपोर्टिंग कार्य का केंद्रीकरण	राज्य वाणिज्यिक विंग को पीएसयू के अनुपूरक लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों तथा एसएबीएस की प्रमाणन लेखापरीक्षा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने का दायित्व सौंपा गया है, जिससे राज्यों में आउटपुट का मानकीकरण, एकरूपता और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
3. राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों (एजी कार्यालयों) के भीतर पुनर्गठन	प्रत्येक राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय में सभी पीएसयू को एकल नामित एएमजी के अधीन समेकित किया गया है, जिसमें एक समर्पित समूह अधिकारी वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के विशेष संचालन के लिए उत्तरदायी है; इस प्रकार कई एएमजी में पहले से बिखरी व्यवस्था को बदला गया है।
4. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्य के साथ एसएबी प्रमाणन का एकीकरण	एसएबीएस की प्रमाणन लेखापरीक्षा और एसएआर की प्रक्रिया को नामित वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एएमजी के साथ जोड़ा गया है तथा संबंधित कार्य को अन्य एएमजी से नामित समूह अधिकारी को हस्तांतरित किया गया है, ताकि कार्यात्मक समेकन सुनिश्चित हो।
5. सुव्यवस्थित लेखापरीक्षा नियोजन और रिपोर्टिंग ढांचा	पीएसयू के लिए एकीकृत अखिल-भारत योजना मुख्यालय में राज्य वाणिज्यिक विंग द्वारा समेकित रूप से तैयार की जाती है। वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को केंद्रीय रूप से अंतिम रूप दिया जाता है।
6. जनशक्ति और तकनीकी सहायता का युक्तिकरण	विभिन्न एएमजी के वाणिज्यिक संवर्ग स्टाफ (एसएओ/एएओ) को नामित वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एएमजी के अधीन पुनर्गठित किया गया है। राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों में तकनीकी सहायता प्रकोष्ठों को वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्य के साथ जोड़ा गया है, ताकि विश्लेषणात्मक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।

एएमजी: लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह; एसपीएसयू: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम; एसएबी: राज्य स्वायत्त निकाय

राज्य वाणिज्यिक विभाग के पुनर्गठन से केंद्रीकृत पर्यवेक्षण, मजबूत क्षेत्रीय विशेषज्ञता और संसाधनों के अनुकूलित उपयोग के माध्यम से राज्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता में वृद्धि होने की आशा है।

ख. क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुकूलन

रेलवे लेखापरीक्षा विभाग का पुनर्गठन

रेलवे संचालन के तेजी से विकसित होते पैमाने और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, एसएआई इंडिया ने दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु अपनी रेलवे लेखापरीक्षा संरचना का पुनर्गठन किया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं:

- 18 रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों का विलय करके उन्हें 9 प्रतिष्ठानों में समाहित किया गया है। प्रत्येक कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में होगा, ताकि लेखापरीक्षा संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और निगरानी को मजबूत किया जा सके।
- हर स्तर पर निगरानी रखने और ज़मीनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए 'एक केंद्र, अनेक शाखा' मॉडल को अपनाया गया। मुख्य कार्यालय कई रेलवे ज़ोन की देखरेख करेंगे और शाखा कार्यालय विशिष्ट ज़ोन के लिए क्षेत्रीय-स्तरीय लेखापरीक्षा निष्पादन में सहायता करेंगे।
- क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय, एकरूप लेखापरीक्षा पद्धतियों और कार्यभार के बेहतर वितरण को सुगम बनाने हेतु दो या दो से अधिक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा इकाइयों का समूहीकरण।
- मुख्यालय में डिजिटल लेखापरीक्षा क्षमताओं को विकसित करने और रेल मंत्रालय के साथ समन्वय को बढ़ावा देने हेतु एक रिमोट डिजिटल लेखापरीक्षा सेल (आर-डीएसी) की स्थापना।

रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन से परिकल्पित परिणामों में रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के बीच कार्य का समान वितरण और उन्नत आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से प्रभावी जोखिम मूल्यांकन और लेखापरीक्षा शामिल हैं।

संघीय/केंद्रीय वाणिज्यिक लेखापरीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा भारत सरकार के 15 मंत्रालयों और 4 विभागों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है, मुख्यतः आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्रों में। यह कार्य देश भर में फैले नौ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

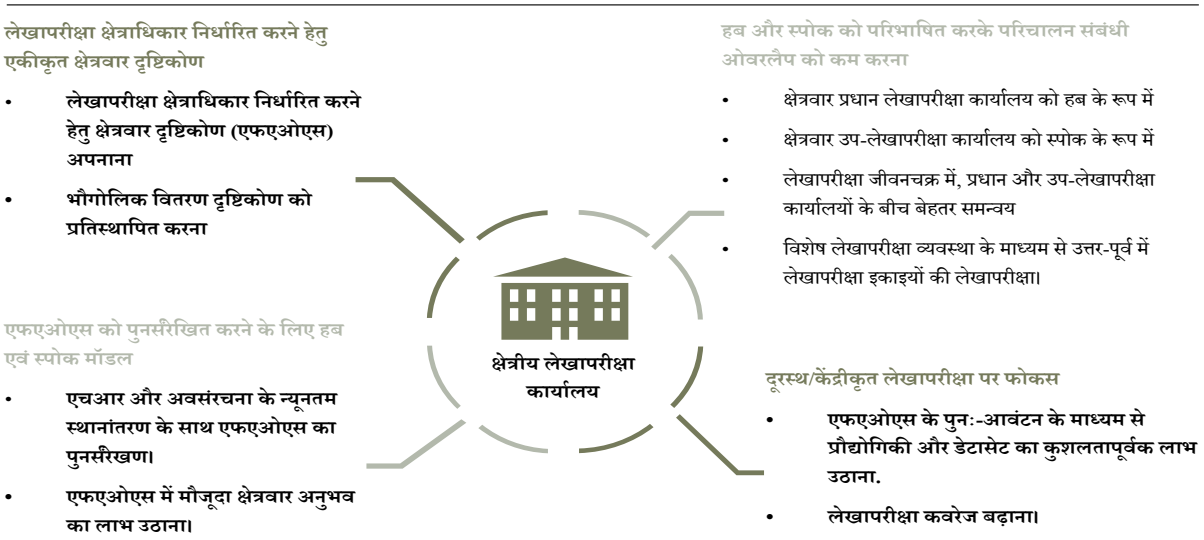
डिजिटलीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य व्यवस्थाओं की बढ़ती जटिलताओं तथा पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) को बढ़ावा देने से प्रेरित बदलती प्राथमिकताओं के कारण शासन व्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सीएजी के लिए नियोजित रणनीतिक लेखापरीक्षाओं और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप मौजूदा कार्यालय संरचनाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना अनिवार्य हो गया।

इसके बाद निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

- क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के कार्य आवंटन ढाँचों की गहन समीक्षा की गई ताकि लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्रों का क्षेत्रीय एकीकरण सुगम हो सके और भौगोलिक वितरण के बजाय क्षेत्र-केंद्रित लेखापरीक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस पुनर्गठन का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्टता विकसित करना, एकीकृत एवं केंद्रित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और अधिक कुशल, प्रौद्योगिकी-आधारित एवं दूरस्थ लेखापरीक्षा पद्धतियों का समर्थन करना है। ऐसा करके, यह प्रत्येक प्रमुख लेखापरीक्षा क्षेत्र में स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करता है और कार्यपालिका के समक्ष एक एकीकृत लेखापरीक्षा इंटरफ़ेस ("वन फेस") प्रस्तुत करता है।
- प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के भीतर के अनुभागों को उनके क्षेत्रीय फोकस को दर्शाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया गया था।
- संशोधित व्यवस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किया गया और वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए।
- महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) और महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) के कार्यालयों को महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान एवं कोयला), कोलकाता के कार्यालय में विलय कर दिया गया, जिसे खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के अधीन संस्थाओं के लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर इकाइयों के लिए उप-लेखापरीक्षा व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारियों को फोकस क्षेत्रों से संबंधित जिम्मेदारियों से अलग करने के लिए आंतरिक पुनर्व्यवस्था की गई।

- पुनर्गठन के तहत, चेन्नई (शिपिंग), दिल्ली (विद्युत), हैदराबाद (एमएसएमई), कोलकाता (खान एवं कोयला) और मुंबई (वित्तीय सेवाएँ) सहित संबंधित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में क्षेत्र-केंद्रित लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों को सुव्यवस्थित किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों का विवरण अनुलग्नक III पाया जा सकता है।

चित्र 48: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के पुनर्गठन के परिणाम



- **वित्तीय लेखापरीक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएफए)**

सार्वजनिक संस्थाओं के वित्तीय लेखापरीक्षा संचालन के उभरते रुझानों और चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु, हैदराबाद में वित्तीय लेखापरीक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएफए) की स्थापना 2025 में की गई थी।

(सीओईएफए) की स्थापना से भविष्य में कई लाभकारी परिणाम मिलने की उम्मीद है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

चित्र 49: (सीओईएफए) की स्थापना और परिकल्पना



**एबी: स्वायत्त निकाय; यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय; पीएसयू: सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम*

- **क्षेत्रीय कार्यालयों का विभाजन और विलय**

चालू संगठनात्मक सुधारों के अंतर्गत, सीएजी ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार, कार्यभार में संतुलन और कार्यात्मक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में संरचनात्मक परिवर्तन किए। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल थे:

- पंजाब और बिहार में राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों का विभाजन
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों का विलय

इस पुनर्गठन का उद्देश्य मौजूदा कार्यालयों को सुव्यवस्थित करना, पर्यवेक्षण को मजबूत करना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना था। इसके तहत किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार थे:

चित्र 50: कार्यालयों का विभाजन और विलय

बिहार और पंजाब में राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों का विभाजन

- **बिहार और पंजाब** राज्यों में **लेखापरीक्षा कार्यालयों का दो-दो कार्यालयों में विभाजन,** अर्थात् **लेखापरीक्षा-I और लेखा परीक्षा-II**
- बढ़ते **लेखापरीक्षा कार्यभार** को संबोधित करने, नियंत्रण की **गुणवत्ता में सुधार** करने और अधिक **प्रबंधनीय प्रशासनिक इकाइयाँ** बनाने हेतु।
- दोनों कार्यालयों के बीच **क्षेत्र-वार जिम्मेदारियों के आवंटन** के माध्यम से विभाजन को परिचालित किया गया, जिससे अधिक **स्पष्ट फोकस और जवाबदेही सुनिश्चित** हुई।

लेखा एवं हकदारी कार्यालयों का विलय

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I और II कार्यालयों का **एकल एकीकृत कार्यालयों** में विलय, अर्थात् प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ताकि प्रशासन को **सुव्यवस्थित किया जा सके और एकीकृत नियंत्रण सक्षम हो।**
- **मध्य प्रदेश (ग्वालियर) में एकीकृत संरचना का सृजन**, जिसमें परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोपाल में एक शाखा कार्यालय है।

विलय और विभाजन ने मिलकर विकेंद्रीकरण (विभाजन के माध्यम से) और समेकन (विलय के माध्यम से) को संयोजित करने और कार्यालयों में कार्यभार की विशेषताओं और कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदारियों को संरेखित करने हेतु एक सुनियोजित दृष्टिकोण का निर्माण किया। बड़े राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के विभाजन से प्रशासनिक क्षमता, कार्यभार वितरण और क्षेत्रीय समूहों पर ध्यान केंद्रित करने में सुधार होगा, जिससे राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा कार्यों को मजबूती मिलेगी। विलय से संबंधित कार्यों का समेकन होगा, संगठनात्मक विखंडन कम होगा और सुसंगत प्रशासनिक संरचनाएं बनेंगी।

2.3.2 संवर्ग अनुकूलन – सीईए और सीआरए संवर्ग

संघ सरकार की 'केंद्रीय प्राप्तियों और व्यय' का लेखापरीक्षा अब तक कई संघीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाता था, जिसमें कैडर नियंत्रण कई संघीय और राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों और स्वतंत्र संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों में विकेंद्रीकृत था। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था और संवर्ग प्रबंधन में विसंगति के कारण लचीली तैनाती में बाधाएँ, मानव संसाधन का असमान वितरण और कुशल कर्मियों का अपर्याप्त उपयोग जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई। इसके अलावा, मुख्यालय में पदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर निर्भर था। इन समस्याओं के समाधान के लिए, दो केंद्रीकृत कैडर बनाए गए:

- **केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा (सीआरए) संवर्ग:** विशेष राजस्व लेखापरीक्षा क्षेत्र बनाने और सरकारी राजस्व संग्रहण के लेखा परीक्षा में गहन विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों से दो तिहाई तक कर्मचारियों को प्राप्ति और व्यय लेखापरीक्षा से स्थानांतरित करना, साथ ही डीजीए (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली और मुख्यालय के सीआरए ऊर्ध्वाधर को शामिल करना।

- **केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा (सीईए) संवर्ग:** इन कार्यालयों से शेष एक तिहाई कर्मचारियों को, साथ ही विशेष व्यय लेखापरीक्षा कार्यालयों (वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा सहित), अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, आरसीबीकेआई/सी और संबंधित मुख्यालयों के कर्मियों को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ स्थानांतरित किया जाएगा:

चित्र 51: केंद्रीकृत संवर्गों की विशेषताएं - सीआरए और सीईए

आर एंड ई के लेखापरीक्षा क्षेत्रों का सरेखण

- कार्यालयों और संवर्गों से स्वीकृत संख्या-बल तैयार कर एकीकृत, कार्य-उन्मुख संवर्ग बनाना।
- राजस्व और व्यय (आर एंड ई) के लेखापरीक्षा क्षेत्रों का सरेखण।

केंद्रीकृत संवर्ग के माध्यम से कार्मिक प्रबंधन

- नए संवर्ग प्रबंधन ढाँचे के माध्यम से मानव संसाधनों का केंद्रीकृत शासन।
- कार्मिक प्रबंधन में निरंतरता और लचीलेपन में सुधार।

सीआरए और सीईए हेतु क्षेत्र विशेषज्ञता

- सीआरए संवर्ग का ध्यान राजस्व और प्राप्तियों के लेखापरीक्षा पर।
- सीईए संवर्ग का ध्यान व्यय लेखापरीक्षा पर।
- विशेषज्ञता का विकास और लेखापरीक्षा गुणवत्ता को सुदृढ़ करना।

जनवरी 2026 से प्रभावी कार्यान्वयन

- नए कैडर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए।
- विस्तृत परिचालन तौर-तरीके और संक्रमण ढाँचा जारी किया गया।

सीआरए संवर्ग राजस्व संग्रह के लेखापरीक्षा में विशेषज्ञता को बढ़ावा देगा, जबकि सीईए संवर्ग संघ सरकार के व्यय के लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।

संवर्ग अनुकूलन से मानकीकृत पद्धतियों और उन्नत संस्थागत क्षमता के माध्यम से संगठनात्मक प्रभावशीलता को मजबूत करने और लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और प्रासंगिकता में सुधार करने की उम्मीद है।

2.3.3 केंद्रीय रिपोर्ट स्कन्ध में वित्त एवं संचार के कार्य को शामिल करना

अप्रैल 2025 में विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की इष्टतम तैनाती हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिसमें वित्त एवं संचार (एफ एंड सी) विभाग से अतिरिक्त कर्मचारियों को रिपोर्ट केंद्रीय विंग में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई थी। परिणामस्वरूप, जून 2025 में एफ एंड सी विभाग का कार्य रिपोर्ट केंद्रीय विभाग में समाहित कर लिया गया। केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में पुनर्तैनाती हेतु 512 कर्मियों (92 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, 184 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक संवर्ग में 236 कर्मी) की स्वीकृत संख्या निर्धारित की गई थी। वर्ष के दौरान, पुनर्तैनाती हेतु उपलब्ध 45 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और 146 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को तदनुसार स्थानांतरित कर दिया गया।

2.4 रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु मंच

2.4.1 ब्रेकिंग साईलोज़ पर सम्मेलन

दो दिवसीय सम्मेलन, 'ब्रेकिंग साइलोज़ – तालमेल को बढ़ावा देना: सीएजी का रणनीतिक नेतृत्व' अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। इसमें 13 सत्रों के माध्यम से आईए एंड एडी के वरिष्ठ प्रबंधन और विभागाध्यक्षों के साथ-साथ आमंत्रित अतिथि वक्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। सम्मेलन के परिणाम इस अध्याय के प्रमुख पहलों वाले अनुभाग में शामिल हैं।

चित्र 52: ब्रेकिंग साईलोज़ पर आयोजित सम्मेलन के दौरान उप सीएजी (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समन्वय एवं विधि)



2.4.2 वरिष्ठ प्रबंधन बैठकें

वरिष्ठ प्रबंधन बैठकें, जो पहले सीएजी/डीएआई/एडीएआई स्तर की चर्चाओं तक सीमित थीं, अब क्षेत्रीय अधिकारियों की आभासी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तारित की गई हैं, जिससे वरिष्ठ स्तर की चर्चाओं और निर्णय लेने में उनकी व्यापक भागीदारी संभव हो सकेगी। इसका उपयोग ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा, वरिष्ठ प्रबंधन के निर्णयों और संबंधित कार्य बिंदुओं पर नज़र रखने के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया जा रहा है, ताकि निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत किया जा सके।

2.5 ज्ञान, कौशल और भविष्य के लिए तैयार लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का निर्माण

सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा और लेखांकन कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु सीएजी की प्रतिबद्धता में क्षमता निर्माण मुख्य महत्व रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (के एंड सीबी) विंग विभाग क्षमता निर्माण पहल की योजना बनाने, समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। चार अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और ग्यारह क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों/केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से, यह विंग भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कर्मियों के व्यावसायिक विकास, विशेषज्ञता और सतत अधिगम को बढ़ावा देता है। इस संस्थागत प्रशिक्षण प्रणाली ने 2025-26 में विभिन्न संवर्गों और कार्यात्मक क्षेत्रों के 37,636 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए, आंतरिक प्रशिक्षणों सहित 2,197 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

शिमला स्थित राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए है और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आईए एंड एएस के भावी नेताओं को तैयार कर रही है। अपने प्रशिक्षण कार्यों के अतिरिक्त, एनएएए मंथन–भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा एवं लेखांकन का जर्नल के निर्माण और प्रकाशन का भी संचालन करती है यह जर्नल ज्ञान, अनुसंधान और उभरते दृष्टिकोणों के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा और लेखांकन के क्षेत्रों में विचार नेतृत्व, पेशेवर उत्कृष्टता, नवाचार और साक्ष्य-आधारित प्रवचन के लिए आईए और एडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।। वित्तीय लेखापरीक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएफए), जिसकी स्थापना 2025-26 के दौरान कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा और इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए उन्नत एआई/एमएल आधारित विश्लेषण के उपयोग हेतु की गई है, हैदराबाद में एनएएए के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके पूरक के रूप में, सीएजी के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान जैसे आईसीआईएसए, आईसीईडी और आईसीएएल, आईटी सिस्टम, पर्यावरण, स्थानीय शासन और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डोमेन-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

चित्र 53: भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा एवं लेखांकन जर्नल 'मंथन' का उद्घाटन संस्करण



इन संस्थानों के माध्यम से, सीएजी के क्षमता-निर्माण प्रयास अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सहयोग वैश्विक स्तर पर भी विस्तारित होते हैं, जिससे विश्व भर में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों हेतु ज्ञान भागीदार के रूप में इसकी भूमिका मजबूत होती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस प्रतिवेदन के खंड 3.3 में "सीमाओं से परे: हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध" भाग देखें।

पिछले कुछ वर्षों में, विभाग ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, सभी कर्मचारियों के बीच डिजिटल शिक्षा, दक्षता विकास और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने के प्रयासों को तेज किया है। सीएजी ने

चित्र 54: सीओईएफए द्वारा एनटीपीसी पीएमआई, नोएडा में भा.ले.प. एवं ले.वि. अधिकारियों हेतु आयोजित एसएपी हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण



नए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के अनुपालन लेखापरीक्षा, ई-लर्निंग मॉड्यूल के विकास और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) तथा कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के साथ सहयोग में अग्रणी भूमिका निभाई है, ताकि विभिन्न स्तरों के अधिकारी डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। संस्थान उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षा /लेखा उत्पाद प्रदान करने और पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास को निरंतर सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2.5.1 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य सूचना साझीदारों के साथ विशेष गठजोड़

सीएजी की क्षमता निर्माण पहलों का एक प्रमुख फोकस पारंपरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों, पेशेवर दक्षताओं और उन्नत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों को इसके कामकाज में शामिल करने पर रहा है। इसके लिए सीएजी ने रणनीतिक साझेदारी की और 2025-26 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और अन्य ज्ञान भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

क. आईआईएम कोझिकोड के साथ सहभागिता

आईए एंड एडी द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता, एकरूपता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड (आईआईएम कोझिकोड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग निष्पादन लेखापरिक्षाओं के लिए मॉडल फ्रेमवर्क विकसित करने, लेखापरीक्षा पद्धतियों को सुदृढ़ करने और लेखापरीक्षकों की दक्षताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण पहलों के अंतर्गत, 2025-26 के दौरान

नेतृत्व कोचिंग पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आईए एंड एएस अधिकारियों की नेतृत्व और प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना था, विशेष रूप से लेखापरीक्षा टीमों का नेतृत्व करने और जटिल लेखापरीक्षा कार्यों का प्रबंधन करने में। 2025-26 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 20 आईए एंड एएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. एनआईयूए के साथ समझौता ज्ञापन

शहरी शासन के क्षेत्र में लेखापरीक्षा क्षमता को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग पाठ्यक्रम विकास, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक सामुदायिक अभ्यास की स्थापना के माध्यम से शहरी अवसंरचना, नगरपालिका वित्त और जलवायु-लचीले शहरी विकास से संबंधित लेखापरीक्षा पद्धतियों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। क्षमता निर्माण पहलों के तहत, "शहर हेतु योजना" की अवधारणा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लेखापरीक्षा से संबंधित शहरी नियोजन और विकास के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों में व्यावहारिक केस स्टडी का भी उपयोग किया गया ताकि अधिकारी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से शहरी नियोजन के मुद्दों का विश्लेषण कर सकें और अपने लेखापरीक्षा कार्यों में इस ज्ञान को लागू कर सकें। शहरी क्षेत्र की लेखापरीक्षाओं में लगे कुल 134 अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया, जिससे शहरी नियोजन की उनकी समझ और शहरी शासन और सेवा वितरण की लेखापरीक्षाओं में प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई।

चित्र 55: शहरी विकास और शासन पर कार्यशाला



ग. आईसीएआई के साथ समझौता ज्ञापन

लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों, ईआरपी-आधारित लेखापरीक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा और प्रौद्योगिकी-आधारित लेखापरीक्षा परिवेश में व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। 2025-26 के दौरान, हैदराबाद और जयपुर स्थित आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्रों में सात कार्यक्रम (चार उन्नत स्तर और तीन प्रवेश स्तर) आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 350 एसएओ और एएओ को प्रशिक्षण दिया गया। भारत के सीएजी और आईसीएआई के बीच हुए व्यापक समझौता ज्ञापन के तहत, वित्तीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, संयुक्त अनुसंधान, प्रकाशन और संसाधन व्यक्तियों के साझाकरण हेतु आईसीएआई और एनएएए के सीओईएफए के बीच 2025-26 में एक फ्रेमवर्क समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया।

चित्र 56: हैदराबाद स्थित आईसीएआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आईए एंड एडी अधिकारियों का क्षमता निर्माण



घ. आईआईएम अहमदाबाद के साथ समझौता ज्ञापन

विद्युत और रेलवे क्षेत्रों में लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और प्रभाव को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग इन क्षेत्रों में मौजूदा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के व्यवस्थित मूल्यांकन पर केंद्रित है, ताकि सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सके। इसमें वैश्विक मानकों और अग्रणी कार्यप्रणालियों के विरुद्ध मौजूदा कार्यप्रणालियों का बेंचमार्किंग करके लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के अवसरों की पहचान करना भी शामिल है। यह सहयोग क्षेत्र-विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों के विकास में सहयोग करेगा, जिससे दक्षता, प्रभावशीलता, परिणाम और उभरते जोखिमों का बेहतर मूल्यांकन संभव हो सकेगा। इसका उद्देश्य संरचित ज्ञान साझाकरण और समकालीन प्रबंधन एवं क्षेत्रीय कार्यप्रणालियों से अवगत कराकर लेखापरीक्षकों की क्षमता को बढ़ाना भी है। इस पहल का उद्देश्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीतिगत प्रासंगिकता और प्रभाव को सुदृढ़ करना तथा लेखापरीक्षाओं को क्षेत्रीय शासन में निर्णय लेने और सुधार के लिए अधिक सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

ङ. आईआईएम मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन

क्षेत्र-विशिष्ट लेखापरीक्षा क्षमताओं और पेशेवर दक्षताओं को मजबूत करने हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई (आईआईएम मुंबई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा हेतु तेजी से प्रासंगिक हो रहे विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें रसद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, तेल और गैस तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) शामिल हैं। कार्यक्रमों ने अधिकारियों को क्षेत्रीय व्यावसायिक मॉडलों, परिचालन प्रक्रियाओं, वित्तीय और वाणिज्यिक संरचनाओं और संबंधित जोखिमों की समझ प्रदान की। रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर प्रशिक्षण में बहुआयामी रसद, खरीद, इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे अधिकारी दक्षता और लागत-मूल्य का बेहतर आकलन कर सके। पीपीपी-केंद्रित प्रशिक्षण ने पीपीपी ढांचे, परियोजना संरचना, खरीद, अनुबंध, जोखिम आवंटन और अवसंरचना वित्तपोषण की समझ को बढ़ाया। तेल और गैस क्षेत्र कार्यक्रम ने लेखापरीक्षा योजना, वित्तीय प्रबंधन और परिचालन प्रदर्शन से संबंधित क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान किए। कार्यक्रमों ने वैचारिक इनपुट को व्यावहारिक उदाहरणों और केस-आधारित शिक्षण के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा कार्यों में ज्ञान के अनुप्रयोग को मजबूत किया। इन कार्यक्रमों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, सहभागी अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में मानकीकृत और बेहतर लेखापरीक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, रूपरेखाएँ और अन्य व्यावहारिक उपकरण विकसित किए हैं। 2025-26 के दौरान, इस सहयोग के अंतर्गत 112 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता और क्षेत्र-विशिष्ट लेखापरीक्षा क्षमता में वृद्धि हुई।

चित्र 57: आईआईएम मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर प्रशिक्षण



च. सीबीडीटी के साथ समझौता ज्ञापन

आंकड़ा-आधारित लेखापरीक्षण और उभरती प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चूंकि दोनों संस्थानों के लक्ष्य एक समान हैं, इसलिए इस साझेदारी का उद्देश्य उन्नत आंकड़ा विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा संबंधी जानकारियों को साझा करना और रिमोट लेखापरीक्षा जैसी नवीन विधियों के उपयोग को बढ़ाना है। इस समझौते के तहत लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों और सीबीडीटी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह दोनों संगठनों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चित्र 58: डेटा-आधारित लेखापरीक्षण में क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए सीएजी और सीबीडीटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



छ. जनाग्रहा के साथ साझेदारी

जनाग्रहा के साथ साझेदारी नगर निगम के वित्तीय प्रबंधन, शहरी स्थानीय सरकार के लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के भीतर संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति कर रही है। एक प्रमुख कार्यप्रवाह एनएमएएम 2.0 का विकास है, जिसके तहत एक समकालीन, डिजिटल रूप से सक्षम नगरपालिका लेखा ढांचा स्थापित करने के प्रयास जारी हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग, पारदर्शिता और राज्य एवं संघ के लेखाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा देता है। यह साझेदारी नगरपालिका वित्त के डिजिटलीकरण के लिए एक चरणबद्ध रणनीति पर भी काम कर रहा है, जिसमें डेटा अंतरसंचालनीयता और विभिन्न प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारों के लिए डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। लेखापरीक्षा के क्षेत्र में, उनकी विशेषज्ञता तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) अभ्यास मार्गदर्शिका को मजबूत करने में सहायक है, जिसमें एक उन्नत अभ्यास मार्गदर्शिका, लेखापरीक्षा मैट्रिक्स और प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए क्षमता-निर्माण दृष्टिकोण का विकास शामिल है। बड़े शहरों का एक अग्रणी स्थान-आधारित लेखापरीक्षा कार्य चल रहा है, जिसमें शहरी स्थानीय सरकारों, अर्ध-सरकारी निकायों और अन्य सेवा-वितरण संस्थानों के लेखापरीक्षाओं को एक साथ लाया जा रहा है, जिसका ध्यान जीवन की सुगमता, व्यापार करने की सुगमता और शहरी शासन से संबंधित परिणामों पर केंद्रित है। यह लेखापरीक्षा शहरी सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चरणबद्ध तरीके से विषयों को शामिल करता है: 2026-27 में गतिशीलता, 2027-28 में जल और स्वच्छता, 2028-29 में आवास, और 2029-30 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन और रहने योग्य शहरी पर्यावरण।

वर्ष 2026-27 हेतु गतिशीलता (मोबिलिटी) की लेखापरीक्षा का कार्य वर्तमान में चल रहा है, जिसमें चयनित शहरों की गतिशीलता प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस सहयोग में युवा पेशेवर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना भी शामिल है, जिसमें जनाग्रहा कार्यक्रम के डिजाइन, भर्ती और प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और निरंतर कार्यक्रम प्रबंधन में सहयोग कर रहा है। इन पहलों को स्थानीय सरकार की लेखापरीक्षा और जवाबदेही हेतु एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रयासों द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जिसमें नागरिक समाज और शिक्षाविदों के साथ जुड़ाव और ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल है।

चित्र 59: एनएमएएम 2.0 की शुरुआत हेतु 16 सितंबर 2025 को जनाग्रहा के सहयोग से आईसीएएल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला।



ज. एनआईपीएफपी के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक वित्त, सरकारी लेखांकन और राजकोषीय रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग सार्वजनिक वित्त की जांच हेतु लेखापरीक्षा पद्धतियों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गुणवत्ता और विश्लेषणात्मक गहराई को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें राजकोषीय रुझानों, व्यय पैटर्न और उभरते मुद्दों के अधिक व्यापक मूल्यांकन में सहायता के लिए सार्वजनिक व्यय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक ढांचे विकसित करने की भी परिकल्पना की गई है। यह सहयोग सार्वजनिक वित्त में विशेष ज्ञान और अनुसंधान विशेषज्ञता तक पहुंच को सुगम बनाएगा और लेखापरीक्षा में समकालीन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के अधिक अनुप्रयोग को सक्षम करेगा। समझौता ज्ञापन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंचों की परिकल्पना की गई है ताकि लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अधिकारियों के बीच निरंतर व्यावसायिक विकास और ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत करना और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में अधिक साक्ष्य-आधारित, अंतर्दृष्टिपूर्ण और नीति-प्रासंगिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग में योगदान देना है।

चित्र 60: शोधकर्ताओं और शिक्षकों हेतु एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित सार्वजनिक वित्त पर कार्यशाला



झ. आईपीएआई के साथ समझौता ज्ञापन

लेखापरीक्षा की गुणवत्ता और साक्ष्य-आधारित वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया (आईपीएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखापरीक्षा, सार्वजनिक व्यय और शासन के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी सहायता और ज्ञान साझाकरण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा पद्धतियों और मूल्यवर्धित लेखापरीक्षा उत्पादों को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से, क्षमता निर्माण के लिए, एसएएस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की सहायता हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए स्व-अध्ययन मॉड्यूल बनाने हेतु आईपीएआई की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है।

ञ. जीएसटी लेखापरीक्षा विभाग ने विशिष्ट क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत साझेदारियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से जीएसटी विवरण की जांच (डीओआरएफ चरण-III), जीएसटी धनवापसी और आयात एवं निर्यात व्यापार सुगमीकरण जैसे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ट. रक्षा विंग ने विशिष्ट संस्थानों और प्रतिष्ठानों के साथ क्षमता निर्माण संबंधी व्यापक गतिविधियाँ भी शुरू कीं। संयुक्त अनुसंधान, संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएँ, विशेषज्ञ आदान-प्रदान, अध्ययनों का प्रकाशन और रक्षा-विशिष्ट क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए मार्च 2026 में एमपी-आईडीएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ठ. कार्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय समझ को गहन करने के लिए क्षमता निर्माण संस्थानों और बाहरी विशेषज्ञों की सहायता भी ली गई। रांची स्थित डीजीए (स्टील) ने एकीकृत इस्पात संयंत्र संचालन पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए एसएआईएल के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के साथ समन्वय किया।

2.5.2 एआई/एमएल और उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

सार्वजनिक लेखापरीक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों हेतु लक्षित क्षमता निर्माण उपाय किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के अनुकूल लेखापरीक्षा कार्यबल तैयार करना, डेटा-आधारित लेखापरीक्षा पद्धतियों को मजबूत करना और लेखापरीक्षा/लेखांकन में विकसित हो रही शासन प्रणालियों से निपटने की संस्था की क्षमता को बढ़ाना था। 2025-26 में इस संबंध में कुछ प्रमुख गतिविधियाँ थीं - आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली सहित प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग करके लेखापरीक्षा पेशेवरों के लिए एआई/एमएल और डेटा एनालिटिक्स में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना।

- लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और डेटा विश्लेषण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत, डेटा साइंस, एआई, एमएल और साइबर सुरक्षा में एक व्यापक 9 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हाइब्रिड मोड में शुरू किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा को व्यावहारिक प्रयोगशालाओं, केस स्टडी और लेखापरीक्षा-केंद्रित डेटासेट के साथ जोड़ा गया है। इस पाठ्यक्रम में तीन बैचों में कुल 468 अधिकारी प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, युवा अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण कौशलों से लैस करने के लिए शिमला स्थित एनएएए में आईए एवं एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 360 घंटे का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आईए एवं एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं का पहला बैच वर्तमान में इस प्रशिक्षण से गुजर रहा है।

चित्र 61: भारत के सीएजी द्वारा क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात निदेशक, आईआईटी मद्रास का सम्मान



चित्र 62: आईआईटी मद्रास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कैपस्टोन परियोजना की प्रस्तुति





- सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुदृढ़ करने हेतु भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग भू-स्थानिक विश्लेषण, रिमोट सेंसिंग, एआई/एमएल-सक्षम अनुप्रयोगों, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों पर केंद्रित है, ताकि डेटा-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षाओं को समर्थन मिल सके। यह दृष्टिकोण भू-स्थानिक डेटा और विश्लेषण उपकरणों तक केंद्रीकृत पहुंच को सक्षम बनाकर लेखापरीक्षा के दायरे को बढ़ाता है और साक्ष्य-आधारित आकलन में सुधार करता है। बीआईएसएजी के सहयोग से, 20 कार्यालयों ने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में जीआईएस का उपयोग किया और 8 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए।
- आईआईटी मद्रास के सहयोग से, 2025-26 के दौरान आईसीईडी जयपुर में संस्थान भर के अधिकारियों के कई बैचों को "पर्यावरण लेखापरीक्षा और ईएसजी में एआई और एमएल का उपयोग" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईसीईडी ने 75 प्रतिभागियों के साथ दो बैचों की मेजबानी की। व्यापक पहुंच के लिए सीएजी एलएमएस पर होस्ट किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से इस पहल को और अधिक समर्थन दिया गया।
- आईसीआईएसए और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों के माध्यम से मशीन लर्निंग तकनीकों, गहन अध्ययन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और जनरेटिव एआई अनुप्रयोगों सहित एआई/एमएल उपकरणों का उपयोग करके डेटा-संचालित लेखापरीक्षण पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा से संबंधित उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव और परियोजना-आधारित शिक्षण शामिल था।
- आईआईटी दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में एआई-एमएल का उपयोग करके डेटा-संचालित लेखापरीक्षा पर पांच बैचों में कुल 250 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें प्रशिक्षण वास्तविक लेखापरीक्षा परिदृश्यों और उपयोग के मामलों पर आधारित था। प्रतिभागियों को विशिष्ट लेखापरीक्षा आवश्यकताओं हेतु विकसित तैयार, उपयोग में आसान एआई/एमएल टूल से परिचित कराया गया और उन्हें लेखापरीक्षा डेटा पर उनके अनुप्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। व्यावहारिक प्रशिक्षण से अधिकारियों को बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने, पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने और संभावित लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकालने के लिए इन टूल का उपयोग करने में मदद मिली। इस प्रकार, कार्यक्रम का उद्देश्य एआई/एमएल की वैचारिक समझ से आगे बढ़कर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में इसके व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित था।

चित्र 63: आईआईटी दिल्ली में आयोजित एआई-एमएल का उपयोग करके डेटा-संचालित लेखापरीक्षा में भाग लेने वालों के साथ भारत के सीएजी।



- सीडीएमए ने वधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डब्ल्यूजीडीटी) और आईसीईडी, जयपुर के सहयोग से 15-18 सितंबर 2025 तक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, "एआई चैंपियंस और एआई इनेबलर्स" का आयोजन किया। सत्रह अधिकारियों, जिन्हें "एआई चैंपियंस" के रूप में चुना गया था, ने अपने कार्यालयों में लेखापरीक्षा, पेंशन और अनुपालन कार्यों से संबंधित एआई/एमएल-आधारित समस्या विवरण तैयार किए और उन्हें सहयोगी स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कार्यशील समाधान विकसित करने के लिए जोड़ा गया। 16 परियोजनाओं में दस्तावेज़ जांच, वाउचर निष्कर्षण, भू-स्थानिक लेखापरीक्षा और बहुभाषी मसौदा तैयार करने सहित विविध अनुप्रयोग शामिल थे। डब्ल्यूजीडीटी ने कार्यक्रम हेतु सह-संयोजक और क्षमता-निर्माण भागीदार के रूप में कार्य किया और दो परियोजनाओं के लिए तकनीकी/विक्रेता भागीदार के रूप में भी शामिल था। एआई चैंपियंस और एआई इनेबलर्स कार्यक्रम के तहत विकसित परिपक्व प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) को लेखापरीक्षा दिवस 2025 के दौरान प्रदर्शित किया गया, जिसमें विशिष्ट संस्थागत और लेखापरीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित व्यावहारिक एआई/एमएल अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया गया।

चित्र 64: जयपुर में आईसीईडी में एआई चैंपियंस और एनबलर्स की कार्यशाला



ये समझौता ज्ञापन और साझेदारी अधिकारियों को लेखापरीक्षा चक्र में एआई/एमएल और डेटा एनालिटिक्स उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने और जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा योजना, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग में क्षमताओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण थे।

2.5.3 नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

के एंड सीबी विंग ने आईए एंड एएस अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संशोधित किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- कोझिकोड स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों के दो बैचों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना, कार्यकारी कोचिंग, सचेतनता, हितधारकों के साथ सहभागिता और पारस्परिक प्रभावशीलता को बढ़ावा देना था। संवादात्मक सत्रों, केस स्टडी चर्चाओं और अनुभवात्मक शिक्षण के संयोजन के माध्यम से, प्रतिभागियों को समकालीन नेतृत्व पद्धतियों से परिचित कराया गया, जिनका उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता, टीम प्रबंधन और संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाना था।

चित्र 65: आईआईएम कोझिकोड द्वारा आयोजित नेतृत्व प्रशिक्षण



- कॉम्पिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत, नेतृत्व, संचार, व्यवहारिक और अन्य गैर-संज्ञानात्मक दक्षताओं के विकास के माध्यम से लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण पहलों को मजबूत करने हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह सहयोग सभी स्तरों पर व्यावसायिक प्रभावशीलता, प्रबंधकीय क्षमताओं और नेतृत्व विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष के दौरान, 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 173 आईए एवं एएस अधिकारियों और 631 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया।

चित्र 66: सीएमआई के सहयोग से आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण



2.5.4 नवागत एवं मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

करियर के विभिन्न चरणों में कार्मिकों का व्यावसायिक विकास संस्थान के लिए एक मुख्य प्राथमिकता बना हुआ है। प्रवेश, मध्यवर्ती तथा वरिष्ठ स्तरों पर दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत प्रशिक्षण, विषय-विशिष्ट कार्यक्रमों और सहयोगात्मक अधिगम पहलों के समन्वय के माध्यम से संरचित प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की गईं:

चित्र 67: नवागत एवं मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

करियर पड़ावों पर आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए मध्य-करियर प्रशिक्षण

- **कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** (7-9 वर्ष, 17 अधिकारी, आईआईएम बेंगलोर) विश्लेषण और नीति कौशल पर
- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी):** (14-16 वर्ष, 20 अधिकारी, आईआईएम अहमदाबाद और एनएएए) - प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता पर
- **उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एएमडीपी):** (26-28 वर्ष, 15 अधिकारी, आईएसबी हैदराबाद) रणनीतिक नेतृत्व और नीति क्षमताओं पर

इंडक्शन और फ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **एनएएए, शिमला** द्वारा आईएएंडएएस प्रशिक्षुओं (भूटान और मालदीव जैसे एसएआई सहित) के लिए **संरचित बहु-चरणीय इंडक्शन कार्यक्रम**
- विषयः सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखांकन, आईटी प्रणाली और शासन

कर्मचारियों के लिए वृहद स्तर पर मध्य-करियर प्रशिक्षण

- **एसएओ/एएओ के लिए पाँच-स्तरीय मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी), निर्धारित करियर चरणों पर आवधिक कौशल उन्नयन सहित।**
- **10,400 से अधिक एसएओ/एएओ** को प्रशिक्षित किया गया है (मार्च 2026 तक)

सेवा में एवं मध्य करियर विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- एनएएए, शिमला द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा, फॉरेंसिक साइंस और साइबर सुरक्षा में **विषयगत सेवाकालीन एवं मध्य-करियर प्रशिक्षण**
- **12 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 193 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया** (2025-26)

उपर्युक्त पहलों से विभिन्न संवर्गों और करियर के विभिन्न चरणों में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है, जिससे करियर के विभिन्न चरणों में भूमिका-आधारित दक्षताओं में वृद्धि होगी तथा नेतृत्व संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए तत्परता बढ़ेगी, इससे बदलती हुई शासन-व्यवस्था और प्रौद्योगिकी-आधारित लेखापरीक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने में सहायता मिलेगी।

2.5.5 ज्ञान एवं अधिगम पोर्टल

केएंडसीबी विंग एक प्रमुख प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण प्रभाग है। केएंडसीबी विंग ने विभाग भर में सतत व्यावसायिक विकास को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से एक प्रमुख डिजिटल पहल के रूप में ज्ञान एवं अधिगम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल में दो स्वतंत्र भाग हैं: अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) तथा केंद्रीकृत ज्ञान भंडार (सीकेआर)।

- **अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)** को ऑडिट दिवस 2025 के दौरान सभी स्तर के कार्मिकों के लिए संरचित अधिगम, स्व-गति प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास में सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-सक्षम मंच के रूप में शुरू किया गया था। अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम मुंबई, आईआईएम अहमदाबाद, एनआईयूए, आईसीएआई, आईआईएम कोझिकोड आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों की व्यापकता एवं सतत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे सत्रों को रिकॉर्ड किया जाता है एवं सीएजी के एलएमएस पर संरचित ई-लर्निंग मॉड्यूल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

➢ वर्ष 2025-26 के दौरान, https://learning.cag.gov.in पर उपलब्ध अधिगम प्रबंधन प्रणाली को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (भा.ले.प. एवं ले.वि.) में तकनीकी, कार्यात्मक, क्षेत्रीय एवं प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न स्व-गति अधिगम

मॉड्यूल एवं डिजिटल प्रशिक्षण संसाधनों से समृद्ध किया गया था। ये पाठ्यक्रम विभाग के डिजिटल रूपांतरण, आँकड़ा-आधारित लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग, उभरती प्रौद्योगिकियों एवं विशिष्ट लेखापरीक्षा क्षेत्रों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने में सहायक हैं। वर्तमान में एलएमएस में 116 उप-मॉड्यूल वाले 7 कार्यक्रम एवं 20 उप-मॉड्यूल वाले 4 कार्यशाला-संबंधी संसाधन उपलब्ध हैं।

- अब यह मंच अधिगम के विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिनमें स्व-गति मॉड्यूल तथा भूमिकाओं एवं दक्षताओं के अनुरूप निर्धारित अधिगम परिणामों वाले संरचित पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं।
- एलएमएस उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय एवं कहीं से भी सामग्री तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रशिक्षण गतिविधियों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें आकलन, प्रगति की निगरानी और प्रमाणन जैसी सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं, जो संरचित एवं परिणामोन्मुख अधिगम को बढ़ावा देती हैं।
- इसका उपयोग प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे सभी संवर्गों पर मानकीकृत एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। विभागीय अवसंरचना पर विकसित एवं स्थापित यह पोर्टल एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से संचालित है, जो सुरक्षित एवं निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करता है।

- **केंद्रीकृत ज्ञान भंडार (सीकेआर)** को एलएमएस के पूरक के रूप में एक केंद्रीकृत मंच के रूप में विकसित किया गया था, जिसका उपयोग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, नियमावली, नीति दस्तावेज, अनुसंधान परिणाम एवं मार्गदर्शन सामग्री सहित संस्थागत सूचना को संग्रहीत एवं प्रसारित करने के लिए किया जाता है।
  - सूचना भंडार के अभिकल्पन, प्रारूप निर्माण और परीक्षण के विभिन्न चरण पूरे किए जा चुके हैं तथा इसे विषय-वस्तु के कुशल प्रबंधन, सुव्यवस्थित प्रकाशन प्रक्रिया और सामग्री को सुगमता से खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है।
  - प्रशिक्षण मॉड्यूल के भीतर संदर्भ सामग्री तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाने एवं एक एकीकृत अधिगम एवं सूचना पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सीकेआर को एलएमएस के साथ एकीकृत करने की योजना चल रही है।

- **डोमेन स्तर पर क्षमता निर्माण:** वर्ष के दौरान, लेखांकन प्रक्रियाओं एवं वार्षिक लेखाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने, कार्यप्रवाहों का आधुनिकीकरण करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सीएजी कार्यालयों में क्षमता निर्माण संबंधी कई पहलें की गईं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार थीं:
  - रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा मुख्य लेखांकन एवं पेंशन संबंधी प्रणालियों पर क्षमता निर्माण संबंधी पहलें की गईं। इनमें रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान (डीपीटीआई), प्रयागराज के माध्यम से स्पर्श सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण, पीसीडीए, दिल्ली तथा सीडीए, पटना के माध्यम से ट्यूलिप पर प्रशिक्षण तथा सीडीए, पटना, सीजीडीए कार्यालय एवं सीजीडीए अधिकारी संस्थान, गुरुग्राम के माध्यम से नई संकलन प्रणाली (एनसीएस) पर प्रशिक्षण सम्मिलित थे।
  - पीसीडीए देहरादून कार्यालय में "वाउचरों की यात्रा" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य वाउचर प्रवाह, प्रसंस्करण चरणों एवं लेखापरीक्षा ट्रेल की समझ में सुधार करके लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना था।
  - भारतीय रेल में खरीद एवं भंडार प्रबंधन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, आरसीबीएंडकेआई, कोलकाता द्वारा जनवरी 2025 में रेलवे भंडार की लेखापरीक्षा पर पाँच दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खरीद प्रणालियों, भंडार लेखांकन, माल-सूची प्रबंधन

तथा सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सामग्री प्रबंधन मंचों सहित भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) और सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमएमआईएस) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। इन प्रशिक्षणों से उच्च-जोखिम वाले परिचालन क्षेत्रों में विषय-क्षेत्र विशेषज्ञता सुदृढ़ हुई तथा रेलवे में डिजिटल प्रणालियों और नियंत्रणों के आकलन की क्षमता में वृद्धि हुई।

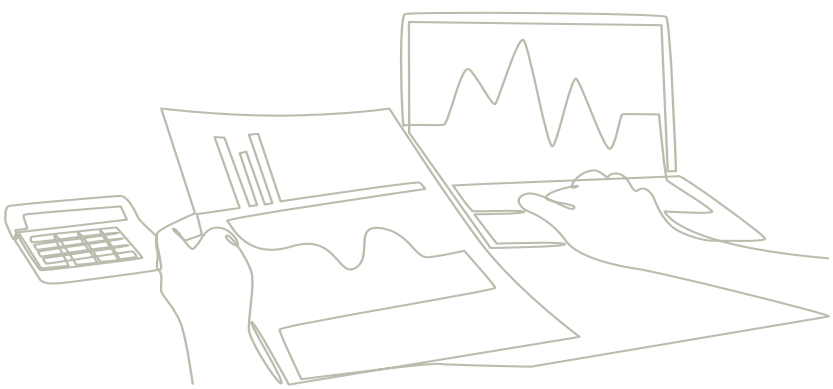
➢ क्षमता निर्माण के प्रयासों को व्यावहारिक एवं क्षेत्र-स्तरीय नवाचारों के माध्यम से भी सुदृढ़ किया गया। इनमें एआई-सक्षम डेटा निष्कर्षण, जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा योजना, पेंशन विश्लेषण एवं आँकड़ा-आधारित लेखापरीक्षा पद्धतियों से संबंधित पहलें सम्मिलित थीं। 2025-26 के दौरान, ओसीआर, पायथन-आधारित डेटा निष्कर्षण एवं विसंगति का पता लगाने से संबंधित कार्यशालाएँ आयोजित की गईं; एआई-संचालित लेखापरीक्षा उपकरण एवं अवधारणा के प्रमाण विकसित किए गए एवं बड़े लेन-देन संबंधी आँकड़ा-समुच्चयों पर उनका परीक्षण किया गया; व्यापक स्तर पर दोहराए जाने के लिए क्षेत्रीय आँकड़ा-आधारित लेखापरीक्षा कार्यशालाएँ आयोजित की गईं; तथा बिना-कोड विश्लेषण उपयोगिताओं एवं एलएलएम का उपयोग करते हुए बुद्धिमान डेटा-प्रसंस्करण समाधानों सहित डिजिटल उपकरण विकसित किए गए। सामूहिक रूप से, इन प्रयासों ने पूरे विभाग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और व्यापक स्तर पर लागू की जा सकने वाली लेखापरीक्षा पद्धतियों के प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित किया। समग्र रूप से, इन विकासों ने सीएजी के कार्यालयों में अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार लेखांकन परिवेश के निर्माण में योगदान दिया।

समग्र रूप से, इन पहलों के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे कि:

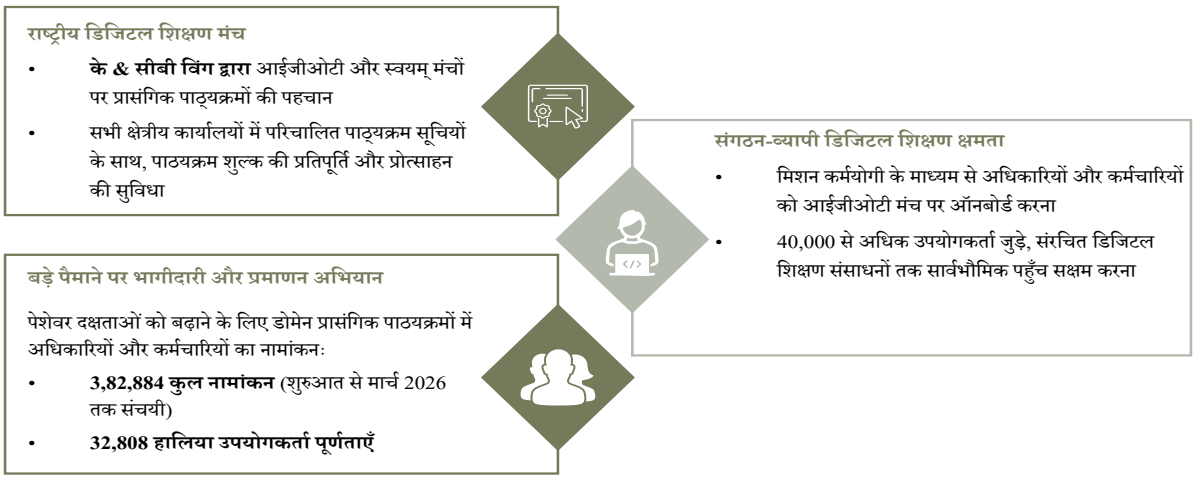
- भा.ले.प.एवं ले.वि. के भीतर एक अधिक संरचित, सुलभ एवं प्रौद्योगिकी-संचालित अधिगम एवं ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव।
- मानकीकृत एवं व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जो सतत कौशल विकास एवं अधिक सुसंगत अधिगम परिणामों का समर्थन करता है।
- एकीकृत अधिगम एवं ज्ञान-साझाकरण प्रणालियाँ, लचीले अधिगम विकल्पों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं, संस्थागत स्मृति एवं भागीदारी तक बेहतर पहुँच प्रदान करती हैं।

2.5.6 क्षमता निर्माण रणनीति में प्रमाणित ई-लर्निंग कार्यक्रमों का एकीकरण

एक बड़े तथा भौगोलिक रूप से विस्तृत कार्यबल के दक्षता उन्नयन एवं ऐसे ज्ञान प्रसार मंच बनाने के लिए जो सभी कार्यालयों में सुलभ हों, सीएजी इस उद्देश्य से डिजिटल मंचो का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही, ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (केएंडसीबी) विंग ने संगठन के सभी स्तरों पर आसानी से उपलब्ध एवं क्षमता-आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शुरू की हैं:



चित्र 68: ज्ञान पोर्टल एवं प्रमाणन

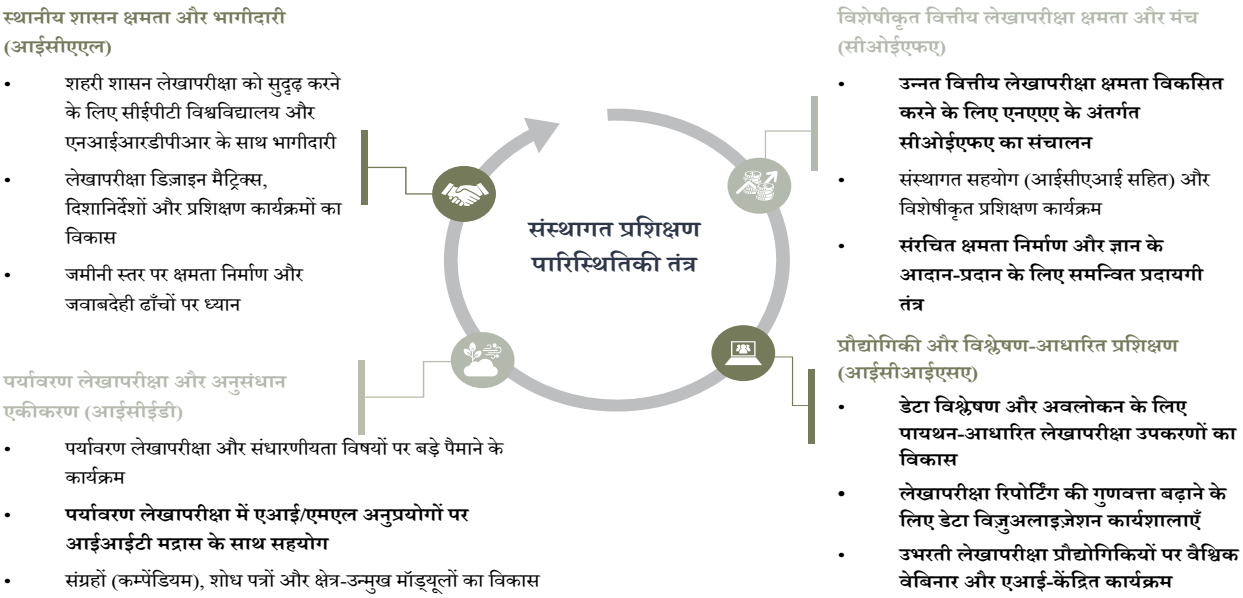


उपर्युक्त पहलों का प्रमुख अपेक्षित परिणाम सभी स्तरों पर तकनीकी दक्षता, प्रबंधकीय कौशल एवं सामाजिक एवं नेतृत्व कौशल का उन्नयन करना है।

2.5.7 संस्थागत प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण – एनएएए, सीओईएफए, आईसीआईएसए, आईसीईडी, आईसीएएल एवं एचईआई के साथ मिलकर

सीएजी ने अपने विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपनी क्षमता-निर्माण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया है। 2025-26 के दौरान, विषय-विशिष्ट अधिगम के विस्तार, उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण एवं संरचित ज्ञान रूपरेखाओं के विकास पर जोर दिया गया। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित थीं:

चित्र 69: संस्थागत प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत गतिविधियाँ



** आईसीएआई: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान; एनएएए: राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी; एनआईआरडीपीआर: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान*

इन गतिविधियों से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा है:

- अनुप्रयोग-उन्मुख प्रशिक्षणों को सुदृढ़ बनाना।
- लेखापरीक्षा/लेखांकन संबंधी बदलती आवश्यकताओं के साथ अधिगम परिणामों का संरेखण।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी, विश्लेषण एवं अनुसंधान का बेहतर एकीकरण, जिससे संस्थान को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम एवं तैयार बनाया जा सके।

2.5.8 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास

भारत के सीएजी ने साई इंडिया में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने, सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुदृढ़ करने तथा शासकीय कार्य में राजभाषा के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए। ये प्रयास निम्नलिखित पहलों में परिलक्षित हुए:

चित्र 70: भा.ले.प.एवं ले.वि. में राजभाषा प्रचार के मुख्य तत्व



बहुभाषी संचार एवं राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के भाग के रूप में, भारत के सीएजी ने 10 नवंबर 2025 को डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी) के साथ सीएजी-भाषिणी मंच को कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो एक एआई-आधारित बहुभाषी अनुवाद पारिस्थितिकी तंत्र है।

अनुवाद मॉड्यूल से शुरुआत करते हुए, इस मंच को वाक्-से-पाठ (स्पीच-टू-टेक्स्ट), दस्तावेज़ एवं वीडियो अनुवाद जैसी अतिरिक्त क्षमताओं के साथ चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। इसे अपनाए जाने में सहायता हेतु प्रमुख सक्षमकारी उपायों में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सिंगल साइन-ऑन, डैशबोर्ड, एसओपी तथा नामित एसपीओसी सम्मिलित हैं।

आधिकारिक पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक विशेष सीएजी-भाषिणी शब्दावली (11,685 शब्द) विकसित की गई है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किए गए हैं। यह मंच वर्तमान में लॉन्च होने की प्रक्रिया में है एवं सितंबर 2026 तक इसके पूर्ण रूप से कार्यशील होने की अपेक्षा है।

इन पहलों के प्रमुख परिणाम पहले से ही परिलक्षित हो रहे हैं:

- डिजिटल और एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म के सहयोग से मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि।
- सीएजी में प्रशासनिक दक्षता, कर्मचारियों की सहभागिता तथा राजभाषा के संस्थागतकरण में वृद्धि।

2.5.9 दिशा-निर्देशों का विकास एवं प्रसार

एक सुदृढ़ और सुसंगत संगठनात्मक कार्यप्रवाह को सुगम बनाने के लिए, वर्ष 2025-26 में कई दिशानिर्देश जारी किए गए; इनको प्रसारित करने का मुख्य उद्देश्य पूरे संगठन में कार्य को सुव्यवस्थित करना और सभी विभागों में आपसी समझ को बेहतर बनाना था, ताकि संस्था एक गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सके। इनमें से कुछ प्रमुख दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

क. सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान और प्रसार को संस्थागत रूप देना

संस्थागत अधिगम को बढ़ावा देने और लेखापरीक्षा संबंधी जानकारियों के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (भा.ले.प.एवं ले.वि.) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा एवं कोषागार निरीक्षणों के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की पहचान, सत्यापन और प्रसार को संस्थागत रूप देने हेतु 2025 में एक एसओपी विकसित की गई। यह पहल सत्यापन योग्य लेखापरीक्षा साक्ष्यों द्वारा समर्थित और उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता एवं पुनरावृत्ति क्षमता के आकलन के आधार पर नवीन और प्रभावी कार्यप्रणालियों के दस्तावेजीकरण हेतु एक संरचित तंत्र स्थापित करती है। अनुमोदित कार्यप्रणालियों का प्रसार सीएजी अधिगम एवं ज्ञान पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और उन्हें सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के वार्षिक संकलन में संकलित किया जाता है, जिससे भा.ले.प.एवं ले.वि. के भीतर व्यापक ज्ञान साझाकरण संभव होता है और समान स्थिति वाले सरकारी संस्थानों में प्रभावी कार्यप्रणालियों को अपनाने में सुविधा होती है।

इस तरह की प्रथाओं के अभिलेखीकरण एवं प्रसार लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करके, इस पहल का उद्देश्य विभाग के भीतर ज्ञान साझाकरण को सुदृढ़ करने तथा सरकारी संस्थाओं में कुशल एवं पारदर्शी प्रशासनिक प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना है।

ख. अधिक जवाबदेही के लिए लेखापरीक्षा संरचना को सुदृढ़ बनाना

सीएजी की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) किसी राज्य के वित्तीय प्रबंधन का स्वतंत्र आकलन प्रस्तुत करती है। एसएफएआर इस बात का सुव्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं कि राज्य सार्वजनिक निधियों को किस प्रकार जुटाते, प्रबंधित एवं उपयोग करते हैं—जिससे विधायिकाओं एवं नागरिकों को राज्यों की कोषागार स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। इन रिपोर्टों की विश्लेषणात्मक गहनता, स्पष्टता और नीतिगत प्रासंगिकता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साई इंडिया ने 2025-26 में एसएफएआर रूपरेखा का पुनर्गठन किया। इसके लिए एक परामर्शात्मक और पुनरावृत्ति दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च-स्तरीय हितधारकों से प्राप्त 150 से अधिक सुझावों को समेकित किया गया तथा संयुक्त कार्यशालाओं के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नए मॉडल एसएफएआर को एक मार्गदर्शन नोट के साथ अपनाया गया, जिसे अगस्त 2025 में जारी किया गया।

संशोधित रूपरेखा का उद्देश्य हितधारकों के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की उपयोगिता में सुधार करना और साक्ष्य-आधारित निगरानी का समर्थन करना था। नए मॉडल एसएफएआर में किए गए प्रमुख सुधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- रिपोर्ट का सुव्यवस्थित तीन-अध्याय प्रारूप में पुनर्गठन।
- मानकीकृत प्रारूपों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का परिचय।
- एसएफएआर में अधिक मजबूत विश्लेषणात्मक घटक, जैसे कि गारंटी विश्लेषण, परिणाम-आधारित आकलन, राजकोषीय जोखिम आकलन सम्मिलित हैं।
- पठनीयता और सुगमता में सुधार के लिए दृश्य और डिजिटल संवर्द्धन।

ग. डेटा आधारित स्थापना लेखापरीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करना

2025-26 के दौरान, सीएजी ने वेतन, पेंशन और संबंधित कर्मचारी लाभों सहित स्थापना व्यय की लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आँकड़ा-आधारित स्थापना लेखापरीक्षा हेतु एक एसओपी जारी की।

- यह एसओपी आईएफएमएस, ई-एचआरएमएस, ई-पेंशन तथा संबद्ध प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध डिजिटलीकृत आँकड़ों के उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करती है, ताकि स्थापना लेखापरीक्षा को पारंपरिक नमूना-आधारित सत्यापन से आगे बढ़ाकर संपूर्ण आँकड़ा-संग्रह के जोखिम-आधारित एवं साक्ष्य-आधारित विश्लेषण की दिशा में ले जाया जा सके।
- इसमें डेटा अधिग्रहण, डेटा शुद्धिकरण, एकीकरण, फ़ीचर इंजीनियरिंग, नियम-आधारित जाँच और एल्गोरिदम-आधारित विसंगति पहचान के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। एसओपी लेखापरीक्षा कार्यालयों को डुप्लिकेट भुगतान, फर्जी कर्मचारी या पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद वेतन निकासी, पहचान की नकल, वेतनमान उल्लंघन, भत्ते में अनियमितताएँ और पेंशन संबंधी विसंगतियों जैसे संदिग्ध मामलों की पहचान करने में मार्गदर्शन करती है।
- एसओपी में चिह्नित मामलों के लक्षित क्षेत्रीय सत्यापन पर भी जोर दिया गया है और लेखापरीक्षा कार्यालयों, लेखा एवं हकदारी (ले.एवं ह.) कार्यालयों, आरसीबी एवं केआई, राज्य वित्त विभागों और एनआईसी के लिए उत्तरदायित्व केंद्रों को स्पष्ट किया गया है, जिससे राज्यों में आँकड़ा-आधारित स्थापना लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक संस्थागत कार्ययोजना प्रदान की जा सके।

घ. सामाजिक क्षेत्र में आँकड़ा-आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा पर एसओपी जारी करना

सीएजी ने 'सामाजिक क्षेत्र में डेटा-संचालित अनुपालन लेखापरीक्षा' पर एक एसओपी भी विकसित की, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से वितरित कल्याण-उन्मुख योजनाओं के तेजी से विस्तार को मान्यता दी गई, जो बड़े लाभार्थी डेटाबेस पर निर्भर करती हैं।

- यह एसओपी छात्रवृत्ति, पेंशन, बालिका कल्याण, विकलांगता सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसी लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के साथ आंकड़ा विश्लेषण को एकीकृत करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करती है।
- इसमें एक स्तरीकृत डेटा संरचना निर्धारित की गई है, जिसमें आंतरिक वित्तीय डेटा, योजना-विशिष्ट परिचालन डेटा तथा आय एवं जाति प्रमाण-पत्रों, शैक्षणिक अभिलेखों, दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों, बैंक विवरणों तथा सामाजिक जनगणना डेटासेट जैसे प्रति-सत्यापन डेटा सम्मिलित हैं।
- यह रूपरेखा लेखापरीक्षा दलों को आंकड़ों की सत्यता का परीक्षण करने, दोहराव का पता लगाने, पात्रता सत्यापित करने, पहचान के दुरुपयोग की पहचान करने और लेखापरीक्षा आच्छादन के लिए उच्च जोखिम वाले लाभार्थियों, भौगोलिक क्षेत्रों, डीडीओ और संस्थानों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है।
- एसओपी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों के लिए आंकड़ा विश्लेषण को सुलभ बनाने पर दिया गया बल है। इसमें बड़े डेटासेट के विश्लेषण के लिए एसक्यूएल, पोस्टग्रेएसक्यूएल, ज्यूपिटर, पायथन तथा एआई-सहायित प्रश्न समर्थन के उपयोग को स्पष्ट किया गया है, साथ ही यह स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि गोपनीय सरकारी अथवा लेखापरीक्षा डेटा को बाहरी एआई मंचों पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।
- एसओपी में लाभार्थी-आधारित योजनाओं के लिए मानकीकृत लेखापरीक्षा अभिकल्प मैट्रिक्स, कन्या सुमंगला और छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के लिए योजना-विशिष्ट जाँच, लेखापरीक्षा इकाइयों के चयन के लिए समग्र जोखिम स्कोरिंग और संरचित क्षेत्रीय सत्यापन उपकरणों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक रिपोर्टिंग और अनुशंसा रूपरेखा भी प्रदान की गई है, जो मुद्दा-आधारित निष्कर्षों, क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिरूपों और मूल कारण विश्लेषण को समेकित करके कार्रवाई योग्य अनुशंसाओं में परिणत करती है।

ङ. लोक निर्माण कार्यों के दूरस्थ-हाइब्रिड लेखापरीक्षा के लिए एसओपी जारी करना

लोक निर्माण कार्यों में पर्याप्त सार्वजनिक व्यय तथा इनकी जटिल परियोजना अवधि सम्मिलित है, जिनमें प्राक्कलन, निविदा, निष्पादन, बिलिंग, समापन और दोष दायित्व अवधि सम्मिलित हैं। लोक निर्माण कार्यों के दूरस्थ-हाइब्रिड लेखापरीक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एसओपी जारी की गई थी।

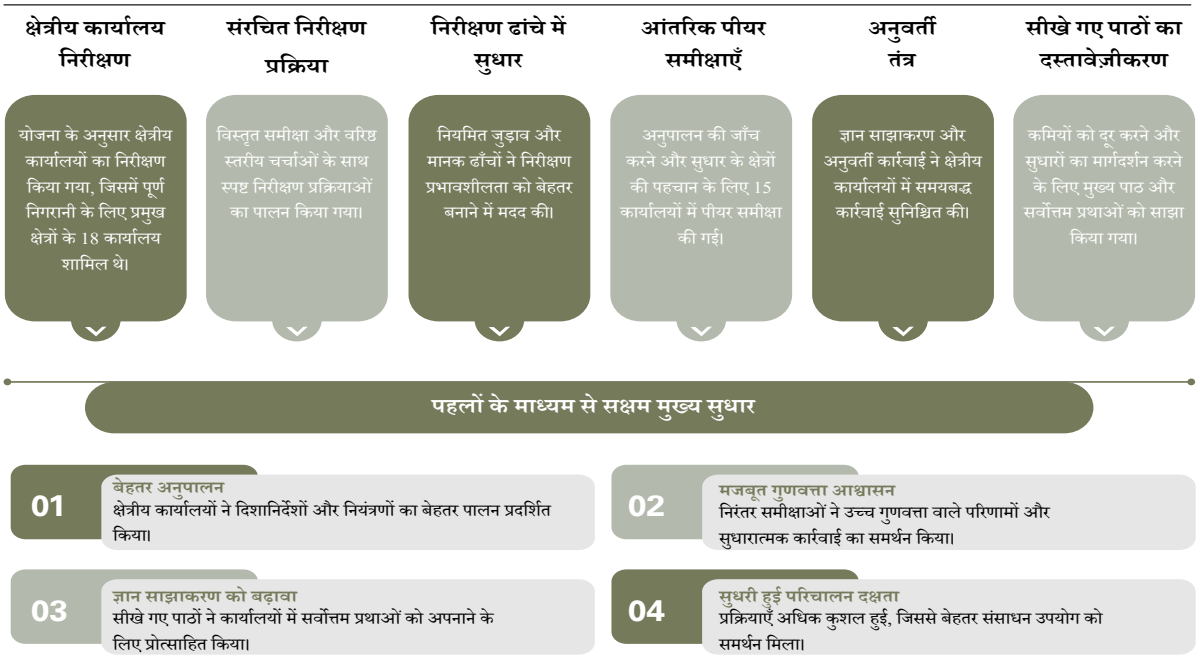
- यह एसओपी, पारंपरिक इकाई-केंद्रित एवं नमूना-आधारित निर्माण कार्य लेखापरीक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आंकड़ा-आधारित, जोखिम-आधारित रूपरेखा प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह रूपरेखा वित्तीय, लेखांकन, निविदा, अभियांत्रिकी तथा बाहरी डेटासेट को एकीकृत करती है।
- इसमें आसानी से उपलब्ध डेटासेट जैसे कि वीएलसी, मासिक निर्माण लेखे एवं आईएफएमएस डेटा का उपयोग करने वाला एक 'बेस मॉडल' और गहन विश्लेषण के लिए ई-प्रापण, वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (डब्ल्यूएएमआईएस), जीएसटी, खनन, परिवहन और अन्य बाहरी डेटा स्रोतों को सम्मिलित करने वाला एक 'एडवांस्ड मॉडल' दोनों प्रस्तुत किए गए हैं।
- एसओपी विभाग के भीतर विकसित महत्वपूर्ण आंतरिक नवोन्मेषों का भी प्रसार करता है, जिनमें ऑडिटवाइज़[4] (AuditWise), उत्तराखंड के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा विकसित एआई-सक्षम लेखापरीक्षा विश्लेषण मंच, तथा सिंचाई इंटेलिजेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (आईआईडीएमएस), उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय द्वारा विकसित प्रणाली सम्मिलित हैं।
- दूरस्थ विश्लेषण, क्षेत्रीय सत्यापन, विभागीय रिपोर्टिंग और फीडबैक को विश्लेषणात्मक मॉडलों से जोड़कर, एसओपी आवधिक, अन्वेषणात्मक निर्माण कार्य लेखापरीक्षा से अधिक गतिशील प्रणालीगत जोखिम आश्वासन मॉडल की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।

2.5.10 आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता आकलन

निरीक्षण एवं पीयर रिव्यू (आईएंडपीआर) विंग, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण और पीयर रिव्यू करके साई इंडिया में आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विंग व्यावसायिक मानकों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी प्रदान करता है, साथ ही प्रणालीगत कमियों की पहचान करता है और सुधारात्मक कार्रवाई में सहायता करता है। यह विंग लेखापरीक्षा और लेखा कार्यों में सतत सुधार के लिए ज्ञान साझा करने पर भी ध्यान देता है, जिसके लिए लक्षित निगरानी और समीक्षा गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है:

[4] ऑडिटवाइज़ के उपयोग के उदाहरण खंड 2.1.1 के अंतर्गत दिए गए हैं।

चित्र 71: साई इंडिया में नियंत्रण और गुणवत्ता आकलन की प्रमुख पहलें



2.5.11 संशोधित प्रशिक्षण रणनीति और क्षमता रूपरेखा

साई इंडिया अपने क्षमता निर्माण संस्थानों में प्रशिक्षण की योजना और वितरण के लिए रणनीति को नया रूप देने की प्रक्रिया में है।

- लेखापरीक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, डोमेन-आधारित और सतत क्षमता-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण रणनीति तैयार की गई है।
- कौशल संबंधी कमियों का समय-समय पर आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर लक्षित क्षमता-निर्माण उपाय करने के लिए एक संरचित दक्षता आकलन तंत्र विकसित किया जा रहा है।
- आरसीबीकेआई/सी का पुनर्गठन करके संस्थागत प्रशिक्षण संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे वे क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान केंद्र बन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान अंतर-विषयक (क्रॉस-कटिंग) क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- मानकीकृत प्रशिक्षण अनिवार्यताओं का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के लिए लक्षित 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण सम्मिलित है, जो कक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (एलएमएस/आईजीओटी) के संयोजन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेखापरीक्षा योजनाओं, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और आंकड़ा विश्लेषण, एआई और जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जा रहा है, जिसमें प्रकरण-आधारित अधिगम, सहकर्मी अनुभव-साझाकरण तथा अनुकरण अभ्यास पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- त्रिस्तरीय ट्रैकिंग प्रणाली, प्रशिक्षण दिवसों का इष्टतम आवंटन और आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करने वाले हाइब्रिड संकाय मॉडल को अपनाने के माध्यम से निगरानी और वितरण तंत्र को बेहतर बनाया जा रहा है।

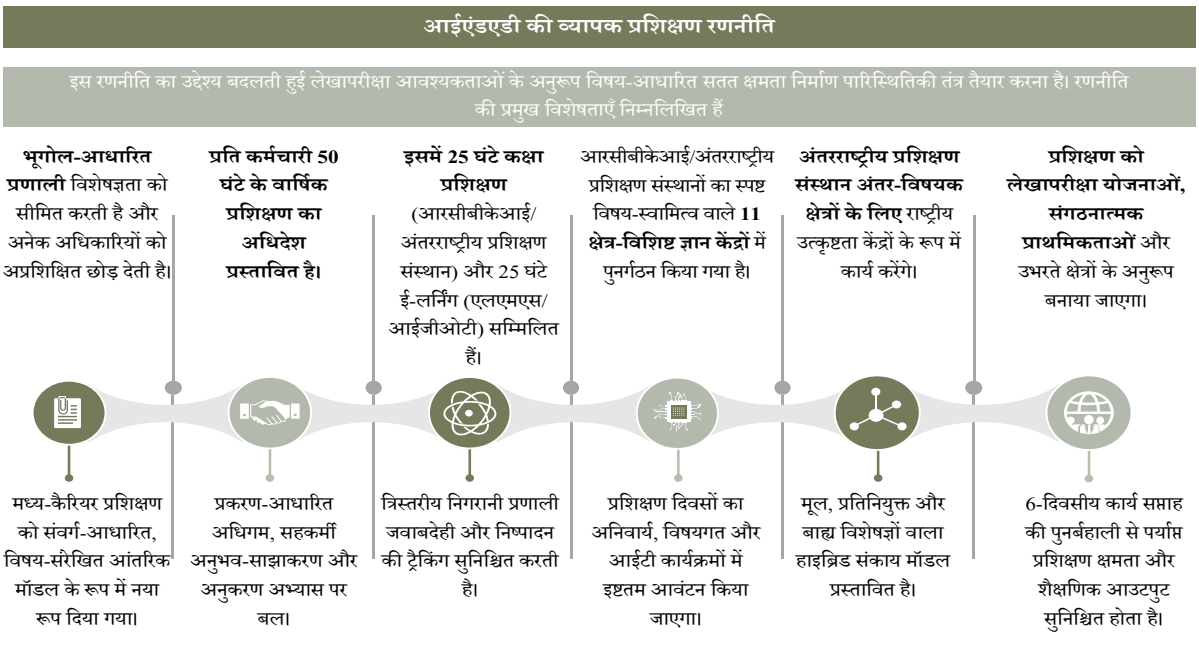
इससे अपेक्षित परिणाम निम्नलिखित हैं:

- प्रशिक्षण प्रणालियों और दक्षता रूपरेखाओं में समन्वय स्थापित किया गया, जिससे व्यापक प्रशिक्षण आच्छादन, कौशल विकास तथा विभिन्न कार्यात्मक

क्षेत्रों में अधिक दक्ष कार्मिक नियोजन और तैनाती को सहायता मिली।

- लेखापरीक्षा एवं शासन संबंधी बदलती चुनौतियों का सामना करने में संगठन की बेहतर चपलता तथा व्यावसायिक प्रभावशीलता।

चित्र 72: संशोधित प्रशिक्षण रणनीति



**आरसीबीकेआई: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान; आईजीओटी: एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण*

इसके अतिरिक्त, संगठन सभी स्तरों के कर्मियों के कौशल को परिभाषित करने, उनका आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु एक व्यापक दक्षता रूपरेखा विकसित कर रहा है। यह दक्षता रूपरेखा प्रौद्योगिकी-आधारित लेखापरीक्षा परिवेश में विभाग के विकसित होते अधिदेश के अनुरूप मूलभूत, कार्यात्मक और नेतृत्व संबंधी दक्षताओं की पहचान करता है। इसे दक्षता संबंधी अपेक्षाओं को मानकीकृत करने, भूमिका की स्पष्टता सुनिश्चित करने तथा पूरे संगठन में निरंतर व्यावसायिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

2.6 हितधारकों की सहभागिता में वृद्धि

ऐतिहासिक रूप से, सीएजी की बाहरी सहभागिता मुख्य रूप से संसद और राज्य विधानमंडलों में लेखापरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के संवैधानिक चक्र के माध्यम से होती थी, जिसके बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा उनकी जांच की जाती थी। इसमें वर्ष के दौरान आयोजित पीएसी और सीओपीयू की 732 बैठकें सम्मिलित थीं, जिनमें 1,297 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर चर्चा की गई और परिणामस्वरूप 151 पीएसी/सीओपीयू रिपोर्ट जारी की गईं। मंत्रालयों के साथ सहभागिता मुख्य रूप से विधायी और कार्यकारी तंत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर औपचारिक संचार के माध्यम से होती रही है, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित 2,485 कृत कार्रवाई नोट (एटीएन) का निपटारा किया गया। वर्ष 2025-26 ने इन औपचारिक मंचों से परे हितधारकों तक पहुंच और सहभागिता को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक निर्णायक बदलाव भी देखा गया, ताकि बहु-चैनल सहभागिता रणनीति अपनाई जा सके:

चित्र 73: लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान और लेखापरीक्षा के बाद हितधारकों को सम्मिलित करने के लिए सीएजी द्वारा अपनाई गई पहलें

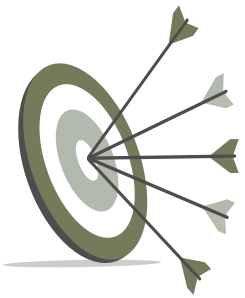
01 डिज़ाइन चरण के दौरान पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श

02 क्षैतिज लेखापरीक्षाओं के साथ प्रबंधन पत्र

03 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ट्रैक करने और मैनुअल अनुवर्ती कार्रवाई कम करने के लिए सीएजी कनेक्ट पोर्टल, ओआईओएस

04 उच्च स्तरीय सम्मेलन और हितधारक कार्यशाला का आयोजन

05 संगोष्ठियाँ



06 डिजिटल मीडिया

07 लेखापरीक्षा दिवस

08 लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

09 अन्य पहलें: लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम), इम्पैक्ट सेल इत्यादि।

**ओआईओएस: वन आईएएडी वन सिस्टम*

2.6.1 डिजाइन चरण के दौरान पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श और उच्च स्तरीय सम्मेलन

मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ प्रारंभिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा योजना क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और उभरते जोखिमों के साथ निकटता से संरेखित रहे इसके डिजाइन चरण के दौरान लेखापरीक्षा से पूर्व परामर्श किए गए।

2025-26 के दौरान, सीएजी कार्यालय ने सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज के प्रमुख हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलनों और परामर्शों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन मंचों का उद्देश्य लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय नीतिगत अनिवार्यताओं के अनुरूप स्थापित करना, निष्कर्षों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना और लेखापरीक्षित संस्थाओं और नियामक निकायों के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव को गहरा करना था।

क. रक्षा लेखापरीक्षा विंग द्वारा पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श

रक्षा लेखापरीक्षा विंग का प्रमुख हितधारकों (नीति निर्माताओं, रक्षा सेवाओं, लेखापरीक्षित संस्थाओं, उद्योग प्रतिनिधियों एवं विषय-वस्तु विशेषज्ञों सहित) के साथ सुनियोजित जुड़ाव इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण था। विंग ने विषयगत की समझ को बढ़ाने, प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने और लेखापरीक्षा विषयों को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से कई पहलें कीं।



केस स्टडी

रक्षा लेखापरीक्षा में नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों के साथ पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श

- **रणनीतिक दृष्टिकोण:** रक्षा विंग ने परिप्रेक्ष्य लेखापरीक्षा योजना के अंतर्गत पाँच प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए। ये क्षेत्र थे:
  - आत्मनिर्भरता,
  - संधारण,
  - सेवारत कार्मिकों का कल्याण,
  - अवसंरचना,
  - प्रौद्योगिकी रूपरेखा।

इन क्षेत्रों के साथ-साथ प्रस्तावित लेखापरीक्षा विषयों को रक्षा मंत्रालय के विभागों के सचिवों और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के साथ साझा किया गया, ताकि भविष्य की रक्षा प्राथमिकताओं के साथ उनकी प्रासंगिकता और अनुरूपता पर सुझाव प्राप्त किए जा सकें। बाद में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) द्वारा इन प्रमुख क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया।

- **हितधारकों की सहभागिता में वृद्धि:** रक्षा मंत्रालय, सेवा मुख्यालय, डीआरडीओ और रक्षा लेखा विभाग के साथ संरचित परामर्शों के माध्यम से लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया गया; डीआरडीओ और रक्षा उत्पादन के सचिवों और रक्षा संपदा के महानिदेशक सहित वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ विषयगत सत्र आयोजित किए गए; रक्षा क्षेत्र में ईओडीबी जैसे मुद्दों पर एसआईडीएम और सीआईआई के साथ उद्योग परामर्श आयोजित किए गए; रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एचएएल, बीईएल, बीईएमएल, बीडीएल, मिधानी), पेंशन प्राधिकरणों, आयुध कारखाने और शिपयार्ड रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ सहभागिता तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशीकरण, खरीद और स्पर्श पेंशन प्रणाली जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेषज्ञ कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

चित्र 74: रक्षा उद्योग के साथ संवादात्मक सत्र के दौरान सीएजी



इन प्रयासों से ऐसे उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हुए जिन्होंने लेखापरीक्षा की योजना और क्रियान्वयन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नए लेखापरीक्षा विषय, जैसे कि "पिछले दस वर्षों में डीआरडीओ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को सौंपे गए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणाम", एवं रक्षा क्षेत्र में ईओडीबी और एसपीएआरएसएच पेंशन प्रणालियों जैसी नियोजित लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित किया गया। हितधारकों के साथ रचनात्मक सहभागिता से लेखापरीक्षा संबंधी अनुशंसाओं की स्वीकार्यता बढ़ी और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों पर अधिक स्पष्टता प्राप्त हुई।

चित्र 75: रक्षा शिपयार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं के साथ संवादात्मक सत्र के दौरान उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रक्षा)



रेलवे लेखापरीक्षा विंग द्वारा पूर्व-लेखापरीक्षा परामर्श और अन्य विषयगत लेखापरीक्षाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए गए।

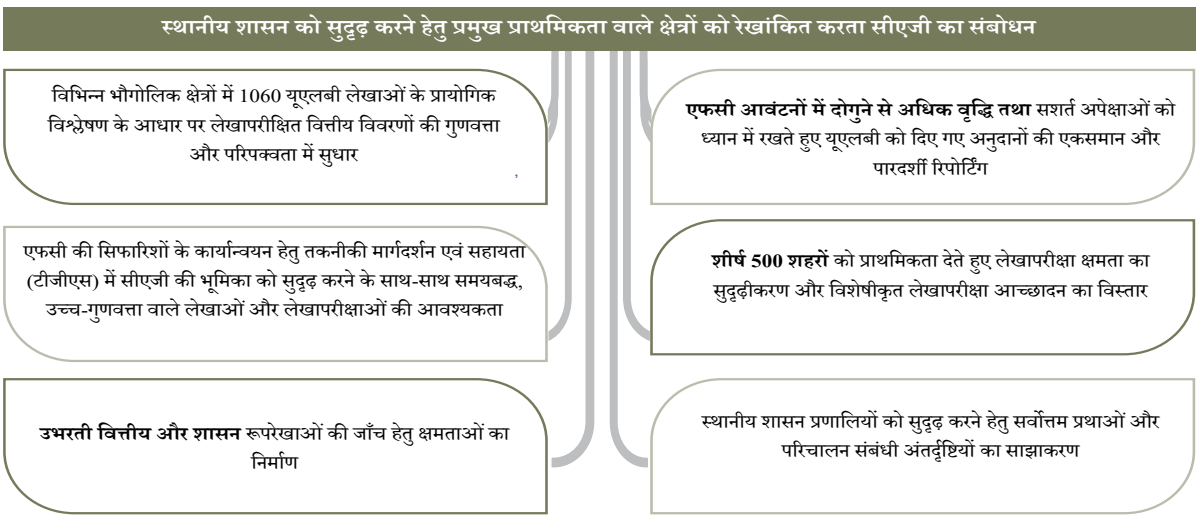
ख. स्थानीय शासन पर राज्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

मार्च 2026 में स्थानीय शासन पर राज्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और लेखापरीक्षा प्राधिकरणों सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि स्थानीय निकायों के वित्त, लेखांकन प्रथाओं और लेखापरीक्षा रूपरेखाओं में प्रणालीगत चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके।



सीएजी ने स्थानीय शासन में केंद्रित लेखापरीक्षा ध्यान और प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता वाले प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया।

चित्र 76: एलजीए सम्मेलन में सीएजी द्वारा उल्लिखित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र



**एफसी: वित्त आयोग; यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय*

इस सम्मेलन से लेखापरीक्षा, नीति और शासन संबंधी प्राथमिकताओं (विशेष रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए) के अनुरूप एक समन्वित बहु-हितधारक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है, जिससे स्थानीय शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को समर्थन मिलेगा।

ग. विद्युत क्षेत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन

विद्युत क्षेत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 23 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय विद्युत सचिव, राज्य विद्युत विभागों के सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसईसीआई, पीएफसी, ग्रिड-इंडिया और पीजीसीआईएल के सीएमडी और चयनित राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण पीएसयू के सीएमडी और एमडी सम्मिलित थे। सम्मेलन का उद्देश्य सामूहिक हितधारक अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों की पहचान करना था। सम्मेलन के परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यापक बहुवर्षीय लेखापरीक्षा योजना की घोषणा की गई। वर्ष 2026-27 के लिए मूल्य-श्रृंखला लेखापरीक्षाओं की योजना बनाई गई ताकि वितरण से संबंधित मुद्दों, जिनमें डिस्कॉम का निष्पादन, आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सम्मिलित है, की गहन जांच के लिए आधार तैयार किया जा सके।

घ. मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पहलों के लेखापरीक्षा पर हितधारकों के साथ परामर्श

21 नवंबर 2025 को, सीएजी के रेलवे लेखापरीक्षा विंग ने भारतीय रेलवे की मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पहलों के एकीकृत लेखापरीक्षा शुरू करने की घोषणा की, जिसमें लॉजिस्टिक्स हब और मूल-गंतव्य युग्मों के साथ प्रथम-मील एवं अंतिम-मील संपर्कता पर विशेष ध्यान दिया गया। लेखापरीक्षा अभिकल्प तैयार करने से पहले एक व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, लॉजिस्टिक्स से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक, पत्तन प्राधिकरणों के प्रमुख और सार्वजनिक एवं निजी माल तथा टर्मिनल संचालक सम्मिलित थे।

ङ. एमएसएमई के लिए व्यवसाय सुगमता पर पैन-इंडिया क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा

सीएजी ने नवंबर 2025 में एमएसएमई क्षेत्र में व्यवसाय सुगमता पर पैन-इंडिया क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा की घोषणा की। लेखापरीक्षा अभिकल्प को एफआईसीसीआई, सीआईआई, एसोचैम, एफआईएसएमई, एफओएसएमआई, एफएएसआईआई और पीएचडीसीसीआई सहित उद्योग निकायों के साथ-साथ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के एमएसएमई विभाग के साथ किए गए परामर्श के माध्यम से तैयार किया गया।

च. राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

राज्य वित्त सचिवों का दूसरा सम्मेलन 19 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, सभी राज्यों के वित्त सचिव, लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूर्ण-दिवसीय इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन का उद्देश्य बजट, लेखांकन और लेखापरीक्षा कार्यों में समन्वय को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, डेटा एकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के माध्यम से राज्य स्तरीय सुधारों को राष्ट्रीय राजकोषीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना था।

छ. "भारत में करदाताओं के लिए व्यवसाय सुगमता" पर कार्यशाला

"भारत में करदाताओं के लिए व्यवसाय सुगमता" पर लेखापरीक्षा के लिए हितधारक सहभागिता संबंधी एक कार्यशाला मुख्यालय स्थित प्रत्यक्ष कर विंग द्वारा 5 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। लेखापरीक्षा दलों के समक्ष आने वाले मुद्दों एवं बाधाओं तथा लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए आगे की कार्ययोजना पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई, एफआईसीसीआई के सदस्यों तथा अन्य प्रत्यक्ष कर विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया और प्रत्यक्ष कर कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में करदाताओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों एवं मुद्दों के संबंध में अपने विचार साझा किए।

ज. डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान श्रृंखला

सीएजी कार्यालय ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत व्याख्यानों का आयोजन किया, जिसमें प्रख्यात वक्ताओं और हितधारकों को एक साथ लाकर लोक नीति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इस व्याख्यान श्रृंखला ने लोक प्रशासन और लोक लेखापरीक्षा से संबंधित समसामयिक प्रासंगिकता वाले विषयों पर बौद्धिक सहभागिता और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

चित्र 77: इंफोसिस के सह-संस्थापक श्री क्रिस गोपालकृष्णन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय विकास पर एक सत्र।



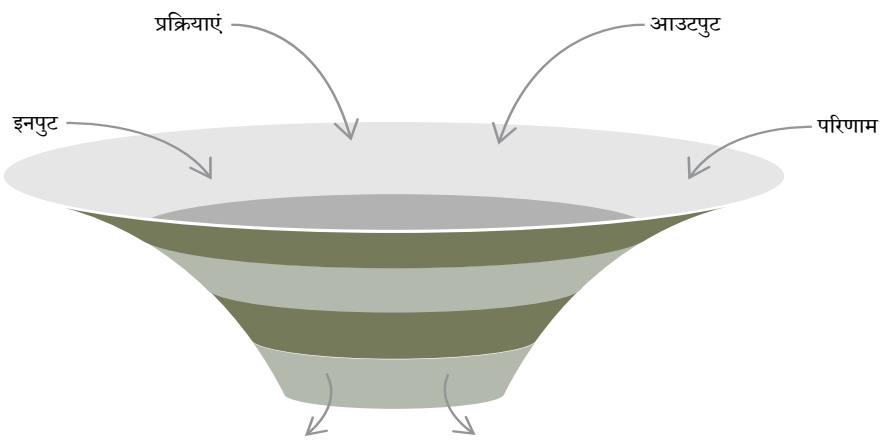
2.6.2 प्रबंधन पत्र

सीएजी संस्था द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पाद प्रबंधन पत्र था, जो राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को लक्षित करता था। इन पत्रों का उद्देश्य प्रत्येक लेखापरीक्षा क्षेत्र के लिए राज्यों में उपलब्धियों और सुधार के मुख्य क्षेत्रों सहित प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना था।

इन "प्रबंधन पत्रों" (एमएल) ने एक पूरक साधन के रूप में कार्य किया, जो निष्कर्षों, प्रगति और मूल कारणों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते थे और सीएजी को राज्यों के लिए एक प्रमुख आश्वासन भागीदार के रूप में स्थापित करते थे। इनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोक कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पादन में सुधार के लिए अनुशंसित अगले कदमों के संबंध में राज्यों को परामर्श दिया गया। इस उत्पाद का उद्देश्य अलग-थलग रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर मूल्यवर्धित, पूरक उत्पादों की ओर बढ़ना था जो वास्तविक प्रभाव को बढ़ाएं, विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में तुलनात्मकता को सक्षम बनाएं तथा संघ और राज्य सरकारों को जवाबदेही और प्रक्रियागत सुधारों को शीघ्र सुदृढ़ करने के लिए अनुशंसाएँ प्रदान करें।

चित्र 78: प्रबंधन पत्र तैयार करने की प्रक्रिया का प्रवाह

विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में समेकित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष



साक्ष्यों द्वारा समर्थित, विभिन्न योजनाओं में विषयगत अंतर्दृष्टि का कारण-प्रभाव विश्लेषण

सिस्टम-स्तरीय अंतर्दृष्टि	कार्रवाई योग्य सिफारिशें
पृथक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से हटकर कार्यक्रम प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन की ओर बदलाव, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालीगत पैटर्न प्रस्तुत करता है।	**व्यापक अनुप्रयोग के साथ संक्षिप्त, कार्रवाई योग्य सिफारिशें,** जो प्रणालीगत कमियों को दूर करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करती हैं।

इस वर्ष के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर प्रबंधन पत्र जारी किए गए:

- विभिन्न राज्यों में ई-प्रापण प्रणालियों की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा: शासन रूपरेखाओं, नियंत्रणों, पारदर्शिता और शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण में सुधार के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक प्रापण प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों (आईएफएमएस) का कार्यान्वयन और आगे का मार्ग: डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की परिपक्वता की जांच की गई, जिसमें अधिक स्वचालन, अंतरसंचालनीयता, साइबर सुरक्षा और डेटा-संचालित वित्तीय शासन के अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) के कल्याण की स्थिति और आगे की राह: पंजीकरण, उपकर संग्रह, कल्याणकारी लाभ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधान और संस्थागत शासन को सम्मिलित करते हुए निर्माण श्रमिक कल्याण रूपरेखाओं की प्रभावशीलता का आकलन किया गया, साथ ही लाभार्थियों तक पहुँच और सेवा वितरण में सुधार के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई।

इन पत्रों में कई राज्यों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संश्लेषण किया गया है ताकि क्षेत्रीय प्रगति का आकलन किया जा सके, प्रणालीगत शासन और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान की जा सके, सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर किया जा सके तथा संस्थागत प्रभावशीलता, डिजिटल परिवर्तन, सेवा वितरण और लाभार्थी परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक अनुशंसाएं प्रदान की जा सकें।

एमएल को अपनाने और व्यापक स्तर पर लागू किए जाने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की परिपक्वता, संस्थागत क्षमता और प्रक्रियागत प्रभावशीलता में भिन्नताओं को रेखांकित किए जाने की अपेक्षा है, जबकि एकीकृत क्षेत्र-स्तरीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक आश्वासन भागीदार के रूप में सीएजी की भूमिका को सुदृढ़ किया जाएगा और साई इंडिया को एक डेटा-संचालित और दूरदर्शी लेखापरीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

2.6.3 सीएजी-आईसीएसएसआर संगोष्ठी श्रृंखला

लेखापरीक्षा, शिक्षा जगत और लोक नीति के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, सीएजी ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सहयोग से लेखापरीक्षा, राजकोषीय शासन और जवाबदेही पर एक वर्षीय राष्ट्रीय संगोष्ठी श्रृंखला (नवंबर 2025 से नवंबर 2026) शुरू की।

चित्र 79: सीएजी-आईसीएसएसआर संगोष्ठी श्रृंखला

पहल में दो प्रमुख घटक शामिल हैं:

01

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईसीएसएसआर के समन्वय में संबंधित पीएजी/एजी कार्यालयों के माध्यम से राज्य-स्तरीय संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है

- 2025-26 के दौरान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, असम, मणिपुर राज्यों में छह तथा एक सरकारी लेखा स्कंध द्वारा संगोष्ठियाँ सफलतापूर्वक संपन्न की गईं।
- राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों (एसएफएआर) और अन्य राज्य-विशिष्ट विषयों पर केंद्रित।
- **वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत खामियों पर सीएजी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियाँ।**
- **लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि को समष्टि-आर्थिक परिणामों, इक्विटी और सार्वजनिक नीति से जोड़ते हुए शिक्षाविदों के प्रख्यात वक्ताओं के इनपुट।**

02

लेखापरीक्षा निष्कर्षों और शासन के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने वाली एक शोध लेख प्रतियोगिता का शुभारंभ

- प्रतियोगिता राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर है।
- देश भर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों के लिए खुला है।
- राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं की घोषणा **ऑडिट दिवस 2026** पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को राजकोषीय शासन, अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण से जोड़ने के लिए 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 31 संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

चित्र 80: प्रथम सीएजी-आईसीएसएसआर संगोष्ठी



चित्र 81: द्वितीय सीएजी-आईसीएसएसआर संगोष्ठी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य द्वारा भाग लिया गया



इस संगोष्ठी श्रृंखला से सतत संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से लेखापरीक्षा, अनुसंधान और शासन को जोड़ने वाला एक सतत ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित होने की अपेक्षा है। इससे अनुसंधान और नीति निर्माण में लेखापरीक्षित राजकोषीय आंकड़ों के गहन उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सार्वजनिक वित्त, व्यय और संस्थागत निष्पादन के साक्ष्य-आधारित विश्लेषण में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

2.6.4 ऑडिट दिवस और 32वें महालेखाकार सम्मेलन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और रणनीतिक दिशा निर्धारित करना

नवंबर 2025 में आयोजित ऑडिट दिवस और महालेखाकार सम्मेलन ने लोक लेखापरीक्षा की विरासत का स्मरण करने के साथ-साथ गतिशील शासन परिवेश में साई इंडिया की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत मंचों के रूप में कार्य किया।

- ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2025 को मनाया गया और ऑडिट दिवस के क्रम में 32वां महालेखाकार सम्मेलन 17 और 18 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। इन अवसरों ने साई इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शासन और सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

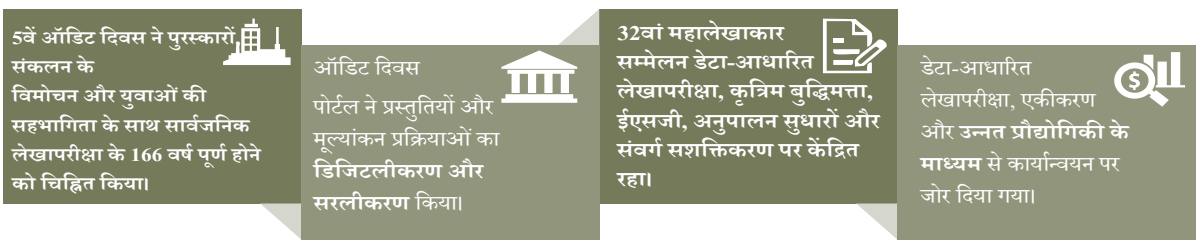
चित्र 82: ऑडिट दिवस 2025 के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का सीएजी द्वारा स्वागत।



- जहां ऑडिट दिवस में संस्थागत उपलब्धियों एवं जनसंपर्क को रेखांकित किया गया, वहीं एएसजी सम्मेलन ने उभरती चुनौतियों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में सीएजी की भावी दिशा निर्धारित करने के लिए एक सक्षम मंच प्रदान किया। 32वें महालेखाकार सम्मेलन का मुख्य विषय 'परिवर्तन का नेतृत्व करना और मूल्यों की पुष्टि करना: विश्वास, नवाचार, स्थिरता, जवाबदेही' था। सम्मेलन में डेटा-संचालित और एआई-सक्षम लेखापरीक्षा पद्धतियों को आगे बढ़ाने, वित्तीय और स्थानीय सरकारी लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने, लेखापरीक्षा प्रभाव आकलन को संस्थागत रूप देने और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन जैसी उभरती प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विचार-विमर्श में क्षमता निर्माण, नवाचार, ज्ञान साझाकरण और संगठनात्मक प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला गया।
- ऑडिट दिवस पर हुई विषयगत चर्चाओं ने सम्मेलन के एजेंडा को व्यावहारिक दिशा-निर्देशों में रूपांतरित किया। स्वायत्त निकायों के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण, अद्यतन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश और सुदृढ़

निगरानी व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया। ईएसजी संबंधी विचार-विमर्श में क्षमता निर्माण और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के समर्थन से लेखापरीक्षा नियोजन में स्थिरता संबंधी पहलुओं को एकीकृत करने का आह्वान किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा संबंधी चर्चाओं में दूरस्थ और हाइब्रिड लेखापरीक्षा सहित अधिक व्यवस्थित, जोखिम-आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोणों अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। संभागीय लेखाकार कैडर के लिए, सम्मेलन ने अनुसंधान, प्रशिक्षण और स्पष्ट भूमिका परिभाषा के माध्यम से कार्य लेखापरीक्षा और डेटा-गहन कार्यों में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की। सामूहिक रूप से, इन अनुशंसाओं ने अधिक विशिष्ट, प्रौद्योगिकी-सक्षम और परिणाम-उन्मुख लेखापरीक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान की।

चित्र 83: नवंबर 2025 में आयोजित 5वें ऑडिट दिवस और 32वें महालेखाकार सम्मेलन की मुख्य गतिविधियाँ और प्रमुख निष्कर्ष



इन रणनीतिक विचार-विमर्शों ने प्रौद्योगिकी-आधारित, डेटा-संचालित और भविष्य के लिए तैयार लेखापरीक्षा की दिशा में एक रोडमैप प्रदान किया। इन मंचों ने संस्थागत मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए, साई इंडिया की क्षमता को उभरती शासन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सुदृढ़ किया।

2.6.5 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) भारत के सीएजी के लिए लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता, दायरे और फोकस को बढ़ाने हेतु एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात बाह्य विशेषज्ञ और उप-सीएजी (पदेन) सम्मिलित होते हैं। इस बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है और यह सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के दायरे में लेखापरीक्षा के निष्पादन और फोकस में सुधार के लिए सुझाव देता है। जुलाई 2025 में गठित 12वें एएबी (द्विवार्षिक अवधि 2025-27) ने 2025-26 के दौरान दो बैठकों में निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों को शामिल करते हुए रणनीतिक विचार-विमर्श किया।

चित्र 84: 2025-26 में आयोजित 12वीं लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों के दौरान सम्मिलित विषय



बोर्ड ने लेखापरीक्षा पद्धतियों को अधिक सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए।

2.6.6 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

राज्यों में गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड, लेखापरीक्षा कार्यालयों के प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं तथा बाह्य सदस्यों का नामांकन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विषय-वस्तु विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से मनोनीत किया जाता है।

2.6.7 अन्य पहलें

औपचारिक हितधारक इंटरफेस के अतिरिक्त, साई इंडिया ने वर्ष के दौरान जुड़ाव, संचार और अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें कीं। इनमें लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर संरचित चर्चा के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम) और लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न परिणामों पर नज़र रखने के लिए प्रभाव प्रकोष्ठों का गठन सम्मिलित था।

क. राज्यों में हितधारक सहभागिता

जून 2025 में पंजाब में एक हितधारक सहभागिता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और विधायकों जो लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, उनके साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करना था। सम्मेलन में पीएसी/सीओपीयू के सदस्य, पंजाब विधानसभा के अधिकारी, पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीएजी के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पैनल चर्चाओं में "सुशासन के लिए उत्प्रेरक के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट" और "पंजाब में पर्यावरण संबंधी गंभीर मुद्दे और लेखापरीक्षा की भूमिका" पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन के बाद, लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

चित्र 85: उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) पीएसी और सीओपीयू के माननीय अध्यक्ष के साथ



ख. लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम)

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम) लेखापरीक्षा कार्यालयों और लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच संरचित संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती रहीं। इन बैठकों ने लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों पर केंद्रित ढंग से चर्चा करने, तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने और लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले ही मुद्दों के शीघ्र समाधान को सुगम बनाने का अवसर प्रदान किया। एसीएम, एंट्री एवं एक्ज़िट सम्मेलनों तथा लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों

पर चर्चा के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालयों ने लेखापरीक्षित संस्थाओं की प्रत्युत्तरदायिता में सुधार किया एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ किया। हितधारक सहभागिता का उपयोग परिचालन संबंधी चुनौतियों, प्रक्रियागत बाधाओं और उभरते जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया गया, जिससे अधिक प्रभावी और साक्ष्य-आधारित लेखापरीक्षाओं में सहायता मिली।

- वर्ष के दौरान, दिल्ली स्थित केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ व्यापक संवाद स्थापित किया। इन सहभागिताओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, लंबित पैराग्राफों, जोखिम वाले क्षेत्रों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई, जिससे समयबद्ध प्रत्युत्तर और प्रबंधन के साथ रचनात्मक संवाद संभव हो सका।
- एसीएम ने लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीएसटी लेखापरीक्षा में चेन्नई और कोच्चि कार्यालयों द्वारा आयोजित एसीएम में 414 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर चर्चा की गई, जिनमें से 229 को निपटान के लिए प्रस्तावित किया गया। इसी प्रकार, कृषि, खाद्य और जल संसाधन लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आयोजित एसीएम में 201 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 146 पैराग्राफों का निपटान हुआ।

समग्र रूप से, 2025-26 में मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहभागिता नियमित पत्राचार से आगे बढ़कर सहयोगात्मक और सतत सहभागिता का रूप लेती गई। इससे पैराग्राफों के शीघ्र निपटान, लेखाओं को समय पर अंतिम रूप दिए जाने तथा सीएजी कनेक्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की बेहतर निगरानी के लिए सहयोगात्मक सहमति के रूप में ठोस परिणाम प्राप्त हुए।

ग. इम्पैक्ट सेल्स के माध्यम से सहभागिता

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को केवल रिपोर्ट तक सीमित न रखकर, वास्तविक कार्रवाई होने तक उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यालयों में इम्पैक्ट सेल्स की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वसूली, प्रणालियों में परिवर्तन और सेवा वितरण में सुधार जैसे परिणामों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे इम्पैक्ट की पहचान और दस्तावेज़ीकरण में एकरूपता आएगी। इम्पैक्ट सेल द्वारा अपनाए गए विशिष्ट कार्यप्रवाह चरण इस प्रकार हैं:

- • इम्पैक्ट सेल्स लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और की गई कार्रवाई के संबंध में विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।
- प्रमुख मुद्दों को उजागर करने और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए प्रबंधन पत्र जारी किए जाते हैं।
- प्रभाव को नीतिगत परिवर्तनों, वसूलियों और प्रणालियों में सुधार के रूप में दर्ज किया जाता है।
- गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों को प्रवर्तन अभिकरणों को भेजा जाता है तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

सतत सहभागिता बनाए रखते हुए, प्रभाव प्रकोष्ठ ने निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए:

चित्र 86: इम्पैक्ट सेल नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त परिणाम



चित्र 87: मध्य प्रदेश में एआईसी की प्रभावशीलता को दर्शाने वाली कार्यात्मक रूपरेखा

मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा प्रभाव प्रकोष्ठ का एक प्रकरण अध्ययन

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

मध्य प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रभाव प्रकोष्ठ (एआईसी) सहभागिता के माध्यम से नीतिगत सुधारों, वसूलियों और प्रणालीगत परिवर्तनों को गति देकर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुवर्तन और प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी।

एआईसी के कार्य

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अनुवर्तन

प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करने वाले प्रबंधन पत्र जारी करता है की गई कार्रवाई - वसूली, अनुपालन संबंधी कार्रवाई तथा नीति/विनियामक परिवर्तनों की निगरानी करता है 11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच पूरी की गई (दिसंबर 2025)।

अनियमितताओं और सतर्कता मामलों की रिपोर्टिंग

संदिग्ध अनियमितता के मामलों को आर्थिक अपराध शाखा और लोकायुक्त को चिह्नित कर संदर्भित करना जाँच की प्रगति और परिणामों का अनुवर्तन करना

एआईसी की प्रभावशीलता

01 लेखापरीक्षा के बाद की कार्रवाई को सुदृढ़ करना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और संस्थाओं द्वारा अनुपालन के बीच सेतु का कार्य करता है

सुधारात्मक कार्रवाईयों की आँकड़ा-आधारित निगरानी के लिए प्रभाव-लॉग का उपयोग करता है

02 वसूली और नीतिगत परिवर्तन को बढ़ावा देना

7 महीनों के भीतर ₹89.41 करोड़ की वसूली

लेखापरीक्षा मुद्दों के आधार पर 8 प्रमुख क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार देखे गए

03 विधायी निगरानी में योगदान

विधायी जाँच के लिए संरचित इनपुट प्रदान करता है (जैसे, लोक लेखा समिति की चर्चाएं) नीति-निर्माताओं के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की कार्रवाई योग्यता में सुधार करता है

**ईओडब्ल्यू: आर्थिक अपराध शाखा; पीएसी: लोक लेखा समिति*

अध्याय 03

प्रमुख सक्षमकर्ता




AUDIT

03
प्रमुख सक्षमकर्ता

यह अध्याय साई इंडिया द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने और क्षमता निर्माण में समानांतर प्रगति के आधार पर कार्यबल और संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख सुधारों को प्रस्तुत करता है।

3.1 डिजिटल एवं डेटा रूपांतरण

साई इंडिया के डिजिटल रूप से एकीकृत संस्था में रूपांतरण की आधारशिला परस्पर संबद्ध प्राथमिकताओं पर आधारित है: कागजी लेखापरीक्षा कार्यप्रवाहों को शुरू से अंत तक डिजिटल प्रणालियों से प्रतिस्थापित करना, लेखापरीक्षा की गहराई और कवरेज बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षकों को आंकड़ा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम उपकरणों से सुसज्जित करना तथा बड़े पैमाने पर दूरस्थ और हाइब्रिड लेखापरीक्षा को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करना। ये सभी पहलें मिलकर प्रौद्योगिकी को क्रमिक रूप से अपनाने से हटकर लेखापरीक्षा की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और उसकी रिपोर्टिंग करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव में परिवर्तन को दर्शाती हैं।

3.1.1 एकीकृत लेखापरीक्षा प्रणाली

इस वर्ष के दौरान, एकीकृत लेखापरीक्षा मंचों के परिचालन और उन्नयन के माध्यम से डिजिटल लेखापरीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ किया गया। इसके लिए पहलों के एक व्यापक समूह के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए:

- वन आईएएडी वन सिस्टम (ओआईओएस) विभाग के लिए लेखापरीक्षा योजना, क्रियान्वयन, दस्तावेजीकरण, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख डिजिटल मंचों के रूप में कार्य करता रहा एवं मार्च 2026 तक यह रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों को छोड़कर सभी लेखापरीक्षा

और लेखा कार्यालयों में कार्यरत हो गया था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2026 में ओआईओएस के माध्यम से उन्नत सुविधाओं से युक्त लेखापरीक्षा योजना मॉड्यूल लागू किया गया, ताकि अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा योजनाओं को डिजिटल रूप से तैयार करने में सुविधा हो। केंद्रीकृत डैशबोर्ड और डिजिटल रिपोर्टिंग तंत्र ने बेहतर स्थिति निगरानी, लेखापरीक्षा जानकारी तक त्वरित पहुंच और अधिक सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान की।

- लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ डिजिटल संवाद को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, सीएजी कनेक्ट पोर्टल को नवंबर 2025 में शुरू किया गया, जिससे लेखापरीक्षित संस्थाएँ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और लेखापरीक्षा उत्पादों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकें; पोर्टल पर 55,000 से अधिक लेखापरीक्षित संस्थाओं को सक्रिय किया जा चुका था।
- क्षेत्रीय क्षमता निर्माण संस्थानों में कार्यात्मक हेल्पडेस्क ने प्रशिक्षण, पुनश्चर्या सत्रों, घटना प्रबंधन और उपयोगकर्ता सहायता के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया गया, जिससे प्रणाली को अपनाने तथा परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

इन उपायों के संयुक्त परिणाम स्वरूप कई लेखापरीक्षा कार्यप्रवाहों का क्रमिक डिजिटलीकरण हुआ, मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम हुई और सीएजी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समन्वय सुदृढ़ हुआ। इनमें से कुछ प्रणालियों/पोर्टलों के बारे में विस्तृत जानकारी आगामी पैराग्राफों में दी गई है:

क. वन आईएएडी वन सिस्टम (ओआईओएस)

साई इंडिया, जिसमें लगभग 38,762 कर्मियों का एक बड़ा और भौगोलिक रूप से फैला हुआ कार्यबल है, ऐतिहासिक रूप से कागज-आधारित अभिलेखों, स्वतंत्र डिजिटल फाइलों और स्थानीयकृत प्रणालियों के साथ काम करता रहा है, जिससे मानकीकरण और निर्बाध सूचना साझाकरण सीमित हो जाता है।

अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया वन आईएएडी वन सिस्टम (ओआईओएस) एक वर्कफ़्लो-आधारित, एंड-टू-एंड लेखापरीक्षा प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे एकमात्र विश्वसनीय सूचना स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह लेखापरीक्षा चक्र के सभी चरणों में वास्तविक समय में निष्पादन, निगरानी और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है।

चित्र 88: ओआईओएस पारिस्थितिकी तंत्र



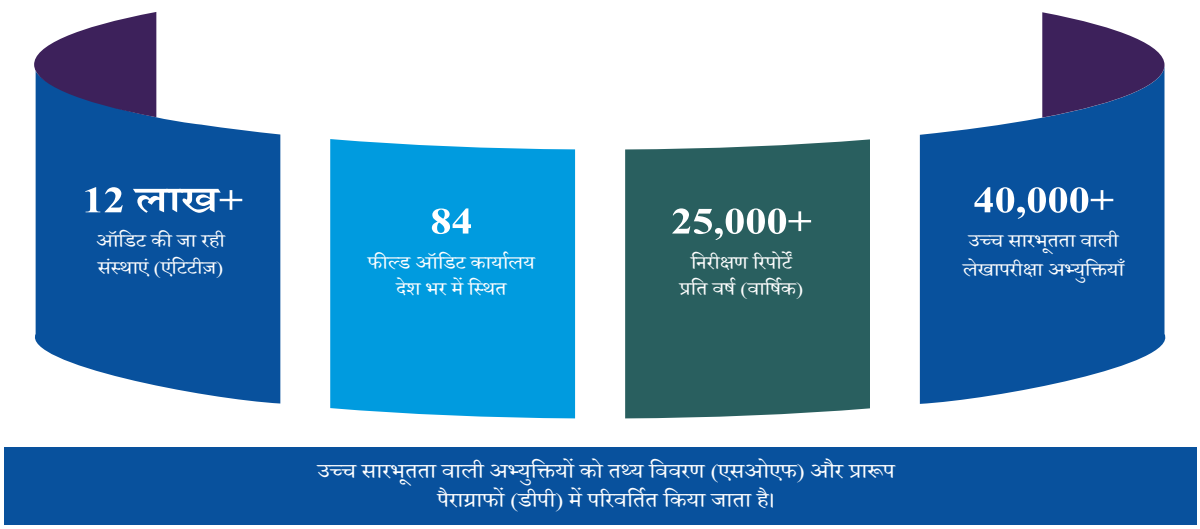
वर्ष 2025–26 के दौरान, ओआईओएस के संबंध में मुख्य ध्यान इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने और आंतरिक प्रणाली एकीकरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर की क्षमताओं को बढ़ाने पर रहा है। इस वर्ष ओआईओएस के संवर्धन से संबंधित कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- मोबाइल-आधारित डेटा संकलन के साथ-साथ स्कैनर अनुप्रयोग के माध्यम से सक्षम ऑफलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है, जिससे लेखापरीक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में भी साक्ष्य के रूप में भौगोलिक-टैगयुक्त छवियाँ, वीडियो और दस्तावेज संकलित एवं संलग्न कर सकते हैं।
- सीएजी कनेक्ट पोर्टल के साथ एकीकरण, जिससे आईएएंडएडी और लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच लेखापरीक्षा-संबंधी सूचना के वास्तविक समय में आदान-प्रदान के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस तैयार हुआ है। इस पोर्टल को अनुपालन लेखापरीक्षा (गैर-एसएससीए) के लिए परिचालित किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय दौरों के लिए मॉड्यूल उपलब्ध हैं तथा कार्यात्मक सहायता डेस्क वाले क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षित संस्थाओं को सक्रिय रूप से पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
- एजाइल स्क्रम पद्धति, जिसके अंतर्गत आईएएंडएडी (उत्पाद स्वामित्व) और प्रणाली एकीकरणकर्ता के बीच निरंतर सहभागिता के माध्यम से क्रमिक सुधार किए जाते हैं, का उपयोग प्रारंभ से ही किया जा रहा है।

ख. सीएजी कनेक्ट पोर्टल

तकनीकी परिवर्तन के अनुरूप, आईएएंडएडी ने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षित संस्थाओं के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए सीएजी कनेक्ट पोर्टल विकसित किया है। यद्यपि ओआईओएस जैसी प्रणालियों ने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और निगरानी को सुदृढ़ किया है, फिर भी परिचालन के व्यापक स्तर तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं के लिए एकीकृत इंटरफेस के अभाव के कारण वास्तविक समय में संवाद के लिए एक समर्पित मंच की आवश्यकता हुई।

चित्र 89: सीएजी संगठन के संचालन का पैमाना



उच्च सारभूतता वाली अभ्युक्तियों को तथ्य विवरण (एसओएफ) और प्रारूप पैराग्राफों (डीपी) में परिवर्तित किया जाता है।

सीएजी कनेक्ट पोर्टल को संरचित और पारदर्शी सहभागिता को सुगम बनाने के लिए अभिकल्प किया गया है:

चित्र 90: सीएजी कनेक्ट पोर्टल की कार्यक्षमताएँ



इस पोर्टल से सुधार होने और निम्नलिखित जैसे परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा है:

- संपूर्ण दृश्यता, अनुरेखण क्षमता और कागज रहित संचार के लिए एक वास्तविक समय डिजिटल इंटरफेस स्थापित करना, जिससे त्वरित सहभागिता संभव होगी और मैनुअल प्रयास कम होंगे।
- लंबित मामलों की निगरानी, प्रतिक्रिया समयसीमा और अनुपालन में सुधार करना।
- ओआईओएस के साथ एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा प्रवाह और स्वचालित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा निर्बाध लेखापरीक्षा चक्र प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं में भविष्य में विस्तार के लिए पोर्टल को एक साझा मंच के रूप में स्थापित करना।

ग. ई-ऑफिस और ई-एचआरएमएस

- ई-ऑफिस एक डिजिटल कार्यप्रवाह-आधारित अनुप्रयोग है, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के आरंभ से अंत तक संचलन तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करता है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब-आधारित अनुप्रयोग है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अभिगमित किया जा सकता है। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन मुख्य रूप से प्रशासनिक गतिविधियों के निपटान पर केंद्रित है। प्रथम चरण में, परियोजना को आईएएंडएडी के कुछ कार्यालयों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए एनआईसी से ई-ऑफिस अनुप्रयोग के 1,000 उपयोगकर्ता लाइसेंस खरीदे गए और तत्पश्चात अधिक उपयोगकर्ता लाइसेंस खरीदे गए। अब ई-ऑफिस अनुप्रयोग को आईएएंडएडी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वित कर दिया गया है।

चित्र 91: ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

139
कार्यालय (शाखाओं सहित) जो ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं

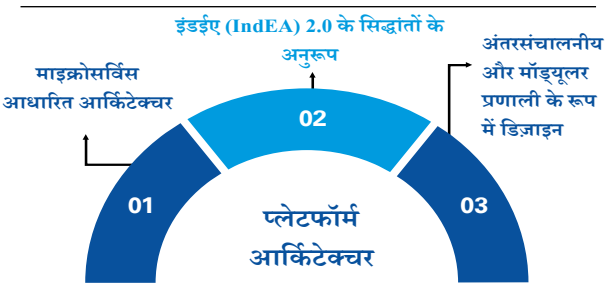
36,500+
उपयोगकर्ता

4,79,994
फाइलें बनाई गई

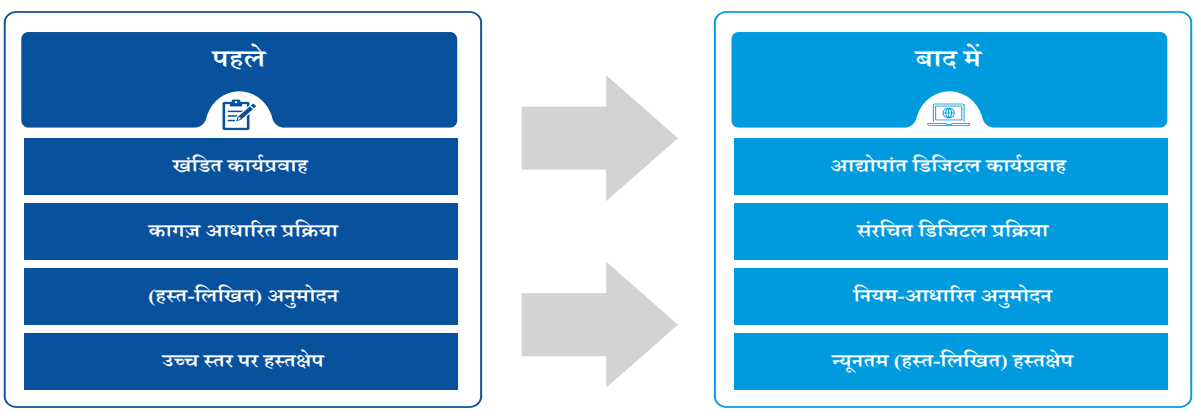
अपेक्षित परिणाम	कामकाज की प्रक्रिया अधिक सुचारु	कम देरी	अधिक परिचालन विश्वसनीयता

- i. ई-एचआरएमएस को मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत, संस्थान-व्यापी मंच के रूप में विकसित किया गया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रावधानों और विभाग में विद्यमान नियमों के अनुरूप अभिकल्पित इस प्रणाली में मानव संसाधन प्रबंधन, दावों का प्रसंस्करण, वेतन-निर्धारण प्रणाली (पीएमएस) तथा वित्तीय प्रबंधन (आईएफएमएस/आईबीईएमएस) को एकल, एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में समेकित किया गया है। ई-एचआरएमएस 2.0 का चरणबद्ध रूप से साई इंडिया के कार्यालयों में कार्यान्वयन किया गया है। ई एचआरएमएस 1.0 से ई-एचआरएमएस 2.0 में स्थानांतरण पूरा हो चुका है और 38,700 से अधिक कर्मचारियों के लिए अवकाश और प्रतिपूर्ति मॉड्यूल चालू हो गए हैं।

चित्र 92: ईएचआरएमएस का प्लेटफ़ॉर्म आर्किटेक्चर



चित्र 93: ईएचआरएमएस की मुख्य कार्यात्मक क्षमताओं एवं शासन संबंधी निगरानी के माध्यम से प्रक्रियाओं का रूपांतरण



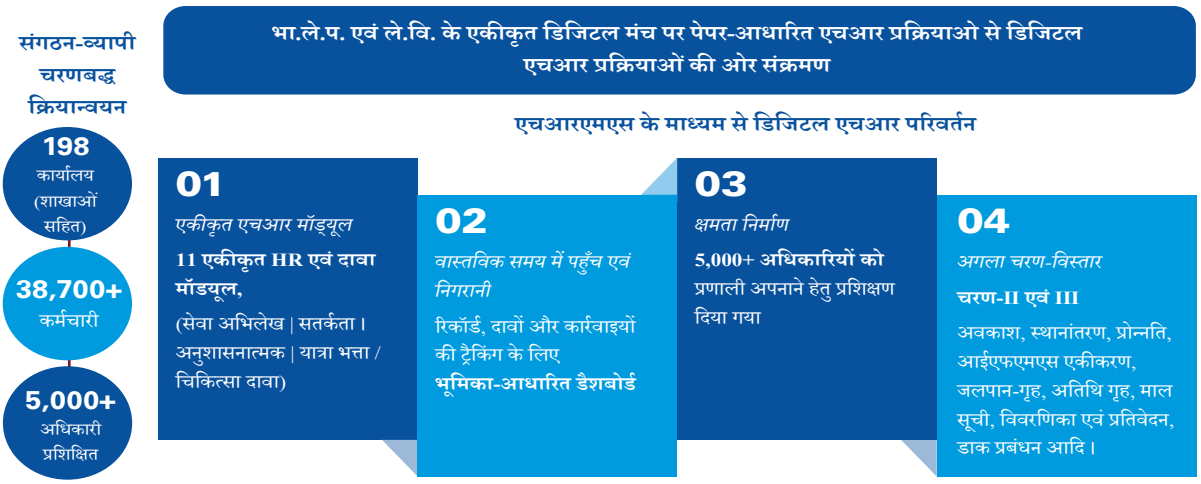
संस्थान के सभी स्तरों पर ईएचआरएमएस के परिचालन से कार्यों के निस्तारण में लगने वाला समय कम होगा, विभिन्न कार्यालयों में प्रक्रियाओं की एकरूपता सुनिश्चित होगी तथा वास्तविक समय में निगरानी के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

घ. सीएजी एचआरएमएस

भौगोलिक रूप से विभिन्न स्थानों पर फैले हुए संगठन में मानव संसाधन का प्रबंधन परंपरागत रूप से कागज आधारित व्यवस्थाओं तथा अलग-अलग और बिखरी हुई प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) शुरू की गई है, जोकि एक एकीकृत एवं संस्थान द्वारा स्वयं विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में मानव संसाधन तथा वित्तीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है। यह पहल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर परिवर्तन को दर्शाती है, जो कर्मचारी के संपूर्ण सेवा-चक्र के प्रारंभ से अंत तक प्रबंधन तथा विभिन्न दावों के प्रसंस्करण और निस्तारण की सुविधा प्रदान करता है।

- प्रथम चरण का कार्यान्वयन जनवरी 2026 में दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित 22 कार्यालयों में शुरू किया गया एवं फरवरी 2026 तक इसका विस्तार अतिरिक्त 34 कार्यालयों में किया गया। इस प्रणाली में कुल 11 मॉड्यूल शामिल किए गए, जिनके माध्यम से सेवा अभिलेख, सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विभिन्न भत्तों जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा और भत्तों के आरंभ से अंत तक डिजिटल प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म भूमिका-आधारित अभिगम तथा वास्तविक समय डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कार्यों की निगरानी बेहतर होती है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इसको प्रभावी रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 5,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- आगामी विस्तार
  - ➢ प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2026 में भा.ले.प. एवं ले.वि. के सभी कार्यालयों में एचआरएमएस का कार्यान्वयन पूरा होने की अपेक्षा है, इसके साथ ही पूरे संगठन में एचआरएमएस की स्थापना सुनिश्चित होगी तथा 38,762 कर्मचारियों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
  - ➢ द्वितीय चरण को अगस्त 2026 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में तीन कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कुल 10 मॉड्यूल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के चरण में हैं। इनमें अवकाश, गृह निर्माण अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम तथा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मॉड्यूल सम्मिलित हैं।
- तृतीय चरण का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल कार्मिक प्रबंधन तंत्र विकसित करना होगा। इसके अंतर्गत कैंटीन प्रबंधन, अतिथि गृह प्रबंधन, भंडार एवं परिसंपत्ति प्रबंधन, विवरणी एवं रिपोर्टिंग प्रबंधन, डाक प्रबंधन तथा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली जैसे घटक प्रस्तावित हैं।

चित्र 94: सीएजी एचआरएमएस के संबंध में की गई प्रमुख गतिविधियाँ



उपरोक्त पहलों से भा.ले.प. एवं ले.वि. में मानव संसाधन प्रबंधन में सुधार होने की अपेक्षा है, इसके परिणामस्वरूप मानव संसाधन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण एवं एकीकरण होगा, भौतिक कार्यप्रवाह पर निर्भरता कम होगी तथा कार्यकुशलता, पारदर्शिता और वास्तविक समय में निगरानी में सुधार होगा।

3.1.2 अन्य पहलें

अपनी मूलभूत कार्यप्रणालियों के अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, लेखापरीक्षा की कार्यप्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाने तथा लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं परिणामों के प्रभाव और सुगम उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक दूरदर्शी डिजिटल पहलों को प्रारंभ किया है।

क. सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य लेखापरीक्षा के आच्छादन का विस्तार करना, पेशेवर विशेषज्ञता का विकास करना तथा निरंतर विकसित हो रहे डिजिटल परिवेश के अनुरूप लेखापरीक्षा की उपयुक्त कार्य-पद्धतियों एवं कार्यप्रणालियों का विकास करना है। इस डिजिटल परिवर्तन के अनुरूप क्षमताओं को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने के लिए अपनाए गए रणनीतिक ढाँचे तथा प्रमुख तकनीकी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चित्र 95: सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा की भावी कार्य-दिशा निर्धारित करने वाले रणनीतिक कार्यात्मक स्तंभ, लेखापरीक्षा कार्य-पद्धतियों में अद्यतन तथा तकनीकी क्षमताएँ

- सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नियमावली 2024 पर आधारित मानकीकृत गाइड, चेकलिस्ट और प्रक्रियाएं विकसित की गई।
- डिजिटल भुगतान (यूपीआई) जैसे क्षेत्रों के लिए लेखापरीक्षा ढांचा और वैश्विक आईएस लेखापरीक्षा प्रथाओं के साथ सामंजस्य।
- सतत क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण आधार के रूप में (आईसीआईएसए) और सीओपीएस रणनीतिक कार्यशालाएं



- वित्तीय प्रबंधन, ई-अधिप्राप्ति, भूमि अभिलेख, पुलिसिंग और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में 65 उच्च-प्राथमिकता वाली प्रणालियों की पहचान।
- एनालिटिक्स और एसक्यूएल को अपनाकर डेटा के विशाल स्तर पर परीक्षण और अधिक गहन प्रणाली विश्लेषण को सक्षम बनाना
- निरंतर ज्ञान साझा करने और सहकर्मी सहायता के लिए कम्यूनिटीज ऑफ प्रैक्टिस (सीओपीएस) की स्थापना।

सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा के व्यावहारिक विशेषज्ञों के समुदाय (सीओपीएस) सहयोगात्मक ज्ञान नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं, जोकि लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षा की योजना बनाने, आँकड़ों के विश्लेषण, लेखापरीक्षा कार्य-पद्धतियों के अनुप्रयोग तथा लेखापरीक्षा निष्पादनों की समीक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, इनके माध्यम से सहकर्मी-अधिगम तथा सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है। ये समुदाय सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा में क्षमता निर्माण तथा कार्यप्रणाली की एकरूपता सुनिश्चित करने में भी योगदान देते हैं और विभाग में तकनीकी विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रहे हैं।

इस पहल के माध्यम से रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति सफलतापूर्वक हासिल की गई है; आधुनिक कार्यप्रणालियों, डेटा विश्लेषण तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान को अपनाने के परिणामस्वरूप डिजिटल प्रणालियों के लेखापरीक्षा आच्छादन का विस्तार हुआ है और अधिक व्यापक एवं साक्ष्य-आधारित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षाओं को प्रभावी रूप से संपादित करना संभव हुआ है, साथ ही, संस्थागत स्तर पर ज्ञान-साझाकरण तथा जटिल डिजिटल प्लेटफॉर्मों के संबंध में अधिक सुदृढ़ आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से इस पहल को और मजबूती प्रदान की गई है।

ख. क्षमता निर्माण एवं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र के साथ सहयोग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, इस वर्ष, आंतरिक क्षमता निर्माण तथा लेखापरीक्षा-केंद्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल समाधानों के विकास की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इस क्रम में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से, एक विशिष्ट प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, इसके साथ ही, लेखापरीक्षा संबंधी अनुप्रयोगों के लिए संस्थागत स्तर पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। कुल 468 अधिकारी, तीन बैचों में, प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में हैं जोकि वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सक्षम लेखापरीक्षा क्षमताओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्ष के दौरान इस संबंध में निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गईं:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से लेखापरीक्षा कार्मिकों के लिए डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन अधिगम तथा साइबर सुरक्षा विषयों पर नौ माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इसके अंतर्गत तीन बैचों में कुल 468 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- कार्यक्रम का संचालन मिश्रित पद्धति (ऑनलाइन माध्यम तथा परिसर-आधारित प्रशिक्षण) के संयोजन से तीन सुव्यवस्थित बैचों में किया गया।
- मुख्य मॉड्यूलों के अंतर्गत आच्छादन:
  - ➢ डेटा साइंस की आधारभूत संकल्पनाएँ — (पायथन, आँकड़ा विश्लेषण एवं दृश्यांकन)
  - ➢ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन अधिगम की मूलभूत संकल्पनाएँ
  - ➢ गहन अधिगम एवं लेखापरीक्षा में आँकड़ा विश्लेषण के उपकरण
  - ➢ साइबर सुरक्षा एवं उभरते खतरे
- आँकड़ा-आधारित तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सहायित लेखापरीक्षा कार्य-पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक प्रयोगशाला अभ्यास, लघु परियोजनाएँ, प्रकरण-अध्ययन तथा वास्तविक लेखापरीक्षा आँकड़ा-समुच्चयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
- कार्य-निर्देशों, प्रश्नोत्तरी तथा परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का निरंतर मूल्यांकन।

अलग से, लेखापरीक्षा-केंद्रित एलएलएम समाधान के विकास का कार्य सीएजी एलएलएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से विकसित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य संगठन के समस्त कार्मिकों के लिए संस्थागत ज्ञान एवं आसूचना प्रणाली के रूप में कार्य करना है। लेखापरीक्षा से संबंधित बड़ी मात्रा में उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रतिवर्ष तैयार होने वाले लगभग 25,000 निरीक्षण प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं, को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को संस्थागत स्तर की ज्ञान एवं तर्क-आधारित प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, नियम-पुस्तिकाओं, विनियमों तथा पूर्व में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं प्रस्तावित प्रणाली में संदर्भानुकूल ज्ञान पुनर्प्राप्ति एवं लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रारूप-निर्माण में सहायता, पूर्ववर्ती प्रकरणों की पहचान, विषयगत विश्लेषण, विभिन्न क्षेत्रों में लेखापरीक्षा संबंधी सहायता, सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल चैट-आधारित इंटरफेस तथा जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा योजना जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है।

समानांतर रूप से, वित्तीय लेखापरीक्षा एलएलएम का विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय विवरणों, संविदाओं, क्रय-अभिलेखों तथा लेन-देन संबंधी आँकड़ा-समुच्चयों के विश्लेषण में सहायता प्रदान करना है। इसका परिनियोजन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है तथा प्रारंभिक चैट-आधारित सुविधाएँ पहले से उपलब्ध हैं, वर्ष 2026-27 के दौरान एलएलएम आधारित उपकरणों का लेखापरीक्षा कार्यप्रवाहों तथा ज्ञान-प्रणालियों के साथ आगे एकीकरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा।

क्षमता निर्माण तथा एलएलएम समाधानों के कार्यान्वयन से अब तक सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं तथा इनके माध्यम से आगे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा है:

चित्र 96: एलएलएम एकीकरण एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण संबंधी पहलों का प्रभाव



ग. दृश्य सूचना पटल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक वित्त, कार्यक्रमों तथा शासन-व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं का एक समृद्ध स्रोत हैं। हालांकि, मुद्रित प्रतिवेदन तथा अपरिवर्तनीय पीडीएफ जैसे पारंपरिक प्रारूपों में इन सूचनाओं तक पहुँच, उनका विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित रहता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा निष्पादनों को अंतःक्रियात्मक एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल संसाधनों में रूपांतरित करने की दिशा में पहल की गई है, ताकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके तथा उनके संबंध में अधिक गहन समझ एवं सहभागिता विकसित हो सके। राजस्व की डिजिटल लेखापरीक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीएआर) द्वारा "सीएजी आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का लोकतंत्रीकरण" पहल प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा निष्पादनों को स्थिर दस्तावेजों से ऐसे अंतःक्रियात्मक डिजिटल संसाधनों में रूपांतरित करना है, जिन्हें सभी हितधारकों द्वारा अधिक सुगमता से अन्वेषण एवं उपयोग किया जा सके।



इस परिवर्तन को कार्यरूप प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया गया है

चित्र 97: स्थिर रिपोर्टिंग प्रारूपों से एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर रणनीतिक बदलाव की पहलें



**एसपीएसई: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम*

वर्ष 2025-26 के दौरान इस पहल के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसमें राज्य वित्त के संबंध में 64 अंतःक्रियात्मक डैशबोर्ड विकसित किए गए। (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित विस्तृत जानकारी खंड 5.5 में दी गई है।) इसके अतिरिक्त, गुजरात और ओडिशा की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का डिजिटलीकरण तथा कर्नाटक की राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के डिजिटलीकरण का प्रायोगिक कार्य भी किया गया। व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा लेखापरीक्षा निष्पादनों के डिजिटल ज्ञान भंडार के सृजन में योगदान देने के उद्देश्य से मानकीकृत डिजिटल प्रारूप भी विकसित किए गए हैं।

पारंपरिक स्थिर दस्तावेजों के स्थान पर गतिशील विश्लेषणात्मक इंटरफेस को अपनाए जाने से, लेखापरीक्षा संबंधी सूचनाओं की सुगम उपलब्धता तथा उनके उपयोग में वृद्धि हुई है, अंतःक्रियात्मक डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आँकड़ा -आधारित विश्लेषण, जनसामान्य की व्यापक सहभागिता तथा अधिक साक्ष्य-आधारित नीति-निर्धारण एवं अनुसंधान को सक्षम बनाया गया है।

3.2 मानव संसाधन सुधार

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने तेज़ी से बदलते लेखापरीक्षा परिवेश में क्षमता बढ़ाने, जवाबदेही मज़बूत करने और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मानव संसाधन सुधार शुरू किए। इन पहलों का प्रमुख लक्ष्य परीक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने, कार्य-निष्पादन प्रबंधन को संस्थागत बनाने और योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क को लागू करने पर था, जिसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और कर्मचारियों के विकास को संगठन के लक्ष्यों के साथ जोड़ने पर ज़ोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, उत्कृष्टता एवं नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुछ अन्य सुधार भी प्रारंभ किए गए, जबकि प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा कार्यबल की तैनाती को सुव्यवस्थित करने के लिए सचिवालयी कर्मचारियों के केंद्रीकृत संवर्ग प्रबंधन हेतु पहल की गई।

इन सुधारों ने मिलकर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा उच्च कार्य-निष्पादन क्षमता वाले कार्यबल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो सुदृढ़ एवं परिणामोन्मुखी कार्यों के निष्पादन में सक्षम है।

3.2.1 परीक्षा संबंधी सुधार

परीक्षा स्कंध द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में व्यावसायिक दक्षता का आकलन करने, क्षमता निर्माण को सक्षम बनाने तथा उच्चतर दायित्वों के निर्वहन हेतु योग्य कार्मिकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षाएँ-अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा (एसएएस), राजस्व लेखापरीक्षा (आरए), प्रोत्साहन (आई) तथा सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) आदि आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण, डिजिटलीकरण, मूल्यांकन प्रणाली के पुनर्गठन तथा प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से चरणबद्ध एवं व्यापक सुधार किए गए। इस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रमुख उपलब्धि वर्ष 2025 की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II एवं III परीक्षा-2 का आयोजन रही, जो जनवरी-फरवरी 2026 में संशोधित पाठ्यक्रम तथा दक्षता-आधारित मूल्यांकन रूपरेखा के अनुसार आयोजित की गई। उक्त सुधार विभिन्न विभागीय परीक्षाओं, जिनमें एसएएस, डीएजीई, प्रोत्साहन तथा अन्य विभागीय परीक्षाएँ शामिल हैं, के पाठ्यक्रमों के व्यापक आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं।

इस संबंध में की गई प्रमुख पहलों का विवरण निम्नलिखित है:

चित्र 98: परीक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें

परीक्षा केंद्रों का युक्तीकरण
- केंद्र घटाये गए 46 (41 शहर) से 36 (28 शहर)
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हुआ

इष्टतम केंद्र आवंटन
- अभ्यर्थी केवल वर्तमान तैनाती शहर या परीक्षा विंग द्वारा निर्धारित शहर में ही शामिल हो सकते थे
- लॉजिस्टिक्स, समन्वय और संचालन की दक्षता में सुधार हुआ

परीक्षाओं का शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन
- परीक्षा संचालन पर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई
- गड़बड़ी या बड़ी अनियमितताओं का कोई मामला सामने नहीं आया

समय पर मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा अग्रिम मूल्यांकन योजना, डिजिटल कार्यप्रवाह, वास्तविक समय समन्वय जैसे सुधारों से रिकॉर्ड समय सीमा संभव हुई:
- एमसीक्यू आधारित परीक्षा परिणाम 26 दिनों के भीतर घोषित
- वर्णनात्मक और प्रायोगिक परीक्षा परिणाम 45 दिनों के भीतर घोषित

पुनर्अभिकल्पित मूल्यांकन व पाठ्यक्रम
- संशोधित एसएएस ढांचा: 6 शाखाएं, 20 पेपर, 2 समूह
- रटने की प्रवृत्ति से अनुप्रयोग-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव
- वर्णनात्मक/व्यावहारिक पेपरों का 6 तक विस्तार (पहले 2 थे)
- वर्णनात्मक घटक में लगभग 1400 उम्मीदवार शामिल हुए
- एकसमान मूल्यांकन के लिए केंद्रीयकृत उत्तर पुस्तिकाएं

प्रौद्योगिकी-सक्षम परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र
- सीसीटीवी आधारित सजीव निगरानी
- आद्योपांत डिजिटलीकरण जिसमें सुरक्षित प्रश्न प्रेषण, उसी दिन अपलोड, रियल-टाइम समन्वय और डैशबोर्ड शामिल हैं
- त्वरित समस्या निवारण हेतु व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से वास्तविक समय समन्वय

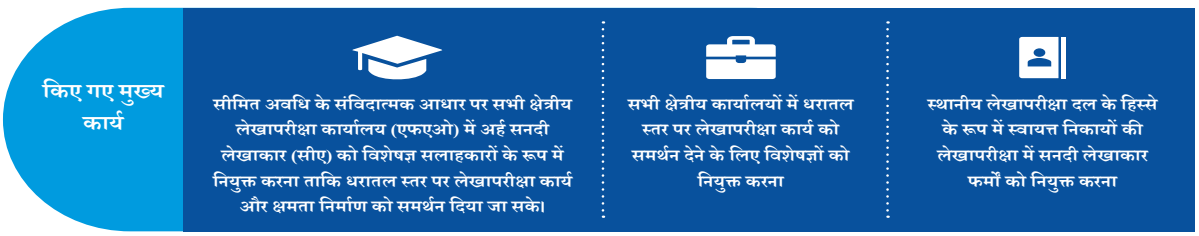
इन प्रयासों से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए:

- • देशव्यापी परीक्षाएँ बिना किसी उल्लेखनीय व्यवधान के सुचारु रूप से संपन्न हुईं तथा परिणामों के प्रसंस्करण में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई।
- उक्त पहलों से वर्ष 2025 की एसएएस/आरए/आई/सीपीडी-I, II एवं III परीक्षा-2 की कार्यकुशलता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि हुई तथा अनुप्रयोग-आधारित प्रश्नों के समावेश से प्रश्नों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
- परीक्षा संबंधी सुधारों ने सतत् अधिगम और दक्षता विकास को सुदृढ़ किया, जिससे अद्यतन व्यावसायिक कौशल के अर्जन को बढ़ावा मिला तथा कैरियर में उन्नति और उच्चतर उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए योग्य कार्मिकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

3.2.2 लेखापरीक्षा कार्य में विषय-विशेषज्ञों की तैनाती

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में लेखापरीक्षा के बढ़ते दायरे एवं जटिलता को ध्यान में रखते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विषय-विशेषज्ञों की तैनाती की पहल की गई है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से वित्तीय लेखापरीक्षा तथा विशिष्ट विशेषज्ञता की अपेक्षा वाले उभरते क्षेत्रों में विषय-विशेषज्ञता का लाभ उठाकर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। इस संबंध में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

चित्र 99: भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान में विषय-विशेषज्ञों की तैनाती के प्रमुख आयाम



इन पहलों के समग्र प्रभाव से, भा.ले.प. एवं ले.वि. के भीतर विशेषज्ञतापूर्ण व्यावसायिक ज्ञान एवं ज्ञान के हस्तांतरण के माध्यम से जटिल तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा क्षेत्रों में लेखापरीक्षा की गुणवत्ता, समयबद्धता और संस्थागत क्षमता में सुधार हुआ है।

3.2.3 कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के सभी कार्यालयों में, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन का प्रमुख साधन है। वर्ष 2025-26 में, एपीएआर की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन में उच्चतर गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा मौजूदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख उपाय किए गए:

- **वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन लेखन संबंधी नए दिशा-निर्देश एवं अनुदेश:** कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एकरूपता एवं वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने तथा इसे संगठन की व्यापक प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश एवं अनुदेश जारी किए गए।

चित्र 100: वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रविष्टि संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश

एपीएआर ढांचे में संरचनात्मक सुधार	• **भा.ले.प.एवं ले.से. अधिकारियों के एपीएआर** फॉर्मों में 'नए गुण और प्रावधान' शामिल • उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) और उससे ऊपर' के लिए पहली बार 'स्व-मूल्यांकन' (उपलब्धि नोट) की शुरुआत • रूटीन काम से इतर योगदान' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'संशोधित एपीएआर' ढांचा
उद्देश्य और परिणाम-आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन	• एपीएआर' के साथ एकीकृत 'वार्षिक कार्य योजना' और 'मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक' ('केपीआई') की शुरुआत • रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन अनिवार्य' किया गया ताकि वर्ष की शुरुआत में तय मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके
प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल सक्षमता कार्य	• **आईजीओटी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण,** जिसके अंतर्गत कोर्स पूरा होने की जानकारी एपीएआर में प्रदर्शित होगी • **डिजिटल प्रसंस्करण हेतु ऑनलाइन एपीएआर** प्लेटफॉर्म स्पैरो का 2025-26 से सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों (एएओ) तक विस्तार
जवाबदेही, अनुपालन और समय सीमा	• जवाबदेही मजबूत करने के लिए **'अनिवार्य अनुपालन प्रमाणन'** (आईपीआर, मेडिकल चेक-अप और कार्य योजना) जोड़े गए • विलंब के लिए परिभाषित जवाबदेही' के साथ सख्त एपीएआर' समय सीमा' का प्रवर्तन

- **वार्षिक कार्य योजना तथा स्तरवार प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का समग्र एपीएआर मूल्यांकन से संबद्धीकरण:** वर्ष 2025 में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर लिए गए निर्णयों के अनुपालन में, स्तरवार प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई) विकसित किए गए तथा उन्हें विभागाध्यक्षों एवं समूह अधिकारियों की वार्षिक कार्य-योजनाओं के अनुरूप निर्धारित किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान इन केपीआई को संपूर्ण संगठन में लागू करते हुए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया गया।
- **सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (एएओ) के लिए स्पैरो (ऑनलाइन एपीएआर) का कार्यान्वयन:** सहायक लेखापरीक्षा/ लेखा/ प्रशासनिक अधिकारियों (एएओ) के लिए स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेज़ल प्रतिवेदन रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 13,000 अधिकारियों को शामिल किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से एपीएआर के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, कार्यप्रवाह प्रबंधन तथा वास्तविक समय अनुगमन सहित संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटल रूप से निष्पादन संभव हुआ।
- सभी अधिकारियों के लिए संगठनात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने प्रतिवेदन अधिकारियों के परामर्श से वार्षिक कार्य-योजना तैयार करना तथा उसका समय-समय पर पुनरीक्षण करना अनिवार्य किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष के मध्य में अनिवार्य समीक्षा, रिपोर्टिंग अधिकारी के परिवर्तन की स्थिति में कार्य-योजना की निरंतरता तथा कार्यकाल-आधारित एवं परिणामोन्मुखी मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया। इस पहल का उद्देश्य जवाबदेही, क्षमता निर्माण एवं नवाचार को सुदृढ़ करना तथा समग्र संगठनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार लाना है।

एपीएआर के पुनर्गठन तथा वार्षिक कार्य-योजना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संस्थागत कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख होने की अपेक्षा है, जिससे निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त होंगे:

- कार्य-योजनाओं एवं परिणामों के अनुरूप कार्य-निष्पादन का अधिक वस्तुनिष्ठ एवं एकरूप मूल्यांकन।

- एपीएआर की मानकीकृत प्रक्रियाओं एवं निर्धारित समय-सीमा के माध्यम से जवाबदेही एवं कार्यकुशलता में वृद्धि।
- कार्य-निष्पादन, दक्षता-स्तर, कौशल-विकास तथा वास्तविक योगदान के बीच स्पष्ट संबद्धता।

3.2.4 विभिन्न संवर्गों में दक्षता मानचित्रण (मानव संसाधन)

वर्ष 2025-26 में ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (के एवं सीबी) स्कंध द्वारा भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक व्यापक दक्षता रूपरेखा विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह रूपरेखा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में अपेक्षित दक्षताओं को परिभाषित करने, उनका आकलन करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान करती है और प्रौद्योगिकी-आधारित लेखापरीक्षा परिवेश में विभाग के निरंतर विकसित होते दायित्वों के अनुरूप है। इस रूपरेखा में मूलभूत, कार्यात्मक एवं नेतृत्व संबंधी दक्षताओं को चिह्नित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवेश-स्तर के पदों से लेकर वरिष्ठ नेतृत्व स्तर तक अपेक्षित दक्षताओं में एकरूपता स्थापित करना, दायित्वों एवं भूमिकाओं की स्पष्टता सुनिश्चित करना तथा सुव्यवस्थित व्यावसायिक विकास के लिए स्पष्ट मार्ग निर्धारित करना है।

- इस रूपरेखा के अंतर्गत लेखापरीक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विषय-आधारित एवं सतत क्षमता निर्माण की समग्र व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण रणनीति तैयार की गई है।
- लेखापरीक्षा एवं लेखा संबंधी विषय-विशेषज्ञता, डिजिटल दक्षता, विश्लेषणात्मक चिंतन, नैतिक आचरण तथा संचार कौशल को समाहित करते हुए दक्षता-आधारित दृष्टिकोण विकसित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न संवर्गों में कौशल संबंधी अंतराल का समय-समय पर आकलन करने तथा लक्षित क्षमता निर्माण उपायों के निर्धारण में सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित दक्षता मूल्यांकन तंत्र विकसित किया जाएगा।

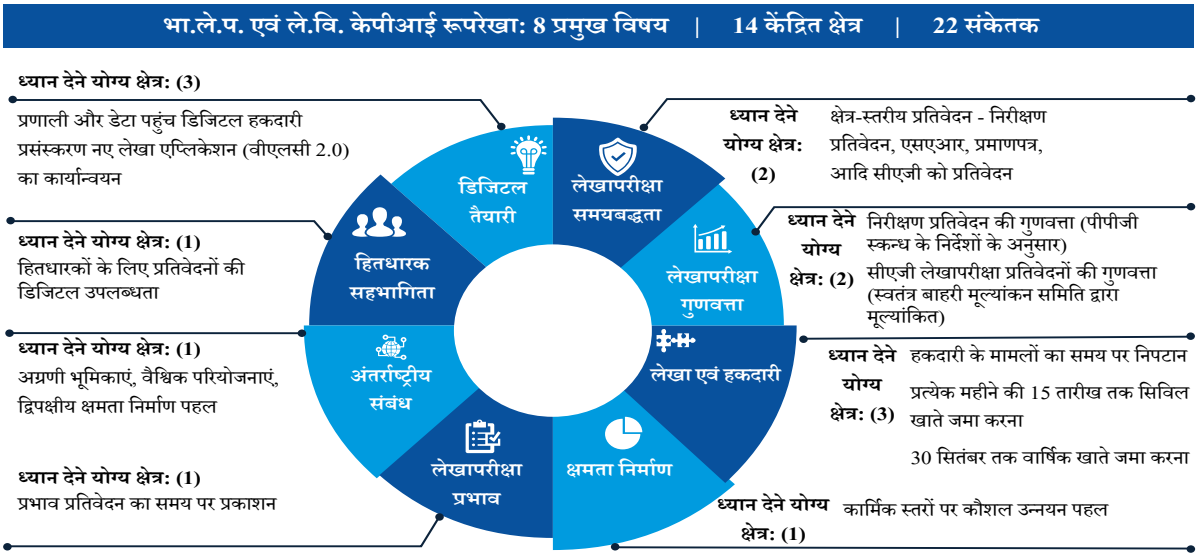
क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने, कार्य-निष्पादन प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा आवश्यकता-आधारित लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दक्षता ढाँचे तैयार किए जा रहे हैं, एवं इन दक्षता ढाँचों के माध्यम से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्मिकों को आँकड़ा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा सहित उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल एवं दक्षताओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

3.2.5 कार्मिकों की जवाबदेही बढ़ाने हेतु प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक रूपरेखा

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की संगठनात्मक प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई) रूपरेखा: भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की विश्वसनीयता एवं प्रासंगिकता बनाए रखने, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने तथा भा.ले.प. एवं ले.वि. के सभी कार्यालयों में कार्य-निष्पादन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'संगठनात्मक केपीआई रूपरेखा' विकसित की गई है।

केपीआई का निर्धारण भा.ले.प. एवं ले.वि. के सभी कार्यालयों से अपेक्षित समग्र कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन्हें व्यावहारिक, सुगमता से क्रियान्वित करने योग्य तथा वर्तमान में उपलब्ध आँकड़ों और ऐसे केपीआई को अंगीकार करने हेतु संस्थागत तत्परता के अनुरूप तैयार किया गया है। इस रूपरेखा में आठ प्रमुख विषयगत क्षेत्र सम्मिलित हैं एवं प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख केंद्रित क्षेत्र एवं केपीआई निर्धारित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। इन विषयगत क्षेत्रों के आधार पर भा.ले.प. एवं ले.वि. के प्रत्येक कार्यालय के कार्य-निष्पादन का समान एवं समतुल्य आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

चित्र 101: भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निर्धारित आठ विषयगत क्षेत्र



**वीएलसी: वाउचर स्तर कंप्यूटरीकरण; एसएआर: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; आईआर: निरीक्षण प्रतिवेदन*

इस रूपरेखा के अंतर्गत, आठ विषय-वस्तु क्षेत्रों में कार्यालयों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु 22 केपीआई निर्धारित किए गए हैं। चिह्नित केपीआई के संबंध में मुख्यालय के संबंधित प्रभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से एक समर्पित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से समय-समय पर आँकड़े प्राप्त किए जाएंगे।

संगठनात्मक केपीआई रूपरेखा को समय के साथ अतिरिक्त केपीआई के चरणबद्ध समावेशन के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे उभरती प्राथमिकताओं एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं को समाहित करते हुए भा.ले.प. एवं ले.वि. की संगठनात्मक परिपक्वता को सुदृढ़ किया जा सके।

भा.ले.प. एवं ले.वि. की संगठनात्मक केपीआई रूपरेखा के लागू होने से पारदर्शी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्धारण तथा कार्मिकों के कार्य-निष्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं में निरंतर सुधार के माध्यम से संगठनात्मक कार्य-निष्पादन को रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी।

3.2.6 पुरस्कार एवं सम्मान

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा कार्मिकों के योगदान को प्रोत्साहित करने तथा उसे समुचित रूप से पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार एवं सम्मान की संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है।

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का उद्देश्य (क) नवाचार एवं सृजनात्मक समाधानों को प्रोत्साहित करना, (ख) उत्कृष्टता एवं सतत सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, (ग) ज्ञान-विनिमय को प्रोत्साहित करना तथा (घ) लेखापरीक्षा, लेखा एवं प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है।

इस क्रम में, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान तथा अन्य पहलें प्रारंभ की गईं:

क. सार्वजनिक लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त पुरस्कार**:

चित्र 102: सार्वजनिक लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु सीएजी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार



इन पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे:

- लेखापरीक्षा कार्य-पद्धतियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा दल की क्षमताओं में सुधार।
- कार्यालयों को अपने अनुभव साझा करने तथा एक-दूसरे के कार्य से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर पारस्परिक अधिगम को बढ़ावा देना।
- लेखापरीक्षा दिवस जैसे प्रमुख संस्थागत आयोजनों के साथ समन्वय कर सभी दफ्तरों के बीच आपसी तालमेल और पहचान को बढ़ावा देना।

ख. **नवाचारी पहलों एवं उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों का वार्षिक संकलन** — "सुशासन की दिशा में उत्प्रेरक…"

पुरस्कार व्यवस्था के पूरक के रूप में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा वार्षिक संकलन "सुशासन की दिशा में उत्प्रेरक…" प्रकाशित किया गया जिसमें भा.ले.प. एवं ले.वि. के विभिन्न कार्यालयों एवं कार्यात्मक प्रभागों द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों एवं नवाचारी पहलों का संकलन किया गया है।

इस संकलन में लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य संकलन एवं प्रतिवेदन तैयार करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग, लेखापरीक्षा कार्य-पद्धति में नवाचार, प्रक्रियागत सुधार, हितधारकों की सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा कल्याण संबंधी पहलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई कार्य-पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

इसके लिए प्रासंगिक एवं अन्य कार्यालयों द्वारा अपनाई जा सकने वाली कार्य-पद्धतियों की पहचान एवं दस्तावेजीकरण हेतु एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया गया है, जिससे संस्थागत माध्यमों के द्वारा इनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

इन पहलों के फलस्वरूप, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

- क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कार्यात्मक प्रभागों में नवाचार, टीम भावना तथा परिणामोन्मुखी कार्य-निष्पादन की संस्कृति का विकास।
- प्रौद्योगिकी-संचालित लेखापरीक्षा नवाचारों के अंगीकरण एवं प्रसार में वृद्धि, जिससे सफल कार्य-पद्धतियों के पुनरनुप्रयोग को बढ़ावा मिला तथा लेखापरीक्षा को अधिक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ।
- उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण एवं प्रसार के माध्यम से ज्ञान प्रबंधन और संस्थागत अधिगम में सुधार तथा संगठनात्मक सुदृढ़ता में वृद्धि।

3.2.7 केंद्रीकृत संवर्ग

क. **सचिवालयीन कार्मिक:** भा.ले.प. एवं ले.वि. में आशुलिपिक संवर्ग अब तक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कैरियर प्रगति तथा संवर्ग प्रबंधन में असमानताएँ रही हैं। इन असमानताओं के निराकरण के लिए, भा.ले.प. एवं ले.वि. में आशुलिपिकों के लिए चार-स्तरीय पदानुक्रम की एकरूप व्यवस्था को अनुमोदित किया गया है तथा निजी सहायक स्तर से अखिल भारतीय स्तर पर एक

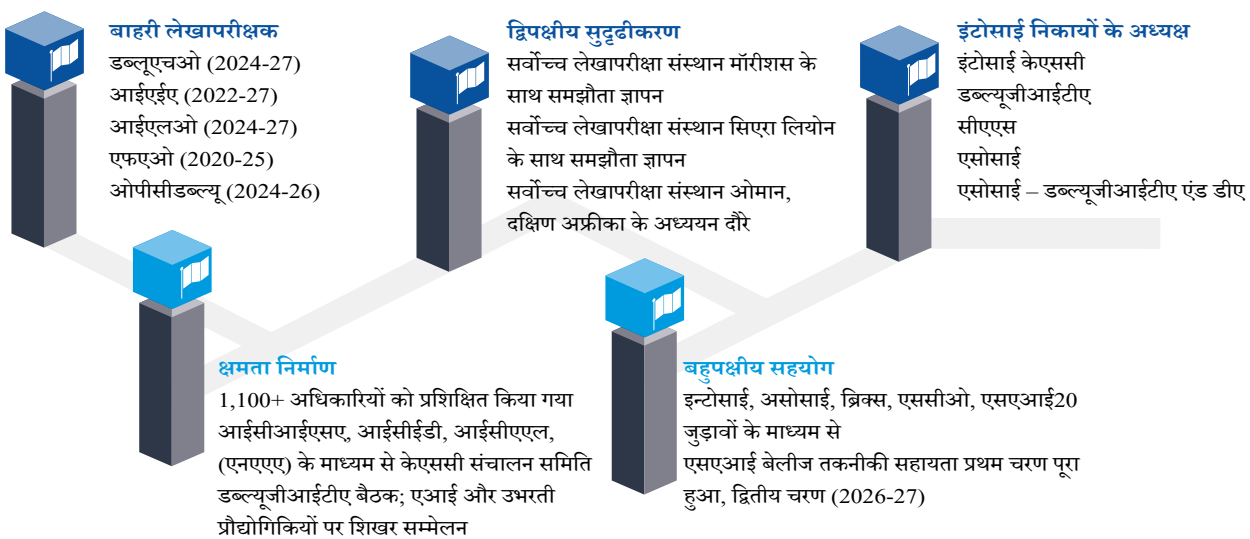
केंद्रीकृत संवर्ग के गठन को स्वीकृति दी गई है। इस पुनर्गठन से भर्ती एवं पदोन्नति व्यवस्था युक्तिसंगत होगी, कैरियर प्रगति के अवसरों का विस्तार होगा तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समानता, एकरूपता एवं मानवबल के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

ख. **केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा (सीआरए) एवं केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा (सीईए) संवर्ग:** प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के लिए कार्यात्मक रूप से समन्वित केंद्रीकृत संवर्गों का गठन किया गया। इसके अंतर्गत मौजूदा लेखापरीक्षा कार्यालयों एवं संबंधित मुख्यालय के प्रभागीय कार्मिकों को एकीकृत किया गया, जिससे संवर्ग नियंत्रण में विखंडन कम हुआ और श्रमबल की सुव्यवस्थित तैनाती संभव हुई। इस पुनर्गठन से विषय-विशेषज्ञता, कार्मिक प्रबंधन में एकरूपता तथा लेखापरीक्षा कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुदृढ़ होने की अपेक्षा है। यह पहल संवर्ग के अनुकूलन से संबंधित धारा 2.3.2 में पृथक रूप से विस्तृत की गई है।

3.3 सीमाओं से परे: हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध

वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यों, सुव्यवस्थित ज्ञान-विनिमय तथा व्यापक बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को सुदृढ़ किया।

चित्र 103: अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रमुख पहलों की झलक



**डब्ल्यूएचओ: विश्व स्वास्थ्य संगठन; आईएईए: अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी; आईएलओ: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन; एफएओ: खाद्य एवं कृषि संगठन; ओपीसीडब्ल्यू: रासायनिक हथियारों के निषेध हेतु संगठन; इंटोसाई: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय संगठन; केएससी: ज्ञान-विनिमय एवं ज्ञान सेवाएँ समिति; डब्ल्यूजीआईटीए: सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कार्यकारी समूह; सीएएस: इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति; एएसओ साई: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन; एसोसाई डब्ल्यूजीआईटीए एवं डीए: सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं आँकड़ा विश्लेषण पर एएसओ साई कार्यकारी समूह।*

3.3.1 बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) तथा उसकी विशिष्ट एजेंसियों के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हुए इनके साथ दीर्घकालिक सहयोग बनाए रखा है। ये लेखापरीक्षा कार्य प्रतिस्पर्धी तकनीकी एवं वाणिज्यिक निविदा प्रक्रियाओं में सफल सहभागिता के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विश्व की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के बीच अपनी क्षमता सिद्ध की। इन कार्यों के माध्यम से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वित्तीय प्रतिवेदन, अनुपालन, शासन-व्यवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सूचना प्रणालियों पर स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की कई प्रमुख संस्थाओं के लिए लेखापरीक्षा संबंधी कार्यकलाप संपादित किए।

चित्र 104: प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संगठनों में बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान

डब्लूएचओ (2024-27)	आईएईए (2022-27)	आईएलओ (2024-27)	एफएओ (2020-25)	ओपीसीडब्ल्यू (2024-26)

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ):** विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 2024–27 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को डबल्यूएचओ तथा इसकी पाँच गैर-समेकित संस्थाओं— (स्टाफ हेल्थ इंश्योरेंस, कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटिंग केंद्र एवं यूनिटएड) का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की सात लेखापरीक्षा टीमों ने धरातलीय स्तर पर लेखापरीक्षा कार्य किए जिसमें 'संसाधन जुटाना एवं स्वस्थ जनसंख्या' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, डबल्यूएचओ मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय एवं देश कार्यालयों तथा गैर-समेकित संस्थाओं की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गई।
- **खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ):** खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की सात लेखापरीक्षा टीमों ने नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच एफएओ मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यालयों की वित्तीय, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा के अंतर्गत 'उद्यम जोखिम प्रबंधन' तथा 'एफएओ साझा सेवा केंद्र' विषयों पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी की गईं।
- **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए):** अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) परमाणु क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख केंद्र है और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने आईएईए (2022-27) के साथ लेखापरीक्षा कार्य जारी रखा एवं अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के दौरान चार लेखापरीक्षा टीमों द्वारा लेखापरीक्षा की गई। इस लेखापरीक्षा में वित्तीय लेखापरीक्षा, 'आईएईए द्वारा तकनीकी सहयोग परियोजनाएँ' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 'कार्यक्रम सहायता के लिए एजेंसी-व्यापी सूचना प्रणाली (एआईपीएस)' की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त,

आईएईए स्टोर या भंडार-गृह या सुपर बाज़ार, कैफेटेरिया एवं कर्मचारी सहायता निधि तथा साइबर्सडॉर्फ कैफेटेरिया निधि की वित्तीय लेखापरीक्षा भी की गई।

- **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ):** वर्ष 2024–27 की अवधि के लिए आईएलओ के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा आईएलओ मुख्यालय की वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी-आईएलओ) की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, इसके अतिरिक्त, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एवं मध्य पूर्व स्थित छः क्षेत्रीय एवं देश स्तरीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई तथा 'आईएलओ नीति परिणाम 3: 'न्यायसंगत संक्रमण के लिए पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'आईएलओ का सूचना प्रौद्योगिकी शासन एवं परिचालन' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा भी की गई।
- **रासायनिक हथियारों के निषेध हेतु संगठन (ओपीसीडबल्यू):** ओपीसीडब्ल्यू 29 अप्रैल 1997 से प्रवृत्त रासायनिक हथियार अभिसमय के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निकाय है, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। वर्ष 2024–26 की अवधि के लिए बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के पश्चात्, सीएजी द्वारा दिसंबर 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 'ओपीसीडबल्यू में परिसंपत्ति प्रबंधन एवं क्रय' विषय पर अनुपालन लेखापरीक्षा तथा 'ओपीसीडबल्यू का मानव संसाधन प्रबंधन एवं भविष्य निधि को यूएनजेएसपीएफ में अंतरित करना' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है।
- **तकनीकी समूह एवं संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल की बैठक:** भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19–21 नवंबर 2025 के दौरान आयोजित तकनीकी समूह की 41वीं बैठक तथा 24–25 नवंबर 2025 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के 65वें नियमित सत्र में भाग लिया।
  - ➢ पैनल द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पैनल के पत्र के प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई तथा वित्तीय स्थिति एवं बजट प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण, डिजिटल रूपांतरण और यूएन80 सुधार पहल जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। इस अवसर पर भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा वित्तीय स्थिति एवं बजट प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण तथा डिजिटल रूपांतरण विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।
  - ➢ इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षकों के बोर्ड (यूएनबीओए) को स्वैच्छिक सहायता प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2016 से आगे की अवधि के बाह्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को चिन्हित करने तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से डिजिटल माध्यम से सुलभ कराने में सहयोग दिया गया। यूएनबीओए पोर्टल पर विगत दस वर्षों की प्रतिवेदनों का विवरण उपलब्ध नहीं था, जिनकी पहचान एवं संकलन साई इंडिया द्वारा किया गया।

इन पहलों से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें सम्मिलित हैं:

- प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में व्यापक लेखापरीक्षा आच्छादन सुनिश्चित हुआ, जिससे वित्तीय, अनुपालन, निष्पादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षाओं के समेकित संचालन के माध्यम से जवाबदेही सुदृढ़ हुई।
- लेखापरीक्षित संस्थाओं के संस्थागत कार्य-निष्पादन में सुदृढ़ता आई, जिसमें शासन-व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन रूपरेखाओं तथा परिचालन प्रभावशीलता का विस्तृत परीक्षण शामिल था।
- तकनीकी समूहों तथा संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से वैश्विक लेखापरीक्षा विमर्श को दिशा देने में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की नेतृत्वकारी भूमिका और सुदृढ़ हुई।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में ज्ञान प्रबंधन एवं संस्थागत स्मृति को सुदृढ़ता मिली जिसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा अनुपलब्ध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की पहचान कर उन्हें यूएनबीओए पोर्टल पर अपलोड कराने में सहयोग प्रदान किया गया।

3.3.2 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं ज्ञान-विनिमय गतिविधियाँ

क. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नेतृत्व की भूमिका

अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का संगठन (इंटोसाई) सरकारी क्षेत्र की बाह्य लेखापरीक्षा संस्थाओं का वैश्विक संगठन है। वर्ष 1953 में स्थापित इस संगठन में वर्तमान में 195 पूर्ण सदस्य, पाँच सहयोगी सदस्य तथा दो संबद्ध सदस्य हैं एवं इसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के माध्यम से विशेष दर्जा प्राप्त है।

एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का संगठन (एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान एसोसाई का संस्थापक सदस्य है और पिछले कई दशकों के दौरान इसके संस्थागत विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान में एसोसाई में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की 48 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाएँ सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा समुदाय में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करते हुए निम्नलिखित बैठकों की अध्यक्षता की:

- **इंटोसाई केएससी संचालन समिति की 17वीं वार्षिक बैठक:** इंटोसाई ज्ञान-विनिमय एवं ज्ञान सेवाएँ समिति (केएससी) तथा इसकी संचालन समिति (केएससी एससी) की स्थापना के समय से ही भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान इसके अध्यक्ष का दायित्व निभाता रहा है। केएससी द्वारा मार्गदर्शी दस्तावेज, पुस्तिकाएँ, उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियाँ, शोध-पत्र आदि तैयार किए जाते हैं तथा संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। केएससी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले 12 कार्यकारी समूह[5] कार्यरत हैं। केएससी संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सितंबर 2025 में हैदराबाद में इसकी वार्षिक बैठक की मेजबानी की। जिसमें रणनीतिक पहलों, कार्य-योजना तथा वैश्विक लेखापरीक्षा प्रवृत्तियों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल थे –

  - वर्ष 2026-28 की प्रारूप कार्य-योजना पर विचार, 'रणनीतिक विकास योजना 2023-28' की प्रगति की समीक्षा तथा 'वैश्विक प्रवृत्तियों का अनुशीलन' प्रतिवेदन का परीक्षण।
  - केएससी की कार्य-संदर्भ शर्तों में संशोधन, चेक गणराज्य की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था को केएससी का उपाध्यक्ष चयनित करना, समिति की प्रतिवेदनों एवं प्रस्तावों का अनुमोदन तथा इंटोसाई लक्ष्यों के अध्यक्षों के दायित्वों का आवंटन सहित प्रमुख प्रशासनिक विषयों का अंतिम रूप से निर्धारण।
  - केएससी के कार्यकारी समूहों के कार्य-निष्पादन एवं उनकी आवश्यकता की समीक्षा के लिए केएससी संचालन समिति द्वारा 'श्वेत पत्र' की व्यवस्था प्रारंभ की गई। हैदराबाद में आयोजित प्रथम समीक्षा के उपरांत, केएससी एससी ने सर्वसम्मति से सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के मूल्य एवं लाभ संबंधी कार्यकारी समूह (डबल्यूजीवीबीएस) को बंद करने तथा इसकी गतिविधियों को समाप्त करने का निर्णय लिया।

[5] इन 12 कार्यकारी समूहों में लोक ऋण पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीपीडी), सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईटीए), पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीईए), सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीईपीपी), भ्रष्टाचार एवं धन-शोधन के विरुद्ध संघर्ष पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीएफएसीएमएल), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और प्रमुख सतत विकास संकेतकों पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीएसडीजीकेएसडीआई), वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीएफएफएस), निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीईआई), सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीपीपीए), बिग डेटा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीबीडी), लेखापरीक्षा पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईएसटीए) तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीएफए) शामिल हैं। इनमें से सांई इंडिया इंटोसांई सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईटीए) की अध्यक्षता करता है। सांई इंडिया इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस), इंटोसाई ज्ञान-साझाकरण समिति (केएससी), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन (आसोसाई) और सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा तथा डेटा विश्लेषण पर आसोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीआईटीए और डीए) की भी अध्यक्षता करता है।

चित्र 105: केएससी संचालन समिति की 17वीं वार्षिक बैठक में अन्य प्रतिनिधियों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (12 सितंबर 2025, हैदराबाद)



- भारत की पीएम गतिशक्ति पहल का प्रदर्शन, जिसमें यह दर्शाया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियाँ अवसंरचना की योजना बनाने, निगरानी करने और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं तथा दुनिया भर के देशों के लिए प्रासंगिक सीख प्रदान कर सकती हैं।

चित्र 106: 17वीं केएससी संचालन समिति की बैठक के दौरान प्रतिनिधियों (दाएँ) को पीएम गति शक्ति पर प्रस्तुति देते हुए डॉ. विनय ठाकुर, विशेष महानिदेशक, बीआईएसएजी-एन (बाएँ)





- **इंटोसाई सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईटीए) के अध्यक्ष:** वर्ष 1989 में डबल्यूजीआईटीए की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 58 सदस्य एवं सात पर्यवेक्षक हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इसके अध्यक्ष हैं तथा 10 सितंबर 2025 को हैदराबाद में डबल्यूजीआईटीए की 34वीं बैठक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर शिखर सम्मेलन

भी आयोजित किया गया। जो 11 सितंबर 2025 को बैठक के क्रम में आयोजित हुआ तथा जिसमें डिजिटल रूपांतरण, साइबर सुरक्षा तथा लेखापरीक्षा में उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक का प्रमुख परिणाम 2026–28 के लिए डबल्यूजीआईटीए की कार्य-योजना का अंगीकरण रहा, जिसमें साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), लेखापरीक्षा के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस एवं साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमाणन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई।

चित्र 107: 11 सितंबर 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर डबल्यूजीआईटीए शिखर सम्मेलन



11 सितंबर 2025 को आयोजित डबल्यूजीआईटीए के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटि ने 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति एवं भावी दिशा' विषय पर मुख्य संबोधन (कीनोट) दिया।

चित्र 108: डॉ. वी. कामकोटि, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास डबल्यूजीआईटीए के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए



उन्होंने दो प्रमुख आयामों—कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों की लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग—पर बल दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुदृढ़ शासन-व्यवस्था, नैतिक मानकों तथा जीवन-चक्र आधारित लेखापरीक्षा की आवश्यकता रेखांकित करते हुए पारदर्शिता, व्याख्येयता, जवाबदेही एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से धोखाधड़ी का पता लगाने, असामान्यताओं के विश्लेषण, सतत लेखापरीक्षा, जोखिम अनुश्रवण तथा प्रतिवेदनों के स्वचालित निर्माण में लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बिग डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा एवं सततता लेखापरीक्षा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नवाचार, नैतिकता एवं वैश्विक मानकों पर आधारित भावी लेखापरीक्षा व्यवस्था की परिकल्पना के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।

- **इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) की 22वीं वार्षिक बैठक:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए अनुपालन लेखापरीक्षा की कार्य-पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया।
  - सीएएस की बैठक में 2023–25 की कार्य-योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा 2026–28 के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग संबंधी संकल्पना-पत्र पर विशेष ध्यान देते हुए भावी कार्य-दिशा निर्धारित की गई।
  - व्यावसायिक मानक समिति (पीएससी), इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) तथा सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं से प्राप्त अद्यतन जानकारी से सहयोग, नवाचार तथा प्रभावोन्मुखी एवं नागरिक-केंद्रित अनुपालन लेखापरीक्षा पर बढ़ते बल को सुदृढ़ता मिली।
  - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अनुपालन संबंधी अंतरालों की पहचान हेतु भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित आँकड़ा विश्लेषण के सफल उपयोग को रेखांकित किया तथा अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के साथ इन प्रमाणित लेखापरीक्षा तकनीकों एवं कार्य-पद्धतियों को साझा करने की सहयोगात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **एसोसाई शासी बोर्ड के अध्यक्ष:** नई दिल्ली घोषणा में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं से व्यापक परामर्श के उपरांत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए। इन दिशा-निर्देशों को सभी सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ तथा साई थाईलैंड ने विशेष रूप से इसकी सराहना की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, समन्वय एवं विधि) ने जुलाई 2025 में बाकू, अज़रबैजान में आयोजित एसोसाई शासी बोर्ड की 62वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- **एसोसाई सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं आँकड़ा विश्लेषण कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआईटीए एवं डीए) के अध्यक्ष:** डबल्यूजीआईटीए एवं डीए की स्थापना वर्ष 2024 में की गई थी। वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इसके अध्यक्ष हैं। डबल्यूजीआईटीए एवं डीए की प्रथम बैठक 18 दिसंबर 2025 को 'उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता निर्माण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी के साथ ऑनलाइन माध्यम से हुई। संगोष्ठी में उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक का प्रमुख परिणाम 2025–27 के लिए डबल्यूजीआईटीए एवं डीए की कार्य-योजना का अंगीकरण रहा, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, संयुक्त शोध परियोजनाएँ तथा ज्ञान-विनिमय को प्रमुख गतिविधियों के रूप में निर्धारित किया गया।

चित्र 109: एसोसाई डबल्यूजीआईटीए एवं डीए की प्रथम बैठक

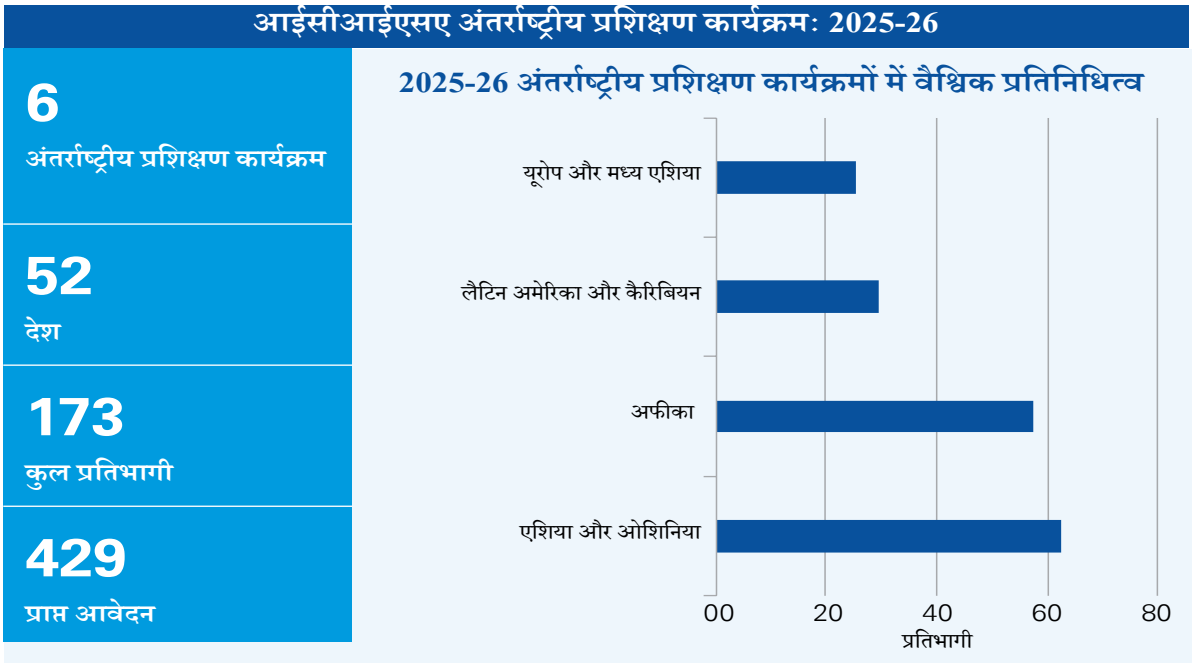


ख. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने वास्तविक लेखापरीक्षा प्रकरणों तथा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के कार्मिकों की लेखापरीक्षा संबंधी दक्षताओं के उन्नयन हेतु क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया। इसके अंतर्गत कतर, बहरीन एवं श्रीलंका की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विश्लेषण तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

- **एनएएए में भूटान एवं मालदीव के अधिकारियों का प्रशिक्षण:** वर्ष 2025-26 के दौरान, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आई.ए.व.ए.एस.) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ भूटान के छः तथा मालदीव के एक अधिकारी के क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया।
  - ➢ सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान एवं साई भूटान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से साई भूटान के अधिकारी प्रशिक्षुओं का क्षमता निर्माण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, रॉयल ऑडिट अथॉरिटी (आरएए) के दो अधिकारियों को एनएएए में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  - ➢ वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान एवं साई मालदीव के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत साई मालदीव द्वारा नामित अधिकारियों को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी):** सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित आईटीपी के माध्यम से विभिन्न देशों की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं एवं सरकारी संगठनों के अधिकारियों को उन्नत उपकरणों एवं तकनीकों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा सांस्कृतिक अनुभवों को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान छः कार्यक्रमों के लिए 173 निर्धारित स्थानों के प्रति कुल 429 आवेदन प्राप्त हुए।

चित्र 110: सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा वैश्विक क्षमता निर्माण

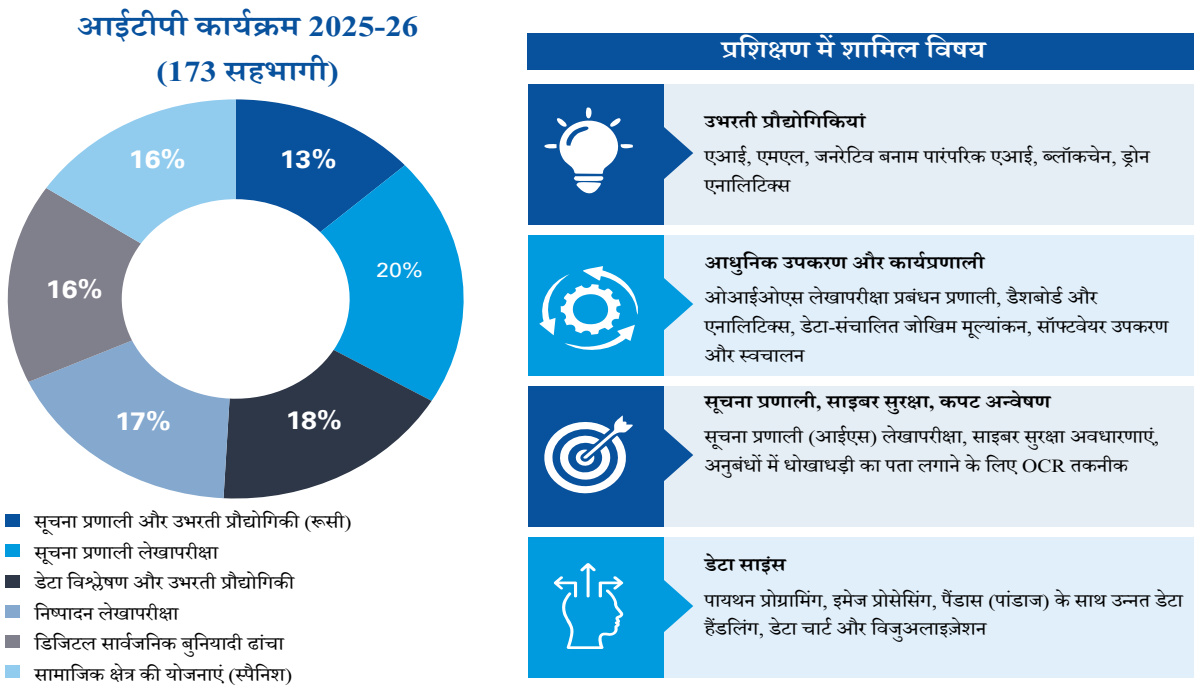


अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण के अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु संस्थान द्वारा समय-समय पर नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय क्षमता निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें की गईं:

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पर प्रथम आईटीपी:** वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के संगठन (एसोसाई) की 16वीं महासभा में सुलभता एवं समावेशन पर विशेष बल देते हुए डीपीआई की लेखापरीक्षा में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) की भूमिका को रेखांकित किया गया। इसके अनुरूप, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा डीपीआई पर प्रथम आईटीपी आयोजित किया गया, जिसमें एसोसाई के 13 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों सहित कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **आईटीपी के दौरान पैनल चर्चा:** प्रतिभागियों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा डीपीआई पर आयोजित 166वें आईटीपी में पहली बार पैनल चर्चा को शामिल किया गया।
- **ई-क्रय पर द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीटीपी):** दिसंबर 2025 में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा साई श्रीलंका के 35 अधिकारियों के लिए सार्वजनिक खरीद की लेखापरीक्षा पर प्रथम व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **आईटीपी के लिए अंतरराष्ट्रीय संकाय:** वैश्विक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा आईटीपी में अंतरराष्ट्रीय संकाय को आमंत्रित करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई, वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय संकाय द्वारा तीन ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए।
- **पूर्व छात्र वेबिनार:** सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा जुलाई 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं जवाबदेही विषय पर प्रथम वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें घाना, नीदरलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका के वक्ताओं ने भाग लिया। मार्च 2026 में लेखापरीक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव विषय पर दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मिस्र, थाईलैंड एवं ब्राज़ील के वक्ताओं ने भाग लिया।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित अनुवाद सहित आईटीपी:** ज्ञान-विनिमय एवं समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा विदेशी भाषाओं में त्वरित व्याख्या सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। वर्ष 2025-26

में, स्पेनिश एवं रूसी भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद की सुविधा सहित दो आईटीपी—सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की लेखापरीक्षा (आईटीपी 168) तथा सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा एवं उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग (आईटीपी 169) आयोजित किए गए।

चित्र 111: वर्ष 2025-26 में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा 173 प्रतिभागियों के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण में शामिल किए गए विषय



- **क्षेत्र भ्रमण एवं अध्ययन दौरे:** वर्ष 2025-26 के दौरान, आईटीपी प्रतिभागियों ने इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ के एआईएवं आईओटीउत्कृष्टता केंद्र तथा आईआईआईटी बेंगलुरु स्थित डीपीआई उत्कृष्टता केंद्र एवं मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (एमओएसआईपी) का भ्रमण किया। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी-संचालन की समझ विकसित करने हेतु हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर कमांड सेंटर, बेंगलुरु सिटी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर तथा कृष्णराज सागर बाँध का भी भ्रमण किया गया।
- **ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम:** तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए आईटीपी के अंतर्गत 6–8 घंटे की अवधि के अल्पावधि ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आँकड़ा दृश्यांकन हेतु पावर बीआई एवं टेबलेउ, डेटा साइंस हेतु पायथन तथा टेबलेउ के माध्यम से डेटा तैयारी, विश्लेषण एवं ईटीएल शामिल थे। ये पाठ्यक्रम निष्पादन लेखापरीक्षा, सूचना-प्रणाली लेखापरीक्षा तथा डीपीआई की लेखापरीक्षा आदि से संबंधित आईटीपी के अंतर्गत आयोजित किए गए।
- **राजदूतों एवं उच्चायुक्तों का भ्रमण:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 'थीम देश दिवस' का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, थाईलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना एवं कजाकिस्तान के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों ने सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का भ्रमण किया।

चित्र 112: वर्ष 2025-26 में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा की गई पहलों की नौ श्रेणियाँ



**आईटीपी: अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम*

- **पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीईडी):** आईसीईडी द्वारा विश्व की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं को पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास के क्षेत्र में निरंतर क्षमता निर्माण, ज्ञान-विनिमय तथा अनुभव-साझाकरण के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

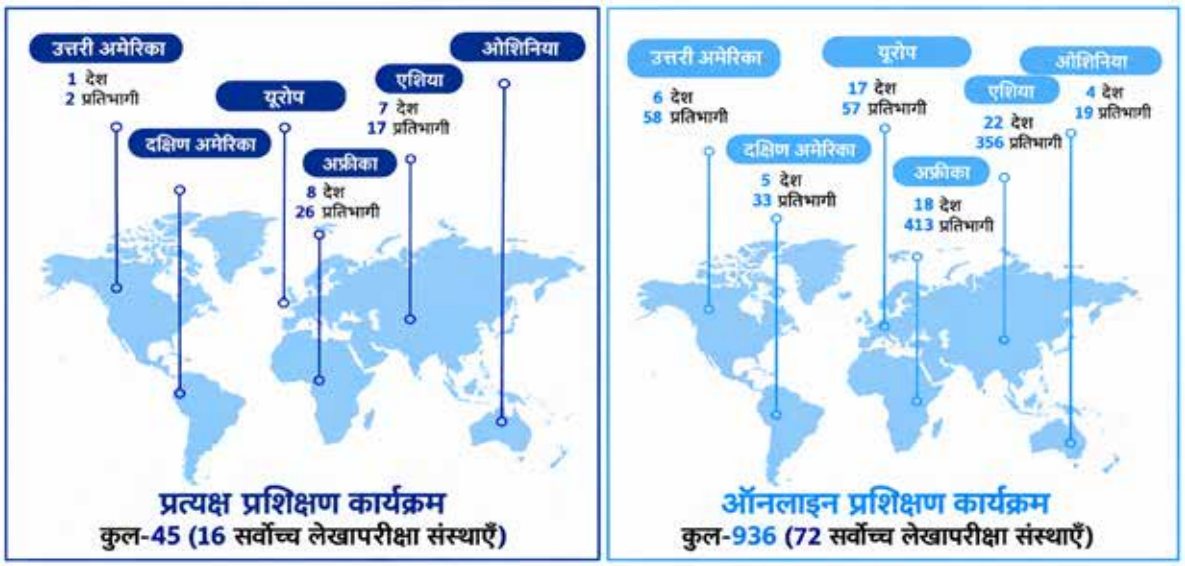
  ➢ वर्ष 2025-26 के दौरान, आईसीईडी द्वारा कुल 13 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 9 वेबिनार, 1 कार्यशाला तथा 3 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यावरण लेखापरीक्षा, जलवायु परिवर्तन, सततता रिपोर्टिंग, चक्रीय अर्थव्यवस्था, हरित राजकोषीय नीति उपकरण आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का संचालन विषय-विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिनमें साई थाईलैंड, साई फिनलैंड, साई कनाडा, साई यूके, साई इंडोनेशिया तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अंतरराष्ट्रीय संकाय शामिल थे।

  ➢ इन पहलों में विभिन्न देशों की 74 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं ने सहभागिता की तथा कुल 981 प्रतिभागी लाभान्वित हुए, जिनमें 26 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी शामिल थे।

  ➢ इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के दौरान सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षा विषय पर आयोजित 165वें आईटीपी के 33 प्रतिभागियों की मेजबानी भी आईसीईडी द्वारा की गई।



चित्र 113: आईसीईडी की वैश्विक पहुँच



- स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आइसीएएल), राजकोट: सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एसोसाई की 16वीं महासभा के दौरान क्षेत्रीय एवं नगरपालिका लेखापरीक्षा कार्यकारी समूह (डबल्यूजीआरएमए) का गठन किया गया तथा नवंबर 2024 में आइसीएएल को इसका नोडल केंद्र नामित किया गया।

  मई 2025 में आयोजित एसोसाई की वार्षिक बैठक के दौरान, अनुमोदित 2025-27 कार्य-योजना के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान को दो रणनीतिक पहलों का दायित्व सौंपा गया: (i) वार्षिक बैठकों, ज्ञान-विनिमय एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से विशेषज्ञ संवाद एवं ज्ञान-साझाकरण को सुगम बनाना; तथा (ii) इंटोसाई एवं सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से पारस्परिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

  तदनुसार, सौंपे गए दायित्व के अंतर्गत, आईसीएएल द्वारा नवंबर 2025 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की लेखापरीक्षा विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एसोसाई की सदस्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

इन पहलों के फलस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए:

- ज्ञान-विनिमय के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की भूमिका सुदृढ़ हुई तथा डिजिटल रूपांतरण, अनुपालन लेखापरीक्षा के आधुनिकीकरण एवं पर्यावरण लेखापरीक्षा सहित प्रमुख वैश्विक लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने में योगदान मिला।
- सहभागी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की पेशेवर दक्षताओं के सुदृढ़ीकरण में योगदान मिला, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विश्लेषण एवं डिजिटल लेखापरीक्षा उपकरणों जैसे उभरते क्षेत्रों में। इसमें लेखापरीक्षा-केंद्रित एलएलएम के विकास तथा प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए प्रयास भी शामिल हैं।

3.3.3 अन्य वैश्विक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग (बहुपक्षीय, द्विपक्षीय)

पिछले वर्ष के दौरान, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने इंटोसाई, एसोसाई, ब्रिक्स, एससीओ तथा साई20 सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ व्यापक सहयोग बनाए रखा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ की गईं:

- **सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की XXV अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस (इनकोसाई):** XXV इनकोसाई का आयोजन अक्टूबर 2025 में मिस्र में किया गया जिसमें मुख्य रूप से दो विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: (i) वित्तीय एवं आर्थिक संकटों के दौरान केंद्रीय बैंकों तथा सरकार की कार्रवाइयों की लेखापरीक्षा में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की भूमिका; तथा (ii) लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग।

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इंटोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य के रूप में कांग्रेस में सहभागिता की तथा निष्पादन लेखापरीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रस्तुति दी।

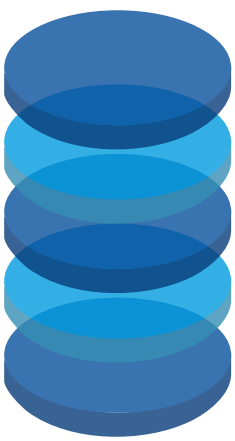
- **वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीसाई) के अंतर्गत साई बेलीज को तकनीकी सहयोग:** इंटोसाई डोनर सहयोग के नेतृत्व में संचालित वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीसाई) का उद्देश्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं उसे बनाए रखना है एवं इसके अंतर्गत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की पहचान कर उनकी क्षमता एवं कार्य-निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में जीसाई के अंतर्गत सहयोग औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, जिसमें साई बेलीज के लिए भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान को प्रमुख तकनीकी भागीदार बनाया गया।

  ➢ इंटोसाई की क्षमता विकास पहलों के अंतर्गत, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा साई बेलीज को तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया (इसका प्रथम चरण दिसंबर 2025 में पूर्ण हुआ) जिसमें डिजिटलीकरण, लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार, हितधारक सहभागिता तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्र शामिल थे। इसके द्वितीय चरण के अंतर्गत सहयोग जारी रखने की योजना है।

  ➢ द्वितीय चरण में भी भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान क्षमता विकास भागीदार के रूप में कार्य करेगा, इसके अंतर्गत वित्तीय लेखापरीक्षा कार्य-पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, आवश्यकता के अनुसार परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा परियोजना संचालन समिति के सदस्य के रूप में पर्यवेक्षण एवं उच्च-गुणवत्ता सहयोग प्रदान करना शामिल है।

- **इंटोसाई की रणनीतिक विकास योजना (एसडीपी) 2023-28:** इंटोसाई के विभिन्न निकायों के सहयोग से, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा मई 2025 में रणनीतिक विकास योजना (एसडीपी) संगोष्ठी तथा इंटोसाई व्यावसायिक उद्घोषणाओं के मंच (एफआईपीपी) की बैठक की मेजबानी की गई, इन आयोजनों के माध्यम से वैश्विक पेशेवर मानकों एवं मार्गदर्शन के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दिया गया। एसडीपी 2023-28 के अंतर्गत पाँच पहलें सम्मिलित की गई हैं, जिनका नेतृत्व पाँच दलों द्वारा किया जाता है, इनमें 'जी' पहल का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है:

चित्र 114: एसडीपी 2023-28 की पाँच पहलें, जिनमें 'जी' पहल का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा किया जा रहा है।



A घोषणाओं तक पहुँच को बेहतर बनाना

T आईएफपीपी के लिए स्पष्ट और सुसंगत शब्दावली विकसित करना

P इंटोसाई सिद्धांतों की सामग्री और प्रस्तुति को अपडेट करना

I आईएसएसएआई की स्पष्टता सुनिश्चित करना

G मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बेहतर दृष्टिकोण विकसित करना

**आईएसएसएआई: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय मानक*

इसके अंतर्गत, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) द्वारा अपने प्रस्ताव के अनुरूप परियोजना संबंधी गतिविधियों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया, परियोजना का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इंटोसाई समुदाय को सार्वजनिक क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु प्रासंगिक एवं उच्च गुणवत्ता वाले मार्गदर्शन तथा संदर्भ सामग्री तक सुगम, सहज एवं व्यापक पहुँच उपलब्ध हो।

- **पर्यावरणीय लेखापरीक्षण पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डबल्यूजीईए) के साथ सहभागिता:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जून 2025 में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डबल्यूजीईए) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करते हुए पर्यावरणीय लेखापरीक्षा संबंधी क्षमता के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) की क्षमता निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) के साथ सहयोग करने की योजना तथा आईसीईडी द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आईटीपी) को ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घटकों तथा प्रशिक्षणोपरांत सहायता सहित मिश्रित 9-दिवसीय प्रारूप में पुनः तैयार करने की योजना शामिल थी एवं प्रशिक्षणोपरांत सहायता के अंतर्गत लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स तथा फीडबैक सत्र भी सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

- **बहुपक्षीय बैठकें/संगोष्ठियाँ/वेबिनार:** भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान बहुपक्षीय लेखापरीक्षा मंचों, जिनमें साई20, ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शामिल हैं, में सक्रिय रूप से भागीदारी करता रहा है, इन मंचों के माध्यम से विषयगत चर्चाओं, ज्ञान-साझाकरण संबंधी पहलों तथा क्षमता निर्माण के प्रयासों में सार्थक योगदान दिया गया है।

  - शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) के प्रमुखों की 7वीं बैठक अप्रैल 2025 में दुशांबे, ताजिकिस्तान गणराज्य में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य कार्यसूची विषय जल संसाधनों की लेखापरीक्षा था, जिसमें जल के सतत उपयोग तथा हिमनदियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया।
  - भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने मीठे जल पर बढ़ते दबाव तथा प्रमुख कार्यक्रमों में निधियों के अप्रभावी उपयोग से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया और समुदाय की सहभागिता तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का सुझाव दिया।
  - शंघाई सहयोग संगठन की रूपरेखा के अंतर्गत, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने एससीओ सचिवालय तथा एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (एससीओ -आरएटीएस) की बाह्य लेखापरीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले वित्तीय दस्तावेजों के संशोधन में योगदान दिया तथा भूमि मरुस्थलीकरण नियंत्रण लेखापरीक्षा पर एससीओ की संयुक्त अनुसंधान परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा एससीओ सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया।
  - ब्रिक्स की रूपरेखा के अंतर्गत, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया तथा सतत विकास लेखापरीक्षा पर ब्रिक्स की संयुक्त अनुसंधान परियोजना में योगदान दिया।
  - इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपांतरण, डेटा-आधारित लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों पर सहयोगी सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित वेबिनारों, संगोष्ठियों तथा विशेषज्ञों के साथ ज्ञान-विनिमय कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया है, जोकि बाह्य लेखापरीक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे विकासक्रम में अग्रणी स्थिति बनाए रखने के प्रति भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **साई सिएरा लियोन एवं साई मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर:** साई सिएरा लियोन एवं साई मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने से द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया गया जिसके माध्यम से प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में सुव्यवस्थित एवं संरचित सहयोग को बढ़ावा मिला।

- **इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा नॉर्वे के महालेखापरीक्षक एवं आईडीआई बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सीएजी और इंटोसाई विकास पहल के कार्यालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन से दोनों संस्थानों के बीच सहयोग और सुदृढ़ होगा तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। ज्ञान के आदान-प्रदान, व्यावसायिक विकास तथा क्षमता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाते हुए, दोनों संगठन सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के मानकों तथा निगरानी संबंधी कार्यप्रणालियों को और सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

चित्र 115: इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) के साथ समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर



- **भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया तथा द्विपक्षीय संगोष्ठियों में भागीदारी की गई** एवं इसके अंतर्गत ओमान एवं दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सहभागिता तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लेखापरीक्षा विषय पर आयोजित भारत-कुवैत संगोष्ठी में भागीदारी शामिल रही। दक्षिण अफ्रीका की संसद की विनियोग संबंधी स्थायी समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संसदीय एवं संस्थागत आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 2 से 6 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली का बेंचमार्किंग-सह-अध्ययन दौरा किया। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान द्वारा साई ओमान के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए दो दिवसीय अध्ययन दौरे का भी आयोजन किया गया। इस दौरे का उद्देश्य प्रतिनिधिमंडल को सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में आधुनिक प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), के उपयोग के संबंध में भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अनुभव एवं कार्यप्रणालियों से अवगत कराना था।

चित्र 116: दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

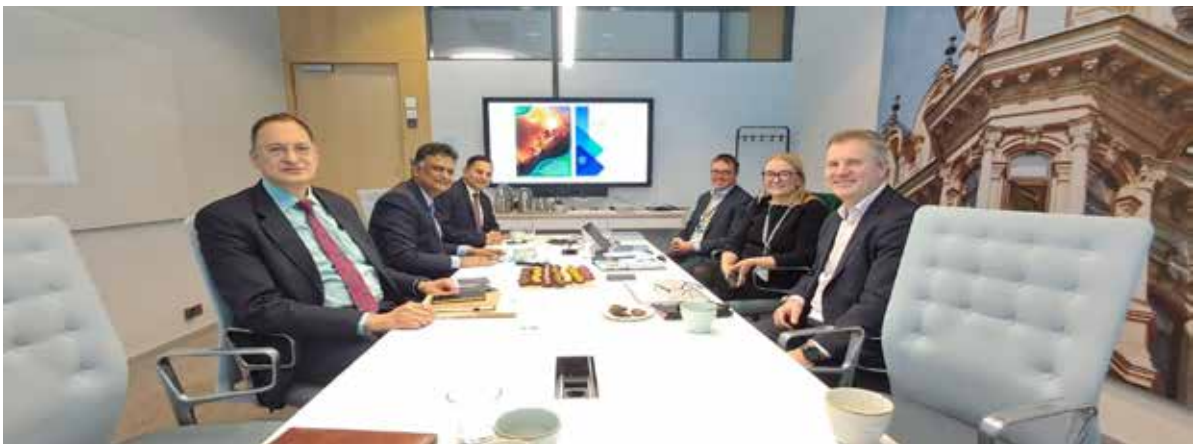


चित्र 117: साई ओमान के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी



- **साई फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठक हेतु फिनलैंड की यात्रा:** हेलसिंकी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री के. संजय मूर्ति तथा फिनलैंड के महालेखापरीक्षक श्री सामी इला-औटिनेन के मध्य फिनलैंड के महालेखापरीक्षक के कार्यालय में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। फिनलैंड के महालेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षा निदेशक द्वारा संस्था के अधिदेश, संगठनात्मक संरचना तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। डॉ. विवी नीमेन्मा ने इंटोसाई डबल्यूजीईए के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें साई फिनलैंड द्वारा किए जा रहे कार्यों, अर्जित अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों तथा मार्गदर्शन संबंधी उत्पादों पर प्रकाश डाला गया। बैठक का समापन विभिन्न विषयों पर स्वतंत्र, व्यापक एवं रचनात्मक विचार-विमर्श के साथ हुआ।

चित्र 118: साई फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



- **साई चेक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय बैठक हेतु चेक गणराज्य की यात्रा**

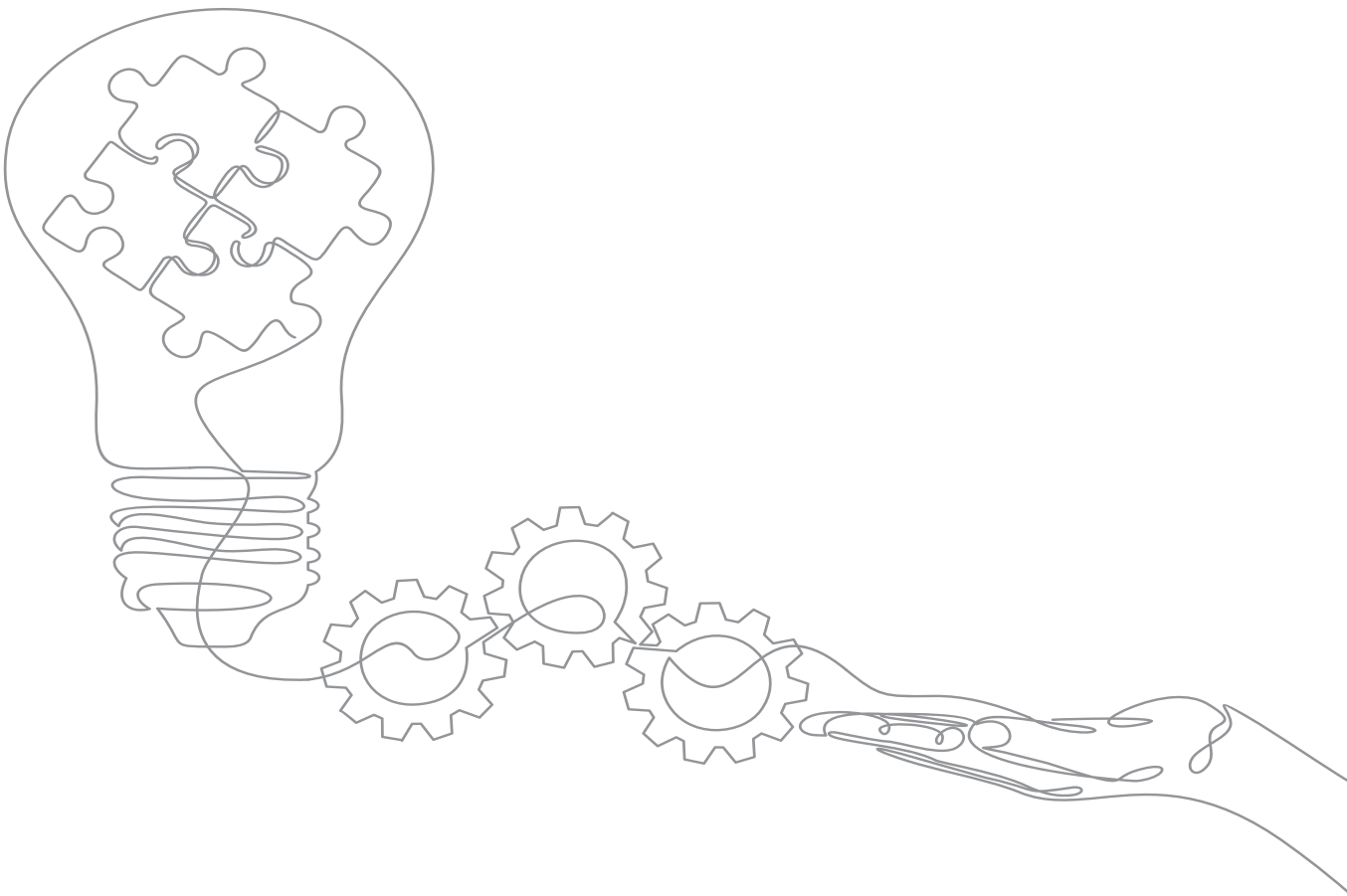
  9 फरवरी 2026 को चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्थक बैठकें कीं, जहाँ प्रतिनिधिमंडल ने सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय (एनकेयू) के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मुलाकात की। विचार-विमर्श में इंटोसाई ज्ञान-विनिमय समिति के उपाध्यक्ष को कार्यों के आवंटन, नई लेखापरीक्षा पहलों, दूरस्थ लेखापरीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

चित्र 119: साई चेक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



- **व्यापक विषयों पर इंटोसाई और एसोसाई सदस्यों के साथ जुड़ते हुए साई इंडिया ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए**

  इन सहभागिताओं ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को काफी मजबूत किया और कई सकारात्मक परिणाम सामने आए, जैसे कि वैश्विक लेखापरीक्षा मानकों और प्रक्रियाओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में साई इंडिया की भूमिका को मजबूत करना, साझेदार साई देशों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना और निरंतर अंतर- देशीय साझेदारी एवं नवाचार साझा करने के लिए तंत्र स्थापित करना। इन आयोजनों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), पीएम गतिशक्ति, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और अन्य डिजिटल गवर्नेंस नवाचारों सहित भारत सरकार की कई परिवर्तनकारी पहलों को उजागर करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अभिशासन और वैश्विक लेखापरीक्षा में उनकी प्रासंगिकता और अपनाने की क्षमता को उजागर करता है।



अध्याय 04

लोक शासन में मूल्य संवर्धन





04

लोक शासन में मूल्य संवर्धन

> **सीएजी के कार्य का महत्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति, लेखों की तैयारी और प्रमाणन एवं हकदारी कार्यों के निष्पादन से कहीं अधिक है।**

सीएजी के कार्य का महत्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति, लेखों की तैयारी और प्रमाणन एवं हकदारी कार्यों के निष्पादन से कहीं अधिक है। संस्था की व्यापक भूमिका सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, मजबूत नियंत्रण और अनुपालन को बढ़ावा देने एवं सार्वजनिक सेवाओं की उत्तरदायी वितरण सुनिश्चित करने के लिए विधायिका और देश के नौकरशाही संवर्ग के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में निहित है।

सीएजी के वास्तविक योगदान को इस बात से देखा जाए कि लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, लेखांकन सुधार, पात्रता-संबंधी हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण की पहलें, संस्थागत नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव किस प्रकार राष्ट्र के शासन और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के समुदाय को प्रभावित करते हैं – यानी वे बदलाव जो सीएजी के हस्तक्षेप और परिणामों के बाद आते हैं। इन प्रयासों ने 2025-26 के दौरान लेखापरीक्षा और लेखा संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से ₹4,251.34 करोड़ की वसूली में योगदान दिया है।

इस अध्याय का मार्गदर्शक सिद्धांत इंटोसाई–पी-12 के अनुरूप है, जो यह मानता है कि साई, सरकार में अखंडता को मजबूत करके नागरिकों के जीवन में बदलाव लाता है। 2025-26 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय के उल्लेखनीय योगदान के साथ, पांच विषय जो सीएजी द्वारा किए गए लेखापरीक्षा, लेखाकरण और हकदारी कार्य की अनुशंसाओं से उत्पन्न ठोस परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करते हैं।

चित्र 120: विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में सीएजी द्वारा लोक शासन में मूल्य संवर्धन



केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों को सम्मिलित करते हुए, अध्याय में कराधान, खनन, अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में केस स्टडी सम्मिलित हैं। प्रत्येक मामले में, मूल्य का आकलन केवल किसी सिफारिश की स्वीकृति से नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले घटनाक्रम के क्रम से होता है - जैसे कि शासन में किसी कमी की पहचान करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, लेखापरीक्षा की गई इकाई की प्रतिक्रिया, और अंततः उसमें सुधार होना, चाहे वह वसूली, नियमों में संशोधन, प्रणालियों के पुनर्गठन, बेहतर अनुपालन या बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से हो।

कुल मिलाकर, ये मामले दर्शाते हैं कि हमारा काम सुधारात्मक और निवारक दोनों है। यह हानि, रिसाव, गलत वर्गीकरण, विलंब, कमजोर नियंत्रण या गैर-अनुपालन के विशिष्ट उदाहरणों को संबोधित करता है, जबकि नियमों, प्रणालियों और संस्थागत प्रक्रियाओं को मजबूत करके पुनरावृत्ति को भी रोकता है। क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन का विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 विधायी, नीतिगत और विनियामक सुधार

निम्नलिखित केस स्टडी विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों में विधायी, नीति और विनियामक ढांचे को मजबूत करने में सीएजी के लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के ठोस प्रभाव को उजागर करती हैं।

- **छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना:** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर कार्यालय ने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जल संसाधन विभाग की अनुसूची दर (मूल्यसूची), 2010 में आईएस 456:2000 के अंतर्गत अधिदिष्ट दरों से कम कंक्रीट ग्रेड निर्धारित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 8.51 लाख घन मीटर सादे सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) और 1.49 लाख घन मीटर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) कार्यों में निम्न स्तर के कंक्रीट का उपयोग हुआ, साथ ही 93 प्रतिशत परीक्षण नमूने अस्वीकृत हो गए। लेखापरीक्षा ने आईएस कोड 456 के साथ सरेखित करने के लिए मूल्य सूची के आवधिक संशोधन और निर्धारित विशिष्टताओं के सख्त

अनुपालन की अनुशंसा की थी। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, विभाग ने मई 2025 से प्रभावी संशोधित मूल्य सूची प्रस्तुत किया, जिसमें आईएस कोड 456 के अनुपालन को अनिवार्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को मजबूत किया गया, संरचनात्मक अखंडता में सुधार हुआ और प्रमुख जल-संसाधन परियोजनाओं के उन्नत स्थायित्व में सुधार हुआ।

- **कच्चे लोहे के उत्पादन में उत्पादन के मानदंडों का मानकीकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड:** सेल संयंत्रों में, स्टील पिघलने वाली शॉप द्वारा प्रसंस्करण नहीं किए गए अधिशेष गर्म धातु को कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए पिग कास्टिंग मशीनों में भेजा जाता है, जो तुलनात्मक रूप से कम राजस्व उत्पन्न करता है। केवल राउरकेला स्टील प्लांट को छोड़कर, जिसने 85 प्रतिशत उत्पादन मानदंड निर्धारित किया था, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो जैसे संयंत्रों ने वास्तविक परिचालन परिणामों का निर्धारण किए बिना स्थिर उपज प्रतिशत का पालन किया। 2017-24 के दौरान औसत उपज 86 से 92 प्रतिशत के बीच थी, जिसमें वार्षिक उपज में 7 से 17 प्रतिशत की कमी आई थी। महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय (इस्पात), रांची द्वारा किए गए लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी संयंत्रों में उपज के मानक मानकीकृत नहीं थे और वास्तविक उत्पादन स्थितियों के अनुरूप नहीं थे, जिससे 77,870 टन कच्चे लोहे का नुकसान हुआ, जिसका मूल्य ₹249.66 करोड़ था। लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के आधार पर, सेल संयंत्र/इकाईयों में सभी पिग कास्टिंग मशीनों के लिए समान उपज मानदंड इकाइयां तय की गईं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में सुधार हुआ, प्रसंस्करण हानि कम हुई और कच्चे लोहे के उत्पादन से बेहतर राजस्व प्राप्ति हुई।

4.2 वित्तीय वसूली और लोक वित्त को सुदृढ़ करना

ये केस स्टडी लोक वित्त की सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों पर वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करने में सीएजी के प्रभाव को उजागर करती हैं। इन मामलों से पता चलता है कि कैसे लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण सार्वजनिक धन की वसूली, राजस्व रिसाव का सुधार और वित्तीय प्रणालियों, प्रापण एवं निवेश प्रक्रियाओं में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुदृढ़ हुई।

- **शंटिंग शुल्क की वसूली, पूर्व मध्य रेलवे:** 2009 के दर परिपत्र 14 (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) के अंतर्गत, निजी स्वामित्व वाली साइडिंग कंपनी को रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर शंटिंग शुल्क लगाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा के दौरान, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे, कोलकाता के कार्यालय ने पाया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिलिंग और निगरानी प्रणालियों में कमियों के कारण शंटिंग शुल्क का बिल सृजित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.54 करोड़ का निर्धारण नहीं हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, लंबित बकाया का निर्धारण और वसूली की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.91 करोड़ की वसूली हुई और बिलिंग तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया गया।

- **उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में बिलिंग दक्षता और अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लेखापरीक्षा-आधारित सुदृढ़ीकरण:** लेखापरीक्षा में अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) की वसूली, उच्च खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अनुबंधित भार में वृद्धि, लगातार भार का उल्लंघन करने वालों पर बढ़े हुए दंड और चूककर्ताओं को दी जाने वाली किस्त सुविधाओं के विनियमन से संबंधित प्रमुख नियामक आवश्यकताओं के प्रवर्तन की कमी को चिन्हित किया गया। लेखापरीक्षा ने एएसडी वसूली, अनुबंधित भार वृद्धि और बार-बार भार उल्लंघन के लिए निवारक दंड को नियंत्रित करने वाले मौजूदा मानदंडों को सख्ती से लागू करने की अनुशंसा की। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2025 तक अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में ₹ 328 करोड़ और दंड के रूप में ₹47.78 करोड़ की वसूली हुई। संचयी वित्तीय प्रभाव ₹ 400 करोड़ से अधिक था, साथ ही भार अनुशासन, नियामक अनुपालन, नेटवर्क दक्षता और राज्य डिस्कॉम

की दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्यता में भी सुधार हुआ।

- **अशोध्य और संदिग्ध ऋणों से संबंधित कटौतियों की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति का पता लगाना, आयकर विभाग:** आयकर विभाग द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारण में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दावा की गई छूट और कटौती के निष्पादन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), मुंबई के कार्यालय ने बैंकिंग सेक्टर इकाइयों के कर निर्धारण में कटौतियों और गणना त्रुटियों की गलत तरीके की स्वीकृति को पाया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, पुनर्निर्धारण और वसूली की कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,389 करोड़ की वसूली हुई और कर निर्धारण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया गया।

- **तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) का गठन और उपकर से प्राप्त राशि का अंतरण:** महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) कार्यालय ने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि सरकार द्वारा 2023-24 तक कच्चे तेल पर संग्रह किये गए ₹ 2,93,948.16 करोड़ उपकर राशि को निर्दिष्ट निधि के सृजन के अभाव के कारण हस्तांतरित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के आधार पर, उपकर आय के उचित लेखाकरण और उचित आबंटन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एक आरक्षित निधि के रूप में तेल उद्योग विकास निधि का सृजन किया और इसमें ₹ 17,730 करोड़ हस्तांतरित किए। सरकारी लेखा में कच्चे तेल पर उपकर आय के हस्तांतरण और आबंटन से संबंधित लेखाकरण/निधि प्रबंधन व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

- **प्रमाणन लेखापरीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) के वित्तीय विवरणों का सुधार:** प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), बेंगलूरु के कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) के प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के दौरान, आरंभ में प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में विसंगतियां पाई गईं। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में, वित्तीय विवरणों की सटीकता, पूर्णता और लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन हेतु उनकी जांच की गई थी। निमहंस के संदर्भ में ये अभ्युक्तियाँ 2024-25 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) का हिस्सा थे। इसके उत्तर में, निमहंस ने प्रासंगिक अनुसूचियों और विवरणों का अद्यतन करके लेखों का संशोधन किया, ताकि सटीक वित्तीय स्थितियों को दर्शाया जा सके और प्रमाणन लेखापरीक्षा में अपेक्षित पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन पर, व्यय को ₹ 5.57 करोड़ से संशोधित किया गया और वर्ष का परिणाम ₹ 2.01 करोड़ के घाटे से बढ़कर ₹ 3.42 करोड़ का अधिशेष हो गया, जिससे प्रमाणित लेखों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ।

- **बजट स्थिरीकरण कोष का निर्माण, झारखंड:** खनन आधारित राजस्व पर निर्भरता के कारण झारखंड की वित्तीय स्थिति अस्थिरता के प्रति संवेदनशील थी। ओडिशा ने राजस्व में अचानक आई कमी को कम करने के लिए अपनी खनन से संबंधित प्राप्तियों के एक हिस्से को कोष के रूप में निर्धारित करते हुए बजट स्थिरीकरण कोष (बीएसएफ) की स्थापना करते हुए इस तरह की चुनौती का समाधान किया था: सितंबर 2025 में राज्य वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन में राजकोषीय स्थिरता के लिए एक सर्वोत्तम प्रक्रिया के रूप में विचार-विमर्श किया गया।

  प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), झारखंड के कार्यालय ने राज्य वित्त विभाग के साथ मिलकर कोष हेतु लेखाकरण एवं परिचालन ढांचे को तैयार किया, जिसमें विशेष आरक्षित निधि लेखाकरण और रिपोर्टिंग, एक स्पष्ट लेखापरीक्षा ट्रेल और एक निवेश इंटरफेस सम्मिलित है। इसकी अधिसूचना के बाद, राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश के लिए 2025-26 के दौरान ₹832 करोड़ के प्रारंभिक योगदान को मंजूरी दी, जिससे एक संरचित राजकोषीय बफर का निर्माण हुआ और निधि प्रबंधन में राजकोषीय लचीलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुदृढ़ हुई।

4.3 अनुपालन, नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन

केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और नियमों के अनुपालन में सुधार करने में मदद की है, जिससे अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह सुरक्षा ढांचे बने।

- **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया(सेल) में सुरक्षा प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करना:** महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), रांची के कार्यालय ने भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जैसे सेल संयंत्रों में सुरक्षा अनुपालन कमियों को लगातार पाया, जिसमें गैर-कार्यात्मक अग्नि संकेतक प्रणाली, सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण नहीं करना और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का सही प्रकार से पालन नहीं करना सम्मिलित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में, पर्यवेक्षण में कमियों, पर्याप्त मानक संचालन प्रक्रियाओं की कमी और असुरक्षित ट्रैक एवं स्लैग प्रबंधन की असुरक्षित प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप 20 नवंबर 2022 को एक घातक दुर्घटना हुई, जिसमें तीन श्रमिकों की मौत हो गई। लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि प्रबंधन एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा के आवधिक संचालन, निरंतर निगरानी और ऐसे लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के अनुपालन के अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करे। लेखापरीक्षा हस्तक्षेप ने सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया। सुरक्षा सलाहकारों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई, और एसओपी का संशोधन, परिचालन सुरक्षा के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

4.4 पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन

यह मामला दर्शाता है कि कैसे हमने नीतिगत सुधारों का समर्थन किया है, जिससे लाभार्थियों तक लाभ बेहतर रूप से पहुंच सकेगा, संसाधनों के कुशल उपयोग और पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

- **चाय बाग़ान जनजातियों के लिए आवास और शिक्षा लाभों का विस्तार, असम सरकार:** असम में चाय बाग़ान जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लेखापरीक्षा से पता चला कि 87 प्रतिशत श्रमिकों को भूमि स्वामित्व नहीं है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सापेक्ष विद्यालय की सुविधा में कमियां हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), का कार्यालय, असम ने आवास की सुविधा में सुधार करने और विद्यालय के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार को सुनिश्चित करने की अनुशंसा की थी। उत्तर में, असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया था, और भूमि आवेदनों के लिए समर्थित ऑनलाइन पोर्टल द्वारा 28,000 श्रमिकों (मार्च 2026) को भूमि विलेख वितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 118 चाय बागान मॉडल स्कूल निर्मित किए गए और 100 अन्य निर्माणाधीन थे। इन उपायों ने आजीविका के अवसरों को बढ़ाया, आवास सुरक्षा में सुधार किया और शिक्षा तक पहुंच को सुदृढ़ किया।
- **भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार:** भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय (रक्षा सेवाएं), नई दिल्ली ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में कमियों को चिन्हित करने के लिए लाभार्थियों और पूर्व सैनिक संघों को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा में पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों (एचसीओ) के अपर्याप्त और असमान वितरण पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्षेत्रीय केंद्र पटना के अंतर्गत सम्मिलित 28 में से 20 एचसीओ पटना शहर में ही केंद्रित थे, जिससे अधिकांश जिलों में पैनलबद्ध सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा के बाद, टियर-II और टियर-III शहरों के लिए नामांकन मानदंडों में छूट दी गई और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद, बिहार में पांच सहित, छः परीक्षण-जांच क्षेत्रीय केंद्रों में 67 नए एचसीओ को सूचीबद्ध किया गया, जिससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की क्षेत्रीय पहुंच में सुधार हुआ। हस्तक्षेप ने प्रदर्शित

किया कि कैसे हितधारक-सूचित लेखापरीक्षा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को प्रेरित कर सकता है और पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार कर सकता है।

4.5 शासन में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी

ये केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे प्रौद्योगिकी-सक्षम हस्तक्षेपों ने प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है, त्रुटियों को कम किया है और निगरानी में सुधार किया है। इनमें ईआरपी-आधारित वित्तीय प्रणालियों, डीबीटी कार्यान्वयन, इन्वेंट्री प्रबंधन और आंकड़ा-संचालित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सत्यनिष्ठा, महाराष्ट्र सरकार (कोविड अनुग्रह राशि):** राजस्व और वन विभाग (राहत और पुनर्वास), महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से ₹ 50,000 की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी। लेखापरीक्षा के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) महाराष्ट्र, मुंबई के कार्यालय ने डुप्लिकेट लाभार्थी अभिलेख की पहचान की, जिन्हें ₹ 3.84 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर देते हुए, डीबीटी प्रणाली में संशोधन से यह सुदृढ़ हुई जिससे अनुग्रह राशि के लिए डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाले आवेदनों को रोकने में काफी सुधार हुआ। सरकार ने दिसंबर 2024 तक ₹ 92.50 लाख की वसूली भी की।
- **फिनअसम और वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण प्रणाली (वीएलसीएस) का एपीआई एकीकरण, असम:** एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (फिनअसम) और वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण प्रणाली (वीएलसीएस) के बीच एकीकरण की कमी के कारण लेखों के समेकन में विलंब देखा गया। प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह), असम के कार्यालय के हस्तक्षेप के आधार पर, राजकोष और लेखाकरण प्रणालियों के बीच निर्बाध आंकड़ा प्रवाह को सक्षम करने के लिए प्रणालियों को एकीकृत किया गया था। राज्य वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन के दौरान लोक वित्त आईटी प्रणालियों के एकीकरण और अंतरप्रचालनीयता के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया, जहां राज्यों को अपने आईएफएमएस को वीएलसीएस के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस पहल के अंतर्गत, असम सरकार ने फिनअसम और प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) के वीएलसीएस के बीच अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप लेखों के संकलन की समयबद्धता में सुधार हुआ, मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आई और वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता में वृद्धि हुई।
- **ईआरपी- आधारित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, पश्चिम बंगाल आवास आधारभूत संरचना विकास निगम (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ):** पश्चिम बंगाल आवास आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा ईआरपी प्लेटफॉर्म एसएपी और सूट 4 - हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक एप्लायंस (एस/4एचएएनए) के माध्यम से संसाधित संविदाकारों के भुगतानों की समीक्षा से प्रणाली नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमी (मान्यकरण तर्क में कमियां, निवारक प्रणाली जांच में विफलता, और ईआरपी कार्यान्वयन के दौरान अपर्याप्त गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं) का पता चला। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल द्वारा सूचना के बाद, एक जांच की गई, और ईआरपी प्रणाली के विकासक ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सुधारात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप विक्रेताओं को गलती से भुगतान किए गए ₹3 करोड़ की पूर्ण वसूली हुई, जिससे डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ को वित्तीय हानि से बचाया गया।

अध्याय 05

भविष्य की योजना

2026-27 के लिए गति बनाने की नई पहलें





05

भविष्य की योजना

2026-27 के लिए गति बनाने की नई पहलें

वर्ष 2023 में, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान ने संगठन के मुख्य कार्यों के साथ-साथ आंतरिक प्रक्रियाओं को बदलने, मानकीकृत करने और संस्थागत रूप देने के लिए चार बड़े लक्ष्यों और दस स्तंभों के साथ 2023-30 अवधि के लिए एक रणनीतिक योजना को अपनाया।

वर्ष 2025-26 में कई नई पहलों की शुरुआत हुई या वर्ष के दौरान कई कार्य प्रक्रियाओं सुदृढ़ किया गया। साई इंडिया आने वाले वर्षों में भी इसी गति से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखती है - लेखापरीक्षा गुणवत्ता बढ़ाने, बेहतर लेखाकरण और हकदारी सेवाओं, प्रमुख डिजिटल क्षमताओं और सार्वजनिक जवाबदेही एवं शासन की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए संस्थागत जवाबदेही से संबंधित पहलों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना।

2026-27 के लिए गति लाने के लिए नई पहल

साई इंडिया एक दूरदर्शी सार्वजनिक लेखापरीक्षा संस्थान के रूप में सीएजी की भूमिका को विकसित और बेहतर बनाने एवं मजबूत करने का इरादा रखती है।

5.1 साई इंडिया का रणनीतिक रोडमैप 2026-30

2023 में, साई इंडिया ने संगठन के मूल कार्यों के साथ-साथ आंतरिक प्रक्रियाओं को बदलने, मानकीकृत करने और संस्थागत बनाने के लिए चार व्यापक लक्ष्यों और दस स्तंभों के साथ 2023-30 की अवधि के लिए एक रणनीतिक योजना को स्वीकृत किया था। प्रारंभिक वर्षों से परे निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, संगठनात्मक प्राथमिकताओं को 2026 में नई पहलों और उभरते विकास के साथ फिर से सरेखित किया गया था।

पुनर्गठित रोडमैप में संस्थानों की आंतरिक प्रक्रियाओं, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक डोमेन के लिए मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रणनीतिक रोडमैप के दस स्तंभों की निम्नलिखित व्याख्या की गयी है:

चित्र 121: रणनीतिक रोडमैप 2026-30 के स्तंभ

	आंकड़ा-आधारित लेखापरीक्षा पर ध्यान दें	सेक्टर-आधारित लेखापरीक्षा पर केन्द्रित	अखिल भारतीय एवं केंद्र स्तर पर लेखापरीक्षा	लेखा एवं हकदारी	अंतरराष्ट्रीय संबंध
उद्देश्य	पारंपरिक लेखापरीक्षा से विश्लेषण-आधारित आश्वासन की ओर	मजबूत लेखापरीक्षा डिज़ाइन मैट्रिक्स का क्यूरेशन (एडीएम) एवं दिशानिर्देश और मुख्य प्रभावी सेक्टरमें केन्द्रित लेखापरीक्षा	राष्ट्रीय महत्व की समन्वित अखिल भारतीय/ केंद्र स्तरीय लेखापरीक्षाएं करना।	पूरी तरह डिजिटल कार्यप्रवाह और आंकड़ा केन्द्रित वित्तीय प्रबंधन इकोसिस्टम का निर्माण	अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा समुदाय में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ करना
अपेक्षित परिणाम	जोखिम की बेहतर पहचान लेखापरीक्षा कवरेज का बेहतर होना प्रमाण आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	मजबूत एडीएम का क्यूरेशन और दिशानिर्देश राष्ट्रीय विषयों और प्राथमिकताओं की लगातार लेखापरीक्षा	राष्ट्रीय प्राथमिकता पर सरेखित लेखापरीक्षा	मजबूत लोक वित्तीय प्रबंधन पेपरलेस प्रक्रिया आंकड़ा-आधारित निर्णय	बेहतर वैश्विक दृश्यता मजबूत अंतरराष्ट्रीय स्थिति और भागीदारी

	क्षमता निर्माण पहल	मानव संसाधन परिवर्तन	शासन और वित्त को मज़बूत बनाना	पहुंच बढ़ाने की पहल	सूचना प्रणाली और एआई परिवर्तन
उद्देश्य	निरंतर शिक्षण के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल	एक उच्च निष्पादन करने वाला और गतिशील संगठन बनाएं	लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार और हितधारकों के लिए उच्च मूल्य का सृजन	संस्थानगत मूल्यों का प्रदर्शन और लोगों का विश्वास मजबूत करना	डिजिटल रूप से सक्षम लेखापरीक्षा संस्थान बनना
अपेक्षित परिणाम	भविष्य के लिए तैयार कार्यबल मजबूत ज्ञान प्रबंधन संस्कृति	मेधा आधारित कार्य संस्कृति सुव्यवस्थित कार्यबल बेहतर प्रतिभा प्राप्ति, प्रतिधारण और पदोन्नति कार्य नैतिकता को सुदृढ़ करना	मजबूत अभिशासन हितधारकों की बढ़ती भागीदारी कार्य पद्धति और उत्पादन में सुधार कार्रवाई-उन्मुख अनुशंसा	बेहतर दृश्यता जनता तक मज़बूत पहुँच	एआई/ प्रौद्योगिकी सक्षम लेखापरीक्षा इंटरप्राइज़ –वाइड विश्लेषण सूचना प्रणाली अवसंरचना का पुनरुत्थान

लोक प्रशासन और लोक वित्तीय प्रबंधन की बदलती रूपरेखा के उत्तर में, रोडमैप प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा की ओर विचार पूर्वक किए गए बदलाव को दर्शाता है। इस रणनीतिक रोडमैप को दीर्घकालिक - संस्थागत और साथ ही प्रणालीगत परिणाम लाने के लिए परिकल्पित किया गया है, जैसे:

- बिजली, लॉजिस्टिक्स, शहरी वित्त आदि जैसे क्षेत्रों में गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता के साथ कार्यबल का सृजन। इससे लेखापरीक्षा जनादेश को लागू करने में भारत के सीएजी की नेतृत्व स्थिति एवं विशेषज्ञता और बढ़ जाएगी।

- सीएजी द्वारा तैयार किया गया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन केवल अनुपालन-उन्मुख दस्तावेजों के रूप में नहीं, बल्कि संभाव्य बुद्धिमत्ता के रूप में काम करेगा। शिक्षाविदों, मीडिया, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों की बढ़ी हुई अवश्यकता के प्रयोग हेतु लेखापरीक्षा आंकड़ा व्यापक रूप से सुलभ होगा।
- संस्थागत पहुंच बढ़ाने के प्रयासों (प्रबंधन पत्र, कार्यकारी सारांश, आदि) से लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित के अधिक अनुकूल हो जाएगी और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ेगी।

5.2 संगठनात्मक केपीआई

सीएजी ने भा.लेप. एवं ले.वि. टीमों में निष्पादन को ट्रैक करने के लिए एक व्यावहारिक, निष्पक्ष और सटीक मापदंड का आधार प्रदान करने हेतु भा.लेप. एवं ले.वि. संगठनात्मक केपीआई कार्यप्रणाली प्रस्तुत की। 2025-26 में जिस कार्यप्रणाली पर काम किया गया था, वह अगले वर्ष अग्रणी भूमिका में रहेगी और एक विशेष पोर्टल के माध्यम से सभी भा.लेप. एवं ले.वि. में लागू की जाएगी, जिसे मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के इनपुट को निर्बाध रूप से एकत्रित करने के लिए विकसित किया जाएगा।

5.3 प्रबंधन पत्र

राज्य और संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक केंद्रित संचार साधन के रूप में 2025-26 में प्रबंधन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये पत्र प्रगति के क्षेत्रों और ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों दोनों को स्पष्ट करते हुए, संक्षिप्त एवं सुलभ रूप में प्रमुख लेखपरीक्षा संदेश प्रस्तुत करते हैं। इस पहल का उद्देश्य अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करना, सूचित प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करना और स्पष्ट एवं अधिक कार्रवाई योग्य संचार के माध्यम से लेखापरीक्षा के व्यावहारिक मूल्य को बढ़ाना है।

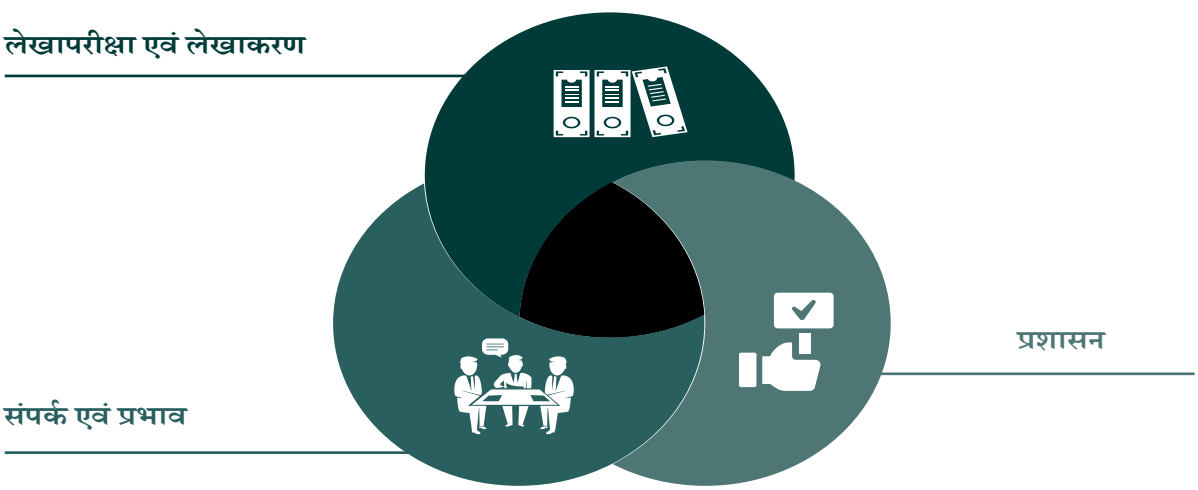
व्यापक रणनीति के अंतर्गत, 2025-26 में 3 प्रबंधन पत्र (एमएल) जारी किए गए हैं। कई प्रमुख क्षेत्रों पर प्रबंधन पत्र 2026-27 के दौरान जारी किए जाने की योजना है।

5.4 सीएजी 101 नवाचार विचार पहल - नवाचार की दीर्घकालिक संस्कृति को बढ़ावा देना

नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर से समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए, साई इंडिया ने कर्मचारियों के नेतृत्व वाले नवाचार और संस्थागत परिवर्तन के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में सीएजी 101 इनोवेशन आइडियाज इनिशिएटिव की अवधारणा की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, एआई-सक्षम प्रणालियों, वास्तविक समय निगरानी और नागरिक-केंद्रित जवाबदेही सहित सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में उभरती जरूरतों के अनुरूप नवप्रवर्तनकारी, बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए 126+ कार्यालयों के कर्मियों के विचारों का लाभ लेना है।

ये पहलें तीन व्यापक स्तंभों के इर्द-गिर्द टिकी हुई हैं:

चित्र 122: सीएजी 101 नवाचार विचार पहल को आधार देने वाले तीन स्तंभ



परिभाषित विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत पूरे भा.लेप. एवं ले. वि. से विचारों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सम्मिलित हैं:

चित्र 123: 101 नवाचार विचार पहल के तहत विषयगत क्षेत्र

विषय क	**लेखापरीक्षा योजना, जोखिम पहचान और निष्पादन पद्धतियां**
विषय ख	**कारोबार प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग: लेखापरीक्षा, लेखा और संस्थागत उत्पाद एवं आउटपुट**
विषय ग	**संस्थागत प्रक्रिया का बेहतर होना, कार्यबल एवं क्षमता निर्माण**
विषय घ	**हितधारकों से संपर्क, सहयोग और जन-भागीदारी**

ये विषय बेहतर दक्षता, सुदृढ़ निगरानी, आधुनिक प्रक्रियाओं और उन्नत लेखापरीक्षा परिणामों को बढ़ावा देते हैं।

इस पहल को तीन फ़िल्टरिंग समितियों (संघ स्तर, राज्य और अन्य) और एक शीर्ष अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। शीर्ष सात नवाचारों को 16-17 नवंबर 2026 को लेखापरीक्षा दिवस और उससे संबंधित कार्यक्रम के समारोहों में प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि ई-गवर्नेंस (एनएईजी) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की अनुशंसा हेतु उपयुक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

एक विशेष डिजिटल पोर्टल प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन, सलाह और ज्ञान-साझाकरण का समर्थन करता है। 2026-27 चक्र में प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन, सलाह और अंतिम प्रस्तुति सम्मिलित है, जिसके बाद चयनित नवाचारों का प्रसार और उन्हें अंगीकार करना सम्मिलित है।

एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में आगे ले जाया गया सीएजी 101 इनोवेशन आइडियाज इनिशिएटिव को चरण-2 के साथ और विकसित किया जा रहा है जो इस पर ध्यान केंद्रित करता है:

- सैंडबॉक्स वातावरण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए साझेदारी सहित चयनित नवाचारों के लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी सहायता।
- चुनिंदा कार्यालयों में पायलट तैनाती, इसके बाद पूरे संस्थान में चरणबद्ध स्केलिंग
- पहल के क्रमिक वार्षिक चरणों सहित उन्नत संस्थागतकरण, और प्राथमिकता लेखापरीक्षा विषयों के साथ एकीकरण।

एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित, इस पहल का उद्देश्य संगठनात्मक प्रक्रियाओं में नवाचार को सम्मिलित करना, निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करना और आधुनिक एवं प्रभावशाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर बदलाव का समर्थन करना है।

5.5 डिजिटल प्रतिवेदन - एसएफएआर

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) को गतिशील विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाकर इंटरैक्टिव डिजिटल संसाधनों में बदल दिया जा रहा है। यह 2026-27 के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में निर्धारित किया गया है, जो 2025-26 में पूरा किए गए कार्य को आगे बढ़ाता है।

- इस वर्ष एसएफएआर के लिए 64 इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का विकास करना प्रमुख मील का पत्थर रहा है, जिसमें

2022-23 तक के दशक के वित्तीय आंकडें को सम्मिलित किया गया है। ये डैशबोर्ड चार प्रमुख विषयों - प्राप्तियों, व्यय, ऋण और देनदारियों और एवं राजकोषीय संकेतकों - में सूचना प्रस्तुत करते हैं, जिससे राज्यों के बीच रुझानों की तुलना की जा सकती है।

- निष्कर्षों और सहायक आंकड़ा के आसान संचालन के लिए एक विशेष डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरात और ओडिशा एसएफएआर का डिजिटल संस्करण भी उपलब्ध कराया गया है।
- सीएजी टीम 2026-27 में एसएफएआर को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदलने का काम जारी रखेगी।

5.6 शिकायत निवारण को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना

सीएजी में शिकायत निवारण के लिए कई माध्यम हैं - क) राज्य- महालेखाकार कार्यालयों के माध्यम से, ख) सीएजी कार्यालयों के साथ सीधा संचार, या ग) सीपीग्राम्स जैसे केंद्रीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर उपलब्ध अग्रेषण तंत्र के साथ राज्य- महालेखाकार वेबसाइटों के "शिकायतें/सुझाव/प्रतिक्रिया" खंड के माध्यम से भी शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं।

इन मौजूदा व्यवस्थाओं के आधार पर, सीएजी टीमों ने इस वर्ष एक एकीकृत, प्रौद्योगिकी-सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली की ओर बढ़ने के प्रयास किए हैं जो सभी माध्यमों से शिकायतों को एक ही पोर्टल पर संबोधित करने की व्यवस्था प्रदान करता है।

- शिकायतों के मानकीकृत, सम्पूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए आने वाले वर्ष में कार्यालयों में रोलआउट के साथ, एक एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल, सीएजी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीओजीआरएमएस) पाइपलाइन में है।
- झारखंड जैसे कार्यालयों में कार्यान्वयन पर आधारित पहल, जहां डिजिटल शिकायत प्रणाली पहले से ही चालू है।
- इस पहल से पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी और शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर उपयोगकर्ता की बेहतर पहुंच के माध्यम से समयबद्धता एवं जवाबदेही में वृद्धि होने की आशा है।
- यह शिकायतों पर की गई कार्रवाई की केंद्रीकृत ट्रैकिंग प्रदान कर सकेगा।

5.7 साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा

डिजिटल प्रणालियों के साथ लेखापरीक्षा के बढ़ते इंटरफेस ने पारंपरिक लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों के भीतर साइबर सुरक्षा जोखिमों के निर्धारण में अंतर को उजागर किया है। इस अंतर को पाटने के लिए, 2025-26 के दौरान साई इंडिया के आईएस विंग ने साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा पर पायलट योजना के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित हैं:

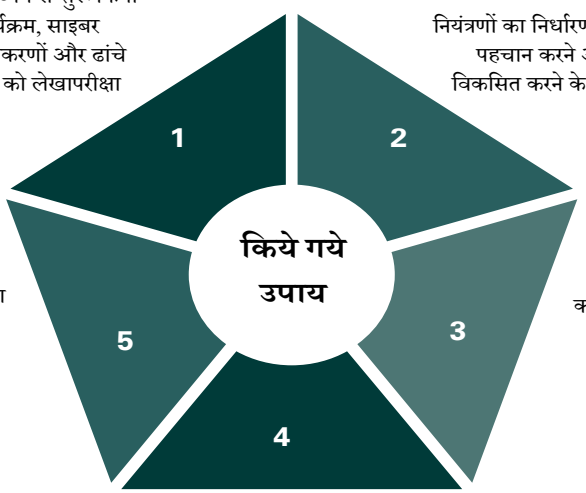
चित्र 124: पायलट साइबरसुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए की गयी मुख्य गतिविधियां

नयी लेखापरीक्षा क्षमताओं का निर्माण

सीईआरटी-आईएन पैनलबद्ध विक्रेता के माध्यम से शुरू किया गया संरचित साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा निर्धारण के लिए विशेष पद्धतियों, उपकरणों और ढांचे को विकसित करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञता को लेखापरीक्षा अनुभव के साथ जोड़ता है

महत्वपूर्ण अवसंरचना में पायलट

बड़े पैमाने पर डिजिटल वातावरण में साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का निर्धारण करने और प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और प्रासंगिक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लेखापरीक्षा संपर्क की योजना बनाई गई थी



संस्थागत क्षमता और ढांचों का निर्माण

समग्र साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा ढांचे को विकसित करने के लिए कार्य शुरू किया गया है, जिसमें मार्गदर्शन सामग्री, चेकलिस्ट, उपकरण और प्रशिक्षण संसाधन शामिल हैं, जिसे लेखापरीक्षा कार्यालयों में अपनाया जाएगा

पायलट के माध्यम से पद्धतियों का विकास

लेखापरीक्षा पद्धतियों को स्थापित करने, निर्धारण तकनीकों को परिष्कृत करने और क्षेत्र-विशिष्ट समझ बनाने के लिए पायलट लेखापरीक्षा का लाभ उठाया गया, जिससे व्यापक रूप से अपनाने का आधार बना

इकोसिस्टम का विस्तार

कार्यक्रम को क्रमिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कराधान, अप्रवासन, मेट्रो प्रणाली और बिजली नेटवर्क तक अभिशासन प्रणाली में साइबर सुरक्षा जोखिम के लेखापरीक्षा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए विस्तारित किया जा रहा है

**सीईआरटी-आईएन: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम*

प्रयोगिक योजना से भविष्य में साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाने की नींव रखने की आशा है। यह लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण प्रणालियों में साइबर जोखिमों के संरचित निर्धारण और सीएजी के भीतर एक विशेष साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा क्षमता द्वारा समर्थित सीईआरटी-आईएन और एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन को सक्षम करेगा। इसे इस उद्देश्य से लाया गया है कि:

- प्रणाली सुरक्षा, लचीलापन और साइबर जोखिम प्रबंधन को सम्मिलित करके प्रौद्योगिकी-आधारित परिवेश में लेखापरीक्षा प्रासंगिकता बढ़ाना।
- तकनीकी सहयोग और प्रयोगिक योजना सीखने के माध्यम से संस्थागत क्षमता का निर्माण, जिससे इसे आईएएडी में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा सके।

5.8 डिजिटल प्रणाली की लेखापरीक्षा पर प्रमाणन (सीएडीएस)

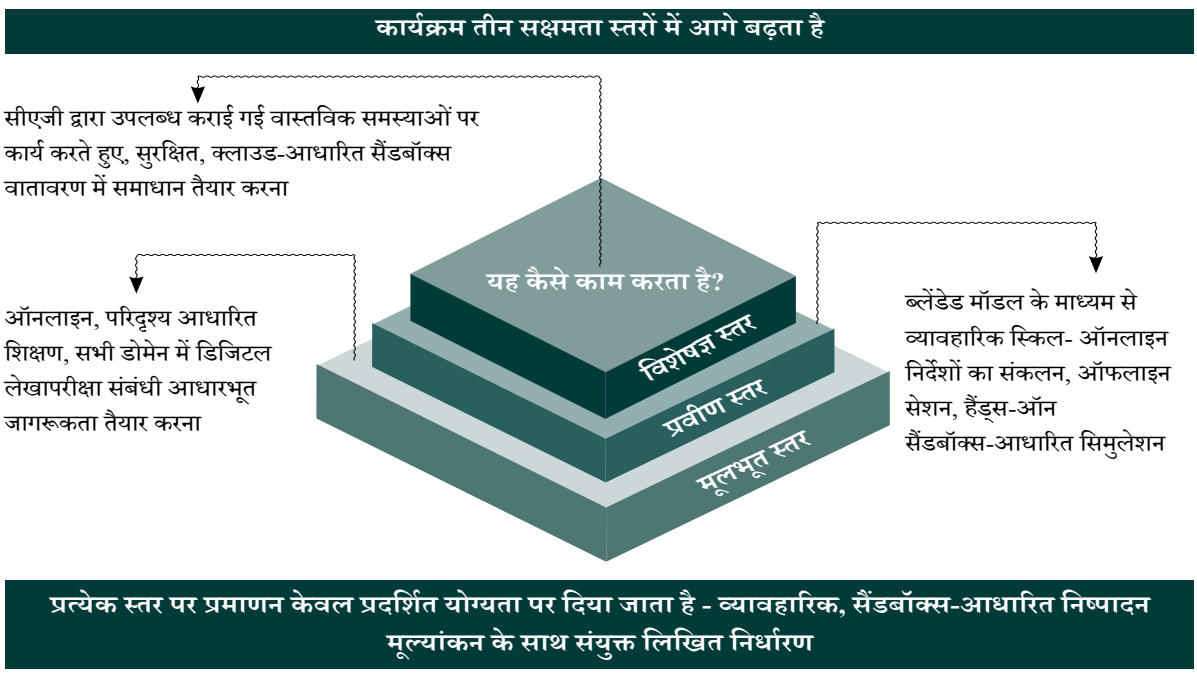
शासन के तेजी से डिजिटलीकरण के साथ लेखापरीक्षकों को पारंपरिक लेखापरीक्षा ढांचे से परे जटिल डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र का निर्धारण करने की आवश्यकता है। मौजूदा वैश्विक प्रमाणन, हालांकि मजबूत हैं, लेकिन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के डिजिटल शासन संदर्भ के अनुरूप नहीं हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतर पैदा होता है। इसके निवारण के लिए, साई इंडिया ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से डिजिटल प्रणाली के लेखापरीक्षा पर प्रमाणन (सीएडीएस) विकसित किया है। अपनी तरह का पहला, संप्रभु व्यावसायिक प्रमाणन के रूप में परिकल्पित, सीएडीएस को यहां दिए गए डिजिटल लेखापरीक्षा के छः मुख्य क्षेत्रों में पूरी तरह से सक्षम लेखापरीक्षकों का एक कैडर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जबकि भारतीय शासन प्रणालियों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचों और मानकों पर आधारित है। कार्यक्रम को सीएजी की मौजूदा आंतरिक परीक्षा संरचना के साथ भी सावधानीपूर्वक मैप किया गया है, ताकि प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जा सके और अंततः एकीकृत किया जा सके।

चित्र 125: सीएडीएस के अंतर्गत डिजिटल लेखापरीक्षा के क्षेत्र



चित्र 126: कार्यक्रम के सक्षमता स्तर



चित्र 127: सीएडीएस के लिए संदर्भित मानक एवं दिशानिर्देश



यह कार्यक्रम पहले ही डिजाइन के स्तर से कार्यान्वयन के स्तर की ओर बढ़ चुका है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां नियोजित हैं:

- व्यापक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, एक स्वयं प्लस पाठ्यक्रम के रूप में रोलआउट के लिए बुनियादी स्तर कार्यक्रम।
- 2026 के उत्तरार्ध के लिए प्रयोगिक परिनियोजन की योजना है, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार।
- अगले पांच वर्षों में 14,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जो करियर विकास के साथ संरेखित एक संरचित, क्रेडिट-आधारित उन्नति मार्ग द्वारा समर्थित होगा।

सीएडीएस, लेखापरीक्षा क्षमता विकास में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो साई इंडिया को वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेखापरीक्षा मानकों में अग्रणी स्थान पर रखता है।

5.9 राज्य वित्त के दशकीय विश्लेषण का विस्तार करना

28 राज्यों में राजकोषीय ट्रेंड्स को सम्मिलित करने वाले राज्यों की वित्तीय स्थिति का दशकीय विश्लेषण के दो संस्करणों के सफल प्रकाशन और 10 वर्षों से अधिक की अवधि के आधार पर साई इंडिया ने 2026-27 के दौरान राज्य वित्त के दशकीय विश्लेषण पहल को और मजबूत करने की योजना बनाई है। इस पहल में विश्लेषणात्मक कवरेज का विस्तार किया जाएगा जिसमें उभरते वित्तीय मुद्दों, व्यय की गुणवत्ता की गहरी जांच, ऋण स्थिरता और क्षेत्रीय परिणामों को सम्मिलित किया जाएगा। अतिरिक्त साकार कल्पना, लंबी समय-श्रृंखला डेटासेट और बेहतर अंतर-राज्य बेंचमार्किंग क्षमताओं के साथ इंटरैक्टिव स्टेट फाइनेंस डैशबोर्ड को समृद्ध करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। मशीन-पठनीय वित्तीय डेटासेट और उन्नत विश्लेषणात्मक उत्पादों के व्यापक प्रसार के माध्यम से, पहल साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, अनुसंधान और सूचना आधारित लोक वित्तीय प्रबंधन का समर्थन करना जारी रखेगी।

अनुलग्नक I

वार्षिक व्यय, *क्षमता निर्माण और सीएजी संगठन में संसाधन प्रबंधन*

1.1 व्यय प्रबंधन

2025-26 में, कुल व्यय ₹6,495.55 करोड़ था, जिसमें से 90.64 प्रतिशत सीधे मानव संसाधनों, मुख्य रूप से वेतन, भत्ते एवं मजदूरी, चिकित्सा और यात्रा पर खर्च किया गया था। व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यालयों का था, जबकि लेखा और हकदारी कार्यालय लागत आधार का एक और प्रमुख घटक थे।

चित्र 1: व्यय के घटक

व्यय के घटक	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
वेतन, भत्ते एवं मजदूरी	5,435.98	83.69
चिकित्सा उपचार	85.31	1.31
यात्रा पर खर्च	366.03	5.64
किराया दर और कर	49.78	0.77
कार्यालय व्यय	338.60	5.21
विविध व्यय	219.85	3.38
योग	**6,495.55**	

चित्र 2 : विभिन्न कार्यालयों में होने वाला व्यय

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय का प्रतिशत
सीएजी कार्यालय	278.29	4.28
सिविल और वित्त एवं संचार कार्यालय	3,733.70	57.48
सिविल लेखा कार्यालय	1,477.60	22.75
प्रशिक्षण	95.75	1.47
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	310.24	4.78
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	188.15	2.90
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	327.89	5.05
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यलाय	58.51	0.90
केंद्रीकृत खरीद	20.73	0.32
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा	4.69	0.07
योग	**6,495.55**	

1.2 साई इंडिया की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा की बढ़ती जटिलता को पहचानते हुए, साई इंडिया ने एक मजबूत प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। संस्थागत प्रशिक्षण ढांचे में चार अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नौ क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई), और दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) शामिल हैं, जो संगठन में संरचित शिक्षण और ज्ञान-साझाकरण के अवसर प्रदान करते हैं। प्रमुख संस्थानों में शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला** - 1950 में स्थापित, एनएएए, शिमला साई इंडिया का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। यह सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए 89-सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण आयोजित करता है। यह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। प्रारम्भिक प्रशिक्षण के अलावा, एनएएए सतत व्यावसायिक विकास हेतु और शासन, लेखापरीक्षा एवं लोक प्रशासन के उभरते क्षेत्रों में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मध्य-कैरियर और विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

चित्र 3: एनएएए, शिमला



एनएएए के प्रशिक्षु अधिकारियों के डोमेन विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) और लोकतंत्र के लिए विधायी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) जैसे उत्कृष्टता के अन्य संस्थानों के साथ मजबूत संबंध हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा), नोएडा** - 2002 में स्थापित, आईसीसा फ्रंटलाइन ऑडिट प्रॉडक्ट का समर्थन करता है, और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में विशेष प्रशिक्षण और नेतृत्व के विचार को मजबूत बनाता है। यह आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई के कार्य समूह के लिए एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ/आईईसी 27001:2022 प्रमाणित संस्थान) है और विदेशी भाषा समर्थित वितरण सहित घरेलू, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भूमिका का विस्तार करना जारी रखता है।

चित्र 4: आईसीसा, नोएडा



- **अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र (आईसीईडी), जयपुर**

  2013 में अपनी शुरुआत से, आईसीईडी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और ज्ञान साझा करने का समर्थन किया है। इसमें 'ब्लू इकोनॉमी के लिए उत्कृष्टता केंद्र' भी है और यह 'पर्यावरण लेखापरीक्षा पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीईए)' के साथ-साथ इंटोसाई के 'निकासी उद्योगों के लेखापरीक्षा पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीईआई)' के लिए एक वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में कार्य करता है।

चित्र 5: आईसीईडी, जयपुर



- **स्थानीय शासन के लेखापरीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल), राजकोट** - जुलाई 2024 से शुरू, आईसीएएल स्थानीय शासन लेखापरीक्षा क्षमता को मजबूत करता है और स्थानीय सरकार के लेखापरीक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्यकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा, आईसीएएल को क्षेत्रीय और नगरपालिका लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआरएमए) पर एसोसाई कार्य समूह के लिए नोडल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

चित्र 6: आईसीएएल, राजकोट



- **क्षेत्रीय क्षमता निर्माण संस्थान** - क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान/केंद्र (आरसीबीकेआई/सी) देश भर में डोमेन-विशिष्ट और आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयासों को पूरा करते हैं। नौ आरसीबीकेआई चेन्नई, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज, रांची और शिलांग में हैं। 2025 में, हैदराबाद में आरसीबीकेआई को वित्तीय लेखापरीक्षा में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है, जो एनएएए शिमला के एक भाग के रूप में कार्य करता है। दो आरसीबीकेसी बेंगलूरु और दिल्ली में हैं। ये संस्थान मिलकर साई इंडिया के सभी स्तरों पर अपने विशेष क्षेत्रों में ज्ञान प्रसार, कौशल वृद्धि और व्यावसायिक विकास प्रदान करते हैं।

चित्र 7: आरसीबीकेआई, प्रयागराज



कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और आरसीबीकेआई/केन्द्रों प्रारम्भिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रशिक्षण, नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहलों में सहायक हैं।

1.3 हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

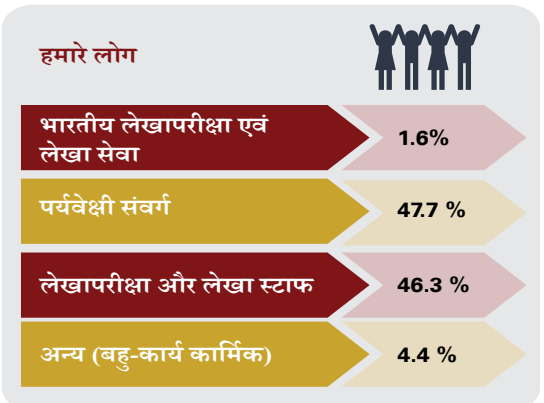
साई इंडिया की प्रभावशीलता उसके मानव, वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत संसाधनों के कुशल उपयोग पर निर्भर करती है। साई इंडिया अर्थव्यवस्था, क्षमता और परिचालन प्रभावशीलता पर जोर देने के साथ अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है।

क. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन साई इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। 31 मार्च 2026 तक, साई इंडिया के पास 38,762 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा, पर्यवेक्षी संवर्ग, लेखापरीक्षा और लेखा कार्मिक, और बहु-कार्य कार्मिक थे। संगठन ने भर्ती, योग्यता, कार्यबल संतुलन और कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। हमने कार्यालयों और पदों में इष्टतम कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए 2025-26 में 385 व्यक्तियों की भर्ती की। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा में महिलाओं का अनुपात 30.93 प्रतिशत, पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखापरीक्षा और लेखा कर्मचारियों में 15.11 प्रतिशत और अन्य (बहु-कार्य कार्मिक) में 19.79 प्रतिशत था। विभाग ने विभिन्न कैडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्मिकों के संघों और महासंघों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से भी काम करना जारी रखा था।

चित्र 8: हमारे संगठन के लोग

लोगों की श्रेणी	तैनात अधिकारी/स्टाफ की संख्या (31.03.2026 तक)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा	611
पर्यवेक्षी संवर्ग	18,499
लेखापरीक्षा और लेखा स्टाफ	17,959
अन्य (बहु-कार्य कार्मिक)	1,693
कुल	**38,762**



लैंगिग समानता (महिलाएं)

30.93% भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा

15.11% पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखापरीक्षा और लेखा कार्मिक

19.79% अन्य (बहु-कार्य कार्मिक)

लिंग संतुलन	स्त्री	पुरुष	कुल
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा	189	422	**611**
पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखापरीक्षा और लेखा कार्मिक	5,510	30,948	**36,458**
अन्य (बहु-कार्य कार्मिक)	335	1,358	**1,693**
कुल	**6,034**	**32,728**	**38,762**

ख. कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के कल्याण हेतु 2025-26 में कई उल्लेखनीय पहलें की गईं, जैसे:

- **विभागीय कैंटीन का आधुनिकीकरण:** क्षेत्रीय कार्यालयों से आठ प्रस्तावों को संसाधित किया गया और 2025-26 में विभागीय कैंटीन योजना के आधुनिकीकरण के तहत धन के अनुदान के लिए डीओपीटी को भेजा गया। इनमें से सात कार्यालयों को धनराशि स्वीकृत और जारी की गई, जिनका उपयोग इन कार्यालयों द्वारा कैंटीनों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किया गया।
- **विभागीय कैंटीन के लिए कर्मचारियों की बहिर्स्रोतन:** विभागीय कैंटीन के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग को तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इससे कागजी कार्रवाई काफी कम होने और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित होने की आशा है।
- **खिलाड़ियों के सेवा बर्खास्तगी मामलों पर पुनर्विचार:** खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए विभागीय पुष्टिकरण परीक्षण (डीसीटी) की अनिवार्य मंजूरी को हटाने के लिए और विशेष रूप से खिलाड़ियों की परिवीक्षा की मंजूरी हेतु इसकी आवश्यकता से इसे पृथक करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसने एक लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक बाधा को संबोधित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ियों को प्रशासनिक मंजूरी आवश्यकताओं के माध्यम से अनजाने में दंडित नहीं किया जाता है जो उनके कार्यात्मक भूमिका से संबंधित नहीं हैं।
- **उत्कृष्टता क्षेत्र:** उत्कृष्टता क्षेत्र योजना को दो खेलों - बैडमिंटन और टेबल टेनिस में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इस योजना के तहत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के 18 खिलाड़ियों को सीधे लाभ हुआ, जिससे विभाग के भीतर खेल दिग्गजों का विकास हुआ।

1.4 संपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा विकास

संपदा स्कंध ने कार्यालय और आवासीय आवास के विस्तार, क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के निर्माण, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और रणनीतिक संपदा प्रबंधन पहलों के

कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जारी रखा। 2025-26 के दौरान, चल रही परियोजनाओं को पूरा करने, नए बुनियादी ढांचे के निर्माण, संपदा नीति सुधारों और विभाग की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं हेतु भूमि एवं कार्यालय स्थान के अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्ष के दौरान प्रमुख विकासों में शामिल हैं:

- आइजोल में आवासीय क्वार्टरों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पूरा होना; एच, सिद्दैया रोड, बेंगलूरु में नया कार्यालय भवन; भांडुप, मुंबई में चरण-I आवासीय क्वार्टर
- कई रणनीतिक संपदा और नीतिगत पहलों की उन्नति, जिनमें शामिल हैं:
  - ➢ भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग संपदाओं का केंद्रीकृत डेटाबेस का अनुरक्षण।
  - ➢ आपदा प्रबंधन और परिचालन निरंतरता योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी।
  - ➢ रणनीतिक संपदा प्रबंधन योजना (एसईएमपी) निगरानी।
- कार्यालय और आवासीय बुनियादी ढांचे के लिए गांधीनगर और अगरतला में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रीय सीएजी कार्यालयों के लिए स्थापना संबंधी मंजूरी; पटना, गांधीनगर, मुंबई और अमरावती में कार्यालय और आवासीय परिसरों में प्रगति; पुरी, हैदराबाद, राजकोट, रांची, जयपुर और भुवनेश्वर सहित स्थानों पर नवीनीकरण, मरम्मत और पुनर्विकास पहलों के माध्यम से मौजूदा संपदा परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण और अनुकूलन।

1.5 खेलों में सीएजी की उपस्थिति

सीएजी की टीम ने पिछले दस वर्षों में खेल की सात विभिन्न विधाओं में भागीदारी के साथ अपनी उच्चतम अंतर-विभागीय खेल भागीदारी हासिल की:

चित्र 9: अंतर-विभागीय खेल में सीएजी की भागीदारी

बैडमिंटन	हॉकी	टेबल टेनिस	क्रिकेट	फुटबॉल	कैरम	वॉलीबॉल
10 टूर्नामेंट	9 टूर्नामेंट	9 टूर्नामेंट	5 टूर्नामेंट	3 टूर्नामेंट	2 टूर्नामेंट	1 टूर्नामेंट

सीएजी की टीम की ओर से 2025-26 में कुल 39 टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व किया गया, जो विभाग के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अनुलग्नक II

जीपीएफ और पेंशन

कार्य राज्य महालेखाकारों (ले. एवं हक़) के साथ

क्र. सं.	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित हकदारी
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम
2	असम	असम	बिहार
3	छत्तीसगढ	बिहार	झारखंड
4	गुजरात	हरयाणा	कर्नाटक
5	हरयाणा	हिमाचल प्रदेश	केरल
6	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	मणिपुर
7	कर्नाटक	झारखंड	मेघालय
8	केरल	कर्नाटक	नागालैंड
9	मध्य प्रदेश	केरल	
10	महाराष्ट्र*	महाराष्ट्र*	
11	मणिपुर	मणिपुर	
12	मेघालय	मेघालय	
13	नगालैंड	नगालैंड	
14	ओडिशा	ओडिशा	
15	तमिलनाडु	पंजाब	
16	तेलंगाना	तमिलनाडु	
17	त्रिपुरा	तेलंगाना	
18	उत्तर प्रदेश	त्रिपुरा	
19	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	
20	पश्चिम बंगाल	–	

**महाराष्ट्र में दो ले. एवं हक़. कार्यालय हैं।*

अनुलग्नक III

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा स्कन्ध के अधीन क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों का **कार्य आवंटन**

क्र.सं.	कार्यालय	आवंटित मंत्रालय	उप लेखापरीक्षक
1	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य, नई दिल्ली	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हैदराबाद महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता
		वस्त्र मंत्रालय	महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता
		पर्यटन मंत्रालय	-
		कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	
		रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	
		सार्वजनिक निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग	
		लोक उद्यम विभाग	
2	महानिदेशक लेखापरीक्षा, इस्पात, रांची	इस्पात मंत्रालय	-
3	महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता	खान मंत्रालय	-
		कोयला मंत्रालय	
4	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, हैदराबाद (कार्यालय का पुनः नामकरण: प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हैदराबाद)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	-

क्र.सं.	कार्यालय	आवंटित मंत्रालय	उप लेखापरीक्षक
5	महानिदेशक लेखापरीक्षा, अवसंरचना, नई दिल्ली	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, शिपिंग, चेन्नई महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता
6	महानिदेशक लेखापरीक्षा, नौवहन, मुंबई (कार्यालय का पुनः नामकरण: महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्तीय सेवाएं, मुंबई)	वित्तीय सेवाएं विभाग	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य, नई दिल्ली महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता
7	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, चेन्नई (कार्यालय का पुनः नामकरण: प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नौवहन, चेन्नई)	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	महानिदेशक लेखापरीक्षा, अवसंरचना, नई दिल्ली महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता
8	महानिदेशक लेखापरीक्षा, ऊर्जा, नई दिल्ली (कार्यालय का पुनः नामकरण: महानिदेशक लेखापरीक्षा, विद्युत, नई दिल्ली)	विद्युत मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय	महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता -
9	महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई (कार्यालय का पुनः नामकरण: महानिदेशक लेखापरीक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मुंबई)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान एवं कोयला, कोलकाता

शब्दावली

एएबी	लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड
एएओ	सहायक लेखापरीक्षा/लेखा/प्रशासनिक अधिकारी
एसी	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल
एसीएम	लेखापरीक्षा कमिटी बैठक
एडीएआई	अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एडीएम	लेखापरीक्षा डिज़ाइन मैट्रिक्स
ए एवं ई	लेखा और हकदारी
एजी	महालेखाकार
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईसी	ऑडिट प्रभाव सेल
एआईपीएस	एजेंसी –वाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर प्रोग्राम सपोर्ट
एजेएनआईएफ़एम	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
एएमडीपी	उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एएमजी	लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह
एपीएआर	वार्षिक निष्पादन निर्धारण प्रतिवेदन
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस
एआरयू	लेखा प्रस्तुतीकरण इकाई
एएसडी	अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि
एजी	महालेखाकार
एसोसाई	एशियाई सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन
एसोसाई डब्ल्यूजीआईटीए एवं डीए	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और डेटा विश्लेषण पर कार्य समूह
एसोचैम	भारतीय सहयोगी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
एटीएन	कृत कार्रवाई नोट
बीसीओ	बजट नियंत्रक अधिकारी
बीडीएल	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
बीईएल	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
बीईएमएल	बीईएमएल लिमिटेड
बीआईएसएजी-एन	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान
बीओसीडबल्यू	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
बीआरएपी	व्यापार सुधार कार्य योजना
ब्रिक्स	ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका
बीएसएफ़	बजट स्थिरीकरण कोष
बीटीपी	द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
सीए	सनदी लेखाकार
सीए	अनुपालन लेखापरीक्षा
सीएडीएस	डिजिटल प्रणाली के लेखापरीक्षा पर प्रमाणन
सीएजी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीएएस	अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीटीवी	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन
सीडीए	रक्षा लेखा नियंत्रक
सीडीएमए	आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र

सीडीपीएसई	सर्टिफाइड डेटा प्राइवेसी सॉल्यूशंस इंजीनियर
सीडीएस	चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ
सीईए	केंदीय व्यय लेखापरीक्षा
सीईडीएआर	राजस्व के डिजिटल लेखापरीक्षा में उत्कृष्टता केंद्र
सीईआरटी-आईएन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
सीएफ़एमएस	व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
सीजीए	महानियंत्रक लेखा
सीजीडीए	रक्षा लेखा महानियंत्रक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएसए	प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक
सीआईएसएम	प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक
सीआईएसएसपी	सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी प्रोफेशनल
सीकेआर	सेंट्रलाइज़्ड नॉलेज रिपॉजिटरी
सीएमडी	चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर
सीएमआई	कंपिटिटिवनेस माइंडसेट इंस्टीट्यूट
सीओई	सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस
सीओईएफ़ए	सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट
सीओजीआरएमएस	सीएजी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली
सीओएनसीओआर	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया
सीओपी	कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस
सीओपीयू	सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

कोविड	कोरोनावायरस रोग
सीपीडी	सतत व्यावसायिक विकास
सीपीग्राम्स	केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीपीएसयू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीआर	मध्य क्षेत्र
सीआरए	केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा
सीआरआई एससी	सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल
डीएजी	उप महालेखाकार
डीएजीई	डिववीजनल लेखाकार ग्रेड परीक्षा
डीएआई	उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
डीबीटी	डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
डीसी	विस्तृत आकस्मिक बिल
डीसीटी	विभागीय पुष्टि परीक्षा
डीडीओ	आहरण एवं वितरण अधिकारी
डीएफसीसीआईएल	भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड
डीजी	महानिदेशक
डीजीए	महानिदेशक लेखापरीक्षा
डीआईबीडी	डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएमएस	दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली
डीओआरएफ़	रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा

डीपी	ड्राफ्ट पैराग्राफ
डीपीसी अधिनियम	कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें अधिनियम
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
डीपीटीआई	रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ईसीएचएस	पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीओएसओसी	आर्थिक और सामाजिक परिषद
ईडीपी	कार्यकारी विकास कार्यक्रम
ई-एचआरएमएस	इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
ईओडीबी	व्यापार में सुगमता
ईओडब्ल्यू	आर्थिक अपराध शाखा
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरपी	एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग
ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और शासन
ईटीएल	एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़ॉर्म और लोड
एफ़एओ	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय
एफ़एओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफ़एएसआईआई	भारत के लघु उद्योगों के संघों का महासंघ
एफ़सी	वित्त आयोग
एफएंडसी	वित्त एवं संचार
एफ़आईसीसीआई	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
एफ़आईपीपी	इंटोसाई पेशेवर घोषणाओं का फोरम
एफ़आईएसएमई	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महासंघ
एफ़एलएन	बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता
एफ़ओएसएमआई	लघु और मध्यम उद्योगों का महासंघ
जीए	सरकारी लेखा
जीएएसएबी	सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड
जीई	राजपत्रित हकदारी
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीएफ़	सामान्य भविष्य निधि
जीपीओ	उपदान भुगतान आदेश
जीएसएआई	वैश्विक साई जवाबदेही पहल
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीटीएफ़	वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा
एचएजी	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचसीओ	स्वास्थ्य सेवा संगठन
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
एचओडी	विभागाध्यक्ष
एचआर	मानव संसाधन
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
आईएएंडएडी	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
आईएएंडएएस	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा
आईएईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
आईएजी	एकीकृत लेखापरीक्षा समूह

आईएआरसी	कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी
आईबीईएमएस	एकीकृत बजट और व्यय निगरानी प्रणाली
आईसीएआई	इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
आईसीएएल	स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईडी	पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र
आईसीआईएसए	सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र
आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
आईडीआई	इनटोसाई विकास पहल
आईएफ़एमआईएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईएफ़एमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
आईएफपीपी	इनटोसाई व्यावसायिक उद्घोषणाओं का ढांचा
आईजीएएस	भारत सरकार लेखा मानक
आईजीओटी	एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण
आईआईडीएमएस	सिंचाई इंटेलिजेंट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएमके	भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
इंकोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
आईएनआई	राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय संगठन
आईओटी	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स
आईपीएआई	भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई एंड पीआर	निरीक्षण और सहकर्मी समीक्षा
आईआर	अंतर्राष्ट्रीय संबंध
आईआरईपीएस	भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली
आईएस	सूचना प्रणाली
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईएसएमएस	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
आईएसएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय मानक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी-आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र
आईटीपी	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
जैम	जन धन-आधार-मोबाइल
के एंड सीबी	ज्ञान और क्षमता निर्माण
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केएससी	ज्ञान साझाकरण और ज्ञान सेवा समिति
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलबी	स्थानीय निकाय
एलजीए	स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा
एलएलएम	वृहद भाषा मॉडल

एलएमएस	लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
एमसीए	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
एमसीए	मासिक सिविल लेखा
एमसीक्यू	बहु विकल्पीय प्रश्न
एमसीटीपी	मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमडीपी	प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मिधानि	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमकेआई	मासिक मुख्य संकेतक
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएल	प्रबंधन पत्र
एमएमआईएस	सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमटीएल	मल्टीमॉडल परिवहन और लॉजिस्टिक्स
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसआईपी	मॉड्यूलर ओपन-सोर्स पहचान प्लेटफॉर्म
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपी-आईडीएसए	मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

एमएसएमई	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
एनएएए	राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी
एनएसीआईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी
एनएईजी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार
एनबीएफ़सी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएस	नई संकलन प्रणाली
एनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
एनएचपीसी	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
निमहंस	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान
एनआईपीएफपी	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
निपुण	संख्यात्मक ज्ञान के साथ, पठन में निपुणता के लिये राष्ट्रीय पहल
एनआई आरडीपीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनआईयूए	राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान
एनएलपी	प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
एनएमएएम	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल
एनएमईटी	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास
एनपीसीआई	नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

एनआर	उत्तरी क्षेत्र
एनआरए	प्राकृतिक संसाधन लेखांकन
एनएसडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओसीआर	ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन
ओआईडीएफ़	तेल उद्योग विकास निधि
ओआईओएस	एक आईएएडी एक प्रणाली
ओपीसीडबल्यू	रासायनिक हथियार निषेध संगठन
ओटी	प्रशिक्षु अधिकारी
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएजी	प्रधान महालेखाकार
पीसीसी	प्लेन सीमेंट कंक्रीट
पीसीडीए	प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा
पीडीए	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएफ़एमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएचडीसीसीआई	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पीएम गति शक्ति	प्रधानमंत्री गति शक्ति
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	विद्युत प्रबंधन संस्थान
पीएमएस	पेरोल प्रबंधन प्रणाली
पीओसी	अवधारणा का प्रमाण

पीपीजी	व्यावसायिक कार्यप्रणाली समूह
पीपीओ	पेंशन भुगतान आदेश
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
प्राइड	संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरए	राजस्व लेखापरीक्षा
आरएए	रॉयल ऑडिट अथॉरिटी
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसी	केंद्रीय प्रतिवेदन
आरसीबीकेआई	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान
आरसीबीकेआई/सी	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान/केंद्र
आरसीसी	रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आर-डीएसी	रिमोट डिजिटल ऑडिट सेल
आरडीएसएस	नवीनीकृत वितरण क्षेत्र योजना
आर एंड ई	राजस्व और व्यय
एसएबी	राज्य स्वायत्त निकाय
साई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान
एसएआईएल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसएओ	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
एसएपी	प्रणाली अनुप्रयोग और उत्पाद
एसएआर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एसएएस	अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा

एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एससीओ-आरएटीएस	एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीपी	रणनीतिक विकास योजना
एसडीआरएफ़	राज्य आपदा मोचन निधि
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईसीआई	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
एसईएमपी	रणनीतिक संपदा प्रबंधन योजना
एसएफ़एआर	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एसएचआई	कर्मचारी स्वास्थय बीमा
एसआईडीएम	सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स
एसएमएएम	राज्य नगर निगम लेखांकन नियमावली
एसएमईटी	राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट
एसएनए	एकल नोडल अभिकरण
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसओएफ	तथ्य कथन
एसओआर	दरों की अनुसूची
एसपीएआरआर ओडबल्यू	स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
स्पर्श	पेंशन प्रशासन प्रणाली -रक्षा
एसपीओसी	एकल संपर्क बिंदु
एसपीएसई	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
एसपीएसयू	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

एसक्यूएल	स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसएससीए	विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
एसएसटी	कोषागारों के साथ निपटान की अनुसूची
एसएसडब्ल्यूएस	राज्य एकल- खिड़की प्रणाली
स्वयं	स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अस्पाइरिंग माइंड
टीए	यात्रा भत्ता
टीजीएस	तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनएआईडीएस	एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम
यूएनबीओए	संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा बोर्ड
यूएनडीआरआर	संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनआईसीसी	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटिंग केंद्र
यूएनजेएसपीएफ	संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कर्मचारी पेंशन कोष
यूपीसीएल	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेश
वीईडीएएस	वर्चुअल एंटाइटेलमेंट डेटा एक्सेस सिस्टम

वीएलसी	वाउचर स्तर संकलन
वीएलसीएस	वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली
डबल्यूएएमआईएस	कार्यों और लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली
डबल्यूबीएच आईडीसीओ	पश्चिम बंगाल आवास अवसंरचना विकास निगम
डबल्यूजीबीडी	बिग डेटा पर कार्य समूह
डबल्यूजीडीटी	वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
डबल्यूजीईए	पर्यावरण लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजीईआई	निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजीईपीपीपी	सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर कार्य समूह
डबल्यूजीएफ़ए	अनुवर्ती लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजीएफ़ एसीएमएल	भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ संघर्ष पर कार्य समूह
डबल्यूजीएफ़ईएस	वित्तीय और आर्थिक स्थिरता पर कार्य समूह
डबल्यूजी आईएसटीए	लेखापरीक्षण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर कार्य समूह
डबल्यूजीआईटीए	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजीपीडी	सार्वजनिक ऋण पर कार्य समूह
डबल्यूजीपीपीए	सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजी आरएमए	क्षेत्रीय और नगरपालिका लेखापरीक्षा पर कार्य समूह
डबल्यूजीएसडीजी-केएसडीआई	एसडीजी और प्रमुख सतत विकास संकेतकों पर कार्य समूह
डबल्यूजीवीबीएस	साई के महत्व और लाभ पर कार्य समूह
डबल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यू आर	पश्चिमी क्षेत्र



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
https://www.cag.gov.in